(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 6] षष्ठम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का सतरहवां दिवस [संख्या 10

बुधवार

दिनांक 10 अक्टूबर, 1979

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष पदासीन)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : श्री माणकचन्द सुराणा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: (उद्योग मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ग्रुप-७) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना प. 5 (21) गृह। ग्रुप-7/79, दिनांक 20 सितम्बर, 1979

(2) अधिसूचना संख्या प. (19) गृह -7/79, दिनांक 12 सितम्बर, 1979.

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री किशनसिंह भाटी!

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में परिवर्तन

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : On a point of order, Sir अध्यक्ष महोदय, आज भी जो एजेन्डा आया है वह गलत आया है। आज का जो अजेन्डा है उसमें वह आइटम्स नहीं हैं जिनका निर्णय पहले हो चुका है कि 8 के कार्यक्रम 10 तारीख को लिये जायेंगे। मुझे आपके कार्यालय से सूचना मिली है कि आधा घंटे की चर्चा जो 8 को है वह 10 को ली जायेगी। और भी सूचना मेरे पास मौजूद है आपके कार्यालय द्वारा निकली हुई। अगर आज के बिजनेस में पाइन्ट नहीं आया तो मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि इसको बिजनेस में लाया जाना चाहिए था।

श्री रतनलाल शर्मा (भिणाय) : अभी तो कार्यवाही ही शुरू नहीं हुई।

श्री मूलचन्द डागा : कार्यवाही शुरू हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन सर्वोच्च है और सदन के द्वारा यह निश्चय किया गया था कि 8 तारीख का अजेन्डा लिया

②

(श्री अध्यक्ष)

जाने वाला है उसमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अतः मैं इस पाइन्ट आफ आर्डर को रूल आउट करता हूं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर श्री मूलचन्द सामरिया अपना वक्तव्य स्टार्ट करेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय सदस्य 10 मिनट से ज्यादा नहीं लें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समस्त प्रस्तावकों में से एक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन पूछना चाहता हूं। हमने भी ध्यान आकर्षित करने के प्रस्ताव दिए हैं उनका क्या होगा? इसी में लेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम समय में आ गया तो पुकार लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: 'समय में आ गया तो पुकार लूंगा' क्या मतलब हुआ?

श्री अध्यक्ष: पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो प्रश्न हैं मैं निवेदन करूंगा कि उनको लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : थोड़ा थोड़ा समय दे दें।

श्री शंकरलाल (जैतारण): On point of order, Sir मेरा, अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियम 131 के तहत लाया गया है। 131 के तहत कोई भी सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से इस प्रकार का प्रस्ताव ला सकता है। 31 माननीय सदस्यों ने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि नियम में है कि कोई भी सदस्य प्रस्ताव ला सकता है। सदस्य की जो डैफीनेशन हमारी नियमावली में दी गयी है, सदस्य का तात्पर्य सभा के सदस्य से है तो 31 ही सदस्यों के द्वारा ध्यान आकर्षण करने के बजाय कोई भी एक सदस्य ध्यान आकर्षण कर ले और उसमें मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाये तो मैं समझता हूं कि सदन का काफी अमूल्य समय बच जायेगा और ऐसा ही नियमों में प्रावधान भी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक माननीय सदस्य प्रस्ताव रख देगा और सरकार की तरफ से जवाब आ जायेगा। उसके बाद कोई स्पेसिफिक सवाल होगा तो उसका उत्तर दिया जा सकता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : अलग अलग प्रस्ताव दिये हैं। प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि अपने प्रस्ताव को अपने ढंग से रखे।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था दें क्योंकि जो नियम 131 है उसमें 'कोई भी सदस्य' लिखा है और सदस्य की परिभाषा में 'सदस्य' का तात्पर्य सभा के सदस्य से हैं। क्या आप 31 सदस्यों को इसके ऊपर बोलने के लिए अनुमति देंगे या एक ही सदस्य का बोलना काफी होगा?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से काफी नाम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के लिए आये है। मैं यह चाहूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता महोदय अपने अपने विचार व्यक्त करें। मैं कम से कम समय में इसको शार्ट करने की कोशिश करूंगा। हालां कि बहुत से माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह इस डिबेट में भाग लें लेकिन कम से कम समय में माननीय सदस्य इस पर बोलें इसके लिए व्यवस्था करूंगा। एक घंटे में ही समाप्त हो ऐसी कोशिश करूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : जहां तक सदस्य को हमारे नियमों में डिफाइन किया गया है Singular always includes plural—इसका मतलब यह नहीं है कि एकही सदस्य बोलें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे चुका हूं। श्री भाटी।

भूतपूर्व महाराजकुमार, अलवर की मृत्यु की जांच के लिये नियुक्त मल्हन समिति के प्रतिवेदन का सदस्यों को वितरण

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपने स्वीकार किया है उसमें यह दर्ज किया गया है कि निम्न सदस्यगण अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार की मृत्यु की घटना की जांच के लिए नियुक्त कानसिंह आयोग व मल्हन कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन दो कमेटीज का इसमें रेफरेन्स दिया गया है और जिनके ऊपर डिस्कशन होना है, मैं चाहता हूं कि डिस्कशन हो, मैं इस डिस्कशन को बार नहीं करना चाहता लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि मल्हन कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये क्योंकि उसके बिना कोई भी सार्थक डिस्कशन नहीं हो सकता।

श्री मूलचन्द डागा : हो नहीं सकता, वह जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है कि 'मल्हन कमेटी' तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है और किसी भी कमीशन की रिपोर्ट को प्रोसेस करने केलिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव समितियां नियुक्त कर दी जाती हैं और वह प्रोसेस करके गवर्नमेंट को बताती हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या एक्शन लिया जाना है। यह ऐसा डाकुमेंट नहीं है जो कि पब्लिक डाकुमेन्ट हो और जिसको हाउस की मेज पर रखा जाये। यह तो एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए हर बार कमेटी बनती है और यह गवर्नमेंट का प्रिविलेज है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जिसको यहां सदन की मेज पर रखा जाये।

कानसिंह आयोग के मूल प्रतिवेदन (अंग्रेजी) का सदस्यों को वितरण

श्री भंवरलाल ऐरन : On a point of order, Sir. मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अलवर की घटना का जो प्रतिवेदन हमें मिला है उसका हिन्दी संस्करण मिला है और ओरीजिनल इंग्लिश संस्करण है जिसमें माननीय कानसिंह जी ने अपना प्रतिवेदन दिया है। अंग्रेजी की प्रति हमें मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, 'मल्हन कमेटी' की रिपोर्ट सदन में रखने का उस दिन मैंने सदन में अनुरोध किया था और अंग्रेजी की ओरीजिनल रिपोर्ट कानसिंह कमीशन की है उसको भी हाउस की टेबल पर रखने और सदस्यों को वितरण करने हेतु मैंने आपकी मार्फत सरकार को निवेदन किया था लेकिन उसके ऊपर असमर्थता जाहिर की है कि उनके पास इतनी प्रतिलिपि नहीं है। ऐसा मुझे बताया गया है और एक प्रतिलिपि मुझे पढ़ने के लिए भी दी थी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां लाइब्रेरी में भी है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि नियम 131 के अन्तर्गत इस सदन की जो परम्परा पिछले 33 वर्षों में रही है वह एक ही परम्परा है और यही परम्परा पार्लियामेन्ट के दोनों हाउसेस की है कि काल अटेन्शन नोटिस एक ही व्यक्ति बोलता है जो कि काल अटेन्शन नोटिस देता है चाहे उस पर 20 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हों, चाहे पचास माननीय सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किये हों, चाहे भले ही लोक सभा में 542 ही सदस्य उस काल अटेन्शन नोटिस पर अपने हस्ताक्षर कर दें फिर भी जिस व्यक्ति ने काल अटेन्शन दिया है पहले उसी व्यक्ति का वक्तव्य होता है उसके बाद में सरकार की तरफ से उस काल अटेन्शन नोटिस पर स्टेटमेन्ट होता है। काल अटेन्शन का मतलब होता है सरकार का ध्यान आकर्षित करना। आपने यहां पर पहले सभी माननीय सदस्यों को अगर बोलने का मौका दिया और बाद में सरकार की की तरफ से स्टेटमेन्ट दिया गया तो यह उचित नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि यहां पर सभी माननीय सदस्य अपने बोलने का राइट इस्तेमाल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सही परम्परा यह है कि प्रथम व्यक्ति जिसने काल अटेन्शन नोटिस दिया है वह पांच मिनट पहले बोले और बाद में बाकी के सदस्य जब राज्य सरकार अपना स्टेटमेन्ट दे दें उसके पश्चात् ही कोई पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन करना हो तो कर सकते हैं कुछ प्रश्न के रूप में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। या कोई माननीय सदस्य इसमें स्पष्टीकरण चाहें तो प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं। यह इस सदन की पिछले 23 वर्षों से परम्परा रही है और लोकसभा में भी यही परम्परा है। लेकिन यहां पर मुझे कुछ ऐसी भ्रान्ति हो रही है कि पहले सभी माननीय सदस्य बोलेंगे और उसके ऊपर बाद में काल अटेन्शन नोटिस के ऊपर सरकार का स्टेटमेन्ट होगा। इसलिए स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये ताकि हम वैक्यूम में नहीं रहें। Otherwise we will be gropping in the dark. The member may call the attention of the Government

(श्री परसराम मदेरणा)

first and then the Government may give its own statement in that connection. If there is any necessity for any clarification that may be called for.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कांग्रेस आई के नेता महोदय ने जो मुद्दा यहां पर उठाया है उसके बारे में..

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि काल अटेन्शन नोटिस पर पहले एक माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे उसके बाद में सरकार उस पर अपना स्टेटमेन्ट देगी। उस स्टेटमेन्ट के बाद दूसरे माननीय सदस्य कोई पोइन्ट पर क्लेरीफिकेशन करना चाहेंगे तो सीमित समय में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे सदस्यों को बोलने का समय बाद में ही दिया जायेगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य गुप्ता जी, आप विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : गुप्ताजी, मुझे तो आपका कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं लगता है इसलिये आप बिराजिये। मैंने इस पर अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आसन ने जो भी व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। मैं उसका आदर करूंगा। पर मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान, इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की कुछ विशेष परिस्थितियां है। पिछले सत्र में इसके लिये मुख्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन भी दिया था कि मैं कानसिंह रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख रहा हूं। पर जब सदन में बहस हो तब कोई माननीय सदस्य अगर बोलना चाहें तो बोल सकेंगे। इस प्रकार इस की विशेष परिस्थितियां है। इसलिये परम्परा के अनुकूल न लेकर इस रिपोर्ट पर जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के समय अपने विचार व्यक्त कर सकें ऐसी आप आज्ञा दें। रूल्स आफ प्रोसीजर की धारा 131 के अनुसार जो परम्परा है उसके अनुसार विचार न होकर सभी सदस्य अपने विचार रख सकें इसके लिये आप व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें। जब माननीय सदस्य बोल चुकें उसके बाद में ही सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये। गुप्ताजी! मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि पहले एक माननीय सदस्य राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके बाद में राज्य सरकार का जवाब आयेगा। उस जवाब के आने के बाद ही दूसरे माननीय सदस्य कोई स्पष्टीकरण कराना चाहें तो करा सकते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अलवर के भूतपूर्व महाराज कुमार की मृत्यु की घटना को जांच के लिये नियुक्त कार्नसिंह आयोग व मल्हन कमेटी के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और सदन का ध्यान उस काले पृष्ठ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हमारे स्वतन्त्र भारत में स्वतन्त्र होने के बाद पहली मर्तबा इमर्जेन्सी का काला पीरियड शुरू हुआ। उस इमर्जेन्सी के पीरियड में कई काली घटनायें हुईं जिनमें से चाहे अलवर महाराज कुमार की हत्या हुई हो चाहे देश में अन्य कई ज्यादतियां हुई हों। उसके बाद में यानी इमर्जेन्सी समाप्त होने के बाद में, कांग्रेस शासन के समाप्त होने के बाद में चाहे इमर्जेन्सी के दौरान हुई ज्यादतियों के लिये कोई कमीशन बैठा हो, चाहे वह शाह आयोग हो, चाहे वह किस्सा कुर्सी के लिये आयोग बैठा हो लेकिन सबसे ज्यादा जघन्य अपराध अगर राजस्थान की धरती पर और अपने देश की धरती पर यदि कोई हुआ है तो वह है अलवर महाराज कुमार श्री प्रताप सिंह का जघन्य हत्या काण्ड। उनकी महल में बन्द करके हत्या की गयी। वह हत्या, अध्यक्ष महोदय, उस समय के मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी और दूसरे अधिकारियों ने मिल कर की। उस समय के गृह आयुक्त, उस वक्त के डी. आई. जी. पी. एस. पी., अलवर और अलवर के जो कलेक्टर थे उन सब ने मिलकर श्री महाराज कुमार अलवर की हत्या की थी। इसके अन्दर, अध्यक्ष महोदय, कई राजनेता लोग भी शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, अलवर के राजनेता लोग उनसे राजनैतिक विरोध रखते थे और वे अलवर महाराजकुमार को खतम करना चाहते थे। इसलिए उन्हीं लोगों ने – राजनेताओं ने मिल कर उनको मौके पर जाकर खतम कराया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास का काला पृष्ठ दिनांक 27 मार्च, 1976 को हुआ था। अध्यक्ष महोदय, अलवर महाराज कुमार की राजनेताओं ने मिल कर इमर्जेन्सी के काले दिनों में हत्या की। श्रीमान, मैं इमर्जेन्सी की ज्यादतियों के बारे में ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इमर्जेन्सी का समय तो ज्यादतियों से भरा पड़ा है लेकिन इन सभी ज्यादितियों में सबसे बड़ी ज्यादती और सबसे बड़ा घिनौना कार्य अगर कोई किया गया तो वह था महाराज कुमार अलवर की हत्या। अध्यक्ष महोदय मैं आपको अलवर महाराज कुमार की जो हत्या हुई उसकी पृष्ठ भूमि में क्या बात थी उसके बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जब राजस्थान में मत्स्य राज्य बना उस समय जो प्रिन्सेज थे उनकी प्राइवेट प्रोपर्टीज की एक लिस्ट बनी और वह लिस्ट भारत सरकार को भेजी गयी। उस मत्स्य राज्य में करौली, भरतपुर और अलवर तीनों स्टेट्स थीं। उसमें, अध्यक्ष महोदय, यह प्रोवीजन था कि जो भी प्रिन्सेज को प्रोपर्टी दी गयी थी, किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कलेक्टर हो चाहे वह कोई राजनेता हो उस पर्सनल प्रोपर्टी में जाने के लिये भारत सरकार से परमीशन लेनी पड़ती थी और भारत सरकार की स्वीकृति के बिना वहां पर कोई भी एन्टर नहीं हो सकता था। पर इस इमर्जेन्सी के काल में कानून को ताक में रख कर उस समय के जो

(श्री किशनसिंह भाटी)

राजनेता लोग थे उनमें रामानन्द अग्रवाल, शोभाराम और दूसरे राजनेता लोगों ने राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से, राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता को समाप्त करने की भावना से, अलवर महाराज कुमार और अलवर घराने की जमीन को हड़पने के लिये कु-दृष्टि डाली। इन सभी बातों का जिक्र कानसिंह आयोग की रिपोर्ट में आया है और यही खास कारण था अलवर महाराजकुमार की हत्या करने का। अध्यक्ष महोदय, वह जमीन अलवर राजघराने की थी और उसको डिस्प्यूट में डाल दिया गया। फिर इस पर सर्व प्रथम शोभाराम जी, जो कि उस समय के कांग्रेस के नेता थे? कलेक्टर की सांठ गांठ से उस जमीन को हड़पा, उसका झगड़ा हुआ और उसमें तत्कालीन कांग्रेस के, उस वक्त के बड़े नेता श्री मोरारजी भाई, जो बाद में जनता पार्टी से थे और जो भारत के प्रधान मन्त्री बने, ने हस्तक्षेप किया था और उन्होंने शोभाराम जी को इस बिना पर कि इन्होंने अलवर राज घराने की जमीन हड़पी है इसलिये 1957 में कांग्रेस का टिकट नहीं दिया और जो जमीन श्री शोभाराम जी ने हड़प ली थी वह राजघराने को वापिस अलवर के राजघराने को सौंप दी।

व्यवस्था का प्रश्न

न्यायालय के सामने विचाराधीन विषय पर विचार

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, यह मामला सबजुडिस है।

This matter is pending with the Court, Sir. This is subjudice matter and how can he refer it here

(व्यवधान)

How can he give speech? He can only draw the attention of the house.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशनसिंह भाटी : श्रीमान, मैं केस के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं तो सही स्थिति बता रहा हूं।

(व्यवधान)

I am not talking about the sub-judice matter. I am only narrating the facts given in this report.

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ रिपोर्ट में है उसके ही अन्दर बोला जाय; रिपोर्ट के बाहर नहीं बोला जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो केस सबजुडिस है मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि अलवर महाराज कुमार की मृत्यु का कारण क्या था।

8

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सबजुडिस है : मैंने अध्यक्ष महोदय प्रारम्भ में ही निवेदन किया था...

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जितना समय मेरे वक्तव्य में व्यवधान में जा रहा है उतना समय मुझे बोलने में दिया जाना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, काल अटेन्शन नोटिस में पाइन्ट पर ही डिस्कशन होना चाहिये। रूल्स आफ बिजनेस की धारा 131 के तहत सिर्फ रिपोर्ट पर ही डिस्कशन होना चाहिये।

श्री किशनसिंह भाटी : आप कांग्रेस (आई) के नेता रूल्स आफ प्रोसीजर के स्ट्रिक्ट फोलोअर हैं। I was not discussing the sub-judice matter.

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अगर सभी सदस्य बोलना चाहेंगे और इस प्रकार एक काल अटेन्शन नोटिस पर बोलेंगे तो इस सदन की पिछले 23 वर्षों से जो परम्परा रही है वह समाप्त हो जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि नियमों के अनुकूल जो परम्परा है उसी के अनुसार बोला जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहे।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय।

श्री जयकृष्ण शर्मा: आन ए पाइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के नेताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला काफी सेन्सटिव है। सेन्सटिव मैटर होने के नाते माननीय सदस्यों से यह तो अपेक्षा की जायेगी कि इस मामले को जितना सीमित ढंग से रखना चाहें, रखें लेकिन प्रयत्न इस बात का करें कि जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं उन का रेफरेन्स न आये। इस तरह के रेफरेन्स न आये जिससे जजमेंट करने वाली जो आथोरिटी है उस पर एडवर्स अफेक्ट पड़ता हो। माननीय सदस्य केवल फैक्ट्स कह रहे हैं। आप यह मान कर चलें कि जो कुछ भी माननीय सदस्यों द्वारा कहा जायेगा वह उनके इन्डीविजुअल विचार होंगे, सदन के नहीं। बोलने के प्रश्न पर जितना लिबरल रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर :

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा संरक्षण किया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हाउस को यदि कोई गुमराह कर रहा हो, उस समय मेरा धर्म हो जाता है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा: मैं अध्यक्ष महोदय से क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूं..

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय...

श्री जयकृष्ण शर्मा : किशन सिंह भाटी सदन को गुमराह कर रहे हैं..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : कालेज के पास की जमीन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपको क्लेरिफिकेशन के लिये मौका मिलेगा। इस समय माननीय सदस्य ध्यान आकर्षण कर रहे है अतः इस समय क्लेरिफिकेशन नही मांगें। गवर्नमेंट का जवाब आने के बाद क्लेरिफिकेशन मांगें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

अलवर के महाराज कुमार की मृत्यु की घटना की जांच के लिये नियुक्त कानसिंह आयोग व मल्हन कमेटी के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

श्री किशनसिंह भाटी : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह दूं, सब-जुडिस मैटर के बारे में नहीं कह रहा हूं। कहीं तारीख आई है, कहीं नाम आया है, उसका रेफरेन्स दे सकता हूं। उस समय के कुछ नेता राजकुमार प्रताप सिंह के नागरिकता के अधिकारों से नाराज थे। चुनाव में वे किस की सपोर्ट करें यह उनका अधिकार था, मन चाहे किसी दल को समर्थन दें, यह उनका अधिकार था। श्री आदर्श किशोर सक्सेना, जो वहां कलेक्टर थे, जो होम कमिश्नर को रिपोर्ट दी हैं, उन्होंने कानसिंह आयोग के सामने बयान दिया है उसमें रेफरेन्सेस के तौर पर आया है। वरना 2।। करोड़ जनता की किसी से दुश्मनी नहीं थी। परसराम जी की होगी नहीं, सम्पतराम जी की, भैरोंसिंह जी की होगी नहीं। यह क्यों कहता हूं, कोई न कोई डिस्प्यूट था, कोई दुश्मनी थी, कोई काज था इसलिये वह उन्होंने रेफरेन्सेस दिये हैं जो कि कमीशन की रिपोर्ट में दिये गये हैं। शोभारामजी की नाराजगी का कारण यह भी था कि उन्होंने उनके घराने से 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांगे थे और यह कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया है...

(व्यवधान)

इसलिये यह पृष्ठभूमि है, श्रीमान, जिसके लिये अलवर के नेता अलवर के राजकुमार से नाराज थे, वे टार्चर करना चाहते थे। उन्होंने बहुत परेशान किया यहां तक कि, श्रीमान, मैं वापिस रेफरेन्स नहीं देना चाहता, 1976 में हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री थे, अलवर हत्या काण्ड के बारे में कांग्रेस की श्रीमती नगेन्द्रबाला कांग्रेस के सज्जनसिंह, मूल चंद सामरिया, मीठालाल मीणा, जो एम. पी. हैं और उस समय एम.एल.ए. थे, ने बहस में भाग लिया। परसराम जी राजस्व मंत्री थे। रामानंद अग्रवाल ने उनके बारे में कोई प्रश्न पूछा और इस विधान सभा में कांग्रेस के गृह मंत्री से पूछा कि अलवर के महाराजकुमार के खिलाफ कितने केसेज पेन्डिंग पड़े हैं। गुलाबसिंह शक्तावत ने कहा कि उनके विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं, वे झूठे साबित हुए हैं, इसमें हम कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिये इमर्जेन्सी का जब पीरियड आया तब उन व्यक्तियों के दबाव में आकर तत्कालीन

(श्री किशनसिंह भाटी)

मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी के इशारे से, इमर्जेन्सी का फायदा उठाकर उनके खिलाफ, उनको जलील करने के लिये, उनको टार्चर करने के लिये उनकी घिनौनी हत्या का षडयन्त्र किया। जो तत्कालीन जिलाधीश थे उन्होंने मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी, रामसिंह, होम कमिश्नर से मिलकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनसे षडयन्त्र करके इस तरह की योजना बनाई। महाराजकुमार को किसी तरह मुकदमों में एन्टेंगल किया जाये। कोई न कोई बहाना किया जाये। इस तरह की साजिश थी कि जलील किया जाये। जलील इसलिये कहता हूं कि उनसे 160, 151 में शांति भंग का केस लगाकर 1 लाख रुपये की जमानत मांगी गई। वर्तमान विधायक नारायणसिंहजी सिंगी, नवाब लोहारू, हिमाचल के गवर्नर हैं, अलवर के राजकुमार से मिले जिन्होंने एवीडेन्स दी है। हरिदेव जोशी ने यह कहा कि समझा दो अपने राजकुमार को नहीं तो बस्तर वाली हालत होगी....

(व्यवधान)

श्रीमान, इस तरह धमकी देने पर अलवर राजकुमार के सामने एक ही चारा था कि या तो अपना आत्म सम्मान बेचें और जलील करने के लिये उनको बाजारों में घुमाया जाये, डाईंग डिक्लेरेशन लैटर उन्होंने भूतपूर्व नरेश बूंदी को अपने ससुर को लिखा। मेरा आदर्श, मेरी प्राइवेट प्रापर्टी जहां वर्षों से रह रहा हूं, मेरा घर है, 107, 117, 151 के मुकदमें कर दिये गये है। कौन-सी शांति भंग की स्थिति थी प्राइवेट हाउस में? और इस तरह से चारों तरफ से कन्फाइन्ड थे। धारा 343 आई.पी.सी. का आफेन्स करके तत्कालीन सरकार ने जनतंत्र की विरोधी सरकार ने, हरिदेव जोशी की सरकार ने अधिकारियों से मिलकर षड्यन्त्र कर के उनके हाउस को घेरा है। जैसा मि० सक्सेना ने कहा कि कि आर.ए.सी और कहीं जा रही थी जब कि कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था, उनकी बिजली काट दी गई थी, उनका पानी बन्द कर दिया था, उनका राशन बन्द कर दिया गया था उनके आने जाने के रास्ते बन्द कर दिये गये थे। अलवर महाराज कुमार का छोटा बच्चा पानी के लिये तड़प तड़प कर मरने की नौबत में आ गया था। आखिर इतिहास में यह हत्या नहीं है तो और क्या है? क्या इसे हार्ट फेल कहा जा सकता है? क्या सड़क पर मौत हुई कही जा सकती है? अगर किसी का पानी, बिजली, राशन आदि बन्द करके इस तरह की हालत कर दे तो या तो वह आत्म सम्मान हेतु बन्दूक से मरेगा या फिर भूख से तड़प तड़प कर अपने प्राणों को खो देगा।

कमीशन ने रिपोर्ट में इस तरह की संज्ञा दी है कि बस्तर काण्ड के बाद यदि ऐसी कोई बात हुई है तो वह अलवर के महाराज कुमार की हत्या हुई है। उसके बाद यदि किसी षड्यन्त्र को बताया तो वह अलवर का बताया है। श्रीमान्, मैं कहना चाहूंगा जहां इतने जानवर थे, गायें, हाथी, शेर और कई तरह के जानवर थे उनको घेर कर उनकी मानसिक गति बिगाड़ी जाय इस तरह की हालत की गई। श्रीमान्, घोर से घोर अपराधियों को भी मौका दिया जाता है, यहां तक कि जिसको फांसी की सजा होती है उसको भी आखिरी में एक मौका दिया जाता है, उसकी बात सुनने का लेकिन इस केस में इस तरह की कोई बात नहीं की गई। उनके वकील

(श्री किशनसिंह भाटी)

बजरंग लाल जी की गिरफ्तारी करने की बात भी कमीशन ने लिखी है लेकिन वे बच कर भाग निकले। कमीशन ने अपनी फाइन्डिंग्स में कहा है कि अलवर महाराज कुमार को तंग किया जाय और इन्हीं की शह से यह सब कुछ हुआ।

(व्यवधान)

मैंने सबके नाम लिये हैं, मेरे कोई काका नहीं लगते हैं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा, श्रीमन, कलेक्टर सक्सेना साहब के बारे में कमीशन लिखता है -कमीशन की फाइडिंग है और कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसकी डिटेल देकर नट शेल में जो अध्याय १०वां रखा है वह कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के बारे में इस प्रकार है "कलेक्टर ने महल में समाविष्ट ऐसी भूमियों को कब्जे में ले लिया था जो महल में समाविष्ट होने तथा महलों का भाग होने के कारण भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम की धारा 2 में की गई सूची के वाक्याश 'किले, महल, भवन तथा रिहायशी प्लाटों, के अन्तर्गत आती थी वह इस प्रकार है—कलेक्टर ने विनय विलास महल की सीमाओं अथवा परिसीमाओं के भीतर समाविष्ट बाग का कब्जा लेने में, बिना अधिकारिता के कार्य किया था।"

"इसी प्रकार उसने गंगा निवास महल की परिसीमाओं के भीतर आने वाली भूमि का कब्जा लेने में भी बिना अधिकारिता के कार्य किया था। उसने विजय मन्दिर महल की परिसीमाओं के अन्दर आने वाली भूमि को सरकारी भूमि मानने में बिना अधिकारिता के कार्य किया था। रिपोर्ट ने सरकार के दिनांक 24 जनवरी 1957 के आदेश, जिसके अन्तर्गत 35 बीघा भूमि, जो श्री शोभा राम ने दबाई थी तथा जो इससे पूर्व भूतपूर्व शासक की थी, को भूतपूर्व शासक को लौटाने को अकृत और शून्य घोषित करने में भी अधिकारिता के बिना कार्यवाही की थी। हमारे विचार से कलेक्टर को ऐसी घोषणा करने तथा अपने को सरकार से ऊंचा मानने का कोई अधिकार नहीं था।" तत्कालीन गृह मंत्री, (मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी और राम सिंह के बयान हुए। गृह आयुक्त को सब बातें सक्सेना ने बता दी। उसके बाद रामसिंह बयान से इन्कार करते हैं, दुबारा स्टेटमेंट देते हैं, हां भरते है। तीसरा, अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री को गृह आयुक्त ने सारी बातें बता दीं। उसमें भी यह सब स्पष्ट है कि इस तरह की मैंने बात की और 23-3-76 को मुख्य मंत्री के निवास पर मिला और विस्तार से विचार विमर्श हुआ। गृह आयुक्त वहां पहले से उपस्थित थे। मुख्य मंत्री ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि सरकार ने इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय किया है इसलिये प्रताप सिंह पर सख्ती से कार्यवाही की जाय और प्रताप सिंह को मीसा में गिरफ्तार कर लिया जाय। श्रीमान, इस रिपोर्ट में आगे कार्यवाही करने का निर्देश भी है। इसलिये यह कान्सप्रेसी की गई कि अलवर के महाराज कुमार को टार्चर करके मारा जाय, हर तरह से उनको तंग किया गया। जो लोग उस समय ड्यूटी पर थे उनमें भी इस प्रकार की भावना थी। आदेश किशोर सक्सेना तत्कालीन कलेक्टर थे और उनके भाई ही एस. पी. थे। वहां के आई.पी.एस. अधिकारी, आई.ए.एस. अधिकारी हर शनिवार को इन्दिरा के पास पहुंचते थे और हर प्रकार की खबर करते थे। सैन्टर

(श्री किशनसिंह भाटी)

में उनका इस प्रकार पहुंचना क्या बताता है ? हत्या का पूरा पूरा षड्यंत्र रच लिया गया था। श्री सक्सेना वहां का हाल बताते थे कि अलवर के युवराज सामन्तवादी विचार धारा के और जनसंघ के समर्थक थे इसलिये वे उनको शासन के पक्के विरोधी मानते थे। अलवर में आर. एस. एस. को उनका समर्थन प्राप्त था और उनको संरक्षण देते थे इसलिये समाज विरोधी समझते थे।

तत्कालीन राजस्व मंत्री और गृह मंत्री के सन्तुष्ट होते हुए भी तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अलवर के युवराज के प्रति व्यूह रचना करके द्वारका प्रसाद जैसे बनकर जो घिनौना कार्य किया वह घोर अपराध वृत्ति का द्योतक था। कानसिंह कमीशन ने उनको बुलाया है।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

मैं प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा समय दिया जाय। मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा और बहुत जल्दी ही खतम कर देता हूं।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि तत्कालीन कलेक्टर ने 31-12-75 को स्वयं जमीन लेने में कठोर कार्यवाही की है जब कि कोई भी लैन्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही होती है तो पहले पार्टी को नोटिस दिया जाता है। इस कार्यवाही में न तो कोई नोटिस ही दिया गया और न कार्यवाही से पहले किसी तरह की कोई इतला ही दी गई। श्रीमन्, यह कानून विरोधी कार्य था। लैन्ड एक्वीजीशन की धारा 10 में कोई कलेक्टर जब इस प्रकार का डिसीजन देता है और पार्टी उसमें डिस्प्यूट खड़ा करती है तो कलेक्टर दूसरी पार्टी को उस जमीन का पट्टा देने के लिये अधिकृत नहीं होता है। उसकी रिपोर्ट उसको आयुक्त महोदय को करनी पड़ती है। लेकिन कलेक्टर महोदय ने ऐसी कोई कार्यवाही न कर अपने स्तर पर ही सब कुछ कर लिया। कानून का सरासर उल्लंघन किया गया और कलेक्टर ने इस तरह का कार्य करके अपनी ड्यूटी को इन्फ्रिन्ज किया है, अपनी ड्यूटी का वायोलेशन किया है। आई. पी. सी. की धाराओं के उल्लंघन की बात भी सदन में आई है। साथ ही जो उनकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है उसके लिये भी माननीय अर्जुनसिंह जी ने तत्कालीन मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी, जो कांग्रेस शासन के थे, से कई बार प्रार्थना की है कि इसकी पुनः जांच करवाई जाय। वास्तव में अलवर राजकुमार की हत्या हुई है। कहा यह गया कि वे गोली से मृत पाये गये। मृत्यु के बाद गोलियां क्या आपने निकाली हैं, या सक्सेना साहब ने निकाली है, या राम सिंह जी ने निकाली है, या फिर कहें कि क्या मैंने निकाली हैं ? उक्त पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह रिपोर्ट आनी चाहिये थी और अगर अब भी वह रफा दफा नहीं की गई है तो उसके तथ्य सामने आने चाहिये। मृत्यु के बाद शरीर से गोली निकालने वाला कौन था ? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सारा मामला कानकोक्टेड है। उस समय भी असेम्बली में इसकी जोरदार मांग की गई थी और जांच के लिए कहा गया था किन्तु तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने जांच नहीं कराई और जांच इस सरकार ने कराई। श्रीमन्, एवीडेन्स एक्ट की धारा 32 में स्पष्ट है कि किसी तरह की कोई एवीडेन्स नहीं मिले तो कोई बात नहीं है लेकिन मृत्यु से पूर्व कोई बयान देना

(श्री किशनसिंह भाटी)

है या कोई डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो that dying declaration is sufficient for conviction of the culprit.

वह बयान अपराधी को सजा देने के लिए काफी है। अलवर राजकुमार ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है। उनके महल के चारों तरफ पुलिस का घेरा था जिससे वे किसी तरह इधर उधर नहीं जा सके। कलेक्टर सक्सेना ने तो उसके लिये भी डिनाई किया है किन्तु यह रेकार्ड से प्रमाणित हुआ है। इसी बात को जो बून्दी के विधायक हैं, श्री राजेन्द्र भारतीय, भी यहां विधान सभा के अन्दर कहा है कि वह उस लैटर को अपनी जेब में रख कर ले गए हैं और इस राजकुमार की पत्नी ने भी इस बात को कहा है कि उस पत्र को ले जाकर के प्रधान मंत्री को भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई है, मेरा आत्म विश्वास समाप्त हो गया है, मुझ पर किसी भी तरह के जुल्म होने से बचाया जाय। मेरा दोष नहीं है, मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूं, मैं जीतूंगा यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इस लैटर में कहा गया है कि मेरी अपील पैन्डिग है, मुकदमा चल रहा है, मैने न्याय को पुकारा है। मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे टार्चर किया जा रहा है, मेरी राजनैतिक विचारधारा को मजबूरन बदला जा रहा है एवं मेरी हत्या का षडयंत्र किया गया है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति होने के नाते, एक सही नागरिक होने के नाते मैं, मृत्यु सम्मानपूर्वक वरण करूंगा लेकिन मैं इन व्यक्तियों के आगे अपने आपको समर्पित नहीं करूंगा। अपनी पत्नी को इस तरह का पत्र अपने को अपमानजनक स्थिति में पाकर उन्होंने लिखा है। इसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री से जब लोग मिले हैं, उस समय भी वे इसके लिए आमादा थे, इस सम्बन्ध में उनका निश्चय था कि औरंगजेब के आगे अलवर राजकुमार नाक रगड़े, 21 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करें; यह सब कराने के लिए यह षड़यन्त्र किया गया।

कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में दो लाइनें लिखी हैं कि श्री प्रतापसिंह जी ने मृत्यु के पूर्व उस पत्र में 23–6–76 को आत्म हत्या के कुछ देर पहले यह लिखा था। इस तरह से इस पत्र को कोलोबोरेट किया है, राजेन्द्र भारतीय ने कोलोबरेट किया है, रेकार्ड से कोलोबोरेट हुआ है, ले जाने वाले सिपाही से कोलोबोरेट हुआ है, कई गवाहों ने कोलोबरेट किया है। इसलिए इतना प्रमाणित होने के बाद भी यह नहीं बतला सके कि आत्म हत्या का कारण क्या था? प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया, उनके आने जाने की केस डायरी, जो कुछ भी कार्यवाही की गई, यह सब कमीशन की रिपोर्ट से प्रमाणित है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स में लिखा है कि जिला प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा वृत्ति थी उनको तंग करने की एक बड़ी योजना थी और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। यह कमीशन की फाइंडिंग है कि जिला प्रशासन ने श्री प्रतापसिंह के विरुद्ध षड्यन्त्र रचा था और उनके वकील श्री बजरंगलाल शर्मा को उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको परेशान किया

(15)

(श्री किशनसिंह भाटी)

गया, यह अदालत का अपमान था। इसी तरह से मीसा के अन्दर जस्टीफिकेशन देते हुए जिला प्रशासन द्वारा कहा गया कि मीसा का वारण्ट अलवर के महाराजकुमार के विरुद्ध है जिससे वे बचना चाहते हैं। इसलिए महल में होने से महल को आर.ए.सी. ने घेर लिया, इससे ज्यादा शर्मनाक झूठी बात क्या हो सकती है? कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मीसा का वारण्ट ही इल्लीगल था, अवैध था। कमीशन ने आठ दस भागों में विवेचन करते हुए बताया है कि जितने भी कारण दिए हैं वे अलवर के लिए लागू नहीं होते थे। मीसा के कारणों में यदि एक भी कारण झूठा साबित हो जाय तो वह मीसा का कारण नहीं हो सकता। कमीशन की फाइंडिग्स में कहा गया है 'श्री प्रतापसिंह को मीसा के अधीन निरुद्ध करने का आदेश अवैध था और निरोध करने वाले प्राधिकारी में सद्भावना का अभाव था।' आगे लिखा है 'ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को श्री हरिदेव जोशी का आशीर्वाद प्राप्त था।' यह कमीशन की फाईंडिग है मीसा के अधीन आदेश श्री आदर्श किशोर सक्सेना ने मुख्य मंत्री के पूर्व अनुमोदन से 27-3-76 को जारी किया था, यद्यपि यह कहा गया है कि उसने यह आदेश नहीं दिया था कि श्री प्रतापसिंह को जयपुर में गिरफ्तार किया जाय। कलेक्टर की लाग बुक तथा रिपोर्ट, जो उसने 29–3–76 से पूर्व बनाई थी, से यह बात झूठ सिद्ध होती है। आगे लिखा है 'यदि श्री प्रतापसिंह को स्पष्टतया यह कह दिया जाता कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जायगा तो जिस ढंग से उसने अपना जीवन समाप्त किया उसकी आवश्यकता नहीं होती।' इसलिए कमीशन ने यह माना है कि उनको जान बूझ कर मारा गया है। कमीशन ने यह भी बताया है कि जितने भी सरकार की तरफ से ड्यूज वसूली के नोटिस दिए गए हैं, उन नोटिसों के पूर्व ही प्रतापसिंह सारे ड्यूज सैंट्रल गवर्नमेंट में जमा करा चुके थे। यह तो केवल मात्र मारने का बहाना था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वास्तव में यह आत्म हत्या नहीं है, बल्कि जान बूझ कर की गई हत्या है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं, चार छः लाइनें कमीशन की रिपोर्ट में से पढ़ कर समाप्त करता हूं।

"प्रजातंत्र, सुरक्षा और स्वतंत्रता समान रूप से यह तकाजा करती है कि सरकारी कर्मचारी आचरण के उन्हीं नियमों से प्रशासित होने चाहिए जो नियम नागरिकों के लिए हैं। कानून की सरकार में यदि सरकार कानून के पालन में पूर्ण सावधानी बरतने में असफल है तो सरकार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हमारी सरकार एक सर्वशक्तिमान--सर्वव्यापी अध्यापक की तरह है। इसे चाहे अच्छा कहें या बुरा, यह अपने कार्यों से ही अपनी जनता के लिए आदर्श उपस्थित करती है। अपराध एक संक्रामक रोग की तरह है। यदि सरकार ही कानून को तोड़ती है तो यह कानून के प्रति लोगों में अवमानना उत्पन्न करती है, यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही कानून को अपने हाथ में लेने का न्यौता देती है, जिसमें अराजकता को बल मिलता है। यह घोषणा कराना कि आपराधिक कानून के प्रवर्तन में साध्य ही

(श्री किशनसिंह भाटी)

साधनों को न्याय संगत ठहराते हैं, भयानक रूप से प्रतिशोधात्मक होगा ।

इसके बाद में लास्ट में जस्टिस वे.अय्यर न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का उद्धरण दिया है जो ए आई. आर. 1978 में फैसला देते हुए दिया है उसकी दो लाइनें आपके सामने पढ़ता हूं जो जस्टिस कानसिंह ने लिखी है..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री किशनसिंह भाटी : सरकार को यह देखना होगा कि वह किस तरह से कानून के शासन की गरिमा स्थापित करें । जब कि इस मामले में सरकारी कर्मचारी और राजनीतिज्ञ ही प्रथम दृष्टया कानून को तोड़ने वाले थे । एक वाक्य में हमारा निष्कर्ष यह है कि स्थानीय राजनीतिज्ञों की बकझक और सरकार में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा प्रोत्साहित सरकारी अमले द्वारा की गई काटने और डंक मारने की कार्यवाही ने अलवर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी, जिसकी परिणति श्री प्रतापसिंह के आत्म बलिदान में हुई ।

इस तरह से, श्रीमान, कमीशन की रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उनमें से इतना ही कहते हुए और उन्होंने और भी प्रमाण दिए हैं उनके बारे में मैं नहीं कहते हुए अब हमारे मुख्य मंत्री की तरफ आता हूं । आप जानते हैं कि जनता पार्टी का टिकाव, जनता पार्टी का हमारा अभ्युदय, जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जनता पार्टी की उपज देश में किन कारणों से हुई जे. पी. बाबू जिन्होंने परसों ही देह को त्याग कर हमेशा के लिए आंखें मून्द ली और जिन्होंने दुखी होकर आंखें मून्दी उसका कारण यही था कि जिस जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के लिए, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में और जनता को दिए गए वचनों में यह घोषणा की गई थी कि इमर्जेंसी में ज्यादतियां करने वालों को सजा देंगे. वह नहीं दिला सके । हमारा कमिटमेंट था कि इमर्जेंसी की ज्यादतियों का बदला लेंगे । आज देश में संजय के खिलाफ केसेज चल रहे हैं, बंशीलाल के खिलाफ केसेज चल रहे हैं. इंदिरा गांधी के खिलाफ केसेज चल रहे हैं, सब तरफ केसेज चल रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री किशनसिंह भाटी : अभी समाप्त करता हूं ।

श्री हरचन्दसिंह : बंशीलाल के केसेज तो तुम्हारी सरकार ने विथड्रा कर लिए ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : बंशीलाल के केसेज और वजह से विथड्रा हुए है । इसलिए, श्रीमान, मैं कहना चाहूंगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह प्रिजुडिस होकर नहीं कह रहा हूं, न मैं किसी प्रकार के किसी पर आरोप लगा रहा हूं, मै जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारा कमिटमेंट देश में हमारा कमिटमेंट है कि इमर्जेंसी की ज्यादतियां करने वालों पर एक्शन लेंगे और जितने भी भारतवर्ष में एक्शन लिए गए है उसमें हरिदेवजी जोशी सरकार के अधिकारियों...

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, अब कृपया स्थान ग्रहण करें। और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं :

श्री किशनसिंह भाटी : मैं अन्त में सरकार से प्रार्थना तो करूंगा। अभी तो मैंने फैक्ट्स सामने रखे हैं। मैं इतना ही सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट आए हुए 13-14 महीने हो गए। दो दफा इस सदन में इस बारे में चर्चा हो चुकी है। कानसिंह कमीशन की रिपोर्ट सदन में आ चुकी है और उसमें दोषी ठहराया गया है। मैं किसी से प्रिजुडिस नहीं हूं। मुझे पता नहीं है कि रामसिंह जी कौन हैं, मैं उनको शक्ल से नहीं जानता। मैं हरिदेवजी जोशी से भी प्रिजुडिस नहीं हूं। मैं सक्सेना को प्राइवेट में मित्रों की तरह से जानता हूं क्योंकि वे बाडमेर में कलेक्टर थे। लेकिन मैं तो इतना ही जानता हूं कि कोई भी कांग्रेसी हो या कोई भी अधिकारी हो जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और मैं इस सारे प्रकरण को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह राजस्थान की जनता की भावना रख रहा हूं, हाउस की भावना रख रहा हूं और राजस्थान की तीन करोड़ जनता की भावना है उसके आधार पर आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इसमें न्याय करें और जो कलप्रिट हैं, जिनको कमीशन ने कलप्रिट बताया है उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करके न्याय दिलायें। जो कोई भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी लेकिन जनता पार्टी के ये लोग और जनता पार्टी के मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपनी घोषणा को पूरा किया? आपने अलवर में लोक सभा चुनाव के समय में, असेम्बली के चुनाव के समय में अलवर की जनता को वचन दिया था कि अगर जनता पार्टी को जिता दोगे तो मेरा पहला, प्रथम और पुनीत कार्य होगा कि कमीशन बिठा कर कलप्रिटों को सजा दिलाऊं। मैं केवल आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं.

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशनसिंह भाटी : with in two minutes. श्रीमान, मैं इस हल्ला के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि परसों इस पर डिस्कशन होने वाला था तो अलवर के जो वकील कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि श्री शेखावत हाउस को गलत बयानी से गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि दोषी अधिकारियों को संरक्षण नहीं दिया जाय। अगर सरकार उनको सजा नहीं देगी तो हम सजा देंगे। [illegible] होना लाजमी है।

(व्यवधान)

इसलिए मैं आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं·····

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला ही ऐसा है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, असेम्बली के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए सरकार से प्रार्थना करता हूं कि श्री शेखावत दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास न करें। अलवर की युवरानी ने एक बयान में यह कहा है और श्री भैरोंसिह शेखावत

(श्री किशनसिंह भाटी)

पर हत्याकांड के सम्बन्ध में असेम्बली में गलत बयान देने व दोषी अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कोई कार्यवाही न किए जाने पर यह सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है? इस बयान में आगे यह कहा गया है कि महाधिवक्ता द्वारा 'मल्हन समिति' के प्रतिवेदन पर टिप्पणी सरकार को पूर्व में ही भेज दी गई थी जब कि मुख्य मंत्री ने यह कहा कि वे महाधिवक्ता से इस सम्बन्ध में बात करेंगे। युवराज की हत्या का पहला मामला है जिसकी जांच सरकार ने अपने हाथ में ली, किन्तु इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही न होने से अलवर की जनता में आक्रोश व्याप्त है। आगे इसी समाचार में यह कहा गया है, मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में युवरानी द्वारा लिखित पत्र का उत्तर तक नहीं दिया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कमीशन से भी प्रार्थना की और पत्र लिख कर प्रार्थना की है परन्तु मुख्य मंत्री महोदय, आपने युवरानी को उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। उस विधवा, क्षत्राणी अबला के आंसू पोंछने के लिए मैं उनकी तरफ से, सभी की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि आप उस युवरानी के आंसू पोंछें और उस विधवा के सुहाग को छीनने वाले दोषी अधिकारियों, राजनेताओं के खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करे, तो इस सरकार को श्रेय मिलेगा, लोग इस सरकार को याद करेंगे कि आपने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है वरना इस सरकार का और आपका इतिहास के काले पृष्ठों में नाम लिखा जाएगा और इस पाप के भागीदार आप भी बनेंगे। इसलिए, मेरी यह प्रार्थना है, राजस्थान की जनता का और हाउस का इस सम्बन्ध में जो माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि आप तत्काल कार्यवाही करें। यह भैरोंसिह जी के खिलाफ जो आरोप अलवर की युवरानी ने लगाया है यह दैनिक नवज्योति और दूसरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। दूसरे अखबार के समाचार में यह कहा गया है कि युवरानी यह महसूस करती है कि सरकार आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है। उनके पति की जिस ढंग से मृत्यु हुई है, उस पर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस पर आगे समय नहीं लगाना चाहिए। इसलिए उन्होंने यह पुरजोर करबद्ध प्रार्थना सरकार और कमीशन से की है। उन्होंने यह प्रार्थना की है कि जो मेरा सुहाग लुट गया है, मेरे जीवन का जो मूल्य खो गया है, वह तो इस संसार में कोई शक्ति मुझे वापिस नहीं दे सकती है परन्तु उन्होंने यह पुरजोर प्रार्थना की है कि कम से कम ऐसे दोषी अधिकारियों, राजनेताओं के खिलाफ तो तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये जिन्होंने सारी मान्यताओं के खिलाफ षडयंत्र कर के यह कार्यवाही की है जो मानवता के नाम पर कलंक है, जिसकी मैं शिकार हुई हूं और मेरी जैसी कई मां, बहिनें इसी प्रकार इमर्जेन्सी में दुखी हुई हैं। इस दृष्टिकोण से आप कृपा कर इस पर चलने का कष्ट करें ताकि आइन्दा के लिए ऐसी मिसाल कायम हो और भविष्य में कोई भी अधिकारी, राजनेता इस प्रकार का पाप करने की हिम्मत न करे और न ही किसी व्यक्ति के द्वारा कानून को तोड़ने या उसके ऊपर होने की पुनरावृति हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें....

श्री किशनसिंह भाटी : दो लाइन.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी बोल चुके हैं ।

श्री किशनसिंह भाटी : यह एक समाचार और है, अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा हत्यारों को कानूनी संरक्षण । यह कहा गया है, क्या यह कानून का शासन है अथवा भ्रष्ट अपराधिक कार्यों में लिप्त नौकरशाही इस देश के शासन पर किस तरह से कब्जा किए हुए हैं ? इसलिए, मुख्य मंत्री महोदय, इनके खिलाफ कार्यावाही नहीं की गई तो आप पर आरोप लगाये जाएंगे ......

श्री अध्यक्ष : यह आप पहले कह चुके हैं ।

श्री किशनसिंह भाटी : एक लाइन और कहना चाहता हूं ।

कोई भी दोषी हो यह इतना बड़ा मैटर है, लाखों रुपया इसकी जांच कराने में खर्च किया गया है, इतना बड़ा देश का मामला है, जिसमें श्री सक्सेना, श्री हरिदेवजोशी और श्री रामसिंह के नाम आए हैं । श्रीमान हरिदेव जोशी पर आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, जब तक कोर्ट में यह पेश न हो । यह पार्टी का मामला है परन्तु श्री सक्सेना और श्री रामसिंह पर कार्यवाही करना तो आपके हाथ में है। कम से कम उस पीरियड तक जब तक उनके खिलाफ यह कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको प्रमोशन नहीं देना चाहिये था । श्री रामसिंह को आपको पी. एस. सी. का चेयरमेन नहीं बनाना चाहिये था और न ही श्री सक्सेना को कमिश्नर बनाना चाहिये था । वे जब दोष मुक्त हो जाते तो आप यह तरक्की देते । परन्तु आपने उनको बड़े से बड़ा पद दे दिया । मैं किसी मेम्बर से प्रिजुडिस होकर यह बात नहीं कह रहा हूं परन्तु यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैटर क्रिमिनल लाइबिलिटी का है और यह क्रिमीनल लाइ-बिलिटी इन अधिकारियों पर भी है तो इन पर कार्यवाही न होने से हरिदेव जोशी इस तरह से बच जाएंगे । इसलिए मैं मित्र के नाते, साथी के नाते और पार्टी के नाते सरकार को यह निवेदन कर रहा हूं मेहरबानी कर के जो आयोग ने और कमेटी ने सलाह दी है, जैसे रामायण में विभीषण ने और महाभारत में संजय ने सलाह दी है, उसी प्रकार से यह सलाह आपको दे रहा हूं, और इसलिए आपको ये कटु वचन कहते हुए मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं कि आप अलवर के महाराज कुमार की हत्या करने वाले हत्यारों के खिलाफ शीघ्र ही कोर्ट में चालान पेश कर के कार्यवाही करने का कष्ट करें ...

(व्यवधान)

इसी आशा के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लोक महत्व के प्रश्न को यहां उठाने के लिए मुझे समय दिया ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री किशनसिंह भाटी : एक रिपोर्ट और है उसकी 66 लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें । प्रभारी मंत्री महोदय ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है सरकार का उत्तर आने के बाद आप बोल सकते हैं। पहले सरकार का उत्तर आने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मेरा अलग प्रश्न है। मेरा प्रस्ताव अलग था। मुझे अपने ढंग से उन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। भाटी साहब ने उन मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दिलाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर दूं पहले सरकार का जवाब आने दीजिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैं केवल मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका मिलेगा, पहले सरकार का जवाब आने दीजिए

(व्यवधान)

उसके बाद पूछ लेना ...

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : I am raising new issues.

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर चुका हूं जो आपको कहना हो वह जवाब के बाद भी कह सकते हैं

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। प्रभारी मंत्री महोदय...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो मोशन आये हैं उसके लिए सरकार का जवाब सुन लें।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क) : अध्यक्ष महोदय, यह बात साफ हो जानी चाहिए कि एक ही विषय पर एक से अधिक सदस्य अलग अलग मोशन दे रहे हैं तो क्या आसन यह तय कर सकेगा कि कौन..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे चुका हूं। शुरू-शुरू में ही व्यवस्था दे चुका हूं। माननीय प्रभारी मन्त्री महोदय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगा, आप जो भी कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट का जवाब आने के बाद ही मैं आपको मौका दूंगा पहले नहीं।

माननीय प्रभारी मन्त्री।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, महाराज कुमार प्रतापसिंह जी की मृत्यु के सम्बन्ध में मामले की राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आपातकालीन जांच प्राधिकरण द्वारा आम सुनवाई से जांच की गई थी। इस मामले में 16-8-78 को प्राधिकरण द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्यवाही हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति राजस्व मण्डल, अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री बी. एन. मल्हन की अध्यक्षता में कार्मिक (प्रशासनिक सुधार-5) विभाग की आज्ञा 2-9-78 द्वारा नियुक्त की गयी इस समिति द्वारा प्राधिकरण द्वारा दिएगए प्रतिवेदन पर दी गई राय 22-11-78 को राज्य सरकार

(श्री सम्पतराम)

को प्रस्तुत की गई। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एडवोकेट जनरल की राय के लिए भेजा गया। एडवोकेट जनरल द्वारा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर 3-10-79 को राय दी गई जो राज्य सरकार को 5-10-79 को प्राप्त हुई। यह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरिदेव जोशी का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरिदेव जोशी : ओन ए पाइन्ट आफ परसनल इन्फार्मेशन, सर। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक पत्र के द्वारा निवेदन किया है कि इस विषय पर मुझे भी समय दिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि आप मुझे किस समय समय देंगे लेकिन कमीशन की रिपोर्ट में भी मेरा भी रेफरेंस है और यहां पर माननीय सदस्यों ने भी मेरा रेफरेन्स किया है इसलिए इसको क्लोज करने के पहले एप्रोप्रिएट टाइम पर समय देंगे ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मुझे आप बतला दें कि किस समय समय देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

मेरा यह निवेदन है कि वाद-विवाद या डिबेट की तरह से तो मैं मौका नहीं दूंगा लेकिन पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन के रूप में माननीय सदस्य सबके आखिर में क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्य को सुनूंगा।

श्री गुप्ता जी, पहले दो मिनट बजरंग लाल जी को···

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जैसा माननीय हरिदेव जी ने कहा है, इस मामले में एक शिकारी, एक शिकार और एक पंच भी है। शिकारी हरिदेव जी जोशी है, शिकार होने वाला मैं और पंच में श्री नारायण सिंह डिग्गी हैं। इसलिये जब शिकारी को अवसर दिया जायेगा तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अफेक्टेड पार्टी में से मैं भी हूं इसलिये आप कुछ समय मुझे दें ताकि मैं अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों के रूप में अपना समय लेंगे। उनके आधार पर जो भी चाहें, कहें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, उनको एक्सप्लेनेशन का मौका देंगे—

(व्यवधान)

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 6 अक्टूबर को मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मामले को एडवोकेट जनरल की राय के लिये भेजा गया है और गृह मंत्री जी का बयान है कि 5 अक्टूबर को राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल की राय हासिल हो गई। गृह मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि वह राय उनको हासिल हुई थी तो क्या मुख्य मंत्री जी ने गलत बयानी की ? इस तरह से मुख्य मंत्री जी यह अपराध करने के लिये दोषी हैं कि सदन में उन्होंने इस सत्य को छुपाया। इसे कृपया स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

21

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन यह करूंगा कि आप अपनी तरफ से जो भी पूछना चाहें सभी माननीय सदस्य पूछ लें। सरकार का उत्तर फिर आ जायेगा। श्री गुप्ता जी।

अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार की मृत्यु की घटना की जांच के लिए नियुक्त कानसिंह आयोग व मल्हन कमेटी के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अलवर काण्ड पर माननीय भाटी साहब ने विस्तृत रूप से विचार रखे। उनके द्वारा कही गई बात को मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा परन्तु मैं राज्य सरकार का दो मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो मुख्य मंत्री जी ने इस हाउस में कहा था परसों कि जमीन का मामला अब हाई कोर्ट के विचाराधीन है कि आया अलवर कलेक्टर को जमीन एक्वायर करने का अधिकार था या नहीं। वह आदेश लीगल है या इल्लीगल, यह जब तक तय नहीं होता हाई कोर्ट से, हम इस को इन्टरप्रेट नहीं कर सकते। लेकिन, मुख्य मंत्री जी, स्थिति यह नहीं है और आपातकाल में जो कुछ किया गया उसमें अलवर कलेक्टर सक्सेना स्वयं जिम्मेवार हैं। 31 दिसम्बर को 3.45 बजे जिलाधीश ने एक्वायर के आदेश सुने और 4 बजे 41 पेज का अंग्रेजी का टाइप्ड फैसला सुना दिया। 3.45 बजे मामला पेश हुआ और 15 मिनट में 41 पेज का फैसला टाइप हो गया। उसको लिख दिया, टाइप हो गया इश्यू कर दिया और यही नहीं, उसी दिन शाम को 6 बजे के पहले पहल एस.डी.ओ. को मौके पर जमीन का कब्जा ले लेने के लिये बुला लिया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये। आप एक तरह से ध्यानाकर्षण ही कर रहे हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने अपने विचार ही ऐसे चालू किये हैं। श्रीमान्, क्या करूं। समय कम है। महत्वपूर्ण मामला है। लीगल एडवाइजर, एडवोकेट जनरल की राय के बाद मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट में तय हो जाय कि कलेक्टर कम्पीटेंट था या नहीं। उसे क्या बेनिफिट था? मैं पूछना चाहूंगा कि 15 मिनट में····

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी ही पूरा करिये माननीय सदस्य। इसके बारे में और भी माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहेंगे····

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आज्ञाकारी मेम्बर हूं। मैं आपकी आज्ञा को ब्रीच करना नहीं चाहता। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा। मैं सरकार के ध्यान में वे कारण लाना चाहता हूं जिनसे माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी को मामले के नतीजे पर पहुंचने में सहायता मिलेगी।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ये आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : श्री गुप्ता जी, मैं फिर निवेदन करूंगा, आप प्रश्न पूछें। स्पष्टीकरण देने के रूप में आप इस मुद्दे को ले रहे हैं। आप भाषण के रूप में, कोई लम्बे व्याख्यान के रूप में इसको नहीं लें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा होते ही मैं स्थान ग्रहण कर लूंगा परन्तु राजस्थान की जनता को महसूस····

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्नों के रूप में पूछ सकते हैं।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण मैं भी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी मौका दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे····

श्री अध्यक्ष : माननीय माथुर साहब कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न····

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अभी मेरा पूरा हुआ ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, आप जल्दी ही समाप्त करियें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुझे इस सदन के समय का आप से अधिक ध्यान है परन्तु आप मेरा निवेदन स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट बोलेंगे, माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जिलाधीश द्वारा 41 पेज का जजमेन्ट 15 मिनट में सुनाना और उसी वक्त जमीन का कब्जा लिया जाना–इसका मतलब है, मेलाफाइड एक्शन है। यह इस बात का प्रतीक है कि कलेक्टर महोदय पर कितनी भारी शक्ति का दवाव था। यही नहीं, अलवर के अन्दर जुलूस निकालने के बाद हरिदेव जोशी और शोभाराम ने सभा की कि जमीन एक्वायर की जाये। इसके लिए सभाएं की हैं। मैं बैठूं?

(व्यवधान)

दूसरा मैं एस. पी. महोदय के बयानों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। दूसरा मुद्दा यह है कि महाराज कुमार के महलों को घेरने की क्या जरूरत थी। आर. ए. सी. लगाई, पुलिस लगाई। यह कहा गया कि वह अरेस्ट होने से बचना चाहते थे। इस सिलसिले में इस रिपोर्ट का उदाहरण यह है। इसमें लिखा है :–

"मेरी जानकारी में इस प्रकार की की कोई बात नहीं है कि किसी पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार का फोन किया हो कि उनकी उपस्थिति अमुक मुकदमे में आवश्यक है। उनको किसी पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी·····"

यह एस. पी. के बयान हैं। उन्होंने कहा, न मैंने फोन किया न हम गये। फिर यह कैसे मान लिया है कि वह अरेस्ट से बचना चाहते थे ?, यह इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकार ने उनकी घेराबन्दी की है। यह चाहते थे कि महाराज कुमार प्रतापसिंह की बेइज्जती हो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह केस नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नियमों की पालना क्यों नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय रामकृष्णदास गुप्ता। प्रश्न के रूप में पूछिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या माननीय वर्तमान मुख्य मन्त्री जी और भूतपूर्व मुख्य-मन्त्री जी जवाब देंगे कि आपातकाल में इस एक्ट के अन्तर्गत और कितनी जमीन एक्वायर की गई है ? जो मापदण्ड इस केस में लिया गया है और जिस प्रकार से अलवर महाराजकुमार की जमीन एक्वायर की गई है यह इस बात का प्रतीक है कि पालिटिकल पावर और मलाफाइड इण्टेशन से श्री शोभाराम को जमीन दिलाने के लिए यह कार्य किया गया। यही वह कारण था। आपातकाल में · ·

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

अपना बदला निकालने के लिए और हरिदेव जोशी की अपनी प्रजातान्त्रिक सीवेरिनिटी रखने के लिए इस प्रकार का हत्या काण्ड किया गया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह कहना चाहूंगा···

(व्यवधान)

एक तरफ सरकार कह रही है कि विचाराधीन है। दूसरी तरफ इससे सम्बंधित व्यक्तियों को उच्च पदों पर स्थापित करना, क्या राज्य सरकार ने यह मानस बना लिया है कि इस सारे मसले को मटियामेट करे? इस प्रकार की कार्यवाही करना, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने होम कमिश्नर और हरिदेव जोशी से पूछ कर यह कार्यवाही की है ? एस० पी० का बयान है कि राम सिंह से सलाह मशविरा करके कार्यवाही की गई है । · · ·

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या राजस्थान की भूमि पर और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, जिसे पी०एस०सी० के चेयरमैन पद पर बिठा सकते हों ? यह इस बात का प्रतीक है कि कानसिंह जज, जिसकी आज भी हाई कोर्ट में आवाज गूंजती है, को आयोग का अध्यक्ष बनाया जिन्हे वाइस चांसलर बनाया , उन्हीं कान सिंह को ..

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट · · · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष जी · · · · · · · ·

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: राज्य सरकार यह कह रही है कि उन आदमियों को बचाव का मौका नहीं दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि बयान बदलना उचित नहीं है । इस रिपोर्ट पर आप विचार कर रहे हैं। देखना यह है कि प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सी.बी.आई. ने जांच की है। सी.बी.आई. से जांच करवानी है ।

फिर इस प्रकार से कहना उचित नहीं है । कोर्ट में जायेंगे तो वहां उनको अपने बचाव का मौका मिलेगा ।

(२५)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्त में मैं इतना ही चाहूंगा······

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: शासन बनते हैं और बिगड़ते हैं। लोग आते हैं और जाते हैं। परन्तु आपातकालीन स्थिति पुनः नहीं होगी। लेकिन हर अधिकारी को भय हो, उसे कानून का भय हो। वह किसी मुख्य-मन्त्री का नौकर नहीं है। वह कानून के अन्दर कार्यवाही करेगा। इन मूल्यों की रक्षा करने के लिये क्या आप यह चाहेंगे? प्रतापसिंह के दो दो वकील थे, जिनको कनफाइन किया गया। उनको मीसा में बन्द किया गया है। क्या यह मेलाफाइड इण्टेंशन नहीं है? पांच इन्सपेक्टरों को सूचना एकत्रित करने से रोका गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय गुप्ताजी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: उन दोनों वकीलों को मीसा के अन्दर बन्द किया गया है। क्या यह कनफाइनमेंट नहीं है?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या यह कनफाइनमेंट नहीं है? माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपकी आंखों का पानी मर गया है। आपने वादा किया था। हमको ऐसा मुख्य मन्त्री नहीं चाहिए जो अन्याय का सामना करने से हट जाये। वह मुख्य मन्त्री नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष! माननीय सदस्य! माननीय सदस्य। माननीय सदस्य!

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट पर फाइंडिग्स हैं तत्कालीन गृह आयुक्त का नाम आया है फाइंडिग्स में, यह इस प्रकार की बात है, यह छोड़ दी गई है कमेण्ट्स में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): कानसिंह जी ने कमेण्ट्स में नाम नहीं दिया है।

श्री फतहसिंह (भीम): पेज 98 पर है।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी को डिफेण्ड नहीं करना चाहता हूं। न मैं इसके लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं रखी हैं, मैं उनका विरोध भी नहीं करता हूं। मैं सिर्फ दो बातें सरकार से पूछना चाहता हूं और कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट, 1971 की धारा 8 (बी) 8 (सी) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको माननीय सदस्यों ने पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है। कानसिंहजी एक हाइकोर्ट जज रह चुके हैं, बड़े काबिल आदमी हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरी उनके प्रति सद्भावना है। मैं यह पूछना चाहता हूं।

"8B Persons likely to be prejudicially affected to be heard--If at any stage of the enquiry, the Commission

(श्री मथुरादास माथुर)

(a) considers it necessary to enquire into the conduct of any person, or

(b) is of opinion that the reputation of any person is likely to be prejudicially affected by the enquiry, the Commission shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the enquiry and to produce evidence in his defence."

And then 8 C.

"8 C. Right of cross-examination and representation by legal practitioner.— The appropriate Government, every person referred to in section 8B and, with the permission of the Commission, any other person whose evidence is recorded by the Commission—

(a) may cross-examine a witness, other than a witness produced by it or him,

(b) may address the Commission, and

(c) may be represented before the Commission by a legal practitioner or, with the permission of the Commission, by another person."

मेरा इतना ही निवेदन है कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जितने लोगों के नाम, चाहे वे सरकारी नौकर हों, चाहे राजनेता हों 'एज ए विटनेस' कमीशन के सामने आ गए, वे विटनेस में चले जाते हैं और कमीशन कन्सीडर करे कि किसी आदमी के खिलाफ कोई बात नजर आती है या कोई प्रिजुडिशियली अफेक्टेड होता है तो उसको नोटिस देना चाहिये और सुनवाई का मौका देना चाहिए। मैं जस्टिस को डिफेण्ड करने खड़ा हुआ हूं। कमीशन समझता है कि उनके कण्डक्ट या एक्शन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए तो कमीशन आफ एन्क्वायरीज एक्ट एज अमेण्डेड इन 1971 के तहत और अब लॉ कमीशन ने भी रिकमण्ड किया है कि इसको मेन एक्ट में लाओ, मेन एक्ट में ले आएं। मैं हरिदेव जोशी को डिफेण्ड करने खड़ा नहीं हुआ हूं। वे खुद यहां मौजूद हैं। एक्ट के नीचे प्रोविजन मौजूद है कि कमीशन को जिन व्यक्तियों के खिलाफ चाहे रामसिंहजी हों, शोभारामजी हों या हरिदेवजी जोशी हों कोई भी व्यक्ति हो, कमीशन इस नतीजे पर पहुंचे कि इन लोगों के खिलाफ कोई बात है तो उनको नोटिस का और सुनने का मौका देना चाहिए, यह एक्ट कहता है।

मेरा निवेदन यह है, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं और जो मरे उनकी आत्मा के प्रति भी मेरी श्रद्धा है। मगर माननीय सदस्य भावनाओं में न बहते हुए यह देखें कि कानसिंह कमीशन की रिपोर्ट एक मेजिक लॉ नहीं है, यह रिपोर्ट है। 8(बी) और 8(सी) के प्रोविजन को देखकर नोटिस दिया जाना चाहिए। एक विटनेस की तरह से जाते हैं तो दूसरा इश्यू होता है और एक्यूज्ड की तरह से जाते हैं तो दूसरा इश्यू होता है। मल्हान

(26)

(श्री मथुरादास माथुर)

कमेटी की रिपोर्ट सदन में नहीं आई। उस रिपोर्ट को ओपन नहीं कर सकते थे, इसलिये उन्होंने कहा कि हमारे दायरे सीमित हैं। मल्हन कमेटी की रिपोर्ट एक डिपार्टमेण्टल रिपोर्ट है और वह कोई मायने नहीं रखती। इसके पैरा 23 और 24 में कहा है, इतने बड़े जस्टिस होते हुए भी उन्होंने यह काम क्यों नहीं किया ?

(व्यवधान)

मौजूदा रिपोर्ट में

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वह सरकार ने आउट नहीं की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये। अभी मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मल्हन कमेटी की रिपोर्ट माननीय सदस्यों की जानकारी में नहीं आयी। जब माननीय मथुरादास जी माथुर गृह मन्त्री थे तब मुख्य मन्त्री जी इनकी पाकेट में रहते थे और भैरोंसिंह जी मुख्य मन्त्री हैं तो मथुरादासजी इनकी पाकेट में रहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट के पैरा 23 और 24 कोट किए हैं

(12.25 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष पदासीन)

किस प्रकार से माथुर साहब को इसकी जानकारी हुई है ?

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : जैसे चन्द्रशेखर को हो गई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलत है। मैंने किसी को कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मन्त्री जी ने मुझको रिपोर्ट नहीं दिखाई! उसके अंश मेरे पास हैं, कहां से लाया, मैं अपना प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : लीगलिटीज में गए, अपोर्चुनिटी दी गई या नहीं, they have already been heard by the Commission.

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि सदन का हरएक माननीय सदस्य जस्टिस को डिफेन्ड करके जो होना चाहिए उसको कहे। आप इनको अपोर्चुनिटी देकर फांसी दीजिये। मैं कब कह रहा हूं, सवाल यह है.....

(व्यवधान)

Sir, I am occupying the floor of the House with your permission.

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय माथुर साहब, इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि whether a servant has a right to comment on the action of his master. सबसे बड़ी कमेटी बनायी, क्या उसको हक था कि कमीशन की रिपोर्ट के फैसलों पर विचार कर सके ? इसके सिवाय आप कमीशन की फाइण्डिग पर विचार कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 8 (बी) और 8 (सी) कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट जो अमेण्डेड है, मुझे यह महसूस हुआ कि इसकी पालना नही की गई है इसलिए मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी, कृपया बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप इण्डिपेण्डेण्ट आर्ग्युमेंट देते तो हम आपको दाद देते।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल एरन : आखिर इन दोनों का क्या संबंध है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, मल्हन कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र इस सदन में हुआ, उस कमेटी का अनाउंसमेंट किया गया। मल्हन कमेटी इस मामले में नहीं जा सकती। इसलिए उस बात को वहीं खतम कर देता हूं। 8 (बी) व (8) सी कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट अमेंडेड इन 1971 को फोलो नहीं किया गया। इसलिए नेचरल जस्टिस नहीं माना गया। जस्टिस की दृष्टि से हमको मौका देना चाहिए उसके बाद कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं गृह मंत्री से 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट 1952 के अन्तर्गत कानसिंह अथोरिटी इस एक्ट के सही प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही कर सकती थी, किसी भी इश्यू की जांच करने के लिए। उन्होंने जिन व्यक्तियों के खिलाफ राज्य सरकार को सिफारिश की है, कमीशन आफ इन्क्वारीज एक्ट की धारा 8 (बी) व 8 (सी) की अनुपालना न करके कमीशन ने एक बड़ी लीगल फ्लो रखा है। कोर्ट में प्रश्न उठने के बाद यह हाउस आफ काड्र्स की तरह डिमोलिश हो जाएगा।

दूसरी बात कानसिंह अथोरिटी एक रिपोर्टिंग अथोरिटी है और डिसाइडिंग अथोरिटी नहीं है इसलिए डिसाइडिंग अथोरिटी को दूसरे लीगल आबजेक्टस में जाना पड़ेगा जिसका फ्लो कानसिंह अथोरिटी ने रोक दिया है।

तीसरे, क्या यह सही है कि कानसिंह अथोरिटी ने अपनी रिपोर्ट के पेज 33 पर, जो अंग्रेजी में है, राज्य सरकार पर एस्पर्शन कास्ट किया है "The state government did not assist the Authority ... in particular about the stand of the State government in the writ petition."

इसी मामले पर एक्वीजीशन आफ एसटेट्स एक्ट की धारा 9 (ए) के अन्तर्गत, कलेक्टर ने जो फैसला 31 दिसम्बर, 1975 को दिया उस संबंध में जब रिट हाई कोर्ट में एक्स्ट्राआर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को प्रोब करने के लिए एक्स-रूलर तेजसिंह ने फाइल की, तो सरकार का उस रिट के संबंध में क्या स्टेंड है, क्योंकि सरकार एक पार्टी है और उस इश्यू पर, जिस पर कानसिंह एडज्युडिकेट कर रहा था, राज्य सरकार ने असिस्टेंस न देकर कानसिंह को तथ्यों के निष्कर्ष निकालने में उनकी मदद नहीं की।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं गृह मंत्रीजी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कलेक्टर के आदेश 31 दिसम्बर 1975, जो सैक्शन 9 ए एक्वीजीशन आफ दी एस्टेट्स एक्ट के अन्तर्गत इश्यू किये हैं उसमें युवराज प्रतापसिंह की कोई लोकस स्टेंडी नहीं है। वह न एक्स रूलर है, न हीयरिंग पर आया था, न रिट पिटीशन में उनका नाम है और न कहीं इस मामले में उनका उल्लेख है...

श्री किशनसिंह भाटी : Then for what was he killed ? क्रिमिनल लाइबिलिटी है, For what was he gheroed, if he had no locus standi ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कानसिंह अथोरिटी ने, जिस क्रिमीनल लायबिलिटी की आप बात करते हैं, अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि जो प्रापर्टी एक्वायर नहीं हो सकती थी उसका जुरिस्डिक्शन कलेक्टर को नहीं था, ड्यू काशन एण्ड केयर नहीं लिया। लेकिन यह क्रिमिनल ट्रेसपास कलेक्टर और उसके अधिकारियों का नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्री ने 9 अगस्त को पत्र लिखा है सभी मुख्य सचिवों को जिसमें लिखा है कि तीन प्रकार के इमर्जेंसी में जो काम किए हैं अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए ? लेकिन दो के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है, तीसरे के खिलाफ करनी है तो जिन्होंने डिस्ग्रानेस्ट मोटिव से काम किया है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए. क्या यह सही है कि कानसिंह ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी के खिलाफ डिस्ग्रानेस्ट मोटिव को साबित करने की बात नहीं कही है ? ड्यू काशन और केयर, अल्टीरियर मोटिव और मलाफाइडी का इन्टरप्रेटेशन कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे हैं, उस सम्बन्ध में गृह मंत्री से एक प्रश्न करना चाहता हूं। कलेक्टर ने आर्डर किया अंडर सैक्शन 9 ए आफ दी एक्वीजीशन आफ एस्टेट्स एक्ट। क्या उसी एक्ट की धारा 24 के नीचे सिविल कोर्ट नहीं है ? क्या उसी एक्ट के सैक्शन 26 के नीचे यह पब्लिक सर्वेंट नहीं है ?

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर...

(व्यवधान)

मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि कानसिंह कमीशन की रिपोर्ट जो सदन के सामने है, इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी जो बनती है क्रिमिनल ला के तहत, केवल उसको हमने डिस्कस किया है, लैंड किसका है, किसका नहीं, इस बारे में विवाद न करें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, अपनी अपनी आपीनियन की बात हो सकती है..

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : जब मैं बोल रहा था तो उधर से एतराज हुआ था कि लैंड के बारे में डिस्कशन न हो, यह भी जस्टीफाई करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी जी।

श्री किशनसिंह भाटी : घेराव नहीं हुआ है और फाईंडिंग्स गलत हैं क्या ?

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ) : क्या यह लैंड का पाइंट हाई कोर्ट में है ?

अनेक माननीय सदस्य : है।

श्री मदन सिंह दांता : अगर है और फिर यहां बहस होती है तो ठीक नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : उस पर हम नहीं जा सकते। अगर ये इसमें जाते हैं तो हमें भी लैंड के बारे में बोलने के लिए समय देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, कृपया विराजिए। हर माननीय सदस्य को अपने अपने इन्टरप्रिटेशन के आधार पर अपने तथ्य रखने का अधिकार है...

श्री किशनसिंह भाटी : लेकिन..

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री किशनसिंह भाटी : सुन तो लीजिए। आप चेयर में नहीं थे इसलिए..

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सारी प्रोसीडिंग्स सुनी हैं। विराजिये। आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं उसके बाद जब आसन की ओर से व्यवस्था का आदेश दिया जाता है तो सुनने की प्रतीक्षा भी नहीं करते है। आपने क्रिमिनल ट्रेसपास बताया है, माननीय मदेरणा की अपनी राय है। आपने क्रिमिनल लायबिलिटी बताई है, वह कहते हैं सिविल लायबिलिटी है।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्रिमिनल लायबिलिटी है सिविल लायबिलिटी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किशनसिंहजी, आप विराजिये। वह तो कह रहे हैं कि सिविल लायबिलिटी है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लैण्ड एक्वीजीशन के संबंध में मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। अब मैं बोलना चाहता हूं इस संबंध में। प्रश्न यह है कि क्या लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत कोई इसके लिये प्रोटेक्शन है या नहीं ? इसमें मेला फाइडी प्रूव नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : आप इस तरह हाउस में टैम्पर लूज नहीं कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरना : You cannot disturb like this. You are disturbing every now and then. Why are you putting obstructions ? I was not interrupting you when you were speaking.

श्री किशनसिंह भाटी : आप बिराजें। मैं निवेदन करना चाहता हूं.......

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : आप बैठिये। दूसरों के बोलने के लिये भी समय रखें। अध्यक्ष महोदय ने इसके लिये एक घन्टा निर्धारित कर रखा है।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : आप बैठिये, आपको कोई जानकारी नहीं हैं।

(30)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उस संबंध में 31 तारीख को कलेक्टर अलवर ने जो आदेश दिया उसकी वहां पर महाराज कुमार ने अवहेलना की थी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह था कि कलेक्टर ने 15 मिनट में 40 पेज का फैसला दे दिया और उसी दिन कब्जा लेने के लिये कह दिया इसमें मैलाफाइडी थी।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं गृह मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या यह सही है कि लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट की धारा 63 के अन्दर जो लैण्ड की डेफीनेशन दी गयी है उसमें यह आता था या नहीं ? क्या वह एक्वीजीशन एक्ट की धारा 7, जो कि 1-9-64 को एक्वीजीशन एक्ट था उसमें वेस्ट हो गई थी या नहीं ? नम्बर एक ; दूसरा क्या यह सही है कि 28-1-75 को जो आर्डिनेन्स राज्य सरकार द्वारा निकाला गया उसके तहत सूओ मोटो रिकार्ड आफ पजेशन कलेक्टर को सौंपना था वह एस्टेट होल्डर जो भी था वह 27-3-75 को ही पजेशन सौंप रहा था ? इसके साथ साथ मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने 5-3-76 को स्टे दिया था और उसमें स्टेटस को मेन्टेन का कहा था। उसके बाद में महाराज कुमार अलवर ने विनय विलास में एन्ट्री करके वहां पर जो पुलिस की गार्ड थी उसको पीटा और जबरन महल का कब्जा कर लिया तथा वहां पर जो गार्ड थी उससे लिखा लिया, क्या यह सही है या नहीं ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप स्थान ग्रहण करें। वर्माजी ! आप क्या कह रहे थे ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या गृह मन्त्रीजी भूतपूर्व मुख्य मन्त्री राजस्थान श्री हरिदेव जोशी को स्पष्टीकरण का मौका देने के बाद में उन्हें दो महीने के अन्दर अन्दर हथकड़ी डाल कर कठघरे में पेश करेंगे और उन्हें वहां सुनवाई का मौका देंगे ? कृपया यह स्पष्ट करावें।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन जिन माननीय सदस्यों ने नाम दिये हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस सदन में अलवर महाराजकुमार की पत्नी श्रीमती महेन्द्रकुमारी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसकी दो लाइन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : पहले एक माननीय सदस्य पढ़ चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आधा पढ़ा है। महेन्द्रकुमारी ने कहा कि इस देश में चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन है या भ्रष्ट नौकरशाही व राजनेता शासन तन्त्र पर कब्जा किये हुए है ? तो पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं अगर वह भ्रष्ट शासन के पक्ष में नहीं हों तो मेहरबानी करके उधर से इधर आ जावें।

श्री एच. एन. शर्मा : आप इधर देखो. हम तो इधर बैठने की क्षमता रखते हैं। भ्रष्ट नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं दाद देता आपकी कि आज आप उधर बैठ कर कानसिंह रिपोर्ट पर पैरवी कर रहे हैं। मैं तो इसलिये कह रहा हूं कि आप भ्रष्ट शासन को छोड़ कर इधर आकर अपना मोरल हाई करें। आपका मोरल हाई होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्योपतसिंह जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर जनता पार्टी के पूरे टेन्योर में इस अलवर काण्ड के ऊपर कार्यवाही नहीं की गयी तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुभव करता हूं कि गृह मन्त्री जी जब अपना जवाब देंगे उस वक्त मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इमर्जेंसी के दिनों में सिर्फ एक अलवर महाराजकुमार की ही हत्या की गई थी ? अरे भाई वह तो एक सुसाइड था; वह तो आत्महत्या का एक केस था। इसके अलावा और भी तो इमर्जेन्सी के समय में सैकड़ों काण्ड हुए थे।

मीसा के दौरान हजारों लोगों पर जुल्म हुए थे। उन 19 महीनों में एक नहीं सैकड़ों रोजाना जुर्म और अत्याचार होते थे। यह तो एक सुसाईड का ही मामला था।

श्री किशनसिंह भाटी: आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर उपाध्यक्ष महोदय, आज का काल अटेन्शन मोशन जो है वह सिर्फ अलवर महाराज कुमार की हत्या के बारे में ही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछिये। माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी, अपना भाषण न दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री किशनसिंह भाटी: उपाध्यक्ष महोदय, श्योपतसिंह जी ने खुद ने अलवर महाराज कुमार की हत्या के बारे में प्रश्न पूछा था।

श्री श्योपतसिंह मकासर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अलवर महाराज कुमार की जिन लोगों की वजह से हत्या हुई उनको सजा न दी जाय। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे भी भयंकर ज्यादतियां इमर्जेन्सी के दौरान इस देश में हुई थीं. यह तो एक सुसाईड का केस था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि राजा महाराजाओं की जायदाद नहीं ली जावे। मैं तो कहता हूं कि उनके महल वगैरह का भी जबरन कब्जा करना चाहिये। लेकिन मेरा कहना इसमें यह है कि यह सिर्फ अलवर के महाराज कुमार की प्रोपर्टी के लिये ही ऐसा क्यों किया गया ? दूसरे राजाओं की प्रोपर्टी को क्यों नहीं लिया गया ? अगर सभी के साथ राज्य सरकार एक व्यवहार करती तो मैं शाबाशी देता लेकिन यह अलवर महाराज कुमार की प्रोपर्टी का झगड़ा बहुत पुराना है। यह तो एक सारा का सारा ड्रामा था जो हो रहा था और आज से नहीं पिछले तीस साल से हो रहा था। पूरे कांग्रेस शासन काल में यह ड्रामा हो रहा था। तो इसमें जब मैं अलवर महाराज कुमार के बारे में बोल रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनकी प्रोपर्टी रखने के पक्ष की बात करता हूं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

लेकिन फिर जब महल वगैरह लेने है तो सभी के ही क्यों नहीं लिये जावें? उपाध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी में कांग्रस की सरकार ने ड्रामा करके इस तरह की कई ज्यादतियां की हैं। इसमें एक नहीं हजारों ज्यादतियां आपको मिलेंगी। मैं आपका ध्यान बीकानेर के एक हमारे ही मार्क्सवादी पार्टी के सदस्य को तारीख 31 को गिरफ्तार किया गया उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के सदमे से उसके बाप की तीन दिन बाद ही मृत्यु हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर: अभी समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करके।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): ओन ए पोइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन सर। उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी अलवर महाराज कुमार की हत्या हुई उसका समर्थन करते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर बिलकुल समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर कलेक्टर श्री आदर्श किशोर सक्सेना ने अपनी डायरी में जो लिखा है उसके एक्सट्रेक्ट की दो लाइन मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। जो उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है मुख्य मंत्री जी से बात करने के बाद में और श्री रामसिंह जी से बात करने के बाद में, गृह आयुक्त ने और मुख्य मंत्री ने सहमति व्यक्त की और गृह आयुक्त ने आगे कार्यवाही करने का हमें निर्देश दिया। अगर इस रिपोर्ट में कोई गुनहगार है तो यह दो लोग हैं उस समय के गृह आयुक्त श्री रामसिंह जी और श्रीमान हरिदेव जी जोशी! इसलिए बिना किसी हिचक के इस रिपोर्ट को आप लागू करें वहां अन्य हजारों इसी प्रकार के मामले हैं जिनमें हजारों लोगों को यातनायें सहन करनी पड़ी हैं उनके बारे में माननीय गृह मंत्री जी कार्यवाही करें।

श्री हरचन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से···

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरचन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बराबर खड़ा हो रहा हूं और बैठा दिया जाता हूं और मुझे मौका नहीं दिया जाता है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,····

श्री हरचन्दसिंह : क्या जनता पार्टी के राज्य में हमसे यही सलूक होगा और आसन से भी यही व्यवस्था होगी? मुझे एक सवाल पूछने दिया जाये···

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह जी, विराजें। पहले जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं उनको बोलने दें।

श्री हरीश शर्मा.

श्री हरिश शर्मा (रामगंज मंडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे

(श्री हरीश शर्मा)

थे और उसके लिए दोषी उस समय के गृह आयुक्त और माननीय मुख्य मंत्री हैं। इसीलिए यहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और कांग्रस सरकार चली गयी। उसके मूल में देखें तो प्रतापसिंह काण्ड भी था। ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे कोई काम कर रहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके पीछे आज तक देश में अनेक हत्या काण्ड होते आये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पूछना चाहता हूं क्या यह सत्य नहीं है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जी जोशी ने कलेक्टर को बुलाकर यह आदेश दे दिये ? इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री यह बतायें कि क्या यह सत्य नहीं है कि लगातार दस सालों से उनको परेशान किया जा रहा था और बदले की भावना से तंग किया इसलिए कि उनके संगठन को श्री प्रतापसिंह जी से भारी क्षति हुई थी ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि क्या सत्य नहीं है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इस मामले में विद्युत बोर्ड के चेयरमैन थे उनको टेलीफोन किया कि उनकी बिजली काट दी जाये ? आप देख लीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं और स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि सन् 58 में जो पत्र लिखा वह एकदम साफ नहीं है ! उनकी एवीडेन्स है कि क्योंकि उनका वर्तमान सरकार से राजनैतिक विरोध रहा है वह इसलिए मुझे समाप्त करने की कोशिश में है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरीश जी आप बिराजें।

श्री हरिश शर्मा : .....यह माननीय मुख्य मंत्री जी का षड्यंत्र था और अपने संगठन के लिए बदले की भावना से यह किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

व्यवधान

माननीय सदस्य, कृपया बिराजें माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं शायद बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर उस रिपोर्ट में भी आ चुका है जिसके ऊपर यह चर्चा की जा रही है। प्रश्न पूछने से कोई अर्थ नहीं होगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : जवाब तो गृह मंत्री जी देंगे। प्रश्न पूछने दीजिए बेशक प्रश्न हों उन्हें पूछने दीजिए।

श्री हरचन्दसिंह : शंका के निराकरण के लिए मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं और मुझे पूछने नहीं दिया जा रहा है। इस आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो भी फाइन्डिंग्स आइ हैं जिनके ऊपर चर्चा हो रही है फिर हम उनके बारे में सवाल पूछना चाहते हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, हमें मौका नही दिया जा रहा है और यहां रिपोर्ट का वाचन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरचन्दसिंह जी।

श्री ईश्वरचन्द्र !

श्री ईश्वरचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 26-6-75 को नई दिल्ली मे चीफ सेक्रेटरी के पास यह मैसेज आया या नहीं ?

"In the context of preventive and other measures implemented in the wake of promulgation of Emergency issued this morning, the State Governments,*Union Territories/Administrations are advised to consider immediately the arrests/detention of all influential and active elements of Bharatiya Jana Sangh and Rastriya Swayamsevak Sangh."

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या तत्कालीन सरकार ने जुलाई, 75 को आगे यह वायरलैस मैसेज सभी कलेक्टर को फ्लेश किया या नहीं ?

"The following message received from Government of India:—

You are requested to take immediate action on these lines Tempo of current drive against R.S.S., JEI etc. may be maintained fully and district authorites alerted against any possible slackening of efforts Some important active workers of R.S.S. etc. are still reported to be underground. Presume State Governments are making all out efforts to locate their hideout and deal with them effectively."

यह हनुमानप्रसाद ने चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट को यह मैसेज किया।

(व्यवधान)

श्री जोशी जी ने स्वयं ने कहा है कि राजनैतिक हैसियत उनकी नहीं थी इसलिए जनसंघ के मेम्बर होने के कारण उनको मीसा में अरेस्ट नहीं किया गया। मीसा में अरेस्ट इनकी जमीन के काण्ड को लेकर किया गया था।...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो इमर्जेन्सी ओरीजिनेट हुई इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री हरिदेव जोशी जिम्मेदार थे। क्या सरकार कोई एक्शन इस रिपोर्ट के आधार पर लेना चाहती है या नहीं ?

श्री ईश्वरचन्द : दूसरा प्रश्न यह है, जैसा कि गुप्ताजी ने कहा कि कानसिंह आयोग कोई जुडिशियल कोर्ट नहीं थी तो अगर कानसिंह आयोग जुडिशयल कोर्ट नहीं थी तो कौनसा प्रोसीजर अडाप्ट किया गया ? क्या कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट की पालना की गयी ? और नहीं की गयी तो क्या गाइडलाइन कानसिंह आयोग को स्टेट गवर्नमेन्ट ने दी ? जहां तक मेरी जानकारी है एक मजिस्ट्रेट जो प्रासीजर अडाप्ट करता है हियरिंग का वह उन्होंने अडाप्ट नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं मिनिस्टर्स मिसकन्डक्ट की किताब है जिसको ए. जी. नूरानी ने लिखा है जो सेलीब्रेटेड कान्सटीट्यूशनल एक्सपर्ट है। उन्होने किताब में लिखा है, जैसा गुप्ताजी ने कहा कि जुडिशियल कोर्ट नही थी तो then it was a quasi-Judicial court

(श्री ईश्वरचन्द्र)

"A quasi judicial court is presided over by a quasi judge administering quasi law in quasi disputes. Two quasi parties give their quasi evidence, the Tribunal finds the quasi facts and considers the quasi precedents and the quasi principles. It then applies the quasi law in a quasi judical decision which is promulgated in a quasi official document and given quasi enforcement. The members of the Tribunal, having concluded their quasi judicial business then go out and drink quasi beer before taking lunch consisting of quasi chicken croquets. Then they go home to their quasi wives."

यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो आयोग था क्या इस तरह का आयोग था जिसको माथुर साहब ने कहा कि लागू नहीं किया। मल्हन कमेटी के लिए कहा कि उसकी कापी वितरित नहीं की गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मल्हन कमेटी ने लिखा है कि इस तरह की रिपोर्ट गक हाई कोर्ट जज दे यह दुःख की बात है। इस तरह का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए।

एक सवाल और पूछना चाहता हूं ··

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : You are defender of the culprits.

श्री ईश्वरचंद्र : No एक बात और पूछना चाहता हूं। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं होगा कि जिन हाथों ने कुते छोड़े हैं उन हाथों को तोड़ा जाये····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 15 मिनट में 45 पेज का फैसला देना उचित है? आप इसका जवाब दीजिये ····

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चंद्र : मैं आपका जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय हरचन्दसिंह जो।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 45 पेज का फैसला 15 मिनिट में इस बात का द्योतक है कि मेलाफाइडी एक्शन था...

श्री परसराम मदेरणा : This House is not a Court and we can not take a decision.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : This House is Sovereign.

श्री परसराम मदेरणा : The House is Sovereign, but it is not a court to decide cases.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(36)

श्री हरचन्द सिंह (पील बंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कानसिंह आयोग ने आदमियों के खिलाफ निर्णय दिया है कि ये दोषी हैं उनमें से एक भयंकर दोषी रामसिंह जो उस वक्त के गृह आयुक्त थे, को पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त करके यह मास्स बनाया है। एक सवाल मुख्य मंत्री से पूछ सकता हूं, क्या दूसरे मुल्जिम हरिदेव जोशी को आप अपनी जगह देना चाहते हैं··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने थोड़े दिन पहले यही कोशिश की थी लेकिन असफल रहे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानसिंह आयोग की रिपोर्ट पर काफी लम्बी बहस हुई है और माननीय बिशनसिंह भाटी ने विस्तार से कहा है। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि रिपोर्ट में एक बात आई है कि अलवर महाराज कुमार ने सारे हथियार राज्य सरकार को जमा करा दिये थे, फिर वह कौन सा हथियार रह गया था जिससे उन्होंने आत्म हत्या की, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

श्री माणकलाल ठाकोर : उपाध्यक्ष महोदय,··

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी।

डा० हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि हरिदेव जी जोशी अन्त में बोलेंगे। कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं.··

श्री माणकलाल ठाकोर : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब से पहले मुझे टाइम दिया जाये।

डा० हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रतापसिंह ने सन् 67 में पोलो ग्राउंड नं० 3 और 4, जो सरकार के कब्जे में थे, जो महाराज तेजसिंह जी ने कोवनेन्ट के अ. दिया था, पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया। वहां के कलेक्टर ने लिखा है:—

"I am not interested in having the Maharaj Kumar arrested, but I am certainly interested seeing that the district administration functions effectively."

लैटर का मतलब यह है··

एक माननीय सदस्य : लैटर कब का है ?

डा० हरिसिंह : 5 जुलाई, 67 का। 5 जुलाई को गवर्नमेंट की जमीन पर महाराज कुमार ने जबरन कब्जा किया। दूसरा, क्या यह सत्य है कि महाराज कुमार प्रतापसिंह ने कलेक्टोरेट पर पंचरंगा झण्डा फहराया ? क्या यह सही है कि महाराज कुमार प्रतापसिंह ने फारेस्ट की जो 2200 एकड़ जमीन थी, उसको गैर कानूनी तरीके से बेच दिया और उस जमीन पर आज भी गैर कानूनी तरीके से जिन लोगों को दी गई थी, उनका कब्जा है ? फूल बाग के साथ पब्लिक पार्क को जबरन फूल बाग में मिलाकर और इजेक्टमेंट के आर्डर्स हुए··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। बिराजें।

श्री एस०एन० शर्मा : यह प्रश्न तो सदन के सामने नहीं है!

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, आफिशियल रिकार्ड पर है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमाणकलाल ठाकोर।

डा. हरिसिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि पुलिस का घेरा बैठाया गया जिससे उन्होंने आत्म हत्या कर ली।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय डा० साहिब, यह जोशी जी का प्ली है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

डा. हरिसिंह : वह तो उस समय की सरकार थी।

श्री एच०एन० शर्मा : सर्जन न होकर इन्होंने वकालत शुरू कर दी है···

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. साहब, बिराजें।

डा. हरिसिंह : मैं आपको बताना चाहता हूं।

यहां लिखा है उन्होंने सुसाइड किया जब कि इस राजा महाराजाओं ने ज्यादतियां की हैं···

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : झूठ है···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : कांग्रेस (आई.) में जाने की शुरुआत है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय सदस्य पर्टीक्यूलर प्रश्न होम मिनिस्टर से पूछ रहे है··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, बिराजें आप।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : यह कांग्रेस (आई) में जाने का सन्देश है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर लाल।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में चर्चा होने से पूर्व मेरे एक पाइन्ट आफ आर्डर के सम्बन्ध में यह फर्माया है कि एक घन्टे चर्चा होगी और इसको दो घन्टे से अधिक हो गये हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह चर्चा कब तक चलेगी ? जब अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है तो उसके विपरीत यह चर्चा कैसे चल रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकर लाल जी, मै स्वयं चाहता हूं चर्चा शीघ्र समाप्त हो जाय। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे आसन को सहयोग दें।

(व्यवधान)

(38)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय ठाकोर साहब आप जल्दी ही पूछ लें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : डाक्टर साहब कांग्रेस (आई) में जाने वाले हैं, यह संदेश है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रेकार्ड नहीं किया जाय।

डा. हरिसिंह : × × ×

श्री माणकलाल ठाकोर : मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या कानसिंह आयोग ने और मल्हन समिति ने जो प्रतापसिंह की हत्या के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला है और उस सम्बन्ध में जो एडवोकेट जनरल ने राय दी है, उसको सदन में स्पष्ट करेंगे ताकि सदन के सामने कुछ घोषणा हो सके कि तथाकथित दोषी व्यक्ति चाहे मुख्य मन्त्री हो भूतपूर्व अथवा भूतपूर्व गृह मन्त्री हो और चाहे श्री राम सिंह हो····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले पान तो मुंह से निकालो।

श्री माणकलाल ठाकोर : अथवा वह चाहे कलेक्टर आदर्श किशोर सक्सेना हो। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों को दण्डित करवाने के लिए अथवा विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में क्या कोई घोषणा करेंगे? मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरोप आज तक माननीय हरिदेव जोशी अथवा किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा या राजनीतिज्ञ द्वारा लगाये गये है उनमें वे आरोप नहीं हैं जो माननीय हरिसिंह जी ने लगाये हैं कि श्री भागीरथसिंह ने प्रतापसिंह की हत्या की है। मैं निवेदन करूंगा यह आपत्तिजनक आरोप है और इस आरोप के सम्बन्ध में माननीय डाक्टर साहब की निन्दा की जानी चाहिए। माननीय जोशीजी ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया है····

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो बोलता ही नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अगला सर्जन है, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट का आधार है····

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकोर : ···यह मजाक की बात नहीं है। मे चाहता हूं जिस प्रकार हत्या हुई है, उसके सम्बन्ध में कोई घोषणा की जाय कि दोषी नहीं है, कोई भी राजनीतिज्ञ दोषी नही है अथवा कोई अधिकारी दोषी नहीं है और अगर दोषी है तो उसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, उसकी आज घोषणा की जानी चाहिए। आपातकालीन समय में हमारे लोक नायक जयप्रकाश जी को किस तरह जेलों में बन्द किया गया और उन जेलों में उन्हें किस प्रकार बीमारी का सामना करना पड़ा····

(व्यवधान)

उसी प्रकार की यह एक हत्या है। आपातकालीन ज्यादती की घटना है····

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नही किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें। माननीय सदस्य ...

श्री माणकलाल ठाकोर : मैं इस संबंध में मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जायं।

मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सरकार के सामने यह प्रश्न आ गया है ध्यान आकर्षण के द्वारा कि यह सरकार कानसिंह आयोग की रिपोर्ट और मल्हन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही करना चाहती है अथवा नहीं करना चाहती है। माननीय सदस्यों ने चर्चा के माध्यम से जो सुझाव दिये हैं--पक्ष में भी दिये हैं और विपक्ष में भी दिये हैं और जितनी देर चर्चा चली है वह तभी सार्थक होगी जब माननीय गृह मन्त्री जी आश्वासन दे दें ...

कई माननीय सदस्य : दे दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : और वे शायद इन सुझावों को दृष्टिगत रख कर केबिनेट में कोई निर्णय लेंगे। इस सारे मसले में जो दुविधा रही है और जो चर्चा रिपोर्ट पर रही है उसमें यही है कि गवर्नमेंट द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है, यह तय नहीं किया गया है। सामान्यतया यह होता है कि जब किसी रिपोर्ट पर चर्चा होती है तो सरकार का एक निर्णय होता है कि सरकार उस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है। लेकिन यहां इस पर सरकार का कोई निर्णय ही नहीं है। फिर भी चर्चा की जा रही है। इसलिए मैं केवल यह कहना चाहूंगा जो चर्चा के माध्यम से प्रश्न पूछे गये हैं उन पर माननीय मन्त्री महोदय का उत्तर आने दें। माननीय श्री जयकृष्ण जी अंतिम प्रश्न पूछेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्या गृह मन्त्री जी यह बतायेंगे कि युवराज प्रतापसिंह ने सन् 70-71 में जिस उम्मीदवार के साथ चुनाव का प्रचार किया, उसका क्या नतीजा रहा? जमानत जब्त हुई है उस उम्मीदवार की। आप राजनैतिक कारण बताते हैं तो इसमें कहां राजनैतिक कारण बनता है। मैं दूसरा प्रश्न यह पूछूंगा कि

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इससे सम्बन्धित नहीं है ...

श्री जयकृष्ण शर्मा: उन्होंने कहा है राजनैतिक कारण है। जब चुनाव में दूसरे नम्बर के पहलवान नहीं, तीसरे नम्बर के पहलवान नहीं और चौथे नम्बर के भी पहलवान नहीं रहे तो उसको राजनैतिक कारण कैसे मानेंगे? जमानत जब्त होती हो उसको कैसे राजनैतिक मानेंगे? 65, 66, 67 में इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को पोलो ग्राउन्ड की जमीन पर बसाने के लिये कहा था और उस समय की सरकार ने ऐसी तैयारी भी करली थी लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं किये जाने पर उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया और बाद में उन्हें क्षमा दान कर दिया गया था। तो क्या मैं गृह मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि यह उनके रेकार्ड पर है? उन्होंने राजस्थान के होम मिनिस्टर को पत्र लिखा था....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा निवेदन यह है कि कानसिंह आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई तो सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में क्या कार्यवाही करना चाहती है ...

(व्यवधान)

(40)

श्री जयकृष्ण शर्मा : अन्त में मेरा आखिरी सवाल है जिसका जवाब दे दें। क्या गृह मन्त्री जी यह बतायेंगे कि अलवर ...

श्री उपाध्यक्ष : पहले पोइन्ट आफ आर्डर सुन लें, माननीय सदस्य।

श्री किशनसिंह भाटी : पोइन्ट आफ आर्डर। पोइन्ट आफ आर्डर ...

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : जनता पार्टी के इतने लोग बोल लिये, अब मैं पांच मिनट के लिए बोल रहा हूं तो इनको सब्र नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : यह राजनतिक हत्या थी, यह राजनैतिक हत्या थी, यह बिल्कुल राजनैतिक हत्या थी....

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट आफ आर्डर है, माननीय सदस्य। श्री किशनसिंह भाटी।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह दोषियों को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है....

श्री जयकृष्ण शर्मा : जनता पार्टी की तरफ से एक पर्चा निकाला कि उन्होंने ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी। पोइन्ट आफ आर्डर ...

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मैं यह अर्ज कर रहा था, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर यही है कि कानसिंह कमीशन की रिपोर्ट हाउस में है, उस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? इसकी फाइडिंग्स पर आप बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि राजकुमारी महेन्द्रकुमारी ने क्या किया और क्या नहीं किया, उसके बारे में आज डिस्कशन थोड़े ही हो रहा है। इसलिए यह एलान हो जाय, आप व्यवस्था दें कि किस स्पेसिफाइड पीरियड तक सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, यही बता दें। इसको जानने के बारे में तत्परता है....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस रिटिन बाई शकधर ...

श्री डूंगरराम : अलवर काण्ड के अपराधियों में से जो दोषी पाये जायेंगे उनको सरकार सजा देगी या नहीं, यह जवाब दे दें।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री डूंगरराम : जो आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारी हैं उनको सजा नहीं दिला सके तो इन अधिकारियों से डरने वाली सरकार कही जाएगी....

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है....

(व्यवधान)

महेन्द्रकुमारी बूंदी की बेटी थी और जो विधवा हुई है ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मुझे दो मिनट का समय दिया जाना आवश्यक है। मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अभी तक नहीं बोला हूं। केवल एक.... ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा :

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि क्या यह सही है कि श्रीमती महेन्द्रकुमारी और भागीरथसिंह की पत्नी दोनों विधवाओं के माथे का सिन्दूर उजाड़ने वालों के खिलाफ मुख्य मंत्री कब मुकदमा चलाने वाले हैं और कब तक उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न पहले ही पूछ लिया . .

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : क्या मुख्य मंत्री जी ने अलवर में अपने भाषण में यह कहा था कि आपातकाल के अपराधियों को बख्सा नहीं जाएगा ? इन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहते हैं और कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : एक प्रश्न और है। क्या यह सही है कि तत्कालीन गृह आयुक्त श्री रामसिंह जी...

श्री मदनसिंह दांता : कह दिया है इसके बारे में बीस दफा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: गृह आयुक्त को वर्तमान में पी. एस. सी. का चैयरमैन बनाया है ? वह सरासर सरकारी नौकरशाही को संरक्षण देने का विचार कर रही हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तो इस सरकार से पूछने के दो प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न यह है कि जो कुछ भी काण्ड हुआ वह गलत हुआ। एक प्रश्न यह है कि कांड नहीं था, सरकारी तौर पर एक जो होना चाहिए था वह हुआ जैसा कि हरिसिंहजी और दूसरे सदस्य बोलें। मैं कम से कम जोशीजी बोले, उससे पहले उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इस कांड पर आपको अफसोस होता है या नहीं। यहां पर ही मेलाफाइडी है या नहीं, इसकी पहचान हो जाएगी। क्या आपको अफसोस है इस पर ? यह काण्ड हुआ इसको क्या आप अच्छा मानते हैं ? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय जोशीजी अपना स्पष्टीकरण देंगे।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय जोशीजी से पहले मैं भी कुछ कहना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो बोलना चाहते हैं, दो दो मिनट का समय दे दें।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री आदर्शकिशोर सक्सेना का दिनांक 23-3-76 का पत्र पढ़ रहा हूं।

"मुख्य मंत्री से उनके निवास पर मिला। गृह आयुक्त, उप महानिरीक्षक, रेंज पुलिस अधीक्षक, अलवर भी वहां उपस्थित थे। समस्या पर विस्तार से विचारविमर्श हुआ। गृह आयुक्त ने जो पहले से ही वहां उपस्थित थे, उन्हें पहले ही तथ्यों का सार खुलासा कर चुके थे। मुख्य मंत्री ने यह

(42)

(श्री निर्मलकुमार सकलेचा)

स्पष्ट निर्देश दिया कि क्योंकि सरकार ने उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ जो राज्य के प्राधिकार तथा विधि का विरोध कर रहे हैं, कड़ी कार्यवाही करने का निश्चय किया है। श्री प्रतापसिंह तथा उनके व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाये तथा यह निर्देश दिया कि प्रतापसिंह को मीसा में निरुद्ध कर दिया जावे जिसके लिये वे उस समय तक अधिक पात्र बन गये थे।

(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह के विरुद्ध....

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले आ चुका है...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सकलेचा, कृपया समाप्त करें।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : .... प्रतापसिंह के विरुद्ध निश्चित कार्यवाही के परिणामस्वरूप होने वाली उलझनों के बारे में भी उन्हें जानकारी कराई गई तथा उन्होंने यह निर्देश दिया कि हमें उन्हें मनाने के लिए अभी वैकल्पिक साधनों को और उन पर दबाव डालने के लिए किसी अच्छे काउन्सल को काम में लेना होगा वरना अन्त में उनके मकान को घेर लेने और उन्हें तथा उनके आदमियों को पकड़ लेने जैसी अनिवार्य बलात् कार्यवाही का आश्रय लेना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो इन तीनों अधिकारियों ने मिलकर साजिश रची उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

इसके बाद आपका ध्यान हरिदेव जी जोशी द्वारा प्रधान मन्त्री को लिखे गए पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : प्रश्न ही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उद्धरण नहीं पढ़े आप अपना प्रश्न पूछ लें।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : यह पत्र लिखा है उन्होंने।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने निवेदन किया है कि उद्धरण नहीं पढ़ें।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : 13 अप्रेल, 76 को प्रधान मन्त्री को लिखा था जिसमें लिखा था कि एक 12 बोर की बन्दूक की गोली से अपना प्राणान्त कर लिया है। आप इस तथ्य को प्रगट करें कि जो प्रधान मन्त्री को हरिदेवजी जोशी ने पत्र लिखा है जिसमें लिखा है कि 12 बोर की बन्दूक से प्राणान्त कर लिया यह उन्होंने किस प्रकार से प्रमाणित कराया, इसके बारे में जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं तीन प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहती हूं।

(व्यवधान)

यह बतायें कि 31-12-76 को जो फैसला हुआ, सरकार के पास ऐसी कौन सी मशीन ईजाद हो गई कि उनके बोले हुए हर एक शब्द टाइप हो गए..

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : ये बातें तो पहले ही आ चुकी हैं ।

श्रीमती उजला अरोडा : हरिदेव जी शोभारामजी से क्या रिश्तेदारी है इसको स्पष्ट करें ।

श्री मेजर फतहसिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं । क्या यह बात सही है कि कानसिंह कमीशन ने जितने भी गवाहों को साक्षी देने हेतु बुलवाया था क्या उन सब को इंक्वायरी कमीशन एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत ही बुलाया था ? क्या सरकार इस बात को मानती है कि धारा 4 इन्क्वायरी कमीशन एक्ट के अन्तर्गत गवाहों के बयान होने के बाद किसी व्यक्ति के विपरीत प्राइमा फेसी केस बनता है तो उन व्यक्तियों को चाहे वह जन सेवक हों अथवा अन्य नागरिक हों उनको इन्क्वायरी कमीशन एक्ट की धारा 8(बी), 8(सी) के अंतर्गत मौका मिलना चाहिये था और 8 बी के अन्तर्गत तो, श्रीमान, उनको नोटिस देकर बुलाना चाहिए था और उनको कमीशन पूछता कि तुमको अपने बचाव पक्ष में क्या कहना है ? इतना ही नहीं, श्रीमान, 8(सी) में यह लिखा गया है कि जिन गवाहों के बयान से जिन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे साबित होते थे, उन गवाहों से उन व्यक्तियों को जिनके विपरीत मुकदमे बनने थे, उनको क्रोस एग्जामिन करने का मौका देना चाहिये था । क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि यह नेचरल जस्टिस के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ।

(व्यवधान)

मैं क्षमा चाहता हूं, भाटी जी, आपसे । केवल मैं जो कानूनी मुद्दे हैं उनकी ओर ही ध्यान दिलाऊंगा..

(व्यवधान)

I don't want to be disturbed like this. I want your protection.

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए ।

श्री किशनसिंह भाटी : यह तो आलरेडी कहा जा चुका है ।

मेजर श्री फतह सिंह : इसका प्रभाव क्या पड़ा है ? नेचरल जस्टिस का एक प्रावधान है...

(व्यवधान)

No body should be condemned un-heard. You want to condemn a man without hearing him. कमीशन ने हरिदेव जोशी या रामसिंह या आदर्श सक्सेना या डी. आई. जी. को नहीं सुना है । एक प्रक्रिया है, शहादत के आधार पर ...

(व्यवधान)

यह नहीं है । यह कानून नहीं है । मैं कानून की बात कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें ।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री और गृह मंत्री जी से । क्या यह आपकी जानकारी में है कि शाह आयोग ने इन इमर्जेन्सी एक्सेसेज की जांच हेतु सभी जन सेवकों अथवा अन्य नागरिकों को तीन केटेगरी में विभाजित किया था ? एक केटेगरी वह थी those who may have acted simply in compliance to the orders and instructions given to them.

(५५)

(मेजर श्री फतेहसिंह)

इस केटगरी में आने वाले जनसेवकों के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं बन सकता है दूसरा यह है those who may have carried out the instructions a little seriously than others.

उनके खिलाफ भी शाह कमीशन के मत के अनुसार कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है। शाह कमीशन ने तीसरी केटेगरी के जो अधिकारी हैं, जनसेवक हैं, उन पर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, culpability Those who have exceeded or mis-used or abused their power or authority for securing personal gain or for securing personal advantage.

It is only these public servants, falling under this category, who would attract the critical attention of the Commission.

श्री हरीश शर्मा : क्या आप कांग्रेस पार्टी का बचाव कर रहे हैं? यह आपने कांग्रेस पार्टी का बचाव करने की भावना से कहा है

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : मैं आपका ध्यान . .

श्री हरीश शर्मा : यह बदले की भावना से हत्या करवायी गयी है।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करता हूं ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: क्या आप लोक दल के प्रवक्ता हैं ?

मेजर श्री फतहसिंह: आपको न्याय करना है। इस तरह की बात हम नहीं सुनेंगे . . .

(व्यवधान)

श्री नूरा (मनुधा): हमें अधिकार है अपनी अपनी बात को कहने का ?

मेजर श्री फतहसिंह : मैं बीस वर्ष से यहां बैठा हूं इस तरह से

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं इस प्रतिवेदन में जो बात आई है, उसके प्रश्न संख्या 56 का एक उद्धरण आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं : अतएव कलेक्टर तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी अतिचारी थे यद्यपि हमें किसी तरह से यह नहीं समझना चाहिये कि हम इसे अपराधिक अभिचार बता रहे हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी बता रहे हैं किन्तु यह सिविल अभिचार था। मुख्य मंत्री महोदय, अन्तिम पैराग्राफ में कहा गया है इसी पृष्ठ में-हमारे सुझाव देने का यह अर्थ नहीं है, इनका कोई व्यक्तिगत द्वेष या किसी बेईमान का ध्येय था। अगर ऐसी बात है तो फिर शाह कमीशन के मत के अनुसार जिस अधिकारी ने इस तरह से काम किया है, उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आ सकती है। इसलिए मैं सब से क्षमा चाहता हूं कि हम को न्याय करना है।

एक माननीय सदस्य: आपकी सक्सेना से दोस्ती है ?

मेजर श्री फतहसिंह : There is no place for 'Bhavna' or 'Bhavukta'in law.I have devoted 27 years at the Bar and you are only 27 years old.

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी !

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाईंट आफ आर्डर, सर! भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी वकालत के एक्सपीरियंस..

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : It amounts to contempt of the House. He cannot impose his experience on other members of the House.

मैं इस पर आपका डिसीजन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सुन लिया है।

श्री किशनसिंह भाटी : Every member has a right. One cannot impose his experience on the other Members of the House.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा: According to the Parliamentary Practice and Procedure by Kaul and Shakdhar, any matter, wherein attention of the Government is drawn under rule 131, this House is not competent to give any direction to the Government.

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को ..

श्री शिवचरणसिंह (बयाना): यह भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय से ताल्लुक रखता है क्या यह सही है कि पिछले 30 वर्षों में जितने भूतपूर्व राजा महाराजा थे ; उनकी प्रोपर्टी के मामले में कई बार कम्प्रोमाइज किया गया है , वह इल्लीगल किया गया है जो राजा महाराजा थे ....

(व्यवधान)

उनकी करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति, जमीन जायदाद...

(व्यवधान)

लोगों को गैर कानूनी तरीके से दी।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं जवाब दे रहा हूं। इसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री शिवचरण सिंह : जो उन्होंने भारत सरकार को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब्जेक्ट पर आने के पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, शिवचरणजी बहुत इम्पेशेन्ट हैं अपनी परफारमेंस दिखाने के लिये, मैं निवेदन करता हूं इसको नोट कर लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : मैंने दोनों ही बातें नोट कर लीं । जो माननीय शिवचरण जी ने कहा वह भी नोट कर लिया और आपने कहा वह भी नोट कर लिया ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्यों, जिन्होंने यह मोशन पेश किया, का हृदय से आभारी हूं । यह औपचारिकता से नहीं कह रहा हूं । मैं हृदय से अपनी बात कह रहा हूं । जिन्होंने यह मोशन पेश किया उनका मैं हृदय से आभारी हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इस काल अटेंशन मोशन मुझे भी बात कहने का अवसर दिया इसलिए मेरे सामने यह प्रश्न था जब कि मैं कमीशन में गया था उस समय भी और आज भी यहां खड़ा हुआ हूं कहने के लिये तब भी उसके लिए मैं आपका भी आभारी हूं । मैं जानता हूं कि राज्य सरकार के ऊपर एक दबाव है कि चाहे कानूनी तौर पर लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती हो या न होती हो, कम से कम केस तो चालान कर दिया जाय ।

कई माननीय सदस्य: यह गलत है, गलत है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, या तो सदस्य के रूप में कुछ कहें, वरना आपके पर्सनल कार्यों के ऊपर क्या दबाव है या नहीं, यह तो सरकार महसूस करती है । आप तो अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिये, यही ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस सदन का सदस्य हूं इसलिए जो कुछ भी कहूंगा वह इस बात को ध्यान में रख कर कहूंगा कि केस अदालत में चालान होना है और आखिर तौर पर वहां पर कुछ कहना है ।

एक माननीय सदस्य: वहीं कहना फिर ।

श्री हरिदेव जोशी: मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी और उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं यह एक बहुत ही सीरियस मामला है जिसमें मेरे ऊपर इस बात का चार्ज लगाया है कि कांसप्रेसी के जरिये एक आदमी को मरने के लिये बाध्य किया गया ।

एक माननीय सदस्य : यह सही है ।

श्री हरिदेव जोशी: मैं खुद भी कह रहा हूं, माननीय सदस्य इतने ज्यादा इम्पेशेंट हैं कि मेरी बात को सुनना भी नहीं चाहते । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात सुन ली जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि जहां जनता पार्टी ने अहद किया था कि इमरजेंसी में जो ज्यादतियां हुई हैं उनको कानूनी तौर पर देखा जायेगा, वहां पर मैं ऐसा भी समझता हूं कि जनता पार्टी ने यह भी अहद किया था कि इस देश में कानून का राज्य कायम किया जायेगा । अगर कुछ लोगों की शिकायतें हैं, कानून के जरिये, कानून के कटघरे में लाना चाहते तो आप न्याय करते मगर केवल इमोशनल होकर, सरचार्ज होकर, कोई बात कहेंगे तो न्याय नहीं होगा । उपाध्यक्ष महोदय, कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट को साइट किया है, सेक्शन 8 (बी) और (सी) का रेफरेंस दिया है । एक माननीय सदस्य ने यह कहा है- यह तो एक फैक्ट फाईडिंग कमीशन है, to advise the Government But advising wrongly. Wrongly arriving at

(श्री हरिदेव जोशी)

प्रिजुडिस्ड वे में । उपाध्यक्ष महोदय, मर्डर के गुनहगार, जो यह स्वीकार कर लेते हैं कि हां, मैंने हत्या की है, को भी पूरी अपार्चुनिटी दी जाती है । क्रोस एग्जामिन किया जाता है, सारी फार्मेलटीज पूरी की जाती है । मगर, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि जिस जज को इमीनेंट जज कहा गया है, उस जज ने इस बात की फिक्र ही नहीं की, दूसरा पक्ष क्या कहता है । उससे पूछा भी नहीं । मेरे खिलाफ वही चार्ज लगा दिये गये जो श्रीमती महेन्द्र कुमारी ने दिये, इस बात की जांच भी नहीं की, श्रीमति महेन्द्र कुमारी को पहले एग्जामिन करें और फिर मुझे और सेक्शन 4 में उसको भी और मुझे भी नोटिस दें । केवल शहादत, मुख्य मंत्री जी, आप तो कमीशन के सामने गये हैं इसलिए आपको अन्दाजा. . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है कि मैं कमीशन के पास गया लेकिन आप जैसे बहुत लोगों को लेकर गया ।

श्री परसराम मदेरणा : अब आप अनुभव कर लीजिये ।

श्री हरिदेव जोशी : और आप मुझसे और कुछ न सीखें, पर इस बात को सीख लीजिये । एक बात गवर्नमेंट को सीख लेनी है और वह यह है कि जब प्राइमा फैसी कोई बात एस्टेब्लिश होती है जज के मन में तभी उसको वह कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत, सैक्शन 8-बी के तहत स्टेटमेंट आफ एलीगेशन देते हैं अमुक प्रकार से, it is a must कि तुम्हारे खिलाफ यह स्टेटमेंट आफ एलीगेशन है, इसलिए तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो और तुम क्या किसको क्रास एग्जामिन करना चाहते हो । यह सब कुछ उन्होंने नहीं किया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चहता हूं, मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने सैक्शन 8(बी) के बाबत यहां पर कुछ बात कही है । कुछ सदस्यों की राय है कि सैक्शन 8 बी) देने की जरूरत नहीं थी ।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी थी वह आप कह दें । आपका क्या डिफेंस होगा, यह कहने की. .

श्री हरिदेव जोशी : मैं यही कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सो काल्ड एमीनेंट जज, जिसकी आज इतनी तारीफ की जा रही है उसने सारी चीज को देखा है। उसने किसी को अपार्चुनिटी नहीं दी और रिपोर्ट दी है वह प्रिजुडिस होकर ऐसी दी है जिससे दूसरे आदमी इसके वो हो जायें । आज, उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही बढ़िया फीचर है कि आज के गृह मंत्री उस समय भी सदन के माननीय सदस्य थे । उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उस समय जो घटनायें घट रही थीं, उस समय क्या वातावरण था, सरकार की क्या राय थी, उनकी क्या राय थी । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस सब की ओर, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने कानसिंह जी का ध्यान आकर्षित किया था । मुझे आश्चर्य है कि उन चीजों को रिकार्ड पर नहीं लिया गया । I have cited certain statements made in this House,

(48)

(श्री हरिदेव जोशी)

मगर उनको उस पर नहीं लिया गया। मैं इसलिए एक ही निवेदन करना चाहता हूं इस सदन से, अगर मुझे 'सेक्शन बी' के अन्दर लाया गया होता तो मैं महेन्द्र कुमारी ने जो कहा है उसे कमीशन के सामने रखता ।

(व्यवधान)

दूसरी चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी की रिपोर्ट आयी ।

उसके बाद मल्हन कमेटी स्थापित की गई । उसने रिपोर्ट दी। उपाध्यक्ष महोदय, मल्हन कमेटी ने साफ साफ कहा है- " यह रिपोर्ट किसी कोर्ट आफ लॉं के सामने ठहर नहीं सकती है। फक दी जाएगी।

(व्यवधान)

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, एक एमीनेण्ट लायर जूरिस्ट कमीशन एलोंग विद एमीनेन्ट कमेटी को रिपोर्ट भेजी गई गई ओपीनियन के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एसम्ब्रेमेन्ट क्रियेट करेगा। उस रिपोर्ट में भी साफ साफ कहा है, कहीं भी कान्सप्रेसी का हरिदेव जोशी के खिलाफ not a single iota is there. मैं पढ़ दूं, उसको, इसलिए...

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : पढ़िए, पढ़िए ।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं ।

मेरा रेफरेंस इस ब्रीफ केस के अन्दर बन्द है। इसमें टेप रिकार्डर है। महेन्द्र कुमारी जी भी यहां बैठी हुई हैं। यह टेप रिकोर्डर भी यहां है। उपाध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

उनकी आवाज इस टेप रिकार्डर के अन्दर बन्द है ।

श्री किशनसिंह भाटी : ओन ए पाइण्ट आफ आर्डर सर ।

हाउस के अन्दर इस प्रकार से किसी को कहना.....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर इस प्रकार का सवाल अगर खड़ा कर रहे हैं..

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी पीड़ा को, किशनसिंह जी, समझता हूं।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर !

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा...

(व्यवधान)

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाण्इण्ट आफ आर्डर है।

ये एवीडेंस नष्ट हो जाएगी ; इसलिए इनका ब्रीफ केस यहीं कब्जे में ले लिया जाये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक ही बात कहता हूं, वह यह है कि अलवर में जो दुर्घटना हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण थी। वह मैं पहले ही सदन में कह चुका हूं। महाराज कुमार की मृत्यु को मैं कोई अच्छी बात नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

मानता न मुझे खुशी है । उपाध्यक्ष महोदय , जज कानसिंह जी के सामने इस बात को कहा था । मगर हर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कोई न कोई परेशानी होती है । आज जनता पार्टी की हुकूमत के अन्दर कई जगह गोलियां चली ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर कहीं दूर से किसी को इन्फ्लूएन्स किया जाये , मुझे भी दूर से कोशिश की जाये।

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब है कि आप पर सेण्टर से दबाव आया था हत्या करने के लिए।

श्री हरिदेव जोशी : कहीं किसी का दबाव नहीं था । यह प्रतापसिंह का एक्शन था , जिन्होंने यह किया ।

कई माननीय सदस्य : गलत , गलत ।

श्री हरिदेव जोशी : अगर आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा,

कई माननीय सदस्य : विश्वास नहीं करेंगे..

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : प्रतापसिंह एक परवर्टेड आदमी थे । जिन्होंने यह किया है ।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है। इसके अन्दर मुझे भी मानसिक यातना से गुजरना पड़ा है । मगर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को एक ही बात कहना चाहता हूं इसलिए कि चूंकि आज लोग, कुछ लोग चुनाव में जीत गये हैं, तो वह बहुत अच्छे आदमी हो गये हैं ? जो हार गये हैं, क्या वह बहुत बुरे आदमी हो गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अत्यन्त आश्चर्य की बात तो यह है कि माननीय सदस्या उजला अरोड़ा को भी मुझ से शिकायत है । मैं क्या करूं ? मेरे पास जिस समय मैं चीफ मिनिस्टर था, उजला जी का लड़का खो गया था.....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने मेरे लड़के को ढुंढ़वाया । आपका प्रशासन था । उसके लिए बहुत धन्यवाद । पर, उस आड़ में आपने जो पाप किये हैं उनकी मैं आलोचना न करूं तो मैं ऐसे विचारों की नहीं हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं, यदि मेरा लड़का भी पाप करे तो उसे फांसी पर चढ़ाने की मैं स्वयं सिफारिश करूंगी।

श्री हरिदेव जोशी : मगर क्या बदलता है ? वह जिसको बोलते हैं, हमारे मन के अन्दर और जो मनुष्य मात्र के अन्दर सद्भावना है, चाहे कहीं बैठे हों.....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : सद्भावना होती तो जेलों में बन्द नहीं करते । यातनाएं नहीं देते, हत्या नहीं करते । उस वक्त आदमियों को जेलों में बन्द नहीं करते । आज जनता के राज में आप बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : यह काला कोट, यह काला चेहरा, यह काली जुबान....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री हरिदेव जोशी : प्रतापसिंह कोई विरोधी दल के नेता नहीं थे। इसलिए उनको वो किया गया हो। मैं भैरोंसिंह से एक ही बात पूछना चाहता हूं। राजस्थान में भैरोंसिंह जी विरोधी दल के नेता थे। मैं प्रतापसिंह से बदला क्या लेता? मैं एक बात पूछता हूं...

(व्यवधान)

मैं एक बात पूछना चाहता हूं। महाराणा उदयपुर हैं ...

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : बदले की भावना लेकर आपने यह किया है।

श्री मदनसिंह दांता : जोशी जी की इस बात की ताईद मैं करूंगा...

(व्यवधान)

जोशी जी, मैं इस बात की ताईद करूंगा कि भैरोंसिंह जी पहले प्रभावित थे, और भी राजस्थान में कई नेता हो सकते हैं चुनाव आते हैं तो भैरोंसिंह को भी राजाओं की शरण लेनी पड़ती है और किशनगढ़ काण्ड भी इसलिए हुआ·····

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मेरे उपर यह मोटिव इम्प्लाइड किया गया कि वे विरोधी दल के नेता थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंह जी भी विरोधी दल के नेता थे, महारावल लक्ष्मणसिंह भी विरोधी दल के नेता थे, राजमाता जोधपुर भी थी, महाराणा उदयपुर भी थे, महाराजा जयपुर और महारानी गायत्री देवी भी थीं, मगर उनके साथ तो ऐसा नहीं········

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : क्या क्या नहीं किया तुमने।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मुख्य मंत्री जी की पार्टी की भाषा सारी समझ में आ गई है, लेकिन यह हुआ-हुआ क्या है यह समझ में नहीं आया।

मैं यह कहना चाहता हूं जज कानसिंह उस केटेगरी के आदमी थे जिस केटेगरी के बारे में हरिशंकर पारसाई ने अभी अभी कहा है, यह न्यायालय का विषय है, he is corrupt and he is partial.

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जजों का अपमान किया जा रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : जजों को भी किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। I have every right to say.

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी को दुबारा बोलने की अनुमति दी गई है। मैंने भी माननीय अध्यक्ष से अनुमति मांगी थी, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलालजी, मैं उपस्थित था। किस आधार पर आपको अनुमति दी जा सकती हैं ......

(व्यवधान)

कृपया, विराजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आसन की ओर से अनुमति दी गई थी, आप निश्चित तौर से प्रोसीडिंग्स मँगाकर देख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति दी गई है जब आपने मांगी थी।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : जब हरिदेवजी जोशी को अनुमति दी गई है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रोसीडिंग्स का मुलाहिजा फर्मा सकते हैं, फिर निश्चित तौर से आप मुझे रोक सकते हैं। जब उनको भी अनुमति दी गई थी तो मुझे भी आपको बोलने का अवसर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, कृपया, बिराजिये। मैं सदन में बैठा हुआ था। आपने माननीय अध्यक्ष से अनुमति मांगी थी, आपको न तो माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दी और.....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप प्रोसीडींग का मुलाहिजा फरमा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैने व्यवस्था दे दी है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उनको दी गई है, आप मुझको अनुमति नहीं दे रहे हैं, मान्यवर.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने आपकी प्रार्थना पर दुबारा विचार कर लिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सभी लोगों को आसन की ओर से अनुमति दी गई है और बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य के नाम का भी रिपोर्ट में उल्लेख है इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया तो यह न्याय नहीं होगा। अतः आसन से प्रार्थना है कि उनको दो मिनट बोलने की अनुमति दे दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्राजी, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दी थी, अधिकारपूर्वक समय मांग रहे थे। वे यदि मुझसे अनुमति मांगते तो मैं विचार करता। उन्होंने तो अधिकार के रूप में कहा है कि माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दी है।

(व्यवधान)

माननीय बजरंगलालजी, दो मिनट बोल सकते हैं।

श्री बजरंगलाल जी शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सुमित्रा जी का आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री मदनसिंह दांता : डाक्टर हरिसिंह ने इन्जक्शन दिया है उसके बाद में—

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जोशीजी यह कहते हैं। एक्सेस नहीं हुई होती तो क्या रतनलालजी वर्मा जैसे लोग माननीय सदस्य बन कर आ सकते थे ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आपकी जितनी जिन्दगी है उससे ज्यादा मेरा सामाजिक जीवन रहा है।

(व्यवधान)

श्री रणजीतसिंह (ग्रोसिया) : आपके खिलाफ तो केसेज बन चुके हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं 56 केसेज को जेब में रखता हूं, सबमें जीता। हूं, आप लोग लोकतन्त्र के हत्यारे हो...

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बजरंगलालजी इस सदन में नहीं आते तो माननीय रतनलालजी भी इस सदन में नहीं आते।

श्री बजरंगलाल शर्मा : दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय जोशी जी ने यह कहा है कि महाराजकुमार एक पर्वर्टेड व्यक्ति थे, पागल थे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि क्या उनकी यह योजना थी कि पागल हो उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाय। सारे पागल व्यक्तियों को सुसाइड कराने की क्या उनकी कोई योजना थी ?

(व्यवधान)

किसी को आपने पागल बता लिया...

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अलवर युवराज को आप पागल बता रहे हैं, सब को आप पागल बता रहे हैं।

श्रीबजरंगलाल शर्मा : सब को आप मजबूर करेंगे कि आत्महत्या करें। मैं इस रिपोर्ट से तीन लाइनें पढ़ना चाहूंगा, अधिक नहीं। पृष्ठ 99 पर, जहां फाइंडिंग्स को कन्कलूड कर रहे हैं :

"एक वाक्य में हमारा निष्कर्ष यह है:- स्थानीय राजनीतिज्ञों की बकझक और सरकार में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा प्रोत्साहित सरकारी अमले द्वारा की गई काटने और डंक मारने की कार्यवाही ने अलवर मे तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी, जिसकी परिणति श्री प्रतापसिंह के आत्म बलिदान में हुई।"

जब मुख्यमन्त्री जानते थे कि प्रतापसिंह पर्वर्टेड थे तब तो उनके साथ ऐसा बर्त्ताव नहीं करना चाहिए। इसलिए यह जानते हुए कि इस स्थिति में है, उनको दंड दिया जाए, उसकी परिणति उनके आत्म बलिदान में हो सकती है, यह जानते हुए उन्होंने हरकत की है तो निश्चित तौर से वे दोषी हैं। उनके मुताबिक इस सीमा तक वे पर्वर्टेड थे। एक बात कहना चाहता हूं। स्थानीय राजनीतिज्ञों की बकझक जहां सारे......

श्री उपाध्यक्ष : आप वापस एक्सप्लेन करने लगे।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। स्थानीय राजनीतिज्ञों में क्या आज के गृह मंत्री नहीं थे ? यदि वह शामिल थे तो पूरे ग्रुप को इन्डिक्ट किया गया है तो सदन के सामने बतायें सरकार का फैसला। स्थानीय राजनीतिज्ञों की बकझक। गृह मंत्री उस समय कांग्रेस में थे, प्रभावशाली नेता थे, सदन के सदस्य थे, तो निश्चित तौर से इस रिपोर्ट के बारे में सही फैसला नहीं ले सके इसलिए सदन

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

में इस बात का फैसला होना चाहिए और बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा महेन्द्र कुमारी की मांग का सिंदूर गया और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जहां प्रतापसिंह का खून बहा ···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : फूल बाग के बाहर अत्याचार और जुल्म हुए। जो महिला सदस्य हैं वे सोचें जिसकी मांग का सिंदूर मिट गया, उजड़ी हुई मांग है, रक्त बहा है, इससे उन महिलाओं की भावनाओं का ताल्लुक है और बूंदी व अलवर के माननीय सदस्य, जहां उनके सुसराल व पीहर थे, को आसन पर बिठायें ताकि तय कर सकें कि रिपोर्ट वाजिब है या गैर वाजिब है, विचार होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। क्या यह एक कांस्प्रेसी का पार्ट नहीं है जो कांग्रेस-आई और जनता सरकार के बीच में है। माननीय भैरोंसिंह शेखावत बावजूद इसके कि राजपूती खून की बात करते हैं, कांग्रेस- आई वालों को बचाने की कोशिश कर रहे है। कोई भी व्यक्ति किसी तानाशाह के इशारे पर भी ऐसी बात नहीं कर सकता····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

27 तारीख को जिस दिन यह आत्महत्या की बात हुई, उस 27 तारीख को सरकार के वकील युवराज ने सारे हथियार सरकार के पास जमा कराए। क्या यह इस बात का इन्डीकेशन नहीं था कि उस आदमी का कानून तोड़ने का इरादा नहीं था? जहां फूल बाग को प्रोटेक्टेड गढ़ी कहा जा रहा है, सारे हथियारों को चलाने के बजाय कलैक्टर के पास जमा करा दिए तो क्या उस व्यक्ति का इरादा कानून से उलझने का था? क्या उनका इरादा गुनाह करने का था?' उस व्यक्ति को मजबूर किया गया कि वह आत्म हत्या करे, अपमान की जिंदगी·····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सदन के सामने तथ्य रखे जायें, उधर बैठी हुई सरकार·····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : ये गलत आरोप लगा रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जो मांग का सिंदूर मिटा है, खून बहा है·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंग लाल जी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सदन की गुप्त राय ली जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए। मुख्य मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कानसिंह आयोग के प्रतिवेदन में भाग लेते हुए माननीय सदस्यों ने इस सारे प्रकरण में जिस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त किया है, मैं उनकी भावनाओं का तो आदर करता हूं कि जिन परिस्थितियों में महाराज कुमार की मृत्यु हुई है, यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार की भावनायें उत्पन्न हों। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस सदन में बहुत कम सदस्य ऐसे होंगे जो महाजकुमार से व्यक्तिशः परिचित थे। उनको राजनीति में लाने का श्रेय, राजनीति में सक्रिय बनाने का श्रेय किसी व्यक्ति को

(54)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया जा सकता है तो माननीय बजरंगलाल जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ही उनको राजनीति में लाया था। इस तरह से सदस्य अनुमान लगा सकते हैं कि उनके और मेरे किस प्रकार के संबंध थे। यह भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि लोक सभा चुनावों में मैंने इस बात की घोषणा की थी कि यदि जनता पार्टी का शासन आता है तो इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी की जाएगी। जब जनता पार्टी का शासन आया, जांच आयोग की नियुक्ति की गई और उसका प्रतिवेदन हमारे सामने है।

उपाध्यक्षजी, मेरा विश्वास है आपका और सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों जिन्होंने इस चर्चा में भाग नहीं लिया, बल्कि चर्चा को सुना है, का एक मानस निश्चित रूप से बना होगा कि मामला बड़ा विवादास्पद है। आपने देखा डाक्टर हरिसिंह कुछ बोल रहे हैं और उनके एक बिल्कुल अनन्य मित्र बजरंग लाल जी, मैं आज भी कहता हूं कि सदन ने उनको समझा नहीं है कि वे किसके पक्ष में बोल रहे थे, किसके विपक्ष में बोल रहे थे, भगवान जानता है....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप समझ रहे थे चारों पाइंट्स में रिपीट कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी तरह से जनता पार्टी में कई विधायक हैं जो कहते हैं कि इस संबंध में तुरंत कार्यवाही की जाए, जोशीजी, आदर्श किशोर सक्सेना और रामसिंह का चालान किया जाए तो कई विधायक ऐसे हैं जो सारा प्रतिवेदन देखने के बाद कहते हैं कि इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार की स्थिति कांग्रेस आई की रही, उसी प्रकार की स्थिति जनता-एस की रही है....

कई सदस्य : लोक दल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी प्रकार की स्थिति लोक दल की रही है। मैंने जनता एस इसलिए कहा है कि अभी तक इन्होंने लोक दल के फार्म भी नहीं भरे हैं फार्म छपे ही नहीं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि मुझे खुशी है कि इस प्रतिवेदन पर पार्टी लाइन्स को तोड़कर जिसकी जिस प्रकार की मान्यता थी या जानकारी थी उसके आधार पर उन्होने सदन में अपनी बात रखी।

उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी ने जिस समय यह काल अटेन्शन नोटिस मूव किया गया था उस समय सारी स्थिति स्पष्ट सरकार की क्या होगी वह बता दी थी। और माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी दोनों ही मिले हुए हैं। कांग्रेस आई और जनता पार्टी में दोनों में ही समझौता हुआ है। इसलिए सारी कार्यवाही दूसरी तरह से होनी चाहिये। माननीय सदस्य जो कि अच्छे से अच्छे वकील हैं और मुझे भी इस बात में सन्देह नहीं है कि वह एक अच्छे वकील हैं लेकिन मैं एक बात माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय के मामले बहुत से अगर तय किये जाते हों वह अगर अच्छे हों तो अलग बात है।

(व्यवधान)

आप डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने तो कहा था कि चालान पेश कर दिया जाय फिर बाद में अदालत अपने हिसाब से कार्यवाही करेगी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सिर्फ बहुमत के आधार पर ही क्या हरिदेव जोशी को फांसी लगाना चाहते हैं, आप क्या बहुमत के आधार पर गृह आयुक्त रामसिंह को फांसी लगाना चाहते हैं या बहुमत के आधार पर आप आदर्श किशोर सक्सेना को फांसी लगाना चाहते हैं ? यह आपका निर्णय है क्या ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप साइड ट्रेक क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बीमारी है मैं बोल रहा हूं और आप बीच में बोल रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तो यह कह रहे हैं कि आप मामले को साइड ट्रेक क्यों कर रहे हैं। आप बात को डाइवर्ट मत कीजिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य बजरंगलाल जी से यह भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहा था कि पहले तो मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जी जोशी जी के जेब में थे अब हरिदेव जोशी जी मुख्य मन्त्री जी की जेब में है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि वह हम दोनों की जेब में कब गये ? मेरा उनसे कहना है कि लोगों की जेब में वह गये उसके लिये तो उनको बहुत धन्यवाद लेकिन उनको लोगों की जेब में जाने की आदत नहीं रखनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कानसिंह रिपोर्ट जब आयी तो उस पर सरकार ने अपने स्तर पर विचार किया । लॉ डिपार्टमेन्ट से भी उसका अध्ययन कराया । उपाध्यक्ष महोदय, शाह कमीशन की रिपोर्ट भी भारत सरकार को मिल चुकी है । इसके लिये ऐसा प्रावधान है कि जब कभी कोई सरकार कोई कमीशन बैठाती है तो पहले उस रिपोर्ट जो आती है, को प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेसिंग के लिये अधिकारियों की समिति नियुक्त होती है । इसके लिये भारत सरकार से गाइड लाइन भी आई है । इन गाईड लाईन के अन्दर अधिकारियों की समिति में किस स्तर के अधिकारी होंगे वह होता है । इसी गाइड लाइन के आधार पर राज्य सरकार ने एक व्यक्ति श्री मल्हन की अध्यक्षता में कमेटी बनायी । यह कमेटी आयोग की रिपोर्ट के बाहर के क्षेत्र पर अपनी फाइंडिंग्ज नहीं दे सकती है। उसके फाइंडिंग्ज का क्षेत्र वह रिपोर्ट ही होती है। उस मल्हन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस प्रतिवेदनों को देखा। उसमें लिखा होता है कि सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है और क्या कार्यवाही नहीं कर सकती है । इसमें दो तीन तरह की बातें होती हैं उन सभी में जाने की आवश्यकता नहीं है । हर कमीशन के प्रतिवेदन पर एक कमेटी अपोईन्ट होती है और उस कमेटी के ऊपर और कमेटी नियुक्त की जावे इसकी आवश्यकता नहीं है । श्री बजरंगलाल जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि आई. ए. एस. अधिकारियों की कमेटी एक हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट पर बैठा दी । लेकिन वह बात नहीं है । उसका काम जांच के परिणाम को निकालना नहीं है । इसमें तो यह है कि जो कुछ रिपोर्ट दी उसके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनुसार राज्य सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिये और क्या एक्शन नहीं लेना चाहिये और क्या एक्शन किस किस के खिलाफ में बनता है या किसी के खिलाफ में एक्शन लेने की बात बनती है या नहीं, यह होता है। यहां पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो भी रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर प्रोसेस होकर आयी उसके बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उसमें किसके खिलाफ में क्या एक्शन होना चाहिये और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में किस सीमा तक एक्शन लिया जा सकता है यह स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसलिये हमने वह रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेन्ट में भिजवादी। उसमें समय लगा पर जो लॉ डिपार्टमेन्ट ने अपने व्यूज दिये उससे भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी थी तो हमने अन्त में यह मामला एडवोकेट जनरल को सौंप दिया और उनसे यह अनुरोध किया कि इस रिपोर्ट के अनुसार किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ में क्या क्या एक्शन लिया जाना चाहिये, इस सारी की जानकारी दें। एडवोकेट जनरल ने दिनांक 5 अक्टूबर को यह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भिजवा दी। माननीय सदस्य बजरंगलाल जी से मैंने 6 तारीख को जब स्टेटमेन्ट दिया था तब यह बात कही थी हमारे पास अभी एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट नहीं आई है। यह बात बिलकुल सही है कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ गयी है, इसकी इत्तिला न तो मुझे ही थी न ही गृह मन्त्री जी को थी। एडवोकेट जनरल ने अपना प्रतिवेदन विधि विभाग को भेज दिया था। हमने उसको परसों देखा और फिर हमने यह तय किया था कि हम इस पर विचार करेंगे। इसके लिये हमने एडवोकेट जनरल को बातचीत करने के लिये बुलाया भी था हमने इसको परसों कैबिनेट की मीटिंग में विचार करने के लिये रखा था पर उस पर विचार नहीं कर सके। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि आज अपने भाषण में माननीय सदस्य श्री किशन सिंह जी ने यह कहा था कि हम जो विधान सभा में जीत कर आये हैं वह इस कारण से जीत कर आये हैं कि देश में इमर्जेन्सी के दौरान ज्यादतियां हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इमर्जेन्सी के दौरान ही जो ज्यादतियां हुई हैं इसके परिणामस्वरूप ही ऐसा हुआ, यह बात नहीं है। अगर वह यह बात कहते हैं कि इमर्जेन्सी की ज्यादतियों के कारण ही जनता पार्टी सरकार में आयी तो यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि चुनावों में जनता पार्टी ने इमर्जेन्सी के अन्दर जो ज्यादतियां हुई उसी को मैन मुद्दा बनाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस बात के अन्दर मेरे आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं। यह बात मैं मानकर नहीं चल सकता कि हम इमर्जेन्सी के ज्यादतियों के कारण ही सभी जीत कर आये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : हम तो इसके पहले भी जीत कर आये हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमने मेन मुद्दा इसको बनाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इमरजेन्सी के अन्दर ज्यादतियां हुईं और हमने चुनावों में इसको भी एक मुद्दा बनाया था, यह सभी जानते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसी बात को लेकर चलते हैं तो जो लोग कांग्रेस के जीत कर आये हैं उनके लिए क्या हो सकता है। अगर यह बात मानते हैं कि इमरजेन्सी में अन्याय हुआ और अन्याय की वजह से हम जीत कर आये और कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने कहा कि जनता पार्टी ने इसको मेन मुद्दा बनाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह कह दिया भाई कि जनता पार्टी ने इसको भी एक मुद्दा चुनावों में बनाया था। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अन्याय के परिणामस्वरूप एक दल का शासन ही समाप्त हो गया तो जीत कर जो लोग आये हैं वह मेरे ख्याल से अब अन्याय नहीं करना चाहेंगे। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी है वह तो बचेगा नहीं लेकिन किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने के लिए पहले पूरी कार्यवाही करनी पड़ती है, उसका पता लगाना पड़ता है कि वह दोषी है या नहीं, हम उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर पायेंगे या नहीं। आज मैं आपके कहने से किसी न किसी व्यक्ति का चालान कर दूं यह बात नहीं हो सकती। सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा और खास तौर से श्री हरचन्दसिंह जी को कि बिना किसी केस की पूरी पैरवी किये जो इन्दिरा गांधी को गिरफ्तार करके चालान पेश कर दिया उसकी क्या दशा हुई। उस समय इन्दिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया और उसके एक दिन बाद ही उनको छोड़ देना पड़ा। अगर उस वक्त इंदिरा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो जो आज इन्दिरा गांधी की स्थिति बनी है वह नहीं बनती।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप उस वक्त गिरफ्तार करते जब आपको पब्लिक ने मैन्डेट दिया या उस वक्त करते पहले।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आपको ढाई साल मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बिराजिये? श्योपतसिंह जी। आप मेरी बात समझ सकते हैं और मैं आपकी बात समझ सकता हूं। आप यहां पर दूसरा रूप लेकर बैठे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम यहां पर हिन्दुस्तान में हैं मुख्य मंत्री जी, वोट से जीत-कर आये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वेस्ट बंगाल में जहां ज्योति वसु मुख्य मन्त्री हैं उन्होंने वहां पर इमरजेन्सी में जो ज्यादतियां कीं उसकी रिपोर्ट पर किसी को जेल में तो नहीं डाल दिया। आपने सुना होगा कि नक्सलाइट्स की हत्यायें कर दी गयीं। सिद्धार्थ शंकर रे को आपने वहां पर जेल में तो नही डाल दिया वह तो आज खुले घूम रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें करना उचित

(58)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। श्योपतसिंह जी, हर बात में उत्तेजित होना अच्छी बात नहीं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट आ गयी है और गवर्नमेन्ट उस पर विचार कर रही है। उसमें भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि स्पष्ट नहीं हैं। उनका पहले मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा और उन मुद्दों के स्पष्टीकरण के बाद में यदि कोई कार्यवाही किसी के खिलाफ में करने की आवश्यकता हुई तो मैं कार्यवाही करूंगा इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि इसमें अमुक-अमुक व्यक्ति किस किस हद तक दोषी हैं। तो मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जायगी। इसके साथ दूसरी बात यह भी कहता हूं कि यदि सब लोगों की सारी कार्यवाही से यह परिणाम निकलता है कि कोई दोषी नहीं है तो मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने को भी तैयार नहीं हूं।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इस न्याय और अन्याय का केवल राजनीति के आधार पर ही फैसला करना चाहें, यदि इस प्रकार की व्यवस्था होती तो न्यायालय नहीं होते और हम बहुमत के आधार पर ही फैसला कर लेते। मुझे अपने मानस और जमीर को भी साथ रखना है। मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उनकी मृत्यु के कारण जितनी वेदना मुझे हुई वह और कोई माननीय सदस्य जानते हैं या नहीं लेकिन ठाकुर साहब डिग्गी यहां बैठे हैं मुझे जब सारी जानकारी मिली कि इस तरह से मृत्यु हो गयी तो मुझे आज कहने में संकोच नहीं है कि जेल से पत्र भेज कर मैं बराबर जानकारी लेता रहता था। आखिर दर्द मुझे भी है लेकिन मैं इस दर्द के कारण ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो मेरे लिए दर्द बन कर भविष्य में चलता रहे और इस प्रकार की भी स्थिति नहीं हो।

मैं इस सदन को यह भी विश्वास देना चाहूंगा कि इमरजेन्सी में जो ज्यादतियां की उनका भुगतान तो राजनैतिक रूप से हो गया इन्डीविजुअल केसेस में जैसी जैसी कार्यवाही करने का अवसर आयेगा हम करेंगे। मुझे खुशी है कि आज जिस रूप में चर्चा हुई है राज्य सरकार को इस चर्चा से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पक्ष और विपक्ष, दोनों की बातें राज्य सरकार के सामने आई हम जल्दी ही फैसला कर लेंगे और सदस्यों को जानकारी मिल जायगी कि सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है। बाकी जो इन्डीविजुअल केस में बंदूक चली या नहीं, किस ने मारा, युवरानी जी ने क्या शिकायत की क्या नहीं की, मैं समझता हूं कि उन सब प्रश्नों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी: आपने कहा कि गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी वह जल्दी लेगी। ज्यों ही रिपोर्ट आयेगी डायरेक्टली या इनडाइरेक्टली जो भी रेस्पान्सिबल होगा उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करेगी। सन् 77 में आपका हाउस में दिया हुआ आश्वासन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मेरी समझ में नहीं आता कि जब मैं खुद लड़ा था और फिर भी कहा कि 5 तारीख को एडवोकेट जनरल की ओपीनियन आई है उसके ऊपर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बैठ कर गवर्नमेंट को विचार करने का अभी तक समय नहीं मिला है। तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि तुरन्त नहीं तो जितनी जल्दी होगा, सदन की जानकारी के लिए कह सकता हूं कि एडवोकेट जनरल की जो ओपिनियन है उसको मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कुछ चीजों को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हुआ है इसलिए मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा। यदि मुझे आवश्यकता हुई, कोई सीनियर एडवोकेट की राय लेने की आवश्यकता महसूस करता हूं तो वह भी लूंगा। यह कोई अवोइड करने की गरज से नहीं-बल्कि कार्यवाही ऐसी हो कि जिसकी कोई आलोचना नहीं कर सके। जल्दी से जल्दी मैं इस बात की जानकारी दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर...

श्री किशनसिंह भाटी : जल्दी से जल्दी की परिभाषा बता दें।

श्री मदनसिंह दांता : Are you prepared to take consent of senior advocate ? It will really be scrutinsed what is the matter.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सीनियर एडवोकेट की जरूरत नहीं है मैं तो आपसे भी सलाह लेने को तैयार हूं।

श्री मदनसिंह दांता : मेरी सलाह ली जाती तो इतनी देर ही नहीं लगती। मैं आपको सही कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी भी मैं आपकी सलाह ले लूंगा। आपकी सलाह का कोई मूल्य करता हो या नहीं करता हो लेकिन मैं तो बहुत मूल्य करता हूं। इसमें दो राय नहीं है। मैं किशनसिंह जी से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे एडवोकेट जनरल की ओपीनियन पर ही कोई एक्शन लेना है तो इसी महीने में ले लूंगा और इसके अलावा और भी आगे ओपीनियन लेने की जरूरत पड़ी तो उसमें समय लग सकता है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जानबूझ कर डिले करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन निश्चित तिथि देने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर शासकीय वक्तव्य

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था और श्री गोपतसिंह जी का भी था जिसके बारे में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने एक वक्तव्य देने के लिए कहा था।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जोधपुर नगर परिषद के 112 कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया उसके सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव हमने यहां प्रस्तुत किया था उसका जवाब देने के लिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने पहले 6 तारीख को कहा और फिर कहा कि मैं 8 तारीख को दूगा। आज सदन का आखिरी दिन है। 8 तारीख को क्योंकि श्री जे. पी. के स्वर्गवास के कारण यह सदन नहीं बैठ सका इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री वक्तव्य आज दे दें और उसके बाद विधायी कार्य शुरू हो।

(60)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जब सदन में 8 तारीख को क्या बिजनेस लिया जाये उसके बारे में चर्चा हुई तो सदन ने सहमति प्रकट की कि स्थगन प्रस्ताव नहीं लिये जायें और अन्य विषय भी नहीं लिये जायें, केवल विधायी कार्य और यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिया जाये और उसके अनुरूप ही आज की कार्यसूची बनायी गई थी ।

श्री शंकरलाल : 8 तारीख को जो विषय थे वहीं लिये जायेंगे और 8 तारीख को स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा जवाब देने का था । 112 कर्मचारी जोधपुर नगर परिषद की सेवा से मुक्त कर दिये गये हैं। आपने कहा था कि 8 तारीख को उस पर वक्तव्य दूंगा । 8 तारीख को इन्होंने वक्तव्य देना था लेकिन क्योंकि सदन स्थगित हो गया इसलिए नहीं दे सके । इसलिए 8 तारीख का जो भी बिजनेस था वह आज लिया जाय और उसके संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री जी वक्तव्य दें आज आखिरी दिन भी है फिर आगे समय भी नहीं रहेगा जब मन्त्री महोदय यह वक्तव्य दे सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : शायद 6 तारीख को जब यह सदन उठ रहा था और कार्यवाही स्थगित की गयी थी उसके पहले सदन में यह आम सहमति से तय किया था कि 8 तारीख को क्या बिजनेस लिया जाये और यह व्यवस्था की गयी थी कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी और केवल विधायी कार्य होगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तय हो गया कि यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है यह तो सरकार की तरफ से रिप्लाई हैं । वह विधायी कार्य में आता है कि सरकार उस पर अपना स्टेटमेन्ट दे दें । कोई लम्बी चौड़ी बहस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य . . .

श्री शंकरलाल : वक्तव्य देना चाहते थे और उस समय नहीं दे सके। आज आखिरी दिन है आज नहीं देंगे तो फिर कब देंगे ?

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे विषय भी चर्चा में लिये जाने चाहिए थे । जब 6 तारीख को इसके बारे में सदन में चर्चा हुई तो सदन ने आम सहमति से और एक मत से यह तय किया था कि सदन ने पूर्व में निर्णय लिया बाद में दूसरे निर्णय के द्वारा उसको निरस्त कर दिया है और जो आज की कार्यसूची में है वही लिया जायेगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सदन ने यह निर्णय नहीं लिया था कि पूर्व के प्रश्न नहीं लिये जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले विधायी कार्य हो जाय फिर आप मेरे पास आ जायें, मैं बता दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, विधेयक पर आप पहले कह चुके थे ।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मुझे 26 तारीख के दिन मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो भी आपको आरोप देने हैं वह 15 दिन में पेश कर दें। मैंने उद्योग मंत्री जी के खिलाफ आरोप लगाये थे इसलिए मैं यह सदन की मेज पर रखता हूं ।

(आरोप पत्र सदन की मेज पर रखा गया)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि 8 तारीख को स्कूलों के बारे में कुछ बतायेंगे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मिलने आ जायें, मैं बता दूंगा।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979

परिनियत संकल्प

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी ताकत के साथ विरोध करता हूं और मैं यह समझता हूं कि लोकतंत्र के जितने आदेश हैं उन आदेशों को यह विधेयक निगल जाता है और संविधान की जो मूल भावना है उसको नष्ट करता है। इसके जो कारण लिखे हैं वह कारण इतने हास्यास्पद हैं, उनको मैं पढ़ना चाहता हूं—

"राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 के विद्यमान उपबन्धों के अधीन पंचायत समिति के प्रधान का निर्वाचन, पंचायत समिति क्षेत्रों की पंचायतों के समस्त निर्वाचित और सहयोजित पंचों और ब्लॉक की समस्त ग्राम सभाओं के अध्यक्षों से मिल कर बने निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार किसी जिला परिषद के प्रमुख का निर्वाचन, जिला परिषद के समस्त सदस्यों और जिले की समस्त पंचायतों के सरपंचों तथा सहयोजित सदस्यों और जिले की समस्त पंचायत समितियों के लिये ग्राम सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है। इतना बड़ा निर्वाचकगण होने से प्रधान और प्रमुख का निर्वाचन बड़ा कष्टकर और खर्चीला होता है।

मैंने जब यह पढ़ा, जब यह मालूम हुआ, राज्य सरकार का यह मंत्रि-मण्डल है, इसकी बुद्धि पर आश्चर्य होने लगा। यह रीजन्स उचित लिखे गये हैं? एम० एल० ए० का चुनाव तो और भी खर्चीला है। एम० एल० ए. का चुनाव पंचों, नगरपालिका के मेम्बरों द्वारा ही होना चाहिये। लोक सभा का चुनाव लड़ने का मैं इरादा रखता हूं। यहां देखें कि विधान सभा के जो सदस्य हैं, वही वोट देंगे तो खर्चा बच जायेगा। आपने क्या उद्देश्य रखे हैं?

श्री ईश्वरचन्द्र : आपको कौन वोट देगा?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, इन उद्देश्यों की जो भावनायें हैं यह बिल्कुल लोकतन्त्र के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्या आप जानते हैं कि लोकतन्त्र प्रणाली में चुनाव का महत्व सर्वोपरि है और जब जब मतदातागण उस प्रणाली से चुनाव में भाग लेंगे उस लोकतांत्रिक संस्था के प्रति आस्था जागती है। एक तरफ जनता पार्टी ने नगरपालिका के चुनावों में 18 साल की उम्र वाले को मतदाता बनाया। दूसरी तरफ पंचायत मंत्री यह कानून लाये हैं कि पंचायत समितियों के सरपंच वोट नहीं दे सकेंगे और जो वार्ड पंच हैं वे वोट देने के अधिकारी नहीं हैं। दूसरी बात आपने क्या कह दी कि कोई भी उस ग्राम पंचायत का या उस विकास खण्ड का या पंचायत समिति क्षेत्र का आदमी खड़ा नहीं हो सकेगा। केवल वही खड़ा हो सकता है....

62

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमान्, पंचायत समिति के अन्दर इन्होंने जो चुनाव की प्रणाली बताई है, केवल वही प्रधान हो सकता है.... ....

एक माननीय सदस्य : कोरम कहां हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे भी सम्मिलित कर लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो जनता पार्टी का काम है। कोरम तो होना चाहिये। 113 मेम्बर कहां चले गये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, आपकी चर्चा से शायद सन्तुष्ट नहीं दिखते हैं। आप चर्चा समाप्त करें, सब आ जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आप जो कहते हैं, ठीक है। मुझे सन्तुष्टि होनी चाहिये। दुनिया वाले सन्तुष्ट हों न हों, मुझे परवाह नहीं।

पंचायत समिति के चुनाव के अन्दर कौन खड़ा हो सकता है, प्रधान वही खड़ा हो सकता है जो पंच हो, सरपंच हो। आपने एक करामात की है एम. एल. ए. खड़ा हो सकता है। आपकी पंचायत समिति में 80 हजार की जनता है, जिसमें 40 हजार मतदाता हैं वे सारे मतदाता इस अधिकार से वंचित कर दिये गये हैं। संविधान में पहले हमें अधिकार था कि जो मतदाता है वह चुनाव लड़ सकते हैं। आज इन्होंने कह दिया कि पंच सरपंच चुनाव लड़ सकते हैं एम.एल.ए. और जोड़ दिया। एक तरफ तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। एम. एल. ए. को विधान सभा में आना पड़ता है उसको तो आपने कह दिया कि चुनाव लड़ सकता है। यह सब किस लिये किया गया है ? चुनाव होने के बाद जनता पार्टी के प्रधान और जिला प्रमुख नहीं आ सकते और उस कारण से यह निर्वाचकगण की संख्या कम कर दी। इसलिये किया गया है ताकि चुनाव के अन्दर दूसरा कोई न आ सके और थोड़े से ही लोग चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सकें। इसलिये मैं यह कहना चाहता था कि एक तरफ हमने यह निर्णय लिया कि जो युवक है वह मतदाता बनेगा। "एडल्ट फ्रेन्चाइज इन इण्डिया," उसमें जो उन्होंने दिया है कुछ पढ़ना चाहूंगा—

"The first is the adult sufferage is the only method by which absolute equality of political rights can be secured to every adult citizen. Any form of restricted franchise necessarily infringes the principle of equality between individuals in some degree. The second reason is that adult sufferage is the best means of securing that the legislatures represent the people as a whole. The third reason is that it solves so far as the electoral roll is concerned, the difficult problem of securing the fair representation of all elements of the population, communal and racial, rich and poor, town and country men and women, depressed classes and labour."

(श्री मूलचन्द डागा)

जहां हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निर्वाचक आयें, उन्होंने इसकी संख्या 300, 250 से नीचे घटाकर केवल इने गिने सरपंचों, पंचों तक ला दी। कोआप्टेड मैम्बर्स हैं, एसोसियेटेड मैम्बर्स हैं उनका चुनाव भी 6 दिन के अन्दर कर दिया। 7 दिन में चुनाव किया जायेगा। 7 दिन का नोटिस देने का था उस समय को भी घटा दिया न कोआप्टेड मैम्बर्स आ सकें, न एसोसियेटेड मैम्बर्स आ सकें। और दूसरी क्या बात की? जिला प्रमुखों में एक नई बात की। सरपंच को जो अधिकार था वह भी वंचित कर दिया। जो अधिकार उन्होंने अर्जित कर लिया था वह जिला प्रमुख के चुनाव में हिस्सा लेगा उनको भी डिवार कर दिया। एक बात और नयी कर दी कि जिला प्रमुख शहर का रहने वाला नहीं होगा। एक तरफ अगर एम.एल.ए. शहर का रहने वाला हो, वह तो चुनाव लड़ सकता है लेकिन एम. एल. ए. के अलावा अगर वह शहर का रहने वाला है तो वह आपने डिवार कर दिया। इस प्रकार का कानून, एम. एल. ए. को छूट दी है, यह क्यों किया गया? वह एम. एल. ए. यहां से चला जाय ताकि जो असन्तोष है, भारी असन्तोष है—जनता पार्टी में, वह समाप्त हो जाय। मेरा मानना तो यह है दो-तीन महीने में यह पार्टी टूट जायगी और शासन दूसरों के हाथों में आयेगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सही बात यह है कि चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई है यह सारी लोकतन्त्र के खिलाफ है। इन्होंने किसी रिपोर्ट को माना नहीं- अशोक मेहता की रिपोर्ट को माना नहीं, गिरधारी लाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट को माना नहीं। मैं इसके पेज 25 पर जो लिखा है, उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

"The Up-Sarpanch may also be elected as at present by members of the Gram Panchayat. In case of Pradhan, he is at present elected by specified members of the Panchayat Samiti, specified Panchas of the constituent Panchayats and Presidents of all the Gram Sabhas of the Gramdani villages in the block.

एक तरफ तो यह है ......

श्री दिग्विजयसिंह : आगे भी पढ़ लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने यहां तक कहा है, इस प्रकार पंचायत समिति और जिला परिषद् के मैम्बर होंगे -

"This amendment in the original provisions of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 was made to make the electoral College of the Pradhan more broadbased, with majority of the members of Panchayat Samiti under the new pattern now to be directly elected, we are of the view that Pradhan may now be elected only by the voting members of the Panchayat Samity from amongst themselves."

(64)

(श्री मूलचन्द डागा)

उन्होंने कहा है चुनिन्दा लोग आयेंगे और वे सब मिलकर पंचायत समिति के प्रधान को चुनेंगे·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह घंटी बजाने का अधिकार तो आपको है लेकिन इस प्रकार का कानून आपके राज्य में पास हो जाय तो वह काला कानून होगा, राजस्थान की तीन करोड़ जनता को परेशान करेगा और इस मंत्रिमण्डल के सदस्यों को दुनिया इस नजर से देखेगी कि लोकतन्त्र की हत्या करने के लिये यह कानून बनाया है। जो थोड़े से लोग होंगे वे चुनाव करवायेंगे तो मैं कहना चाहूंगा, यह लोकतन्त्र की भावना के खिलाफ है। जब कभी माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे तो उस समय भी मैं अपना उत्तर दूंगा। उन्हें मेरी बात माननी चाहिये अन्यथा मैं इस काले कानून की भर्त्सना करता हूं। मेरा निवेदन है कि मेरे संकल्प को पारित करवायें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यादेश की जरूरत नहीं रही है, मध्यावधि चुनाव होंगे–आप जिसको लाना चाहते हैं, कमेटी में बठा दीजिये लेकिन इस प्रकार का काला कानून मत लाइये ताकि सारे लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाय। मेरा कहना है यह गलत कानून है ।

श्री उपाध्यक्ष श्री: राम कृष्ण दास गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री मंजूर अली।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित)

श्री केदार नाथ।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 जून 1979 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत सामति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1979) को अस्वीकार करता है।

माननीय उपाध्यक्षजी जो, यह अध्यादेश राज्य सरकार ने पंचायत समिति और जिला परिषद का इलेक्टोरल कॉलेज था, उसकी लिमिट करने के बारे में जारी करवाया है। मेरा संकल्प है, इसको अस्वीकार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, पहले इस बारे में राज्य सरकार ने एक पंचायती राज संस्था को किस तरह सशक्त बनाया जाय और किस प्रकार गांवों का विकास किया जाय उसके लिये एक समिति का गठन किया था। राज्य सरकार से पहले भी पंचायतों के चुनाव हुए तब भी हमने प्रश्न किया था कि समिति की रिपोर्ट पर पूरा विचार करने का अवसर दें । नरेन्द्रपालसिंहजी की अध्यक्षता में भी एक पार्टी का गठन किया था लेकिन आपकी पार्टी की मीटिंग में घंटे दो घंटे की चर्चा के बाद में यह प्रस्ताव आया था कि एक समिति का गठन किया जाय परन्तु

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अफसोस है उस समिति की रिपोर्ट नहीं आई और राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। उसका आम जनता में, जनता पार्टी के सदस्यों में और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से सब तरफ से विरोध हुआ है इसी वजह से हाई कोर्ट में रिट हुई - यहां भी हुई और जोधपुर में भी हुई और जो इस अध्यादेश के जरिये चुनाव होने वाला था, उसमें राज्य सरकार ने निर्णय लिया हालांकि रिट होने की वजह से चुनाव कराने का निर्णय नहीं लिया क्योंकि हाई कोर्ट द्वारा कोई स्टे भी इसमें नहीं दिया गया था लेकिन राज्य सरकार के प्रेशर से इलेक्शन कराने का जो प्रोग्राम था, वह भी राज्य सरकार को केन्सिल करना पड़ा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पंचायत मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो आर्डिनेन्स निकाला था, उसका मकसद क्या था? आज यह सत्र विधान सभा का चल रहा है जब आर्डिनेन्स जारी किया गया था, उस समय विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था परन्तु जो रीजन्स आपने दिये हैं और जिस मकसद से अध्यादेश जारी किया और जो राज्य सरकार का चुनाव कराने का मकसद था वह डिफीट हो गया। पब्लिक ओपीनियन और आपकी पार्टी के सदस्यों की तरफ से जो विरोध प्रकट किया गया था उससे राज्य सरकार झुक गई और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नहीं करा पाई। आज केवल पंचायतें ही कार्य कर रही हैं। आप यह आर्डिनेन्स निकाल कर किसी तरह चुनाव करा लेते यह तो आपकी इच्छा थी लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन हो जाता उसके लिए हम धन्यवाद देते लेकिन अध्यादेश जारी करके गवर्नर की जो एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर है, उसका आपने अवश्य दुरुपयोग किया है। जो रीजन्स आपने बताये थे, उनकी पालना नहीं की इसलिये हमने यह संकल्प रखा है, आज इस आर्डिनेन्स को अस्वीकार कर दें, इसको प्रेस्टिज पाइंट नहीं बनायें अत: इस आर्डिनेंस को कानून नहीं बनने दें और लैप्स होने दें। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि हम कन्सोलिडिटेड बिल लाना चाहते हैं कि पंचायत समितियों को किस तरह पावर्स दी जायं और जिला परिषदों को किस तरह पावर्स दी जाय, थ्री-टायर सिस्टम रखा जाय या टू टायर सिस्टम रखा जाय, इस सम्बन्ध में सारे हिन्दुस्तान का पंचायती राज संस्थाओं की कमेटी ने दौरा किया। आप, पंचायत मंत्री जी, उसके सदस्य हैं— भिन्न-भिन्न स्टेट्स में जाकर आपने अध्ययन किया था, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में आप भी गये थे....

श्री दिग्विजय सिंह : मैं नहीं था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप नहीं दूसरे सदस्य होंगे। आपने भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट को पढ़ा होगा, कितना खर्चा किया होगा। सदन के सामने रिपोर्ट नहीं आई है। दो दिन की बहस के बाद कन्सोलिडेटेड रूप में बिल लाते तो हमको खुशी होती लेकिन आपने तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने कहा, दूसरे राज्यों के अनुभव के आधार पर कानून बनाया जाय, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है किन्तु आपने उस पर कोई विचार नहीं किया। आप लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं कि हमने लोकतन्त्र को पुनर्जीवित किया है

(66)

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

लेकिन आप तो इस आर्डिनेन्स के बाद दूसरा कोई और आर्डिनेन्स भी ला रहे हैं—इसके लिये समय न देकर एक टाइम लिमिट में कानून पास करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी की उदारता के कारण, जो हमने रिक्वेस्ट की थी, उसके कारण हमें ज्यादा समय विचार करने का दिया गया है लेकिन मेरा निवेदन है कि इस प्रकार पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में कानून बनाना अच्छा नहीं होगा। अगर आर्डिनेन्स जारी करते और दूसरे जो प्रावधान थे व्यास कमेटी की जो इम्पार्टेन्ट रिकमन्डेशन्स थीं, उनके आधार पर बिल बनाते तो हम आपको धन्यवाद देते परन्तु आपने उस बारे में भी कुछ नहीं किया। आपने सरसरी तौर से जो मुद्दे थे, जो इतना बड़ा पहले इलेक्टोरल रोल था, खर्चे के नाम पर पंचायत समिति के प्रधानों और प्रमुखों के इलेक्शन अभी तक नहीं कराये। इसलिए कि इलेक्शन में इतना बड़ा भारी खर्चा होता है। खर्चा तो मिड टर्म पोल होगा तो उसमें भी होगा। इसको अवोइड नहीं कर सकते। लोकतन्त्र में तो इलेक्शन होंगे ही। इलेक्शन्स परमानेंट फीचर बन गए हैं। आप पंचायत समितियों के चुनाव नहीं करा रहे हैं। अकाल के नाम पर नहीं करा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं। अकाल राहत के कार्य उनसे करायेंगे। काम के बदले अनाज योजना का काम पंचायतों को दे दिया है। आपने कुछ पैसों की घोषणा की लेकिन आज आपने पंचायतों को पंगु बना दिया है। पंचायतों की जिन्दगी को खतम कर दिया है, सरपंचों को अफसरों का गुलाम बना दिया है। ग्राम सेवकों का गुलाम बना दिया है। सरपंच उनके हाथ जोड़े जोड़े फिर रहे हैं क्योंकि पंचायत समितियां और जिला परिषदें नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स रखे हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं हैं और आपने जिस आधार पर आर्डिनेन्स जारी किया उस आधार पर आर्डिनेन्स काम में नहीं लिया। अब आप प्रेस कर रहे हैं इसको पास कराने के लिए। इस आर्डिनेन्स को पास कराने के लिए सिर्फ चार प्रावधान रख कर क्यों प्रेस्टिज इश्यू बना रहे हैं, क्यों बदनामी मोल लेना चाहते हैं लोकतन्त्र में? अब आप मिड टर्म पोल की वजह से इलेक्शन करवाने नहीं जा रहे हैं। जिस मकसद से आपने आर्डिनेन्स जारी किया था, मैं समझता हूं कि अब आप पंचायत समितियों के चुनाव नहीं करा रहे हैं, और जो खर्चे की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है तो फिर आप किस बात को लेकर, क्यों कानून पास करा रहे हैं इस आर्डिनेंस का? यह वार्ड पंचों का जो ब्राड बेस्ड इलेक्ट्रोरल रोल था उसको क्यों कम करने जा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा मतों से कोई प्रधान बनता है तो वह ज्यादा अच्छा बनेगा। आप लिमिटेड इलेक्टोरल रोल रख कर सिर्फ सरपंचों के आधार पर प्रधान बनाना चाहते हैं तो वह अच्छा नहीं होगा। उपाध्यक्षजी पार्टी के आधार पर सरपंचों को लेकर अगर आप यह समझते हों कि हमारे प्रधान आ जायेंगे तो आपके इस मकसद की पूर्ति भी नहीं होगी। वह प्रधान अच्छे प्रधान और अच्छे प्रमुख नहीं आयेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि यह जो आर्डिनेन्स आपने रखा है उसके लिए

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हमने जो संकल्प रखा है उसको आप स्वीकार करें और सरकार खुद इसको स्वीकार करके घोषणा कर दे कि हम इसको विथ्ड्रा करते हैं या सदन इसको अस्वीकार कर दे। क्योंकि आपके ही श्री नरेन्द्रपाल सिंह जी चौधरी, जो यहां पर मौजूद नहीं हैं, भी खिलाफ हैं। उनका कहना है कि कमेटी बना कर रख दें, आपने उनकी भी परवाह नहीं की, उनकी रिपोर्ट आने के पहले ही आर्डिनेन्स निकाल दिया, यह क्या मखौल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आपने जिस मंशा से, जिन कारणों से यह आर्डिनेंस जारी किया था, आपकी जो मंशा थी उसकी पूर्ति हुई नहीं है और आपने गवर्नर को टार्गेट बना कर फालतू ही आर्डिनेंस जारी करवा दिया यह बिल्कुल, उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी परम्परा नहीं है। आपका यह दूसरा सत्र आ गया है लेकिन उसके बाद आर्डिनेंस जारी करने के बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं इसलिए मैं समझता हूं कि जो प्रिंसिपल था आर्डिनेंस जारी करने का, वह डिफीट हो गया है। गवर्नर को जो रीजन दिए थे वें गलत साबित हुए हैं। माननीय मंत्रीजी के हाथ में कुछ नहीं है, जो मुख्य मंत्रीजी कहेंगे वहीं करेंगे आपका जो निर्णय था उसके अनुसार इलेक्शन नहीं करा पाये हैं। आप नियर फ्यूचर में भी कराने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपके जरिये यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप इसको विथ्ड्रा कर लीजिए और इस आर्डिनेंस को लेप्स होने दें और इसको प्रेस नहीं करते हुए और अच्छा कानून लाइयेगा अशोक मेहता कमेटी, सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट हैं, ये तो आपकी ही पार्टी के हैं, फिर गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिकमण्डेशन थीं, उनके आधार पर कुछ न कुछ प्रावधान डालते और अच्छा कानून बनाते तो आपका नाम रहता कि आपने एक अच्छा कानून दिया। लेकिन आप आर्डीनेंस के जरिये से कुछ लिमिटेड आदमियों का इलेक्टोरोल रखना चाहते हैं …

श्री भैरोंसिह शेखावत : रिपीट क्यों कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको मान लीजिए और प्रेस नहीं करके यह जो बिल लाये हैं इसको पास कराने की जरूरत नहीं है। जो आपने रीजन्स दिये थे क्या उनको आपने पूरा किया है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा !

श्री खेतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर

श्री परसराम मदेरणा : पहले श्री श्योपत सिंह जी का नाम है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं लघु शंका करके गया था।

उपाध्यक्ष मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 जून 1979 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1979) को अस्वीकार करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस

(68)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

बिल के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण की कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगा :—

"इतना बड़ा निर्वाचकगण होने से प्रधान और प्रमुख का निर्वाचन बड़ा कष्टकर और खर्चीला होता है। निर्वाचन का खर्च कम करने और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से और प्रधान प्रमुख को उस निकाय के प्रति प्रत्यक्ष रूप से अधिक उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से..."

यह क्या ? किस तरफ यह इंगित करता है ? एक तानाशाही की तरह के कदमों की तरफ इशारा है। हमारी सरकार जो प्रजातंत्र की बात करती है, वह इस चुनाव व्यवस्था को बड़ा खर्चीला बताती है। सारे तानाशाह, दुनियां के सारे तानशाह भी यही बात करते हैं कि प्रजातंत्र में बड़ा खर्चा होता है, इसमें वोटों की क्या जरूरत है ? यह तानाशाही तरफ जनता पार्टी के एक कदम का भी द्योतक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैंने जब चुनाव हुये थे एक सुझाव दिया था कि आप चुनाव करवा रहे हैं, इस चुनाव से पहले आप सरल प्रक्रिया अपनाइये। सरपंच के जहां वोट पड़ें वहीं पर प्रधान और और प्रमुख के उसी ढोलकी में वोट पड़ जाय तो ज्यादा खर्चा नहीं होता और जन प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलता पर यह नहीं माना। आपने सरपंचों पर आधार रखा है। और सरपंचों की बात तो बाद में है, विधान सभा के लिए हरियाणा में आपने एक अच्छी परम्परा डाल दी कि वहां के विधायकों को भारत दर्शन करवाया। तो अब आप सरपंचों को भारत दर्शन करवायेंगे। इस चुनाव से हमने यह देखा है कि पहले सरपंचों की व्यवस्था थी। यह नई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के शासन में सरपंच प्रधान का चुनाव करते थे। उसके बाद में पंचों और सरपंचों दोनों को मिला कर चुनाव होने लगे। तो वह कुछ थोड़ा व्यावहारिक बना। उसमें किसी पैसे वाले की हिम्मत नहीं होती थी, कुछ पापुलर लोग आने की कोशिश किया करते थे। अब पोपुलर लोग नहीं आयेंगे, जन सेवक नहीं आयेंगे मगर यह बात जरूर है कि जो भारत दर्शन करा सके बस तीस सरपंचों को वह जीत जाएगा बड़े आराम से। तो उल्टे जनतंत्र को आपने और संकुचित किया है और तानाशाही की तरफ आपका कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समझदारी इसी बात में है कि जैसा आपने इसके उद्देश्यों के विवरण में लिखा है कि खर्चा ज्यादा होगा तो आपको चुनाव ही नहीं कराने चाहिये। अगर आपको खर्चे का डर है तो इससे पहले आपने दो साल तक इन्तजार क्यों किया ? डेढ़ साल तक आप कहते रहे कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट आएगी। मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगर आपको इसी तरह का फैसला लेना था महरबानी करके तो इतना सारा गुनाह और बेलज्जत क्यों। गुनाह भी किया और लुफ्त भी नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि आपने प्रधानों के चुनाव नहीं कराये, प्रमुखों के चुनाव नहीं कराए और पंचायतों के लंगड़े चुनाव कराए जिसको ढाई साल गुजर गए। अभी कितना समय गुजरेगा। आज तक चुनाव से पहले ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहें तो करा दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम वैलकम करेंगे आप करवाइये लेकिन हमको अच्छी तरह से पता है कि आप नहीं करायेंगे, हमको मालूम है। आपने जो पहले बड़ी बड़ी बातें कही कि हम 13 साल बाद चुनाव करवा रहे हैं, उसके लिए हमने आपको शाबासी दी। मगर आपने शाबासी लेकर सारी की सारी बिगाड़ दी। आपने 13 साल बाद चुनाव कराये यह आपका इतिहास में नाम रहेगा तो साथ ही तीन चार साल बाद में प्रधान और प्रमुखों के चुनाव करवाए यह भी नाम रहेगा। ये लंगड़े चुनाव कराए। अभी तक प्रधान और प्रमुख के चुनाव नहीं कराने से पंचायतों के चुनाव का महत्व नहीं रहा। आज बी.डी. ओ और ए. डी. ओज के हाथ में, नौकरशाही के हाथ में ताकत दे दी। वह जो नौजवान खून आया था पंचायत में····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नब्बे फीसदी नौजवान आया था, आपने उसके हौसले पस्त कर दिये। उनके जज्बात थे कि हम कुछ काम करेंगे; वे जज्बात दब गये। उनके ये जज्बात थे कि पंचायतों के द्वारा वे ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक निर्माण कार्य करेंगे, वे पंचायतों के द्वारा ज्यादा निर्माण कार्यों में हिस्सा लेंगे, आपने उनके ये जज्बात कुचल दिये। तीन तीन साल तक सरपंच आवारा घूमते रहे इस तरह के हालात के अन्दर आपने यह धारा जोड़ दी है। बेहतर यह होगा कि आप मेहरबानी करके आगे के लिए इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि पचायत के चुनावों के साथ साथ सरपंच का चुनाव हो, उसके साथ ही प्रधान का चुनाव हो, और उसके साथ ही प्रमुख का चुनाव हो जिस तरह पंचायत का चुनाव बंगाल में किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को याद दिलाऊंगा कि बंगाल के अन्दर पंचायतों के साथ ही दूसरे सारे चुनाव हो जाते हैं। प्रमुख और प्रधान के चुनाव साथ ही हो जाते हैं। तो जनतांत्रिक तरीका है। आप हम को कहते हैं प्रजातन्त्र में विश्वास रखो। तो आपका क्या यह तरीका है विश्वास रखने का ? परन्तु आप प्रजातंत्र में विश्वास नही रखते है इसलिए जनता पार्टी इस प्रजातंत्र से भाग रही है। इन्ही शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय भले आदमी हैं। यह हमारी धारणा है, जनता पार्टी आपके हाथ से यह काम कराना चाहती है इसमें आप शामिल न हों और हिम्मत के साथ पार्टी से कहें कि यह जो बिल आया है, उसको वापस लिया जाए, या जो प्रस्ताव आया है निरस्त करने का, उसको आप मान लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो परिनियत संकल्प अभी यहां पर प्रस्तुत हुआ है पाली से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा, उसका मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के जो कारण दिये गये हैं, जो दलीलें दी गई हैं, वे लचर दलीलें हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि येन केन प्रकारेण इस पंचायती राज को पंगु बनाने के लिए हम यह बिल पास कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में देश में चर्चा होती थी कि हम ने यहां पर लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण स्थापित किया है, उसमें जिस प्रकार का प्रावधान आज आप करने जा रहे हैं, उससे वह पंगु होगा। पंचायती राज की स्थापना 1959 में हुई थी उसमें इसी प्रकार का प्रावधान था। फिर मेहता

(श्री परसराम मदेरणा)

कमेटी की रिपोर्ट आई और श्री टायर का गठन किया गया । इस गठन के बाद सादिक अली कमेटी बैठी । सादिक अली कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया कि निर्वाचक मंडल बड़ा होना चाहिये ताकि ये संस्थाएं प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा लोगों का कर सकें और वे अपने मत का उपयोग कर सकें। इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, दो कमेटियां और बनीं - एक व्यास कमेटी और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर अशोक मेहता कमेटी । इस कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें की हैं । हम यह सोच रहे थे पंचायती राज के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री इन पंचायतों को सुदृढ़ करना चाहते हैं । परन्तु यह कोई एक्सपेरीमेन्ट नहीं है । यह जो आपने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार तत्पर है और हमारे ऊपर इस सम्बन्ध में नाना प्रकार के आरोप लगाये गये थे, परन्तु उसके बाद यह जो बिल सामने आया है, इससे साफ है कि आप निर्वाचक मंडल को सीमित करना चाहते हैं। इसने हमारे व्यापक मताधिकार को संकुचित किया है छोटे से लोगों का निर्वाचक मंडल बना कर । अध्यादेश में तीन दलीलें दी गई हैं, उपाध्यक्ष महोदय । पहली दलील यह है :

"Such a large electoral college makes election of a Pradhan and Pramukh ...."

लोक सभा भंग हो गई । इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसका 10 करोड़ का खर्च आएगा । जनता पार्टी ने यह मुद्दा बनाया है । इस सरकार ने 100 करोड़ का खर्चा कर दिया जो नहीं करना चाहिये था। ऐसा एक वक्तव्य हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दिया है । यह तीन दिन पहले दिया था । लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो चुनाव पांच साल में कराना होगा, कभी चार साल में और इसके खर्च को बर्दाश्त करने के लिए हमारे कन्सोलिडेटेड फंड पर भार पड़ता है तो सहन करना होगा । परन्तु इसके मुकाबले आप पंचायती राज संस्थाओं पर खर्च करने से रोक लगाएंगे, और रोक लगाने की वजह से आप उनके निर्वाचन मंडल को छोटा करेंगे तो समाज के अंदर एक टेन्शन आएगा । इससे लोगों को निराशा होगी और उस निराशा के क्या परिणाम, क्या परिणति होगी, इसका हम स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं । इसलिए यह जो दलील है,वह लचर है। दूसरी दलील इन्होंने यह दी है "With a view to reducing the expenses of election and making its process easy ..." इसको आपने ईजी बना दिया है । इसका मतलब यह है कि प्रधान के इलेक्टरोल कालेज को छोटा बना दिया है । इससे खर्चा कम होगा उम्मीदवार का, पालिटिकल पार्टी का, प्रधान और प्रमुख के पदों के उम्मीदवारों का खर्चा कम होगा । यह तो घड़ियाली आंसू है । सरपंच का चुनाव होता है, तो पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में जो टोटल मतदाता है, वह करते है । किसी पंचायत में 400, 500 पंच होते हैं और कोई बड़ी पंचायत हो जैसे रायसिंह नगर, ओसियां, तो वहां पर 600 पंच भी हो सकते हैं । तो 600 पंचों का निर्वाचन मंडल इतना बड़ा निर्वाचन मण्डल नहीं है । इसलिए मेरा अनुभव है, उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान के चुनाव में यह जो बैक गीयर में गाड़ी चल रही हैं उससे भारत

(श्री **परसराम** मदेरणा)

भ्रमण की संभावना अधिक बढ़ेगी। थोड़े से आदमियों को इकट्ठा कर लिया और वह रावत भाटा चला जाएगा या और अन्य स्थान को चला जायगा। इस नए प्रावधान से यह ले जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जायगी। यह जो संभावना बढ़ेगी, यह ठीक नहीं है, यह खतरनाक इरादा है...

श्री भैरोंसिह शेखावत : भारत भ्रमण कराएंगे क्या यह बुरा है? आपका सरपंच पर अविश्वास है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह हरियाणा से शुरू हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : मन्त्री ऐसे हो सकते हैं तो सरपंच भी ऐसे हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसमें तो माथुर साहब एक्सपर्ट हैं।

एक माननीय सदस्य : माथुर साहब भी जानते हैं और आप भी जानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक दलील और दी है, टाइम कन्ज्यूम की। यह तीसरी दलील इस प्रकार की हैं, पूरे प्रोसेस के अन्दर पहले 60 दिन लगते थे, इससे कम समय में आप इन चुनावों को कराना चाहते हैं। तो यह बहुत बड़ा षडयन्त्र है। इस प्रकार का प्रावधान लाया गया है, पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव का पूरा समय न देकर प्रेस्क्राइब्ड समय में कराना चाहते है। मैंने इस सम्बन्ध मे रूल्स को नहीं देखा है। कितने दिन का समय देना चाहिए यह भी हमारे उधर कहावत है, उपाध्यक्ष, कुल्लड़ में गुड़ फोड़ने का षड़यंत्र की रहे हैं। किसी भी लोकतंत्रीय सरकार के लिये शोभाजनक बात नहीं है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा आप कोई भी आर्डिनेंस लेजिस्लेटिव पावर से इन्वोक करना चाहते हैं आर्टिकल 213 के नीचे गर्वनर से, यह कह कर, कि ऐसे हालात, सरकम्स्टांसेज हैं, इमिजिएटली एक्शन लेना जरूरी है इसलिए जो लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस गवर्नमेंट को दे रखी है विधान में उसका इस्तेमाल किया जाय आपने उनसे इन्वोक करवा दिया। उसके बाद कई महीने निकल गये, और आज आप इसे पारित कराने की सोच रहे हैं। इस बीच कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सके। एक दफा, मुझे मालूम है मैडिकल बिल्स के संबंध में कोई रूल्स नहीं बने थे, इस सदन में कोई रूल्स ले नहीं हुए थे और कुछ कार्यवाही नहीं हुई थी जिस पर एक घंटे तक आपने अटेक किया था। वह तो ठीक है हमारे जैसे लोगों ने सहन किया नहीं तो आप खड़े होकर जिस धारा प्रवाह लहजे में बोलते हैं, उस समय आपने पूरी सरकार की हजामत बनाई थी, आज आपकी हजामत बनानी चाहिये। आपने सबसे पहले हमको 4 तारीख को यह कहा कि हाउस चलेगा। फिर 9 तारीख को सदन एडजोर्न हो चुका उस समय, 9 तारीख से लेकर आज 10 अक्टूबर तक इस सदन में आपने कुछ भी कार्यवाही नहीं की है। सिर्फ एक कार्यवाही की है कि कि हाई कोर्ट में एक रिट हो गई इसलिए हम तो इस चुनाव को नहीं करवा सकते। इसलिए अन्त में मैं तो यही निवदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की जिन भावनाओं से संस्थाओं को बनाया गया था, गठित किया

(श्री परसराम मदेरणा)

गया था उनको पंगु बनाने के लिये आपने येन-केन-प्रकारेण जो लचर दलीलें दी हैं इस आर्डिनेंस को प्रख्यापित करने के लिये वह बिल्कुल कन्विन्सिग तो हैं ही नहीं, मोस्ट अनकन्विन्सिग हैं। इस प्रकार आपने सदन की अवमानना करके हाउस की सावरेनिटी को काफी क्षति पहुंचाई है। यह जो जनता पार्टी का राजस्थान में विभाजन हुआ है इसमें, और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से माननीय सदस्य लोकदल में अभी सम्मिलित हुए हैं, उनको सबसे बड़ा गिला, राजस्थान के मुख्य-मंत्री जी से है तो यह कि आज आप राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर और पंगु बना रहे हैं। इसलिए आप कहते थे कि 30 साल में, 13 साल तो चुनाव ही नहीं कराये। यह 30 साल, 30 साल में तो अब सुनते ही नहीं। तीन महीने बाद ही जनता किस की सुनेगी यह आप इन्तजार रखिये। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आप अपनी पार्टी के लोगों को सुनना नहीं चाहते, बल्कि एक तरफ इसको लाकर के आपने कुछ लोगों का इस तरह का गुट बना कर अपने अपने आदमियों को प्रमुख बनाने..

(व्यवधान)

हमारे तो प्रमुख वगैरह आ जायें और इसी तरह निर्वाचन की क्षमता करने के बारे में है कि राजस्थान की जनता साथ में रहे। लेकिन आपने अशोक मेहता कमेटी के संबंध में यह बात कही थी चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में जब आप वहां पर गये, अशोक मेहता कमेटी ने एक भी लाइन नहीं रखी है कि निर्वाचन मण्डल में क्या सिस्टम रखा जाय टू टायर या थ्री टायर, यह गवर्नमेंन्ट के सोचने की बात है। तो अब डेढ़ साल तक तो चुप रहे, डेढ़ साल के बाद एक दिन सनक आई तुगलक की तरह, रातोंरात -

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस आर्डिनेंस से। हमारे यहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर बैठे हैं उन्होने चेलेन्जपूर्वक कहा था कि यह शरारतपूर्ण प्रावधान है। यह प्रिंसीपली आपने गलत किया है, इन पंचायत राज संस्थाओं को पंगु बनाने के लिये -

श्री रघुनन्दन व्यास : वह स्वयं विराज-मान हैं आप उनके स्पोक्समेन बन रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए, मुख्य-मंत्री जी, जो आप कुछ करने जा रहे हैं, इस देश में और राजस्थान में जो पंचायती राज की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी और कोई भी मुख्य मंत्री राजस्थान के पालियामेंट्री इतिहास में यह अध्याय जोड़ेगा कि इन संस्थाओं को हमेशा के लिये पंगु और कमजोर बनाने वाले राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री शेखावत जी होंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि यह आर्डिनेंस को विथड्रा कर लिया जाय इसी में भलाई है। अभी आप दूसरों का उदाहरण दे रहे थे। यह जो आप कर रहे हैं यह आपकी कार्यवाही जनतंत्रीय प्रणाली को खतम करने वाली है, झकझोरने वाली है और झकझोरने वाली ही नहीं, यह आने वाली पंचायती राज संस्थाओं में कुछ लोग जो विश्वास लेकर चलते थे। उसको खतम करने वाली है। मुख्य मंत्री जी जल्दी-जल्दी सरपंचों का नाम लेते हैं लेकिन आज जिस तरीके से आगे लाना चाहते हैं, यह तो मैं निश्चित तौर से मानता हूं यह साम्यवादी लोग, अच्छी बात,

(श्री परसराम मदेरणा)

भला भी सोचें लेकिन ये चारों तरफ से प्रतिक्रियावादी लोग हैं उनसे बाहर निकलिये । इसलिए मेरी पार्टी इस तरह के काले अध्यादेश को यहां स्वीकार करने में और इस बिल को पारित करने में भागीदार नहीं बन सकती, इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से, जिनमें थोड़ा बहुत भी, जो एक दिन कह रहे थे कि कोई भी सरकार, कि जिन्दा कौमें 5 साल में सरकार बदलती है, इन्तजार नहीं करती। आप इन्तजार थोप कर इसमें भागीदार मत बनिये । इसलिए मैं निश्चिततौर से मानता हूं कि जो प्रक्रिया चुनाव की रखी है उसके पीछे सेकैण्ड मुख्यमंत्री जी हैं, यह सब दिमाग वहीं से चल रहा है जो लोगों के अधिकारों से उनको वंचित करते हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको छीन रहे हैं। अधिकारों को छीनने वाली सरकार हमेशा लोकतंत्र की हत्या करने वाली होती है इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को आप समर्थन मत दीजिये और मैंने जो संकल्प रखा है उसको आप स्वीकार कर लीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 जून, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1979) को अस्वीकार करता है ।

मैं जो सदन में बोल रहा हूं तो मैं विरोधी दल में होने के कारण से नहीं बोल रहा हूं। पंचायत राज अथवा डेमोक्रेटिक डिसेण्ट्रलाइजेशन एवं प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले जितने यहां बैठे हैं, उनको इस प्रजातान्त्रिक संस्था को गैर दलीय बनाकर मजबूत करना चाहिये । मैं इस आर्डिनेंस का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि कुछ सरपंच या कुछ प्रधान किसी एक पार्टी के हो जायेंगे । जिस समय यह कानून बनाया था तो इसलिए नहीं बनाया था कि किसी पार्टी का राज होगा। जब हम किसी कानून को बनाते हैं तो यह बात सही मानें कि उसका लक्ष्य यही होता है कि हमारा प्रजातन्त्र पनपे । लेकिन अगर प्रजातन्त्र जयपुर और दिल्ली के बीच में ही रह जाये तो वह सही मायने में प्रजातन्त्र नहीं रहता। इसी मान्यता को देखते हुए बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट बनी । राजस्थान सरकार और दूसरी मुख्तलिफ सरकारों ने अपने अपने यहां उसे मंजूर किया। किसी ने टू टायर और किसी ने थ्री टायर सिस्टम माना । राजस्थान में पंचायत राज का श्रीगणेश हुआ । उसके बाद एक दूसरी कमेटी बनाई गई । जिसको सादिक अली कमेटी रिपोर्ट कहते हैं । उस रिपोर्ट का भी मैंने अध्ययन किया है। हम पंचायत राज संस्था चलाने में, उसके अधिकार देने में, उसको सक्षम बनाने में सोचते रहे। उसकी प्रणाली ऐसी होनी चाहिये । यह सदन में हम रख रहे हैं । सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट आई तो उस वक्त की सरकार ने इस बात का फैसला किया कि हमारा थ्री टायर सिस्टम होना चाहिये । इसका जो थोड़ा सा कायदा है । अभी इस आर्डिनेंस की बात कही गई है । 20 और 25 सरपंचों से वोट लेकर ही हम प्रधान चुन लें तो यह ठीक नहीं होगा । उसका ज्यादा विस्तार होना चाहिये । यह ओपन होना चाहिये । उस समय हमने यहां एक सलेक्ट कमेटी बनाई

(श्री मथुरादास माथुर)

थी। जब वह बिल आया था हमारे राजस्थान के मौजूदा मुख्य मन्त्री भी उसके सदस्य थे। उस कमेटी की रिपोर्ट आई। राजस्थान पंच और सरपंच मिल कर चुने इस बात का फैसला किया गया। इलेक्टोरल कालेज को ब्राडबेस्ड बनाना चाहिये उस कमेटी की रिपोर्ट आयी। आप तो यह कहते थे कि इलेक्टोरल कालेज को ब्राडबेस्ड बनाना चाहिए। अगर आप डिसेंटिंग नोट की बात करते तो वह नहीं दिया। आज के मुख्य मन्त्री जी इस बात के भागीदार हैं। बाद में जाकर असेम्बली में इलेक्टोरल कालेज का विस्तार होने पर चुनाव हुए, वह होते रहे। उसके बाद में गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट बनी। सरकार उस पर निर्णय नहीं ले सकी तब तक सरकार बदल गई। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी जिस पर सदन में चर्चा हुई। उस पर मुख्य मंत्री ने कहा था कि जो भी निर्णय लेंगे वह माननीय सदस्यों को कान्फीडेंस में लाकर लेंगे। हाउस को कान्फीडेंस में लेकर करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : प्रोसीडिंग में यह लिखा गया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिना कान्फीडेंस में लिये कोई कानून पास नहीं हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके प्रावधान को ताक में रख दिया। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके ऊपर चर्चा हुई। आपने कहा कि हम सदन में फैसला करेंगे। मेहता कमेटी की मुख्तलिफ धाराओं पर चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपने मेहता कमेटी की एक भी धारा को नहीं माना है और आपने यह आर्डिनेंस सामने लाकर रखा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अशोक मेहता कमेटी ने इस बात को लिया गया है या नहीं कि इलेक्टोरल कालेज बड़ा होना चाहिये या छोटा होना चाहिये मुझे पता नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : है, है।

श्री मथुरादास माथुर : वहां से रिप्रेजेण्टेटिव चुनकर जायेंगे। चाहे वह टू टायर सिस्टम हो। जिस तरह से वार्ड का होता सरपंच जानता है....

श्री ओंकारलाल चौहान : वह बड़ा है।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मन्त्री जी इस पर आर्डिनेंस ले आये। उस समय मण्डल कमेटी थी। उसमें से दो आदमी चुनकर जायेंगे। जिस तरह से इस रिपोर्ट में था। इसलिए आपने अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट भी नहीं मानी और यह आर्डिनेंस इश्यू किया है। क्या यह आर्डिनेंस जारी करना ठीक है। माननीय मुख्यमन्त्री ही पहले कहा करते थे कि आर्डिनेंस नहीं होना चाहिये। लेकिन अब अगर उनको कान्सटीपेशन भी हो जाये तो आर्डिनेंस निकलता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि दुर्भाग्य से आज पंचायत राज एक खिलौना बन गया है। चाहे कोई पार्टी हो, मेरा निवेदन है कि जब तक पंचायत राज का समावेश भारत के संविधान में नहीं होगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

(श्री मथुरादास माथुर)

आज भारत के संविधान में असेम्बली और पार्लियामेण्ट के इलेक्शन का प्रोविजन है। इसलिए वह नहीं बदलता है। चाहे इसको खत्म कर दें लेकिन जो इस तरह से खिलवाड़ होता है, वह ठीक नहीं है। इसलिए अशोक मेहता कमेटी ने भी कहा है और हमने भी कहा है कि कान्स्टीट्यूशन में इसका प्रावधान होना चाहिये।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली) : आप उस समय कहां चले गये थे ? इस समय उपदेश दे रहे हैं। आप करवा देते। मैं भी मानता हूं, पार्लियामेण्ट में आना चाहिये। यह सही है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं वयोवृद्ध नेता महोदय से कह रहा हूं ; अशोक मेहता कमेटी में ऐसा निर्णय है। जब यह गया तो हमने यह सोचा कि यह भी करवा लेंगे। एक बार पंचायती राज जगह पा लेगा, फिर मुख्य-मंत्री जी चाहे हमारी मैजोरिटी हो चाहे आपकी मैजोरिटी हो, यह बदल नहीं सकता है। बिना मतलब पंचायत राज का विरोध नहीं करना चाहिए। आज आपके पास बहुमत है। आपका अधिकार है। यह कब तक रखोगे ? यह कब तक रहेगा ? यह खर्चा अगर पंचायत राज और जिला परिषद.........

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

के मातहत नहीं होता है। कल पंचायत आदि के चुनाव हुए। उस समय हम इलेक्शन सिस्टम को बदलने वाले हैं और यह खर्चा नहीं है, यह दलील बेकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ईमानदारी की बात कह रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जैसे कि आप ईमानदार हैं, वैसा आप के साथ बरतना पड़ेगा।

मेरा निवेदन है, इस वक्त मौका था। आप कोआप्टेड इलेक्शन प्रासेस को शुरू कर दें। हमारे यहां जिला परिषद के नीचे पंच और सरपंच होंगे। पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव पंचायत एक्ट के नीचे होते हैं। उस वक्त यह कह देते कि इलेक्टोरल कालेज को हम बढ़ा रहे हैं, आपने चुनाव तो करा दिये और चुनाव कराये जाने के बाद आपकी समझ में आया फोर दी रीजन्स बेस्ट नान टु यू--कोई दलील आपके समझ में आई कि उसको बदलना चाहिए। अब आप यह कह रहे हैं स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में कि इसमें खर्चा अधिक आता है। उस वक्त भी यह कह देते कि इलेक्टरोल कालेज यह होगा तो सबको मालूम हो जाता, हर नागरिक को मालूम हो जाता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता था पंच और सरपंच के लिए। इससे आपने नागरिकों को उसके अधिकारों से डिप्राइव कर दिया है। इसलिए एक दफा जो इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो चुका है उसी को आपको रखना चाहिए। यही बेसिक डेमोक्रेसी का प्रिन्सिपल है। उसको आप बदलते हैं तो यह अनडेमोक्रेटिक है और पंचायत राज के सिद्धांतों के खिलाफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस एक्ट को बनाते वक्त पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव का प्रावधान रख

(श्री मथुरादास माथुर)

दिया, वाकी चीज है, मैं कह सकता हूं कि आपने इसके ऊपर कोई थोट नहीं दिया। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर आपने विचार नहीं किया, विचार किया होता तो आप यह नहीं कहते । कभी आप हरएक पंचायत समिति को पावर देते हैं, कभी जिला परिषद को, इस तरह से आप कौनसी स्कीम आफ थिंग फालो करते है ? आपने चुनाव का सिस्टम बदल दिया जिसकी आम अवाम में चर्चा है और गुस्सा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप सही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जिसकी आप दुहाई देते हैं फिर आप इसकी हत्या क्यों करते है ? आप मसीहा बनते हैं डेमोक्रेसी के। केवल चुनाव में वोट लेने के लिए ही आप डेमोक्रेसी के नाम पर यह करने की कोशिश कर रहे है। मैंने भैरोंसिंह जी को कहा था कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को आप नहीं मानोगे। आप इलेक्टोरल कालेज को नया करने जा रहे हैं कानून बनाकर, मेरा आपसे अन्तिम निवेदन है कि डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स को खिलवाड़ नहीं बनाया जाय । उनके बेसिक प्रिन्सिपल्स को समझकर संविधान में उसका प्रावधान लाने की कोशिश की जाय, उनको सशक्त बनाया जाय तभी आप अपना फर्ज अदा कर सकेंगे वरना ये इन्स्टीट्यूशन्स पंगु बनकर रह जायेंगी और जो भी सरकार आयेगी अपनी मर्जी के मुताबिक बदलेगी, यह खिलवाड़ बन्द होना चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप उसको पढ़ लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ लिया है, माथुर साहब क्या क्या बोले हैं, यह आपने सुन लिया होगा।

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिंह जी इधर होते हैं तो कुछ कहते हैं और उधर होते हैं तो दूसरी बात कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय डागा साहब ने रखा है उस सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं इस सम्बन्ध में खास तौर से यह निवेदन करूंगा, यह कहा गया कि अध्यादेश के द्वारा इलेक्टोरल कालेज को छोटा कर दिया गया है और अध्यादेश जारी होने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए गए और कुछ अधिकार शहरी क्षेत्र वालों को नहीं देंगे जब कि गांव वाले प्रधान या प्रमुख के लिए खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह किसी ने नहीं कहा

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : दूसरा कारण, उपाध्यक्ष महोदय, यह बताया गया कि इलेक्टोरल कॉलेज

(व्यवधान)

पहले ज्यादा था और अब कम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और जिस प्रकार की बात माननीय सदस्यों ने कही, और यह कहा गया कि ग्राम पंचायतों के चुनाव करा दिये गये, और उसके बाद पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये, जब कि उनके चुनाव भी होने चाहिये थे। जैसा कि माननीय सदस्य जानते

(श्री दिग्विजयसिंह)

हैं पंचायत समितियों की मियाद दिसम्बर, 77 तक थी और वह मियाद भी मैं माननीय सदस्यों को पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा कितनी दफा बढ़ाई गई, पहले चुनाव जो हुए पंचायत समितियों के..

श्री मूलचन्द डागा : यह तो पुरानी बात है । नई बात कहिए ।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : आप, डागाजी, सुनिये तो सही ।

श्री मूलचन्द डागा : आप यह बताइये इलेक्टोरल कालेज छोटा क्यों किया, हमको वंचित क्यों किया ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, शायद ये सुनने को तैयार नहीं हैं, जनतन्त्र की दुहाई देने वाले ये जनतन्त्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटा क्यों किया उसी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । सन् 64 में एक्ट में एक संशोधन लाया गया था और उस संशोधन के जरिये यह कहा गया था कि इलक्टोरल कालेज को बड़ा बनाया जाय और उस समय कई माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया था कि बड़ा होगा तो खर्चीला होगा और यह जो संशोधन लाया जा रहा है······

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह किसने कहा है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरे पास प्रोसीडिंग्स मौजूद है, उस वक्त भी

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : Every man grows higher every day. 15 साल पहले की बात है ।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि उस वक्त भी माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया था कि खर्चा ज्यादा होगा और इसलिए यह जो संशोधन लाया जा रहा है वह नहीं लाना चाहिए और जो स्थिति 1959 के एक्ट में थी वह होनी चाहिये । 65 में चुनाव हुए और ब्राडवेस्ड पर चुनाव हुए, और उसके बाद गिरधारी लाल व्यास कमेटी का गठन हुआ । उस कमेटी ने भी इस बात को रिकमण्ड किया कि पहले जो इलक्टोरल कालेज था वह ब्राडवेस्ड था और अब रिकमण्ड किया, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं -

"In case of Pradhan, he is at present elected by specified members of the Panchayat Samiti, specified Panchas of the constituent Panchayats and Presidents of all the Gram Sabhas of the Gramdani village in the block. This amendment in the original provisions of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 was made to make the electoral college of the Pradhan more broadbased with majority of the members of Panchayat Samiti under the new pattern now to be direct

78

(श्री दिग्विजयसिंह)

elected, we are of the view that Pradhan may now be elected only by the voting members of the Panchayat Samiti from amongst themselves."

तो गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने स्वयं ने इस बात को रिकमेंड किया और साथ साथ . .

कई माननीय सदस्य : इसका मतलब अलग अलग हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : ब्राड बेस्ड के लिए गिरधारीलाल व्यास ने कहा है कि जो मेम्बर्स हैं पंचायत समिति के । ये कौन हैं ?

(व्यवधान)

पंचायत समिति के सदस्य सिर्फ संरपंच है और सारा जो ब्राड बेस्ड कालेज है । पहले पंचायत के सरपंच दोनों मिलाकर थे, उन्होंने इस बात को किया है । इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने कहा यह जो अध्यादेश लाए उसके लिए कहा गया कि क्या आवश्यकता थी । इस सदन में जब पंचायतों के चुनाव हुए उसके बाद में कहा गया कि पंचायत समितियों के चुनाव भी हो जाने चाहिये थे । इसी दरमियान 12-12-77 को अशोक मेहता कमेटी गठित की गई तो तय किया गया कि जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हम पंचायत समिति के चुनाव अभी नहीं करायें और उस कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को 21-8-78 को प्राप्त हुई और उस पर राजस्थान असेम्बली में 11-11-78 को बहस की गई । उसके पश्चात उस रिपोर्ट पर भी सेमीनार हुए और आफिसर्स कमेटी में भी विचार हुआ । मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस जो 19 व 20 मई को हुई इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी उपस्थित थे । उन्होंने इस बात का वहां प्रश्न उठाया कि अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट को हम इम्पलीमेंट करने जा रहे हैं और उसमें देर लग सकती है उसे मद्देनजर रखते हुए चुनाव करायें जायं या नहीं । तो यह तय हुआ कि पंचायत समितियों के चुनाव कराए जायं । तत्पश्चात् राज्य सरकार ने यह संशोधन करके अध्यादेश 5 जून को जारी किया ।

उसके बाद इस पर हाई कोर्ट में रिट कर दी गई और रिट में यह बात अवश्य थी कि कोई स्टे आर्डर नहीं मिला हुआ था कि चुनाव नहीं करायें जायं । सरकार की ओर से । रिट कर्त्ता ने कहा कि संभव है कि अगर सरकार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया गया कि वह चुनाव रोके तो हो सकता है कि चुनाव करा दें । तो हमारे सरकारी वकील ने कहा कि अगर आप जल्दी निर्णय कर देंगे तो हमें कोई जल्दी नहीं है कि चुनाव करायें । इसके अंदर समय लगेगा उपाध्यक्षजी, जो पाइंट रिट पेटीशन में उठायें गए थे संविधान की धारा 14 व 213, धारा 14 के अन्तर्गत जो बात कही गई थी फंडामेंटल राइट्स की, उस संबंध में हाई कोर्ट ने उस बात को अस्वीकार कर दिया और 213 वाले पाइंट को भी अस्वीकार कर दिया । जजमेंट 24 सितम्बर को हुआ और रिट अस्वीकार कर दी गई । जो विलंब हुआ है अध्यादेश के बावजूद भी चुनाव न कराने में, उसका कारण यह है कि हाई कोर्ट से जल्दी फैसला हो जाएगा उसके बाद चुनाव करा देंगे । तो मैं समझता

(श्री दिग्विजय सिंह)

हूं कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उस संबंध में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि संकल्प को अस्वीकार किया जाए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अमेंडमेंट के बगैर ही चुनाव करा सकते थे।

श्री मूलचन्द डागा : जो संकल्प पेश करते समय मैंने अपने विचार रखे थे और जो बातें रखी थीं उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। मैंने एक बात यह कही थी कि लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव का महत्व है और सर्वोपरी है। मैंने दूसरी बात यह कही थी कि जितने मतदाता निर्वाचन में ज्यादा होंगे, उतनी ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में आस्था बढ़ेगी और ज्यों ज्यों मतदाता कम कर देंगे, उन संस्थाओं के प्रति लोगों की आस्था कम होगी। लोगों का इन्वाल्वमेंट होना चाहिये। आपने सरपंचों के सिवाय सारे पंचों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। मैंने कहा आप एम.एल.ए. और एम. पी. के चुनाव भी कर दो। माथुर साहब ने इसलिए कहा था कि लोकतंत्र के जो आधार हैं, जो इकाइयां हैं, जो मूल आधार हैं जिस पर लोकतंत्र खड़ा है, आप उन्हें उनके अधिकारों से वंचित मत करो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्षजी, आप घंटी बजायेंगे तो ये लोकतंत्र की घंटी बजा देंगे, लोकतंत्र बुझ जाएगा, नाम हमारा बदनाम हो जाएगा। ग्राम के लोग इस बात को सुनेंगे। यह तो कह देना चाहिये था कि हमारा तरीका यह होगा। अशोक मेहता कमेटी पर डिस्कशन किया उसके बाद मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस सत्र के बाद सदन के सामने रखेंगे और सदन की जैसी राय होगी उसके आधार पर चुनाव करायेंगे। इधर गिरधारीलाल व्यास की रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि इस प्रकार चुनाव कराने चाहिए, पेज 149 पर है। वह भी नहीं मानी। नहीं मानी तो कोई बात नहीं। मैं अपनी आवाज को कह देना चाहता हूं। पंचायत मंत्रीजी, आपको सिद्धांतों पर मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिये। यह आदर्श का सवाल है। लोकतंत्र की मर्यादाओं का सवाल है। हम जानते हैं कि आपको कोई बुद्धि नहीं है, आपकी बुद्धि को लकवा मार गया है, उसको बार बार जगाना होगा। यस में यस मिला देते हो, जनता पार्टी में इस पर कभी विचार नहीं हुआ।

श्री मदनसिंह दांता : आप थोड़े वर्षों में देख लेना, सरपंच ग्राम सेवकों के घर वोट मांगने जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है। आपको काम जल्दी कराना है लेकिन 80 प्रतिशत जनता गावों में रहती है उनकी आवाज को बुलन्द करना हमारा परम कर्तव्य है, यह धर्म है, धर्म के नाम पर सरकार का अधर्म है।

श्री माधोसिंह कछवाह : डागाजी, ज्यादा बोलेंगे तो आपकी बुद्धि को लकवा मार जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी समझ का परिचय मिल गया।

(व्यवधान)

(80)

श्री माधोसिंह कछवाह : आप जब नगरपालिका के अध्यक्ष थे उस समय भी आपको लकवा मार गया था, आपके कारनामे क्या थे ?

श्री मूलचन्द डागा : क्या बात कही है? मैंने 15 साल म्युनिसिपैलिटी में काम किया है। नगर जानता है कि हमारा कैसा काम रहा है। वहां का एक एक चप्पा बोलता है। अगर आप पंचायत के ढांचे को मानते हैं तो फिर आप जो गिरधारीलाल व्यास ने रिपोर्ट दी है उसको बेस मान कर चलो और जो रिपोर्ट इस पर दी गयी है उसको बेस मान कर चलो। अगर आप इसको नहीं मानते है तो मैंने आप पर जो चार्ज लगाया था कि जनता पार्टी की सरकार अपनी पार्टी के प्रमुख और प्रधान लाने के लिये ही इस प्रकार का संशोधन राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद बिल में ला रही है। आपने तो इसमें थोड़े से लोगों को ही लिया है। इसमें आपने को-आप्टेड मेम्बर्स के लिये भी ऐसी व्यवस्था की है कि अगर वह आयें या नहीं, मीटिंग में जायें या नहीं जायें तो कोई बात नहीं आपने तो सिर्फ अपने आदमियों को प्रमुख और प्रधान बनाने के लिये यह सारा काम किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको इतनी जल्दी क्या है और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है ? मेरा निवेदन यह है कि आप इसमें जल्दीबाजी नहीं करें और अभी सदन में मुख्य मन्त्रीजी भी बैठे हैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को आप प्रवर समिति को सौंप दें और उस प्रवर समिति में इस बिल को पूरी तरह से स्टडी किया जाय कुछ सुझाव जो प्रवर समिति दे उनको भी इसमें इनकार्पोरेट करके एक काम्प्रीहेन्सिव बिल के रूप में इसे लायें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें, मुख्य मन्त्री जी, इसका तसल्ली बख्श जवाब दे दें। आप तो पिछले तीस वर्षों से लोकतन्त्रीय विधान सभा में काम कर रहे हो और लोकतन्त्र के हामी भी हो। आप एक तरफ तो पंचायतों को ज्यादा पावर्स देने की बात करते हैं। आप यह भी कहते हैं कि हम ग्रामोन्मुख हो रहे हैं। जब इस बिल को लाकर गांवों के लोगों को इन्वोल्व ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा ? आप जब पंचायत संस्थाओं के प्रति वफादारी नहीं रख रहे हैं. पंचायतों में जनता को प्रतिनिधित्व ही नहीं दे रहे हैं, जब आप एम. एल. ए. और एम. पी. को इन चुनावों में खड़े होने के लिये वंचित रखना चाहते हैं, तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप इस पर फिर से विचार करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प मैंने रखा है उसका समर्थन किया जाय और जो आर्डिनेन्स राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) 'विधेयक, 1979 आया है उसको अस्वीकार किया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अन्तर आत्मा का जागरण करो आप।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके चुनाव कब हो रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 जून, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन)

(श्री उपाध्यक्ष)

अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1979) को अस्वीकार करता है ।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया

माननीय मन्त्रीजी ।

विधेयक पर विचार

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९७९ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्ताव इस बिल पर जनमत जानने हेतु परिचालित करने संबंधी और इस विल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने संबंधी दिये है उन माननीय सदस्यों के मैं नाम बोल रहा हूं । श्री हरीश शर्मा

श्री मूलचन्द डागा : यह नवयुवक है हमारी बात कहेगा और गलत वात नहीं कहेगा ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गलत बात का समर्थन नहीं करूंगा यह बात सही है । उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस में जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह ऐसा विधेयक है जो लोकतन्त्र को झकझोरने वाला नहीं है । यह तो उनको झकझोरने वाला है, माननीय डागाजी जो कि आप की तरह लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं यह हमें नहीं झकझोर सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतें और नगर-परिषदें ऐसी संस्थायें हैं जो कि लोकतन्त्र की आधारभूत संस्थायें हैं और उनके चुनावों से जनता के विश्वास का पता लगता है । यह संस्था -यें इसलिए हैं कि इसमें लोग चुने हुए आकर अपने विचार विनिमय करते हैं । इसलिए चुनाव के लिये ढांचा खड़ा किया जाना आव-श्यक है । मेरा इसमें संशोधन यह है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ताकि जनता इस विधेयक पर अपनी क्या प्रतिक्रिया करती है उसका हमको पता लग सके । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये कि पंचायतों के प्रधानों और प्रमुखों के चुनावों के समय कहीं ऐसा न हो कि लोग पंचों और सरपंचों को कहीं ले जाकर बन्द कर दें और वहां पर चुनाव सही ढंग से नहीं हो सके । इस बात पर भी सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है । इस बिल में जो यह क्लोज रखा गया है कि जो भी विधायक प्रधान या प्रमुख का चुनाव जीतें वह १४ दिन के भीतर भीतर अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दें । इस बात का मैं समर्थन करता हूं । इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिला प्रमुखों को विशेष अधिकार दिये जाने चाहिये । इसके साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखे जाने की जरूरत है जैसा कि यहां पर सदन में माननीय सदस्यों ने कहा था कि जिला प्रमुख का जिलाधीश सचिव होना चाहिए इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ साथ इन जिला प्रमुखों को यह पावर्स दी जायं जिससे कि उस जिले की सिंचाई व और दूसरी छोटी

82

(श्री हरीश शर्मा)

छोटी योजनाओं को वह क्रियान्वित कर सके। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जनता को इसमें साथ लेकर चलना चाहिये ताकि तानाशाही की प्रवृति इसमें न पनप सके।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनावों के बाद में राजस्थान पंचायत समितियों के प्रधानों और प्रमुखों का चुनाव हो जाना चाहिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : लोक सभा के चुनावों में जनता पार्टी आयेगी नहीं

श्री रतनलाल वर्मा : लोक सभा के चुनावों में जनता पार्टी आयेगी, आयेगी और निश्चित आयेगी।

श्री हरीश शर्मा : तो, उपाध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन, विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

श्री निर्मलकुमार।

(अनुपस्थित)

श्री मानकचन्द ठाकोर।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

श्री राम नारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थिति)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वरचन्द्र

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह लो फिर नाम आ गया।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल पेश किया गया उस पर दो तीन पाइन्ट के ऊपर मैं मुख्य रूप से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस बिल के अन्दर जो सेक्शन 8 है इसमें लिखा है "Amendment of Section 72, Rajasthan Act 37 of 1959 -In section 72 of the Principal Act, to sub-section (1), the following proviso shall be added, namely :-

"Provided that making of an oath or affirmation by a member of Panchayat Samiti or a Zila Parishad under this section shall not be necessary for his taking part in any

(श्री मूलचन्द डागा)

election of Pradhan, Up-Pradhan, Pramukh or Up-Pramukh or in any co-option of the Members of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad under this Act."

मैंने इसके अन्दर अपना संशोधन दिया है और इसके अलावा सैक्शन 11 में संशोधन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डागाजी, जब विधेयक में संशोधनों पर बहस हो तब आप अपने संशोधन पर बोलें।

श्री दिग्विजयसिंह : इन्होंने संशोधन दिया ही नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने संशोधन दिये नहीं लेकिन सिद्धान्त के रूप में एक बात तो कह सकता हूं। श्रीमान्, आज जो राज्य सरकार विधेयक पास कर रही है उसका संबंध राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता से है। यह पंचायत सारे लोकतन्त्र का आधार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास करने के पहले आप लोकमत तो इस बिल पर जानने दें जिससे कि जनता की क्या राय है यह पता लग सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि इस विधेयक को लाकर हम गांवों की जनता को अधिक अधिकार देने जा रहे हैं तो क्या, मन्त्री जी, अपनी पंचायत में मीटिंग बुलाकर पहले जनता से अपना मत जान लिया था या इन्होंने कोई कमेटी बना कर इस पर निर्णय लिया था ? क्या ये लोगों की राय की जानकारी करके बाद में यह बिल सदन में लेकर आये हैं ? अगर नहीं तो मैं इस सरकार पर इस बात का दोषारोपण करता हूं कि जनता पार्टी अपने ही लोगों को प्रमुख बनाने के लिये और प्रधान बनाने के लिये राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद विधेयक में संशोधन लायी है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता : पाइन्ट आफ इनफार्मेशन है। गुलाबचन्द जी कटारिया आज नहीं आये हैं। उनके तीन बच्चे हुए हैं इसलिए वह नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : तीन बच्चे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : 2 बच्चे और हैं और एक बच्ची है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री ओमप्रकाश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहता हूं लेकिन माननीय पंचायत मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (सशोधन) विधेयक, 1979 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये, इस पक्ष में बोलना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में अगर हमें गांवों का विकास करना है और उस एजेन्सी को इन्वाल्व करना चाहते हैं तो इस बिल से ऐसा लगता है कि आप इलेक्टोरल कालेज छोटा करना चाहते हैं। उसको छोटा करने के ऊपर दो दलील दी गयी हैं। उन दो दलीलों का कारण एक तो बताया कि लस एक्सपेन्सिव करना और उसको ईजी बनाना । जो कम्बरसम था उसको ईज़ी करना और जो ज्यादा खर्चीला था उसको कम खर्चीला बनाना। यह दो दलीलें दी गयी हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में यह कह रहे थे तो मैं कहता हूं कि यह भी करने की क्या जरूरत है। क्यों नही आप नामीनेट कर देते प्रधान के नाम को भी और प्रमुख के नाम को भी। मैं समझता हूं इससे न तो गांवों में जाना पड़ेगा और बहुत आसानी से समस्या को हल कर सकेंगे। लेकिन जो डेमोक्रेसी की ग्रास रूट है, जो कन्ट्री डेमोक्रेसी अपनाता है और जो इसके पीछे आस्था है तो वह है डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजशन की और लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण की। क्या आप समझते हैं कि इसी भावना से इस बिल को लाये हैं जिससे जो रूरल क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्राम विकास की आप बात करना चाहते हैं और जनहित की बात करना चाहते हैं उसका इनवाल्वमेन्ट इसमें हो सके ?

श्री रतनलाल वर्मा : विकास तो हो रहा है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : आप तो बोल लेना, मुझे अपने विचार रखने दें। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि बलवन्तराय मेहता कमेटी, सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट, गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट और अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र विस्तार से किया जा चुका है लेकिन कहीं भी इस इलेक्टोरल कालेज को छोटा करने की बात नहीं कही गयी है ।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपका ध्यान आर्टिकल 40 आफ दी इन्डियन कान्स्टीट्यूशन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स इस प्रकार हैं: "The State shall take steps to organise village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-Government."

"सेल्फ ' गवर्नमेन्ट का मतलब यह है कि नीचे से बनकर लोकल लीडरशिप डवलप हो और लोकल लीडरशिप डवलप होकर ऐसी लीडरशिप बने जो कि गांव का अपने आप काम ठीक तरह से चला सके । आपने इस डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल की भी अवहेलना की है और वह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल जो कि आवश्यक है । लेकिन आपने सीधे ही इलेक्टोरल कालेज छोटा कर दिया ।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अन्त्योदय योजना की बात करते हैं। आप लोकल लीडरशिप को इनवाल्व नहीं करेंगे तो कैसे काम कर सकेंगे, सीधे ही सरपंच के चुनाव करा देंगे और जो पंचायत के मेम्बर्स हैं या जो आप्टेड मैम्बर्स आते हैं उनका आप इनवाल्वमेंट पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि जहां लोकल लीडरशिप डवलप होनी चाहियें और जिसके हाथ में गांव की बागडोर आनी चाहिए वह नहीं आ सकेगी और कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में आ सकेगी। इसलिए अन्त्योदय की योजना अच्छी योजना है जिसमें गांव के नीचे आदमी तक पहुंचना है उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी और वह भी आपकी योजना असफलता की ओर जायेगी।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं भी पंचायत मंत्री ने नहीं बताया। अच्छा होता अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट यहां पर डिस्कस होती। आपने वायदा किया और मुख्य मंत्रीजी आपने भी वायदा किया था उस पर डिस्कशन करने के लिए और उसको डिस्कस करके हाउस को कान्फीडेंस में लेकर ऐसा तरीका निकाला जायेगा जिससे पूरे राजस्थान के लोग अधिक से अधिक मतदान कर सकें और इसको सफल बना सकें। आपने तो यहां तक कह दिया कि पंच खड़ा हो सकता है लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। वह खड़ा हो सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, बड़ी विडम्बना है। यह आपको देखना चाहिये कि राजस्थान की और हिन्दुस्तान की जो बेसिक चीज है वह डेमोक्रेसी के आधार पर है और उसके कारण से उसकी रूट विलेज में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अच्छा होता कि पंचायत मंत्री महोदय इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करते और जनता से पूछा जाता कि वह इस संबंध में क्या सोचती है। अगर वह इस बात को सोचती है कि इलेक्टोरल कालेज को छोटा कर दिया जाये और जैसा कि इसमें लिखा है:
"Consequently, the Bill provides for the exclusion of the Panchas from the electoral college for the election of a Pradhan and that of Sarpanchas, co-opted Members of Panchayat Samitis and elected Members of Gram Sabhas from the electoral college for the election of a Zila Parishad."

दूसरे आपने दिया है : "The existing law further provides that a resident and voter in a municipal area can also contest election to the office of a Pramukh of a Zila Parishad."

मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि शहर का आदमी गांव में नहीं जाना चाहिये लेकिन गांवों में जो रहते हैं उनके अधिकारों पर क्यों कुठाराघात करना चाहते हैं? शहर की बात ठीक है, म्युनिसिपैलिटी में जा सकते हैं, कारपोरेशन में जा सकते हैं लेकिन गांव में रहने वाले को यह अधिकार नहीं देना कि वह चुनावों में हिस्सा ले सके और खड़ा हो सके। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री ओंकारलाल चौहान)

मंत्री महोदय इस बात को सोचें और इस बिल को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए भेजें जिससे सही राय आये और उसके अनुसार कार्य किया जाये ।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने संबंधी प्रस्ताव ।

श्री मंजूर अली ।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरडक ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 को मैंने एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा है उसके पीछे यही मंशा है कि सरकार इस मंशा के साथ इस इलेक्टोरल कालेज को छोटा कर रही है। उसके पीछे यही भावना नजर आती है कि सरकार कुछ गिने-चुने लोगों के अन्दर अपनी सत्ता के प्रभाव से, पैसे के लालच से, किसी लोभ से क्योंकि लिमिटेड लोग ही उसमें रहेंगे इसलिए यह सरकार सत्ता का खेल ठीक तरह से खेल सके, इसके पीछे यही मंशा नजर आती है। क्योंकि हमारे राजस्थान को यह गौरव प्राप्त है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रारम्भ जवाहरलाल जी ने यहां एक दीप जलाकर किया था और इसी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का दीप बुझाने का काम भी यह जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। इसलिए मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं कम से कम इस सरकार को आगाह करूं कि जो पवित्र काम बहुत पहले कांग्रेस की सरकार ने किया था कम से कम दीप के प्रकाश को कायम रखने का काम करेगी या नहीं करेगी लेकिन दीप को बुझाने का काम तो यह सरकार नहीं करेगी । इसलिए मैं समझती हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द इसलिए भी किया जाना चाहिये कि इस समय लोकसभा के चुनावों से पहले यह पंचायत समितियों के चुनाव कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि एक बार आपने पंचायत के चुनाव कराये उस समय तो यह अध्यादेश निकाला नहीं और उस समय किसी को नहीं बताया कि चुनाव लड़ने का अधिकार किस को होगा और पंचायत के चुनाव कराने के बाद में, अधूरे चुनाव होने के बाद में पंचायत समितियों के प्रधान में कौन खड़ा हो सकेगा, कौन उसमें मतदान दे सकेगा यह वैसे भी एक तरीके से कानूनी दृष्टिकोण से यह ठीक बात है कि इस संबंध में रिट की गयी थी उसका फैसला चाहे कुछ भी हो लेकिन यह सरकार का न्याय नजर नहीं आता कि आप किसी भी व्यक्ति को आधा चुनाव कराने के बाद में मतदान से वंचित करें । यह लोकतंत्र की दुहाई देने वाले और लोकतंत्र का वोट जीतने वाले विपरीत आचरण करें, यह बात समझ में नहीं आने वाली है इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि जब जनवरी में

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले यह चुनाव करा नहीं पायेंगे, तब क्या जल्दी है? इस विधेयक को क्यों जल्दी पास करवाना चाहते हैं ? क्या मंशा है, समझ में नहीं आता। कुछ सीमित वोटों के अन्दर वांछित फल प्राप्त कर सकें, इसके अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती। इसलिए पंचायत मंत्री महोदय से यही निवेदन करती हूं कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रकाश को, उस दीप को जलाये रखना चाहते हैं तो इसे सलैक्ट कमेटी को सौंप दें और वह सब बातों पर विचार करके, रिपोर्ट दे। पंचायती राज पर समय समय पर जब कभी कमेटी बनी है, उन्होंने विचार विमर्श के बाद में, करीब करीब सभी प्रदेशों में जाकर अपनी रिपोर्ट दी है। अशोक मेहता ने अपनी रिकमेन्डेशन दी। गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने राजस्थान के अन्दर बहुत सारी बातों को सोच समझ कर सुझाव दिये हैं। उन सब बातों को बलाये ताक रखकर यह सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है, क्यों इलेक्टोरल कालेज को सीमित करने जा रही है ? क्यों पंचों को उनके अधिकार से वंचित करने जा रही है? यह बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि वे इस पर पुनर्विचार करें और इसे एक प्रवर समिति को सौंप दें ताकि सभी पक्षों के बारे में ठीक तरीके से सोच कर, अब तक इस पर जो विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए सलेक्ट कमेटी अपने विचार इस सदन को दें और उसके बाद ही इस को दुबारा लाया जाय तभी मैं समझती हूं आप पंचायती राज के साथ न्याय कर सकेंगे। ग्रामीणों का स्तर जो आप न केवल आर्थिक तौर से बढ़ाना चाहते हैं, आप राजनैतिक और सामाजिक जितना भी जाग्रत करना चाहते हैं उनको इस तरीके से यह विधेयक पास करके, मेरी समझ में, आप बिल्कुल अन्धेरे में रखना चाहते हैं। उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक तौर से क्या आप बढ़ावा नहीं देना चाहते और किसी तरह से भी आप उन्हें सहयोगी नहीं बनाना चाहते ? इसलिये मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि राजस्थान में पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह में प्रस्तुत करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने अध्यादेश के जरिये जो बिल सदन में पेश किया है, इस राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान में 53 में जब पंचायत राज एक्ट बना और समय समय पर संशोधन करने के बाद बलवन्त राय मेहता कमेटी बनी, उसने व्यापक अध्ययन के बाद सुझाव दिये उसके तहत वर्तमान पंचायतें और ग्राम पंचायतें चली आ रही हैं। उसके बाद उनमें समय समय पर परिवर्तन हुए। सादिक अली रिपोर्ट आई, गिरधारीलाल व्यास रिपोर्ट आई और सब के अन्त में हमारे मुख्य मंत्री जी की सरकार के नुमाईंदे के रूप में अशोक मेहता साहब ने रिपोर्ट दी। मुख्य मंत्री जी बहुत शोर शराबे

(श्री नवरंगसिंह)

के साथ कहते थे कि मेहता साहब की जो रिपोर्ट आ रही है उस पर देश व्यापी कानून बनेगा। वह राजस्थान में और दूसरे प्रान्तों में कानून बनने की दुहाई देते थे। मुख्य मंत्री जी, जब यह जनता सरकार केन्द्र में चली गई और यहां अब जाती दिखाई दे रही है उनको यह लगा है। हम जब जनता पार्टी में थे, जब यह अध्यादेश जारी किया, हमने विरोध किया था मुख्य मंत्री को लिख कर दिया था। मुख्य मंत्री ने उसका हमको उत्तर तक नहीं दिया कि ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। यह एक ताना शाही तरीके से किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि ऐसी स्थिति में इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो इस मामले में बहुत जरूरी है। नहीं तो जनता में यह धारणा पैदा हो गई है और इस तरह से यह खुद भी प्रजातन्त्र के हत्यारे बनते जा रहे हैं, इसके लिये नाजुक स्थिति पैदा हो जायेगी। आने वाले तीन महीने के बाद उन सब पर विचार कर सकें। यह कहते है कि हमने आर्डिनेंस इसलिए जारी किया था कि चुनाव जल्दी हों। मैं माननीय मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपने घोषणा की, मेरे पास सबूत है, मैंने चिट्ठी लिखी यह केवल आपका जनता के सामने झूठ बोलने का काम है। एक बार इसकी घोषणा होती है, महीने दो महीने बाद यह चुनावों को टालने चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी इनका चुनाव कराने का इरादा नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि हर बार जब हम यह कहते हैं, हमने पुलिस बिल के बारे में कहा तो बजाये उत्तर देने के आपने बड़े तैश में आकर कहा वह मीसा का छोटा भाई है, काला कानून है आप भी उन्हीं की बदौलत है और आज राजस्थान के मुख्य मंत्री है। नहीं तो महारावल साहब होते। सदन के फ्लोर पर इस तरह की बात कही, नजर बन्दी कानून को काला कानून बताया। जनतन्त्र में विश्वास है तो राष्ट्रपति सर्वोपरि है। राष्ट्रपति सक्षम होता है। अध्यादेश जारी करता है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पंचायत मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस सारे मामले को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि सारे मामलों को देख कर ठीक प्रकार कानून बन सके . . . .

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यही बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि इस कानून में जो जो प्रधान और प्रमुख के चुनने की व्यवस्था की हैं और दूसरे उम्मीदवारों के लिये योग्यता के लिये मूल भावनाओं को हटा दिया गया है इससे जनता में ठेस पहुंचेगी। इसलिये मेरा निवेदन हैं कि सारे मामले पर विचार करके इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लालचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री हरि कृष्ण।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धि चन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। अशोक मेहता कमेटी के बारे में मुख्य मंत्री जी सदन में बहुत ज्यादा जोर देते थे कि हमारी जनता पार्टी के शासन में आने के बाद अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आयेगी और हम क्रान्तिकारी परिवर्तन करेंगे। किन्तु जो परिवर्तन आया उससे तो यह लगा कि जो 1959 में कानून था, उससे भी 20 साल पीछे चले गये। ऐसा परिवर्तन जो 1959 में किया गया, उसमें हमने गलती को सुधार करके, फिर परिवर्तन करके पंच और सरपंचों को निकाला था। अगर परिवर्तन करते तो यह कहते कि अडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर चुनाव करेंगे तब तो आपका कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होता पर अडल्ट फ्रेन्चाइज की हिम्मत है कहां? अगर हिम्मत करना चाहते हैं तो मालूम पड़ जायगा। जनता पार्टी की ख्याति बढ़ी है या नहीं बढ़ी है यह तो आपको स्वयं को मालूम है। ढाई सालों में आपकी ख्याति घटी है...

(व्यवधान)

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं प्रधानों के चुनाव में सबको अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर अधिकार दीजिये। जो बालिग हैं, उनको अधिकार दीजिये, प्रमुखों को भी अधिकार दीजिये। आज कहां हैं इस तरह का परिवर्तन ?

श्री ईश्वरचन्द्र : आप उपाध्यक्ष महोदय की तरफ देखिये...

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं दोनों की तरफ देख रहा हूं...

(व्यवधान)

वह देते तो और तरह की स्थिति पैदा होती। न तो प्रधानों को जो परिवर्तन किया गया है उसमें अधिकार दिया गया है न प्रमुखों को अधिकार दिया गया है। हम भी यह महसूस कर रहे हैं कि पंचायत समितियों के अधिकार सीमित हैं, जिला परिषद के अधिकार सीमित हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिये। जब पंचायत समितियों को अधिकार नहीं हैं, फन्ड्स नहीं हैं, एग्रीकल्चर और डवलपमेंट की एक्टीविटीज नहीं हैं तो उन्हें बढ़ाने का सोचना चाहिये। हम भी बढ़ाने को सोच रहे थे लेकिन आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब मैं यह कहना चाहता हूं अशोक मेहता...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बस बहुत हो गया।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इस तरह व्यवधान मत करिये, हमारा फर्ज है उसको कहने दीजिये। आपके कारनामों का तो पर्दाफाश करने दो। उपाध्यक्ष महोदय, पेज 50 पर लिखा है :—

"Indirect elections afford scope for people with means and position to influence the course of elections by dubious means bordering on mal-practices."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह किसकी रिपोर्ट है ? ऊपर पढ़ें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पंचायत राज कमेटी रिपोर्ट, अशोक मेहता। गिरधारी लाल जी की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं यह जो रिपोर्ट है.....

"Direct elections, on the other hand, give a sense of participation to the general

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

public in the formation of their institutions. The leadership thrown up by them would be more responsive to and would command better respect among the people."

तो यह पोजीशन है कि जो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट है, उसमें डाइरेक्ट इलेक्शन के लिये जोर था। डाइरेक्ट इलेक्शन होकर ही जनता के सही प्रतिनिधि चुन सकेंगे। अब जो नेतृत्व आयेगा उसमें जनता में रेस्पेक्ट पैदा नहीं हो सकेगी। इसको आप जनमत जानने हेतु रख दें तब भी जनता पसन्द नहीं करेगी। आप बार बार कहते हैं सरपंच के विरोध में हैं। हम तो पंच के पक्ष में हैं, सरपंच के पक्ष में हैं, जनता के पक्ष में हैं। आप सरपंच का इन्वोल्वमेंट करके पंच की अवहेलना कर रहे हैं, जनता की भी अवहेलना कर रहे हैं इस प्रकार का काला कानून लाकर। हम इसका विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय तो इस पर वहां सम्पूर्ण रूप से विचार होकर आ सके। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का जो सिद्धांत है उसके माफिक चल कर हमारे गांवों का विकास हो सके, पंचायत समितियां अच्छा कार्य कर सकें, जिला परिषद अच्छा काम कर सकें। इतना ही निवेदन है।

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे कोई नयी बात तो आई नहीं है फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि पंचों का अधिकार कम करके सरपंचों तक सीमित कर दिया और उससे गांवों में जो पंच लोग थे, वे चुनाव लड़ना चाहते थे, वे रह गये। उसके बावजूद मैं निवेदन करना चाहता हूं जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी वार्ड इलेक्शन भी हुए हैं और जो पंच नहीं बने थे और जिसको प्रधान बनने की ख्वाहिश है पंच से त्याग-पत्र दिला कर चुनाव हुए हैं...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: यह क्या उत्तर है?

श्री दिग्विजयसिंह: इसलिए यह कहना कि गांवों में इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने कोई नयी बात नहीं कही है·····

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण): चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इस्तीफा देकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, वे तो वंचित ही रह गये·····

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कोई नई बात नहीं कही गई है; जो प्रस्ताव रखा है जनमत जानने हेतु, प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु, उसको अस्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह: माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि कुल कितने स्थानों को रिक्त करवा कर चुनाव लड़े हैं?...

श्री दिग्विजय सिंह : 165 ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनमें मर कितने गए?

श्री दिग्विजय सिंह : कोई नहीं मरा, सब जिन्दा हैं 165 ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

(विराम)

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया गया ।

कोई संशोधन नहीं है, माननीय प्रभारी मंत्री जी ।

विधेयक का पारण

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम कृष्ण दास गुप्ता ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा मत है कि सरकार

श्री उपाध्यक्ष : केवल पांच मिनट ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : केवल तीन मिनट ही लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धन्यवाद । आज तो रेकार्ड तोड़ दिया, साहब ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा निवेदन है जो कारण बताये गये हैं कि समय कम लगेगा, खर्चा कम होगा इसलिए पंचायत एक्ट में संशोधन करके प्रधान व जिला प्रमुखों के चुनावों को सीमित किया जा रहा है, वह गलत है। हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनावों के कानून में इस प्रकार की प्रावधान किया गया है कि जो भारत का एम. पी. बनने की योग्यता रखता हो परन्तु निश्चित मात्रा में उसे संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव को काँटेस्ट कर सकता है। पहले कोई भी व्यक्ति, जो सदस्य बनने की योग्यता रखता था, चुनाव में खड़ा हो सकता था, उसके मिसयूज को रोकने के लिए प्रस्ताव को एक से अधिक सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करने को कायम रखा है, इसी प्रकार से गांव का आदमी, जो गंभीर नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, की सीमा को रोकने के लिए,

92

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

उसकी संख्या को रोकने के लिए, किसी भी ग्राम पंचायत के व्यक्ति, जो कि पंच बनने की योग्यता रखता है परन्तु दो या तीन सरपंच उसके नाम को प्रपोज करें, को यह अधिकार मिलना चाहिये था। मैं समझता हूं और सारे सदन के माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि हरियाणा विधान सभा के सदस्यों को जनता पार्टी के केन्द्रीय नेताओं के समर्थन से और आशीर्वाद लेकर विधान सभा में अविश्वास के प्रस्ताव को फेल कराने के लिए किस प्रकार से भारत भर में घुमाया गया। वे राजस्थान में आए, एम. पी. में गए और न मालूम कहां कहां पर गए और दिल्ली में जब चुनाव हुआ तब उनको वहां लाए। जब विधान सभा जैसे स्थान के लिए जो राजनैतिक सत्ता के प्रतीक सदन के सदस्यगण है, उनके मतों का उपयोग करने के लिए इस तरह की बात की जा सकती है, अगर उनको ट्यूरिस्ट बसों में भारत भर में ले जाया जा सकता है ताकि दूसरे दल के, दूसरे व्यक्ति के इन्फ्लूएं में वे नहीं आए तो मैं नहीं समझता कि जब चुनाव होंगे प्रधान के, जब चुनाव होंगे जिला प्रमुख के तो उस समय जो जयपुर में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आज हमारे माननीय भैरोंसिहजी सत्ता में हैं, कल को अध्यक्ष महोदय हो सकते हैं, और भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जिसका प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं हो, तो मुझे मालूम है कि आप सरपंचों को कहां कहां नहीं घुमायेंगे ? भारत भर में, हरिद्वार, काशी, कहां कहां पर ले जाकर चुनाव के ठीक वक्त में ला करके किसी एक व्यक्ति के पक्ष में मत दिलवाये जायेंगे। यह राजनैतिक ब्लैकमेलिंग है, इसको रोकना अति आवश्यक है। किसी भी ग्रामीण जो पंचायत का मतदाता है, को चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए और जो पंच और सरपंच की संख्या एक पंचायत में ढाई सौ, तीन सौ होती है एक प्रधान के चुनाव में उसकी जगह पर बीस तीस सरपंच रख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ढाई तीन सौ वोटर होने से निश्चित रूप से राजनैतिक ब्लैकमेलिंग होने की सम्भावना कम हो सकती है। आज देश किस ओर जा रहा है। आज हमने सुना कि जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई में, लोक सभा में जब कि अविश्वास का प्रस्ताव पेंडिंग था। एक एक एम. पी. की कीमत पांच लाख रुपये बोली थी। अखबारों में आया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जहां दिल्ली के एम. पीज. का यह हाल हो, हरियाणा विधान सभा मैम्बरों की यह हालत हो वहां गांव के सरपंच की क्या हालत होगी, हम कल्पना निश्चित रूप से करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी भी आप थर्ड रीडिंग की स्टेज पर खड़े होकर इस बिल को वापस लें। इस प्रजातंत्र की जड़ों को आपने कायम किया था उसको कायम रखने में मदद करें वरना आज राजनैतिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था खतम हो रही है और देश पुनः तानाशाही की ओर शनैः शनैः बढ़ता जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयकृष्णजी, सचेतक महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही का समय तब

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

तक के लिए बढ़ा दिया जावे जब तक कि आज की कार्य सूची में समाविष्ट कार्य समाप्त न हो जाय ।

श्री मूलचन्द डागा: क्या समाप्त हो जाय?

श्री शंकरलाल : सरकार की समाप्ति तक।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल सारस्वत : कार्य सूची में दिए गए कार्य तक ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति के अनुसार सदन की कार्यवाही का समय तब तक बढाया गया जब तक कि कार्य सूची में समाविष्ट कार्य पूरा नहीं हो जावे ।

विधेयक का पारण

श्री जयकृष्ण शर्मा :उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषदों का जो इलेक्टोरल कालेज बनाया गया है, वह जो सीमित किया है, मैं पंचायत राज मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उस समय में और आज के समय में बहुत बड़ा अन्तर हो गया है । उस समय आपकी विधान सभा में डेढ़ सौ सीटें थीं, इसलिए आपने यह सोचा था कि यहां के एम.एल.एज. हैं, जो दो तीन पंचायत समितियों में वोट देंगे उससे हमारे वोट सरप्लस होंगे,चाहे वह पंचायत समितियों में हों या जिला परिषदों में हों । जिस समय आर्डिनेंस लाए उस समय और आज की स्थिति में भी अन्तर है। इसलिए जिस राजनैतिक उद्देश्य से आप आर्डिनेंस लाए हैं और जिस राजनैतिक उद्देश्य से आप इसको सीमित करना चाहते हैं, जिसको कि आगे ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, उसको आप सीमित करना चाहते हैं वह राजनैतिक उद्देश्य आपका सफल नहीं होगा और केवल यह काला कानून आपके उपर कालिख पोत कर रह जाएगा । आपने राजस्थान पंचायती राज का जो सबक लिया, आपने जो इसका एक ऐसा स्वरूप था जिसकी सभी लोग तारीफ करते थे, जब मुख्यमंत्री पहले पहल विधान सभा में आए तो उन्होने यह कहा था कि इस पंचायती राज को मृतप्राय कर दिया है । आपने 11 साल और 13 साल की बात कह कर माननीय विधायकों से तालियां पिटवायी थीं कि आपने दुबारा प्रजातंत्र को जन्म दे दिया। फिर आज यहां पर तालियां पिटवा दें कि इस प्रजातंत्र को पनपाने की जिस प्रकार की दुहाई देते थे वे ही इसके ही माध्यम से दफनाने जा रहे हैं, आप अपने काले कारनामों से ऐसा करना चाहते हैं तो करें,मुझे कोई एतराज नहीं है, परन्तु आप सोचें कि जिस प्रजातंत्र की बार बार आप बात कहते हैं उस प्रजातंत्र को आप सही स्वरूप नहीं दे पायेंगे। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बार बार कहते हैं, अभी एक माननीय सदस्या ने कहा है और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि इसका राजनैतिक ब्लैकमेलिंग होगा । इस बात को, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ दिन पहले इसी विधान सभा में कहा था कि सरपंच साहबान को काम के बदले अनाज योजना और दूसरे मायनों में कठपुतली बनाया गया है वह दिल दिमाग में चुनाव को लेकर था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विधान

(94)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सभा में कहा था कि एक सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया और उस अविश्वास के प्रस्ताव को पारित नहीं होने देने के लिए किस प्रकार का षडयंत्र किया गया। उस समय कह दिया गया कि महिलाओं के वोट नहीं हो सकते। कानून में वोट देने का महिलाओं को अधिकार है। यह न्यायोचित भी नहीं है कि महिलायें जो वोट दे सकती हैं उन महिलाओं के वोट नहीं लिए गए और सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव गिरा दिया गया। यह सब उद्योग मंत्रीजी की वजह से हुआ। उद्योग मंत्रीजी जिस प्रकार छोटे से छोटे विभाग में हस्तक्षेप करते हैं उसी प्रकार किया। इससे पंचायती राज का स्वरूप है वह बिगड़ता है। एक उदाहरण पंचायत समिति का और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले गणेशगढ़ के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया। आपके मन्त्री, जो उद्योग मंत्री हैं, 2 तारीख को गणेशगढ़ जाते हैं और वहां लोगों को बुला कर महिलाओं को डराया धमकाया जाता है कि सरपंच के साथ वोट दो। अगर वोट नहीं दोगे तो वहां के जो एस. डी. ओ. और डी वाई. एस. पी. हैं, जो उनके हाथ की कठपुतली हैं, उनके कहने से नाजायज काम करते हैं उन एस. डी. ओ. और डीवाई. एस. पी. ने .....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक ही मिनट में खतम करता हूं।

उस डीवाई.एस.पी.ने एक केस में पेशी कर ली और तीन तारीख को उनको पेशी पर बुला लिया। उद्योग मंत्री जी ने कहा कि जो तहसीलदार है उनको मैं अपने पास बुला लेता हूं और वापस जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार से अविश्वास का प्रस्ताव फेल होगा। एक सरपंच को हराने के लिए और एक सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को बचाने के लिए एस. डी. ओ. और डीवाई. एस. पी. पर किस तरह से दबाव आता है, इससे साफ जाहिर होता है कि आप पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव किस प्रकार से कराना चाहते हैं। परसों आपका यह बिल आने वाला था और आपका कहना था कि पंचायत समितियों के चुनाव कराने जा रहे हैं, जिला परिषदों के चुनाव कराना चाहते हैं। इस तरह से उनके मतदाताओं की संख्या सीमित करके काफी अपने आदमी ले आयेंगे। यह आपकी अपेक्षा रही है कि हमको इतनी सीटें मिलेंगी लेकिन आपका यह आउट पुट भी टूट गया है। जो थोड़े बहुत माननीय सदस्य इधर आकर बैठ गए हैं इसलिए आउट पुट में लीकेज बहुत बड़ा हो गया है और लीकेज बढ़ जाने से आपको ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यह काला कानून आप पास कराने जा रहे हैं यह प्रजातंत्र की हत्या का, प्रजातंत्र को समाप्त करने का और डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन को खतम करने का इशारा मात्र है। क्योंकि वह समय दूर नहीं है जब लोग कहेंगे कि हमें सरपंचों में विश्वास नहीं है। हमें सरपंचों में विश्वास है लेकिन आपको सरपंचों में विश्वास नहीं है, आपको जनता में विश्वास नहीं है। आप कहते हैं कि सरपंचों में विश्वास नहीं है, हम कहते हैं कि आपको उस महान जनता में विश्वास नहीं है। कोई भी जनता का आदमी खड़ा है, वह प्रधान बने, प्रमुख बने, वोट देने वाले वह लोग नहीं हो सकते यह हास्यास्पद बात होगी। पंचायत का पंच खड़ा हो सकेगा लेकिन वोट देने का राइट नहीं होगा। प्रधान के चुनाव में पंच और

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सरपंच खड़ा तो हो सकेगा लेकिन वोट नहीं दे सकेगा, इस तरह से सीमित करके इस तरह का काला कानून बनाना चाहते हैं इससे साफ जाहिर है कि आपकी मैलाफाइड इन्टेन्शन है, आपके मन में एक राजनैतिक विद्वेष की बात है। पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर किसी प्रकार से राज्य सरकार का, सत्ता पक्ष का कब्जा हो जाए, वह हावी हो जाए, यदि राज्य सरकार इन संस्थाओं पर हावी होना चाहेगी तो कभी नहीं हो पाएगी। आपका यह जो सपना है वह पूरा नहीं होगा। आज आपकी सत्ता लड़खड़ा रही है आपकी पार्टी लड़खड़ा रही है। यही रवया रहा तो फिर लड़खड़ाएगी और जनता आपको दुतकारेगी और ऐसे अप्रजातांत्रिक लोगों, जिनका कि प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, का कभी भी विश्वास नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं आप इस विधेयक को वापस लें। इसमें क्या जल्दबाजी है। अभी 6 महीने चुनाव नहीं होगा। विधान सभा बुलाने से आप जी चुराते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह (खण्डेला)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 जो प्रस्तुत किया गया है उसके आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में यह कहा गया है :

"With a view to reducing the expenses of election and making its process easy and in order to make a Pradhan and a Pramukh more directly accountable to the body over which he presides, ..."

उपाध्यक्ष महोदय, 'प्रजातंत्र का मूल उद्देश्य, यह है कि जनता की आम राय छन कर सामने आये। आम राय छन कर तभी सामने आएगी जब आम जनता से राय प्राप्त की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, उससे हमें बड़ी निराशा हुई है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का महत्व रहा है। सरकार इन संस्थाओं को वापस खड़ा करने का अधिकार न देकर इनको इस विधेयक के माध्यम से समाप्त करने जा रही है। इस विषय में काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन इस विधेयक से यह निश्चित है कि सरकार का इरादा इन पंचायती राज संस्थाओं को कोई शक्ति देने का नहीं है बल्कि इन संस्थाओं को सरकार अपनी जेबी संस्थाएं बनाना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, ये पंचायती राज संस्थाएं पहले भी सरकार की जेब में थीं। मैं नहीं कहना चाहता, उपाध्यक्ष महोदय, जनता के चुनें हुए सरपंच, पंच इन लोगों को हमारी सरकार के प्रतिनिधि चाहे वे मुख्य मंत्री हों, चाहे पंचायती राज मंत्री हों, वे काला कोट पहिन कर अदालत में जज की हैसियत से डिस्कस करें, एग्जामिन करें तो यह जनतंत्र पर कलंक है। हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि शेखावत जब सरकार में आए हैं तो इसमें कुछ अमेन्डमेन्ट कर के इस संस्था में सुधार लाएंगे परन्तु इस संशोधन से यह आशा पूरी नहीं होती है। चुनाव का खर्चा कम करने के नाम पर इलेक्टोरल कालेज को और छोटा कर दिया गया है। इस प्रकार चंद सरपंचों को मुट्ठी में लेने की यह सरकार

96

(श्री गोपालसिंह)

की साजिश है। सब लोगों ने यह आशंका प्रकट की है और यह कहा है लेकिन इसके आब्जेक्ट में यह कहा है।

" and in order to make a Pradhan and a Pramukh more directly accountable to the body over which he presides."

यह एक ऐसा रीजन दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, जो कि मेरी समझ में नहीं आया है, पंचायत समिति, जिला परिषद के प्रधान और प्रमुखों को जिस संस्था का सभापतित्व करना है, उसको ज्यादा जिम्मेदार बनाना है, इस उद्देश्य से यह संशोधन नहीं लाया गया है बल्कि उनको अपनी मुट्ठी में रखने के लिए यह लाया गया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यदि आम राय से प्रधान या प्रमुख चुना जाता तो यह स्थिति नहीं आती। अब यह इलेक्टोरल कालेज को छोटा बना दिया गया है इसलिए जो वोट बटोर लेगा वही प्रधान या प्रमुख बन जायगा और उसके बाद उसको ज्यादा जिम्मेदार बनाने की कोई बात कही जाती है तो वह सफेद झूठ है। प्रधान या प्रमुख जो उस संस्था में बैठा है, उसको जिम्मेदार बनाना है, उसको अविश्वास से हटाना है, इसका संशोधन में कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसका अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकेगा तो हम नहीं कह सकते कि वह ज्यादा जम कर बैठ सकता है। इसलिए वह ज्यादा जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्यादा खर्च न हो इसके लिए जो यह इलेक्टोरल कालेज को छोटा कर के सरपंच, प्रधान को चुना जाएगा यह द्वेष भाव से सरकार ने किया है। इसलिए अब भी समय है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इस संशोधन विधेयक को वापस ले ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक है उसको वापस लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरा।

श्री नरा (मसूदा): उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की स्थापना के पहले गांवों में, देहातों में पेड़ों के नीचे गांवों के लोग ज्यादा तादाद में इकट्ठे होकर सस्ता और जल्दी झगड़ों का फैसला करते थे और वह फैसला इतना बढ़िया होता था कि अदालतों में तो ज्यादा टाइम लग जाता है, वहां उतना समय नहीं लगता था। मैं यह नहीं कहता कि अदालत में न्याय नहीं होता है परन्तु गांवों में पंचायती राज कायम होने के पहले इस तरह की व्यवस्था वहां पर थी और सभी माननीय सदस्य इस को जानते हैं। पंचायती राज की स्थापना होने के बाद पंचायत एक्ट बना और पंचायत एक्ट बनने के बाद समय समय पर गांवों का विकास अच्छे ढंग से हो उस नीयत से उसमें परिवर्तन किये गये और बाद में परिवर्तन उसमें राजनीतिक ढंग से किये गये। पहले ग्राम पंचायत एक थी फिर न्याय पंचायत को उससे अलग किया गया और उसके बाद न्याय पंचायत को उसके साथ जोड़ दिया गया। अब फिर वापस जोड़कर पंचायत समिति को भी उसके साथ जोड़ा गया है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जहां पर ज्यादा लोग बैठ कर बात करते हैं, किसी समस्या के बारे में बात करते हैं तो ज्यादा सुन्दर और आसान ढंग से उस पर निर्णय करते हैं। परन्तु पंचायतों के बन जाने के बाद अब ये पंचायत राजनीति का अखाड़ा

(श्री नूरा)

बन गई हैं और ख्वाहमख्वाह कानून के चक्कर में पड़ती हैं। उसको वही रूप दे दिया गया है। पहले सरपंच को पकड़ कर ले जाती थी पैसे वाली पार्टियां प्रधान बनने के लालच में और जिसके पास में पैसा होता था वह सरपंचों को ले जाता था और चुनाव के समय या कोऑप्शन के समय प्रधान के चुनाव के समय उनको लाकर चुनाव करा लेता था और वह चुन लिया जाता था। इस प्रकार ये पैसे वाली पार्टियां पंचायत समितियों पर हावी रहीं और उन्हीं के व्यक्ति प्रधान, प्रमुख चुन लिये जाते थे। अब इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है वार्ड बनाये गये। इससे उठा कर ले जाने की प्रथा तो कम नहीं हुई, हां, उसमें कुछ ढिलाई हुई। वार्ड पंच को साथ जोड़ने के बाद हम यह विचार करते थे कि धीरे धीरे प्रधान वाले चुनाव जनता से करवाने का और संशोधन होगा क्योंकि वार्ड पंच तक तो आये। लेकिन आज वार्ड पंच के अधिकार को खतम करना और सरपंच से चुनाव करवाना और यह कहना, यह खर्चीला है, मैं जानना चाहता हूं जब पंचायत मंत्री जी जवाब देने को खड़े होंगे तो कृपया बतायें कि क्या प्रधानों के लिये चुनाव करवायेंगे तब खर्चा नहीं होगा ? और फिर वार्ड पंचों के लिये सरकार क्या प्रबंध करती है? वे अपने खर्चे से आकर वार्ड पंच के लिये वोट देते हैं और आप ख्वाहमख्वाह कह रहे हैं कि यह खर्चीला है। यह इस आर्डिनेंस को पास करने की एक चाल है। यही नहीं, वार्ड पंच के अधिकार को खतम करने से, मैं नहीं कहता कि सिर्फ आप ही इसमें राजनैतिक लाभ उठायेंगे बल्कि बड़े बड़े पैसे वाले व्यापारी, जागीरदार, इस चुनाव को जीतने के लिये लाभ उठायेंगे। जिनके पास पैसा है, वे बड़े घराने के लोग प्रधान बन जायेंगे। उनकी तरफ देखते रहेंगे गांव के गरीब लोग। उनकी खुल कर शासन में मनमानी होगी इससे क्या गांव के लोगों को न्याय मिलेगा ? साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि ये पद रिक्त भी होंगे तो भी प्रधानों का चुनाव होगा। मैं कहना चाहता हूं कि पहले वोटर लिस्ट तैयार होती है। जब वोटर लिस्ट में मैम्बर कम रहे तो 2-4 जगह खाली रहेंगी तो 2-4 वोट से कोई भी खड़ा होने वाला उम्मीदवार जीत सकता है। उसको भी आपने वाई पास कर दिया कि उसकी जगह को भरने में प्राब्लम होगी ताकि प्रधानों के चुनाव होंगे तो यह पार्टी की जल्दीबाजी ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मंत्री) : इसका मतलब यह नहीं है। मतलब यह है कि चुनाव हो या न हो उस समय अगर रिक्त हो जायं तो।

श्री नूरा : यही तो मैं कहना चाहता हूं कि वोट का बड़ा मूल्य होता है। एन टाइम पर अगर खाली हो जाय तो महत्व क्यों कम करना चाहते हैं। पहले जो प्रथा थी उसकी एवज में आप यह नई प्रथा क्यों पालना चाहते हैं। इससे क्या लाभ मिलेगा। मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाय और उन लोगों को फिर अधिकार दिये जायं जिनके अधिकार आप छीनने जा रहे हैं। वे अधिकार उनको वापस देने के लिये विचार करने के लिये इसको पारित न करके पुनः विचार करने के लिये इसे वापस लिया जाय। अगर इस बिल को पारित किया गया तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करूंगा और साथियों से विरोध कराऊंगा कि इस

98

(श्री नूरा)

बिल को पारित न होने दें। बिल के पक्ष में वोट न दें और पारित न होने दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह :

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, 30 साल के कांग्रेस के शासन के बाद जब जनता पार्टी शासन में आई उस समय हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दो घोषणायें बड़े पुरजोर शब्दों में की थीं कि जब हम शासन चलायेंगे तो उस समय ज्यादा से ज्यादा जनता का इन्वाल्वमेंट हो ऐसी व्यवस्था करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार इस राजस्थान की सीमा में तो नहीं रहेगा, कहीं और चला जाय तो मुझे मालूम नहीं लेकिन आज जो यह बिल लाये हैं और इस पर सदन की मोहर लगाने जा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, अब तक आपके पास बहुमत इस सदन में है और आप इस पर सदन की मोहर भी लगवा लेंगे लेकिन आप अपनी छाती पर हाथ धर कर देखें जो कुछ जनता का इन्वाल्वमेन्ट पंचायत समितियों में करवाना चाहते हैं वह जनता का इन्वाल्वमेंट इस से नहीं होगा। इसकी सबसे लोएस्ट इकाई जो है वह ग्राम पंचायत है और ग्राम पचायतों में हम जो चाहते हैं, पंचायत समितियों के चुनाव, प्रधानों के चुनाव, प्रमुख के चुनाव, जन प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि जनता का विश्वास रहे कि ये हमारे लिये सबसे बढ़िया व्यवस्था करेंगे इसको आप कम करके भ्रष्टाचार की दुकान खोल रहे हैं। इसका नमूना यह है कि आर्डिनेंस को निकाला उसके बाद 165 पंचों और सरपंचों से इस्तीफे दिलवा कर जो लोग पंचायत समितियों में दुकान जमाना चाहते हैं वे चुनाव जीत कर आयें। अगर इस प्रकार से सौदा होगा और भ्रष्टाचार को कम करने का यह तरीका है तो इसको और भी कट शार्ट कर दीजिये। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जो कुछ कानून आज पास करने जा रहे हैं, अगर यह कानून पास होता है तो, मुख्य मंत्रीजी, आपकी दूसरी घोषणा जो भ्रष्टाचार को कम करने की थी वह हो या न हो लेकिन आप एक नई दुकान जरूर खोल रहे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, अगर आप वास्तव में प्रजातंत्र के हामी हैं, जनता का इन्वाल्वमेंट हो तो इस बिल को वापस ले लीजिये और ऐसा बिल लाइये, लोक दल की कोई भी नीति हो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा उस बिल को पास करवाने में मेरी हां होगी, ना नहीं होगी। लेकिन आज जो यह दुकान खोलने जा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति और सर्वशक्तिमान लोग होंगे समाज के, जिनके पास पैसा होगा, जनता उनको चाहे या न चाहें वे पैसे के बल पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों में आपकी हां में हां मिलाने के लिये चुन कर जरूर आ जायेंगे इसलिए मैं आपसे पुरजोर शब्दों से अपील करता हूं, आप इस पर मोहर लगवाने के पहले जनता की आकांक्षाओं को देखें। सही मायनों में भ्रष्टाचार को कम करने लिये आपकी दिलचस्पी है तो इस बिल को विथड्रा कर लीजिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी.) : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर। इसके साथ भ्रष्टाचार के अलावा शिष्टाचार और सदाचार का एक नमूना भी बताना चाहता हूं ग्राम जण्डेलपुरा, तहसील देवली जिला टोंक में उम्मेदसिंह जागीरदार बघेरा ने 175 बीघा गोचर भूमि थी उस पर कब्जा कर लिया जिनके पास हजारों बीघा जमीन है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह, अध्यक्ष महोदय, इस बिल से संबंधित नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार : एक लाधूराम बैरवा को घोड़े के पीछे बान्ध कर घींसा गया और उसको कुएं के पास पीट कर कुएं में फेंक दिया। मौके पर आदमी थे उनको पूछ लीजिये -

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री डूंगरराम पंवार : मैं माननीय रेवेन्यू मंत्री जी के पास गया उन्होंने-···

(व्यवधान)

यह भ्रष्टाचार के साथ शिष्टाचार और सदाचार -····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

माननीय मन्त्री महोदय,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मैं भी दो बातें प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं इस बात की सफाई नहीं दूंगा कि मैं लोकतन्त्र का हामी हूं, न यही कि मैं इसका विरोधी हूं। जिस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया गया है, इस संशोधन से स्वतः ही यह सिद्ध हो गया कि यह बिल लोकतन्त्र के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में गरीबों की संख्या 56 प्रतिशत है।

(व्यवधान)

आप अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो नहीं बोलूं।

श्री नूरा : मुख्य मंत्रीजी, आप कह रहे हैं कि गरीबों की संख्या 56 प्रतिशत है और सब कहां गये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिल्कुल सीधा है। पंचायत के चुनावों में प्रधान या प्रमुख कोई गरीब भी हो सकता है या नहीं पहले हम इस बात का फैसला कर लें। जिसके पास कम पूंजी हो जो साधन विहीन हो या बहुत कम पूंजी हो इस प्रकार कोई प्रधान या प्रमुख बनाया जाना चाहिए या नहीं ? गरीबों के लिए हम यह निर्णय लेते हैं तो माननीय सदस्य जो विरोध कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य, आज बोल क्या रहे थे और अर्थ क्या निकलता था।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बैठ जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर इलेक्टोरल कालेज छोटा हुआ, एक प्रधान चुनने का प्रयत्न करेगा तो यह उनसे कैसे होगा ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कैसे चल सकता है ?

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से बीच बीच में इण्टरप्शन करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यह आप के नेता परसराम मदेरणा भी समझ लें और माथुर साहब भी समझ लें कि फिर यह आदान और प्रदान दोनों तरफ से होगा।

श्री नूरा : हम आप से सीखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपने इसको प्रश्न रूप में कहा था···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बोलने का कोई ढंग है ? आप भी कई बार बोलते हैं।

श्री हरचन्दसिंह : हमने सोचा आप सही मायने में सवाल बोल रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य कुछ करें, लेकिन सदन के नेता तो ऐसी गलती नहीं करते हैं·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे कि इनके स्प्रिंग लगी हुई हो । एकदम सीधे खड़े हो गये··

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हमको आपने अपने वक्तव्य में···

श्री नूरा : मैं तो कभी नहीं बोलता हूं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपकी समझ से बाहर की चीज है ।

श्री नूरा : यह उठे हैं । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप यह धमकी क्यों देते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह धमकी नहीं है । एक बार नहीं, कई बार हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर चुका हूं । मुझे क्या क्या नहीं कहते हैं आप ? आप लोकतन्त्र का हत्यारा कह रहे थे । मैं चुपचाप सुन रहा था । डागाजी ने लोकतन्त्र का हत्यारा कहा है ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बैठ जाइये ।

श्री मूलचन्द डागा : I have not said it. Please see the record. Please see whatever is on record.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मगर आप जिस समय बोलें समझ कर बोलें ।

श्री मूलचन्द डागा : आप गलत उदाहरण देते हैं । आपने कहा होगा मैंने नहीं कहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: उपाध्यक्ष महोदय, इनको यह बीमारी है । उनकी बीमारी मानकर चल रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय··

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप मदेरणा साहब के कण्ट्रोल में नहीं हैं । मैं जानता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : वैसे तो यह हाउस ठण्डा हो रहा है । आपकी धमकी से थोड़ा गरम हो जाएगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धमकी का सवाल नहीं है । मदेरणा साहब बोले । आप बोल रहे थे । मैं चुपचाप सुन रहा था । डागा जी का आधा घण्टे का भाषण मजबूरन सुनना पड़ता है । मैंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : आप खुल कर करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा था, कोई प्रश्न हो, मर्जी आयेगी तभी खड़े हो जायेंगे । आखिर कोई सीमा होती है ।

मैं निवेदन कर रहा था, अगर गरीब प्रधान और प्रमुख हो सकता है । बाकी जितने चुनाव हुए, प्रत्यक्ष में लड़े हैं, और लड़ाये हैं । जिस समय पहले सरपंचों को इलेक्ट्रोरल कालेज में सम्मिलित किया गया था तो सरपंच भगाये गये । लोगों को दिल्ली और हरिद्वार ले जाया गया । जब बजट सैशन आया तो यह सब उभर के सामने आया जिसमें कि एक मन्त्री है, वह शामिल थे । अधिकांश सदस्यों ने कहा कि इससे तो पहले वाला ही अच्छा था । पहले तो 20-25 को ही ले जाना पड़ता था । अब 300-300 को बाड़े में रखना पड़ता है । मुझे उस समय का एक उदाहरण याद है । एक इम्पार्टेण्ट मैम्बर ने एक पंच को, जो, उनके पक्ष में था, ले जाकर एक बाड़े में रखा जो 13 मील दूर था । जब शाम हुई तो उसने कहा कि मुझे तो गाय का दूध निकालना है । अब 13 मील ले जाओ और 13 मील वापिस लेकर आओ । दूध निकालने के लिए 13 मील वापिस आओ। यह प्रोसीडिंग में है। पंच और सरपंच दोनों मिलकर वोट देंतो खर्चा ज्यादा हो जाता है । हमारे साधारण बजट में दोनों आयेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा ।

(व्यवधान)

श्री नूरा : आपका खर्चा राज के खर्चे से ज्यादा बढ़ जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि हमने अधिकार दिये हैं । अधिकारों में कमी नहीं है । पंच चुनाव लड़ सकता है । प्रश्न यह है कि पंच प्रधान बनना चाहे तो क्या होगा ? आप चुनाव की घोषणा कर दें । इस सदन में घोषणा हो जाएगी । घोषणा होते ही एक आदमी को ढूंढने की कोशिश करेंगे । ऐसे आदमी को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो 500 आदमियों को बन्द रख सके और खाना खिला सके ।

(व्यवधान)

चुनाव आज होता है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मताधिकार का भी तो अधिकार होता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो फैसला किया है, वह फैसला केवल इसलिए किया है कि जो गरीब पंच और सरपंच हैं, वह भी प्रधान बन सकें । उनको पैसे वालों के सामने सरेण्डर नहीं करना पड़े । शिड्यूल्डकास्ट्स और शिड्यूल्ड बनने की तमन्ना लेकर बैठे हैं लेकिन बन नहीं सकते हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनकी सीट रिजर्व है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है । यह गरीबों के हित में किया है । शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हित में किया है । जो माननीय सदस्य इसका विरोध करना चाहते हैं वह पैसे वालों का पक्ष ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रणजीतसिंह (ओसियां): यह बिल्कुल गलत है ! मैं प्रधान भी रहा हूं और पंच भी रहा हूं, सरपंचों में भी रहा हूं-

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गरीब के नाम से आग लगती है उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आप पहले चर्चा में भाग ले चुके हैं और शासन पक्ष की ओर से इसका उत्तर दिया जा चुका है, डिबेट कन्क्लूड हो चुकी है ।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पर हुए विचार का उत्तर प्रभारी मंत्री को ही देने का अधिकार

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज दिन तक विधान सभा के इतिहास में जो बिल को पायलट करता है

(व्यवधान)

शासन पक्ष की ओर से जब यह जवाब आया,

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कभी कोई विधेयक सदन में विचारार्थ रखा जाता है उस पर खण्डशः विचार- विमर्श होता है, उस समय अमेण्डमेन्ट देने वाले अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, और सम्बन्धित मन्त्री महोदय की ओर से उनका उत्तर दिया जाता है उसके बाद फैसला होता है। यह आप नई परम्परा डाल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यह बीमारी है-

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरे को तो दस बीमारियां हैं, आप दूसरों को उपदेश देते हैं और स्वयं मर्यादा का पालन नहीं करते हैं । सदन के नेता को कम से कम यह ध्यान तो रखना ही चाहिये । (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न अभी खतम नहीं हुआ है । मैं यह निवेदन कर रही थी कि आप यह नई परम्परा डाल रहे हैं। आसन कहां तक इसको उचित समझता है कि प्रभारी मन्त्री महोदय के बोले बिना ही इस तरह से मुख्य मन्त्रीजी · ·

(व्यवधान)

यह किस प्रकार से नई व्यवस्था दी है, हमें पता लग जाय और मुख्य मन्त्रीजी के स्पष्टीकरण के बाद में प्रभारी मन्त्रीजी बोला करेंगे । पूर्व में जो परम्परा चली आ रही है उसके यह क्यों परिवर्तन किया जा रहा है ? क्या मन्त्री महोदय अक्षम हैं कि जवाब ठीक प्रकार से नहीं दे पायेंगे। आप इस बारे में व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके बारे में यह है कि कोई भी सामान्य चर्चा उठा सकता है। उसका उत्तर माननीय मुख्य मन्त्रीजी दे सकते हैं और उन्होंने दिया है। उनको अधिकार है वे डिबेट में इण्टरवीन कर सकते हैं और डिबेट का उत्तर दे सकते हैं। माननीय प्रभारी मन्त्रीजी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने इण्टरवीन किया है इसलिए मुझे भी बोलने का अधिकार है, मैं दो मिनट की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, आप बोल चुके हैं, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिल को पारित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य डागा साहब ने रिक्वेस्ट की तो आसन की तरफ से व्यवस्था हो गई कि जवाब आ चुका है। अब पंचायत मन्त्रीजी कैसे बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जब माननीय मुख्य-मन्त्रीजी ने उत्तर दे दिया है तो डिबेट कन्क्लूड हो जाती है। अब मुझे प्रश्न पूछने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मुख्य-मन्त्रीजी ने इण्टरवीन किया है तो-

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया है, प्रभारी मन्त्रीजी को मैंने कहा है . .

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुख्य मन्त्रीजी ने जवाब दे दिया -

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह हम सदन में नई परम्परा डाल रहे हैं, बिल को पायलट कोई करता है और कन्क्लूड कोई दूसरा करता है, मैं नहीं समझती कि यह कहां तक उचित है।

(व्यवधान)

जो पायलट करेगा उसी को जवाब देना पड़ेगा। आपने जो व्यवस्था दी है उस पर दुबारा --

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सबमिशन करना चाहता हूं, माननीय सदस्या ने जो यह फर्माया कि प्रभारी मन्त्री होता है उसको उत्तर देना पड़ता है, उनका कण्टेन्शन यह है, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जिसके उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती। मुख्य मन्त्रीजी को इण्टरवीन करने का अधिकार है। सवाल यही है कि सरकार की तरफ से जवाब आया या नहीं। मुझको मालूम नहीं यह किस लकीर की फकीर बनी हुई है ।

(व्यवधान)

केवल इस गरज से कि उन्होंने पाइंट बना लिया । माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर दे दिया इसके बाद कुछ कहने को तो है नहीं

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय . .

श्री उपाध्यक्ष : पहले व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देने दीजिये। एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्या सुमित्रा सिंह ने उठाया। शासन पक्ष की ओर से पर्याप्त उत्तर आ चुका है। मैं भी उनके व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं फिर भी यह कहना चाहूंगा कि यहां किसी बिल के सम्बन्ध में चर्चा की जाती है और बिल का उत्तर दे दिया जाता है,

(श्री उपाध्यक्ष)

शासन पक्ष की ओर से चाहे प्रभारी मन्त्री जी दें या मुख्य मन्त्रीजी दें। अगर प्रभारी मन्त्रीजी उत्तर पर्याप्त समझते हैं तो वे उसको पारित करने लिए कह सकते हैं। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा।

माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री गुल मोहम्मद : मैं 4 बार सीट से उठा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए। जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था उस पर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

श्री गुल मोहम्मद : मेरे दिल की बात तो कहने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दिल की बातें आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने अपना निर्णय दे दिया है। अब जब तक मैं इस बिल पर प्रश्न न पूछ लूं, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

कृपया विराजिए।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्षजी···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए। माननीय गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेयर का आदर करते हुए बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में दे देंगे।

श्री गुल मोहम्मद : बाद में क्या देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता। कृपया विराजिए।

श्री गुल मोहम्मद : मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनेंगे भी नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक नहीं कि आपके व्यवस्था के प्रश्न को सुनूं। कोई पाईंट आफ आर्डर अराइज नहीं होता है। गुलमोहम्मद जी। विराजिए।

श्री मूलचन्द डागा : I quote Rule 285 sub-close 2.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मदजी, आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठायें उससे पहले स्पष्ट कर दें कि किस नियम के तहत उठाना चाहते हैं। अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिया जाता है उसके बाद कौन से नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है ?

श्री गुल मोहम्मद : आपने माननीय सुमित्राजी के प्रश्न पर व्यवस्था दी है लेकिन व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब सदन के नेता महोदय किसी भी बिल पर बहस के बाद भाषण देते हैं, बीच में अगर कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो कहते है कि बीच में इन्टरप्ट न करें। हम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठकर सुनते हैं लेकिन उसके बाद में भी कई बार हो चुका है जैसे नेता महोदय बोल चुके और फौरन सदन के बाहर चले जाते

(श्री गुल मोहम्मद)

हैं और बीच में बोलते हैं तो कहते हैं कि आप बाद में प्रश्न कर लें। बाद में जब हमने प्रश्न किया है तो आप कहते हैं कि कोई प्रश्न नहीं होगा। हम बीच में भी नहीं बोल सकते, बाद में भी नहीं बोल सकते। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जब सरकार का उत्तर स्पष्ट नहीं होता है तो क्या माननीय सदस्यों का हक नहीं है कि वह नेता महोदय से या प्रभारी मंत्री से उस बात का क्लेरिफिकेशन करें या प्रश्न पूछें, क्या कोई अधिकार नहीं है। आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं ...

व्यवस्था का प्रश्न

यथा संशोधित विधेयक के पारण का प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : There can be no point of order unless the first point of order is decided.

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया विराजिए।

श्री मूलचन्द डागा : I am quoting rule 85 (2)

"(2) Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill, as amended, be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपकी अमेंडमेंट क्या है ?

श्री मूलचंद डागा : जनमत जानने के लिए अमेंडमेंट था। जब तक ये परमिशन नहीं लेंगे

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेंडमेंट अस्वीकार कर दिया गया।

श्री मूलचन्द डागा : Amendment is there.

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर से पढ़िए, Bill as amended। मैं जो बिल प्रस्तुत कर रहा हूं as amended नहीं कर रहा हूं। जैसे प्रपोज किया गया है, वह प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री गुल मोहम्मद : मेरी व्यवस्था का प्रश्न है

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए। मेरी अनुमति पर निर्भर है।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि...

श्री गुल मोहम्मद : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है कि यह डिबेट पर निर्भर है कि कब प्रश्न उठाने की इजाजत दूं। मैं इस समय उचित नहीं समझता प्रश्न पूछने की इजाजत देना।

विधेयक का पारण

श्री गुल मोहम्मद : मुख्य मंत्रीजी, आप चिंता मत करें लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आता है तो माननीय सदस्यों को हक है कि वे पूरक प्रश्न पूछें और सत्ता पक्ष का कर्तव्य है कि उसका जवाब दें। यथा आप बहुमत के

(१०६)

(श्री गुल मोहम्मद)

आधार पर हम लोगों की आवाज बंद कर सकते हैं? हमारे विचार नहीं बंद कर सकते हैं। यह अहम मसला है मुख्य मंत्री जी से हमें प्रश्न पूछने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजिए।

श्री गुल मोहम्मद : मैं आप से अनुरोध करता हूं कि कम से कम हमें मुख्य मंत्री से प्रश्न पूछने दीजिए, यह अहम मसला है··

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान्य बिल नहीं है। यह अधिकार का सवाल है। आपको हमें प्रश्न पूछने की आज्ञा देनी चाहिए। यह पंचायतों से सबंधित है··

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, काफी चर्चा हो चुकी है, आपने भी चर्चा में भाग लिया है।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

कृपया बिराजिए। मुझे प्रश्न पूछने दीजिए

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

(ध्वनि मत के पश्चात)

विधेयक पारित किया गया।

श्री परसराम मदेरणा: Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने विधेयक पारित करने की घोषणा कर दी है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपने पारित कर दिया। आप दो मिनट ठहर जाते। दो बिल्स अभी हैं, हम भागना नहीं चाहते, हो-हल्ला में आपने पास करवा दिया। नियमों में हमारा अधिकार है कि हम डिवीजन करा सकते हैं, हम वोट से करा सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है, आसन के पास शक्ति है लेकिन कम से कम हमें समय तो दिया जाना चाहिए। यह क्वेश्चन वोट के लिए आता, हमसे पूछा जाता कि विरोध में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों की उस संबंध में क्या राय है। हमारा मत नहीं लिया गया और आपने क्या कहा, हमने सुना नहीं, किसी ने भी सदन में सुना हो तो कह दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप सबने सुना है।

श्री रतनलाल वर्मा: ये सदन का समय फिजूल खर्च करना चाहते हैं, दिन में बहस हो चुकी। उसके बाद भी हो हल्लाबाजी करने के अलावा और कोई बात नहीं है जो बात हो चुकी। आगे क्या बात करनी है, वह करें।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसके विरोध स्वरूप अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी के लोग लोकतन्त्र की हत्या करने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है, अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। यह सही

(श्री रतनलाल वर्मा)

बात को सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ हुड़दंग ही करना चाहते हैं। यह कुछ भी नहीं करना चाहते।

(व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 को पारित करने से....

(व्यवधान)

पंचायती राज को गहरा धक्का लगा है। मैं इसके विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 के पारित होने के विरोध में मैं भी सदन से अपने पार्टी के सदस्यों के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : लोकतन्त्र का हत्यारा भैरोंसिह। लोकतन्त्र का हत्यारा भैरोंसिह।

श्री रतनलाल वर्मा : छाती कूटो, तुम छाती कूटा करो।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी।

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन में उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को जनमत जानने हेतु प्रस्ताव किये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वरचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप गले का जोर लगाइये।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप खुद ही भुगतोगे।

श्री हरचन्द सिंह : हम जानते हैं आप लोग काश्तकारों के विरोधी हो।

(108)

(श्री हरचन्दसिंह)

आप काश्तकारों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते ।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मंत्री): आप तो भाग गये ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृषि मन्त्रीजी बोलें तो सही ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय । मैं दो चार बातें निवेदन करना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस निर्णय पर तो पहुंच गये कि जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वह एक तरह से रबड़ की मोहर की तरह हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, डागाजी को दूसरी बात बोलने का कुछ भी अधिकार नहीं है । इन्होंने जनता पार्टी के सदस्यों को रबड़ की मोहर कहा है । इनको सिर्फ अपने अमेन्डमेन्ट पर ही बोलने का अधिकार है । यह अपने अमेन्डमेन्ट के सिवाय किसी पर भी नहीं बोल सकते ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: उपाध्यक्ष महोदय, चोर की दाढ़ी में तिनका ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह, उपाध्यक्ष महोदय, डागाजी कोई दूसरी बात नहीं बोल सकते ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ समय खराब करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की जो धारा 15 ए है ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : वर्माजी ! पांच बज गये हैं, X X X साहब अब घर जावो ।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऊटपटांग बोल रहे हैं यह बात उचित नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो क्या इस तरह का बोलने का ठेका आपने ले रखा है क्या । आप बाहर जाओ...

(व्यवधान)

वर्माजी, पांच बज गये हैं ।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, वर्माजी को बीच में बोलने से रोका जाय । क्या इनको ही बीच में बोलने का अधिकार है ?

(व्यवधान)

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह बिलकुल नहीं बोल सकते हैं। डागाजी सिर्फ अपने अमेन्डमेंन्ट पर हीं बोल सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : XXX साहब, आप पर से मुकदमे हटा दिये गये हैं। अब क्या बात है ?

श्री एच. एन. शर्मा (बेंगू) : आपकी भी सीलिंग की जमीन छोड़ दी।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बराबर झूठ बोल रहे हैं। मुझ पर कोई मुकदमे नहीं चल रहे हैं। यह मुझे XXX कहते हैं तो मैं इन्हें XXX कहूंगा, इन्होंने जनता को धोखा दिया है। यह XXX हैं।

श्री नूरा : इन्होंने काली शेरवानी पहन रखी है इसलिए इनको XXX ही नजर आता है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं चेलेन्ज करता हूं कि अगर यह साबित करदें कि मेरे ऊपर से कोई एक मुकदमा वापस लिया गया हो तो या तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा या इस्तीफा देदें।

(5.45 म.प.)

(श्रीमती सुमित्रासिंह, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इन XXX को चुप कराओ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : XXX साहब आप बैठ जावो।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : सभापति महोदया, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर श्री नूरा और श्री श्योपतसिंह जी को XXX कहा है और श्री वर्मा को XXX कहा गया है इसको तो कम से कम सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : XXX साहब चुप हो जाओ।

श्री रतनलाल वर्मा : अगर यह मुझे कह सकते हैं तो मैं इनको कह सकता हूं मैं इनको XXX कह सकता हूं मैं इनको भ्रष्ट कह सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरचन्दसिंह : वर्माजी पर 420 के मुकदमे चलाये गये। तुम भ्रष्टाचार की तस्वीर हो

(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

कई माननीय सदस्य : XXX

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! मैं हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहती हूं आप इस प्रकार के शब्द एक दूसरे के लिये प्रयोग कर रहे हैं इससे सदन की गरिमा को ठेस

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।
XXX आसन के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(110)

(श्री सभापति)

पहुंचती है इसके साथ ही यह शब्द सदन की परम्परा को तोड़ने वाले हैं और हमारे इस महान सदन की परम्पराओं के विपरीत हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि हाउस में जब बहस चल रही है तो कम से कम अपने दायित्व को तो समझें। माननीय सदस्य जन प्रतिनिधि हैं। जब आप इस प्रकार की बातें बोलते हैं तब यहां पर और भी माननीय सदस्य बैठे हैं और दूसरे लोग भी सदन में मौजूद हैं, वह सुनेंगे तो क्या समझेंगे? माननीय सदस्य, हमें आगे आने वाली हमारी पीढ़ी इन शब्दों को पढ़कर क्या कहेगी? और आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे? इसलिए आप कृपया जो भी शब्द एक दूसरे के लिये काम में लावें वह ध्यान रख कर लायें। मैं भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य को चेतावनी देती हूं...

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : इन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य! Chair is on legs.

एक माननीय सदस्य : यह अंग्रेजी नहीं समझते हैं।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदया, मैं तो बिलकुल चेअर की अवहेलना नहीं करता हूं और आपके कहते ही बैठ गया।

श्री सभापति : यहां पर सदन के नेता महोदय बैठे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है, कम से कम आप अपनी पार्टी के सदस्यों को यह तो बतावें कि जब आसन पैरों पर हो तो बीच में नहीं बोलें। आप अपने पार्टी के सदस्यों को पार्लियामेन्ट्री संसदीय परम्परायें क्या हैं वह तो बतावें। क्या हमारे कनवेंशन्स सदन के होते हैं, क्या डेकोरम होता है वह इन्हें बतावें। कम से कम जब आसन पैरों पर हो तो सदन के किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है। आप सभी लोग अगर सदन की मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो दूसरे लोग जो सदन में बैठे हैं वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे।

सदन की यह कार्यवाही अखबारों में आती है। सारा मेटर प्रेस में जाता है।

जब इन बातों को सुनने वाले सुनते हैं तो हमारे बारे में जनता की क्या धारणा बनेगी? वह क्या जनता के प्रतिनिधियों के बारे में सोचेंगे? हमें यहां पर सदन में शालीनता रखनी चाहिये। सदन की गरिमा को हमें बनाये रखना चाहिये। मैं सदन के विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी यह कहना चाहूंगी कि विपक्ष में बैठने का मतलब यह नहीं कि आप संसदीय परम्पराओं को नहीं निभायें और जब मर्जी चाहे तब बोलने खड़े हो जायें। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है पर इसका मतलब यह नहीं कि आप संसदीय नियमों को बलाये ताक में रख कर बोलना शुरू हो जावें।

इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। यह तो अपनी संख्या के आधार पर बिल पास करवा लेंगे लेकिन लोकतंत्र की गरिमा बनाये रखने के लिए आप अपने आचार को शालीन रखें। इस बिल के ऊपर बहस प्रारम्भ होगी।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री नूरा : सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं आपकी आज्ञा से। यह जो इशारा किया है और ××× आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है-जैसे यह दस वार चिल्लायें, मैं उत्तेजित नहीं होता हूं और न परेशान होता हूं लेकिन माननीय सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा इस वारे में कि नाम को इस तरह तोड़ मरोड़ कर नहीं रखा जाये।

श्री सभापति : जिन ऐसे हल्के शब्दों ××× आदि का प्रयोग किया गया है वह प्रासीडिंग्स से निकाल दिये जायें।

श्री रामकरण सिंह : ××× शब्द से यह उत्तेजित हुए . . .

श्री नूरा : आपने कहा ×××

श्री रामकरण सिंह : आप दोनों को कहा गया है। इनको ××× कहा गया है। मैं तो तीनों माननीय सदस्यों के लिए कह रहा हूं।

श्री सभापति : सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सदस्यों को मुझे निवेदन करना है कि माननीय सदस्य को इस वात से गहरा आघात लगा है कि उनका नाम वदकिस्मती से कहें या खुश-किस्मती से कहें नूरा है इसलिए आपने अपभ्रंश करके जिस नाम से वोला तो उनके दिल पर ठेस पहुंची है। कम से कम भविष्य में ध्यान रखें, हंसने की वात नहीं है, गंभीर वात है इसलिए आसन चेतावनी देना चाहता है कि इस प्रकार के शब्दों, जिससे किसी भी माननीय सदस्य के सम्मान पर ठेस पहुचे, का प्रयोग नहीं करें और वह शब्द जो उनके नाम पर इंगित करते हैं, ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग कोई भी माननीय सदस्य नहीं करे। ××× शब्द के वारे में पूर्व में आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है।

श्री दिग्विजयसिंह : फिर भी उपयोग करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इन शब्दों का प्रयोग करने में वहुत सावधानी रखनी चाहिये और जो भी आपने कहा है उसके अनुसार मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य, कम से कम एक सदस्य विशेष दूसरे सदस्य को संवोधित करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिसकी वाहर आलोचना हो सके या जिसके कारण से सम्मान घट सके। मैं इस प्रसंग में निवेदन करना चाहूंगा कि किस ने क्या कहा इसमें एक ने ××× कहा दूसरे ने ×× कहा तीसरे ने ×× कहा मैं निवेदन करूंगा कि आज के इन तीनों शब्दों को प्रासीडिंग्स से निकाल दिया जाये ताकि माननीय सदस्य इन शब्दों का वार वार प्रयोग करने से तो रुकें।

श्री सभापति : सदन के नेता के प्रस्ताव के अनुसार इन सारे ही शब्दों को प्रासीडिंग्स से एक्सपन्ज किया जाता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: सवाल एक है। माननीय सदस्य ने एक वात कही मैं यह तो ठीक समझता हूं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन कम से कम यह चीज नेता महोदय तो देखें कि एक पर्टीकुलर सदस्य सारे सदन के वाता-वरण को क्षुब्ध रखें और सारा का सारा डिसआर्डर पैदा कर दें, सारी व्यवस्था को तोड़ दें और आसन की गरिमा का ध्यान नहीं रखे तो हम क्या करें ? यह आपका कर्त्तव्य है कि आप

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)

अपने सदस्यों को काबू में रखें। यह तब सवाल आता है जब कि एक माननीय सदस्य सदन की सारी गरिमा को भंग कर दें। हमारे अधिकारों की रक्षा सदन नहीं कर सके तब हमको कहना पड़ता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: वर्मा जी बोलते हैं तो किसी दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। बोलते ही जायेंगे।

श्री सभापति : मैं समझती हूं कि भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करेंगे और भविष्य में ऐसा मौका नहीं देंगे।

श्री मूलचन्द जी डागा।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति महोदया, इस बिल के आब्जेक्ट्स में लिखा है:

"In order to take one more step towards the achievement of the socio-economic object of 'lands to the tiller', it is considered necessary and expedient that Khatedari rights should be conferred on all such tenants and sub-tenant as held land on 31-12-1969."

मुझे एक बात मालूम होती है कि चाहे इधर बैठे हों सब गरीबों की आड़ में यह कहना चाहते हैं कि जोते जिसकी जमीन और बोये जिसका खेत समाजवादी विचार धारा के लोग हैं इन्होंने एक शब्द लिख दिया। जो आप संशोधन लेकर आये हैं उस एक्ट के अन्दर यह प्रावधान होगा कि जमीन उसी के नाम होगी जो इसको जोतता है। जो बोता है आप एक अच्छी समाजवादी विचार धारा के मंत्री हैं और जो आदमी खेती करता है उसको जमीन दी जायेगी। आज ही मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 57 हजार बन्धुआ मजदूर हैं। कई लोग आज भी इस लाबी में, विधान सभा में भी और बाहर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वह दूसरा काम करते हैं, दूसरे कामों से पैसा कमाते हैं, उनके कमाने के दूसरे साधन हैं उनके पास भी हजारों बीघा जमीन है। कई लोग हैं जिन्होंने केवल काम के लिए जमीन रख छोड़ी है। अगर जो जोतता उसके पास जमीन होती तो आपके जो आब्जेक्ट्स हैं वह सार्थक होते लेकिन यह मैं फिर कहना चाहता हूं इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट दिया था और कहा था कि जमीन पर खातेदारी के हक किस को दिये जायें "Land to the tiller"। मैंने इसमें संशोधन इसलिए दिया था, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विचारधारा आप रखना चाहते हैं अपने स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में कि जो काश्त करता है उसकी जमीन होगी "Land to the tiller" यह केवल एक धोखा है।

इसलिए मैं चाहता था कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये ताकि लोगों को मालूम हो कि राजस्थान में सैक्शन 15 के अन्दर जो हमने पहले गलती की उस समय राजस्थान केनाल का नाम नहीं लिखा और इसलिए अधिकार नहीं रहा और उसके बाद 15 (ए) रखने के बाद भी एक नोटीफिकेशन के जरिये इसको ठीक करना चाहते थे वह नोटीफिकेशन भी नहीं माना गया और आज आप यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान केनाल

(श्री मूलचन्द डागा)

में जिन लोगों का कब्जा है तो आपने उसमें लिखा है यह शर्त हैं - केवल जिसकी आकुपेन्सी हो और आकुपेन्सी का मतलब यही है कि Who had the power to stay जो जमीन पर रह सकता है।

तो आपकी जो भावना है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक्चुअल कल्टीवेशन करता है और जो काश्तकार है उसको जमीन मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह चाहता था कि सीलिंग ला लागू है तो उन लोगों को जमीन उतनी ही देनी चाहिए। अगर सीलिंग से ज्यादा जमीन उनके पास है तब भी आपने खातेदारी अधिकार दे दिये तो उससे हमारा ही नुकसान होगा। इसमें यह नहीं है कि जो आप चाहते हैं। जो 15(ए) में यह शब्द है कि उन लोगों को जमीन दी जायेगी लेकिन आपने यह प्रोविजो नहीं लिखा कि जिसके पास सीलिंग लां से जमीन ज्यादा होगी उनको खातेदारी के राइट्स नहीं दिये जायेंगे। तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहले तो खातेदारी राइट्स देंगे आप और उसके बाद में फिर सीलिंग ला को वापिस लेंगे। तो इसमें एक तो मैं यह चाहता था कि यह जो आपने कानून निकाला है कि जो काश्त करें और जो जमीन जोतता है जमीन उसकी होनी चाहिए। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि कल्टीवेंटरी पजेशन होना चाहिए। आपकी गिरदावरी के बारे में मैं आजभी कह सकता हूं और कई विधायक इस बात को कहेंगे कि हमारे पटवारी खेत में जाते नहीं गिरदावरी सही नहीं होती। वे घर पर बैठकर गिरदावरी कर लेते हैं। सब-टिनेन्ट्स का नाम नहीं लिखते। आज ऐसे हजारों काश्तकारों से लड़ाई की जा रही है। कानून के खिलाफ की जा रही है। नाम नहीं लिखा जाता है। जो काश्त करते हैं उनका नाम नहीं लिखा जाता। क्या ऐसी गिरदावरी पर विश्वास किया जाय? सैक्शन 15 ए लागू हो। मैं कहता हूं नहीं हो। 15 ए में कोई साबित करे कि दरअसल में इसका नाम तो है मगर काश्त मैं करता हूं, आकूपेन्सी नहीं,व कल्टीवेटरी पजेशन है।

आकूपेन्सी और कल्टीवेंटरी पजेशन में बहुत बड़ा फर्क है। जो काश्त करता है उसको खातेदारी राईट्स दो एसा कोई क्रांतिकारी कानून लाते हैं तो ठीक अन्यथा चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेम्बली हो,क्योंकि गांवों से बड़े बड़े काश्तकार आते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमान जब एक टिनेन्सी एक्ट का पूरा अमेंडमेंट लाते हैं तब तो मैं समझता हूं कि समाजवादी लोहिया की आत्मा बोल रही है। आज बड़े बड़े लोगों की जमीनें हैं राजस्थान केनाल में जैसलमेर एरिया में जहां केनाल नहीं पहुंची है 300, 400 बीघा जमीन है क्योंकि वहां की सीलिंग लिमिट है उन को सबको खातेदारी के राइट्स मिल जायेंगी। जब वह जमीन चाही होगी, उनके पास इतनी जमीन हो जायगी। आपने हुकम तो दे दिया कि जैसलमेर की सारी जमीन राजस्थान केनाल में जो एरिया हैं, खातेदारी अधिकार दे दें.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप अंधेरे में लाठी को पीट रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा यह कहना है इसलिये अगर आप 15 ए और 19 में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस आदमी का जीवन निर्वाह खेती पर हो Who is

(114)

(श्री मूलचन्द डागा)

dependent only on agriculture. मैं वकालत भी करता हूं और 100बीघा जमीन भी है। क्या उसके बन्धक मजदूर नहीं है? आज 57 हजार बन्धक मजदूर हैं। लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि शोषण और दमन पर चलने वाला राज न हो और शोषण और दमन कैसे होता है। बड़े बड़े आदमियों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, व काश्त करते नहीं हैं किन्तु वे उन गरीबों का शोषण करते हैं। वे बन्धक मजदूर रखते हैं। अगर इस प्रकार का समाजवादी मंत्री बन गया रेवेन्यू मिनिस्टर और इस उमर में बन गया, वे गांधीवादी कानून नहीं ला सकें तो अफसोस ही करना पड़ेगा। यह कानून जागीरदारों को खुश करने का कानून है। इसमें क्या होगा कि 15 ए के अन्दर जो एरिया रखा है, मैं चाहता हूं कि खसरा गिरदावरी और एनुअल रजिस्टर्स, चाहे लैण्ड रेवेन्यू में कुछ भी लिखा हो, यह प्रिजम्पशन होगा यह करेक्ट है, इसके अलावा यह रख दीजिये दरअसल में काश्त अगर वह करता है, कल्टीवेटरी पजेशन उनका है जो कल्टीवेशन करते हैं उनको अधिकार मिलना चाहिये और सीलिंग को देखकर अधिकार उनको मिलना चाहिये। आप जो सोचते हैं, हम बड़े अच्छे कदम ले रहे हैं, यह आपके ठीक कदम हो सकते हैं लेकिन ये कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाये। एक महीने का समय दिया जाये। कितने लोगों की राय आती है। बन्धक मजदूरों का शोषण और दमन मिटे।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचंद्र जन !

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोतम मंत्री (राजस्व मंत्री) : यह नाम तो पहिले लिये जा चुके हैं।

श्री सभापति : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : माननीया सभापति महोदया, राजस्थान के निर्माण के पश्चात् किसानों के हितों की रक्षा और सरकार के प्रति उनके दायित्वों को इस राजस्थान काश्तकारी अधिनियम टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत लिये गये। यह अधिनियम टिनेन्सी एक्ट जिसकी अधिकांश धारायें वास्तव में किसानों की रक्षा के लिये, उनके हितों की रक्षा के लिये थीं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि धारा 15 ए इस टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार की धारा थी जिसको काली धारा के रूप में राजस्थान के किसान अच्छी तरह से जानते हैं। इस धारा के अन्तर्गत किस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय हुआ, वह मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1655 की धारा 15 क के विद्यमान उपबंध यह अभिकथित करते हैं कि राजस्थान नहर क्षेत्र में पट्टे पर दी गई किसी भी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे अथवा कभी प्रोद्भूत हुए नहीं समझे जायेंगे।

इसका अभिप्राय: यह था कि राजस्थान में कभी भी जो राजस्थान केनाल का एरिया है वहां किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जायेंगे और इसके साथ साथ बीकानेर स्टेट की भूतपूर्व सरकार राजस्थान में सब से ज्यादा क्रांतिकारी सरकार थी जिस सरकार ने किसानों के हितों के लिये इस प्रकार का

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

एक्ट बना रखा था उसके तहत आकूपाईड टिनेन्सी और खातेदारी और इस प्रकार जो दूसरे काश्तकार थे उनके लिये कानून बनाया गया। चाहे आकूपाइड टिनेन्सी थी, वह अधिकार था। अन्य किसी भी अधिकार के तहत किसानों को जो अधिकार भूतपूर्व सरकार ने दिये थे, धारा 15ए के अन्तर्गत कांग्रेस की सरकार ने वे अधिकार उनसे छीन लिये। उस दिन उस सरकार ने तत्कालीन सरकार ने उन किसानों के साथ घोर अन्याय किया, उनके पेट के ऊपर सरकार ने लात मारी और वह किसान आज दिन तक दर दर की ठोकरें खाता रहा इसलिए मेरा निवेदन है कि इस धारा 15 (अ) को समाप्त किया जाय या इस प्रकार संशोधन किया जाय कि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के काश्तकारों को जो अधिकार प्राप्त हो चुके थे, वे कायम रहें। आज यदि बीकानेर स्टेट कायम होती तो वे खातेदारी राइट्स उनको प्राप्त हो जाते। किसानों ने इसके खिलाफ आन्दोलन किया और गंगानगर के किसानों का आन्दोलन एक ऐतिहासिक आन्दोलन था। उसमें भी यह मांग रखी थी कि धारा 15 (अ) को इस प्रकार संशोधित किया जाय कि उनको भी खातेदारी राइट्स मिल जाय या फिर इस धारा को समाप्त कर दिया जाय ताकि किसानों के साथ न्याय हो सके। आज आप अन्दाज लगा सकते हैं कि 15 (अ) के द्वारा किसानों के साथ किस प्रकार का अन्याय हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की धारा है जो पानी के बहाव के साथ साथ सांप की तरह चलती है और किसानों को डसती है। जैसलमेर का इलाका जहां नहर नहीं है और जिस एरिया को कोलोनाइजेशन ऐरिया नहीं किया वहां खातेदारी है लेकिन जिस दिन कोलोनाइजेशन एरिया डिक्लेयर कर दिया जायगा उस दिन ये खातेदारी अधिकार समाप्त हो जायेंगे। आज मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार इस धारा 15 (अ) को इस प्रकार संशोधन कर रही है और उनको फिर से अधिकार सुपुर्द करने जा रही है जिससे राजस्थान के 11 हजार काश्तकारों को लाभ मिलेगा। राजस्थान के 11 हजार काश्तकार इससे लाभान्वित होंगे लेकिन साथ ही मुझे खेद है कि इस प्रकार के संशोधन से काम नहीं चलेगा। इसके साथ आपको ऐसे काश्तकारों का ध्यान रखना होगा जो टी. सी. काश्तकार है, क्योंकि इस संशोधन से तो केवल उन्हीं लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ है जिनको खातेदारी अधिकार थे। आपने उन किसानों को महरूम रखा है, आप उन टी सी काश्तकार पर भी ध्यान दीजिये। यदि बीकानेर स्टेट रहती तो उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते। इसलिए मेरा निवेदन है कि टी सी होल्डर्स को भी खातेदारी अधिकार देने की व्यवस्था कीजिये। इससे आपकी समस्या का निदान हो सकता हैं जो कोलोनाइजेशन एरिया में 55 के पूर्व और पश्चात के मामले हैं वे सुप्रीम कोर्ट में गये। उन मामलों को राजस्थान के किसान और किसान में जो भेद था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। आज मुझे गर्व है राजस्थान की सरकार ने हजारों काश्तकारों को जिनके पास अलाभकारी जमीन थी, असिंचित जमीन थी, उन हजारों काश्तकारों को आपने लगान से माफी दी है। हमारी सरकार ने उनको लाभ पहुंचाया है। कांग्रेस

(116)

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

की सरकार जुल्म करती थी और उनसे जबर-दस्ती लेवी वसूल करती थी और नहीं देती थी तो उनके पशुओं को नीलाम करती थी। आज यदि टी सी होल्डर्स पर ध्यान देते तो अधिक लाभ होता। आप इन संशोधन को जितना जल्दी हो सके पारित करवाने की व्यवस्था कीजिये। जो त्रुटि रही है उसके लिये मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने हेतु, जो मौजूदा संशोधन में और क्या व्यवस्था हो सकती है, उस पर भी विचार करें इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। प्रस्ताव मैंने इसलिए प्रस्तुत किया है कि जो बिल हमारे पास आया है और जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं और उस बिल की क्लाज (2) की जो धारा है 15 AAA

(1) Notwithstanding anything contained in section 15A, any person who, at the commencement of this Act:—

(a) was an occupancy tenant or a Maurusidar or a Khatedar tenant or a tenant with transferable and heritable rights and who recorded as such in the annual registers than current, or

इसका मतलब यह हुआ जो खातेदारी इस धारा 15 से दी जा रही थी वह चार केटेगरी के किसानों पर है- आकूपेन्सी टिनेन्सी पर, मौरूसी टिनेन्सी पर, खातेदारी टिनेन्सी पर और टिनेन्सी जिसके ऐसे राइट्स है जो ट्रान्सफरेबल भी है और हेरिटेबल भी है। यह जो चौथी केटेगरी है जिसका राइट रखा है वह ट्रान्सफरेबल भी है और हेरिटेबल भी है ऐसा है जो पहली तीन केटेगरी में नहीं रखा है उसको भी खातेदारी राइट्स मिल जाय। लेकिन, सभापति महोदया, जब मैंने इस बिल के आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स को पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि तीनों केटेगरी अपने आप में पूर्ण नहीं है इसलिए चौथी में कन्डीशन लगाई है ट्रान्सफरेबल एन्ड हेरिटेबल····

"The existing provisions of section 15A of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) lay down that no Khatedari rights shall accure or shall be deemed ever to have accured in any land leased out in the Rajasthan Canal area. At the time of the Commencement of the Rajasthan Tenancy Act,

(श्री परसराम मदेरणा)

there were various rights in the land held by them It is considered just and appropriate that the rights of such classes of tenants as had heritable and transferable rights in the land should be recognised as Khatedari rights for all the purposes of the said Act'

इससे बड़ा कानून के विपरीत कोई बात मिनिस्टर कह नहीं सकते हैं। बीकानेर के खातेदार को ट्रान्सफरेबल राइट नहीं है, बीकानेर के आकुपेन्सी टिनेन्टी को ट्रान्सफरेबल राइट्स नहीं हैं। जिनके पास ट्रान्सफरेबल और हेरिटेबल राइट्स होंगे चाहे वह किसी भी प्रकार की खातेदारी हो, मौरूसी हो या दूसरी प्रकार की हो और जो दूसरा सैक्सन (1) का बताया है ये चारों प्रकार की टिनेन्सी के दोनों राइट्स हैं तो फिर खातेदारी राइट्स जरूर होंगे लेकिन यहां पर सेपेरेट केटेगरी बनाई जा रही है अगर आपको सेपरेट केटेगरी ही बनानी थी तो सैक्शन (ए) में खातेदारी अधिकार नहीं मिलते। राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एरिया में दूसरी केटेगरी है जिसको सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य प्रि-55 टिनेन्सी नाम से कहते हैं। उनको ट्रान्सफरेबल राइट्स तो नहीं थे लेकिन हेरिटेबल राइट्स थे और खातेदारी में उनके नाम हैं और इनका नहीं है तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? लैंग्वेज बहुत क्लियर और साफ है- आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में और बात कही गई है और क्लाज और बात कह रहा है। तो माननीय मंत्रीजी प्रि-55 के जो टीनेंट हैं उनकी जो आज स्थिति बनी है वह इसलिए बनी है कि सैटलमेंट जो बीकानेर स्टेट में हुआ उस वक्त नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि जागीर एरिया में थे और नाम नहीं लिखे जाने के कारण उनका नाम रजिस्टर में नहीं है। उनको जो राइट थे, पहले के जो राइट थे और वह राइट केवल हेरीटेबल राइट थे, आपने लिखा है आगे जाकर नाम रिकार्ड में नहीं है लेकिन ऐसा टेनेंट जिनका कोई रिकार्ड भी नहीं है लेकिन ओरल एवीडेंस दे देगा, या सब्सीक्वेंट रिकार्ड बना है सैटलमेंट या समरी सैटलमेंट या बन्दोबस्त का, उसमें अगर नाम आ गया है और एवीडेंस से यह मालूम हो गया कि यह बहुत पुराना कल्टीवेटर है, प्रि - 55 का, 15 अक्टूबर, 55 का काश्तकार है और उसका राइट था, राइट या उसको ट्रांसफरेबल, और हेरिटेबिल जो मैं यह कह रहा हूं तो खातेदारी के ट्रांसफरेबल राइट नहीं थे। आकुपेन्सी टिनेन्ट को ट्रांसफरेबल राइट नहीं थे और इस प्रकार के जिनको राइट नहीं थे लेकिन उनका नाम दर्ज है, अगर नाम दर्ज है तो भी आप क्लाज 2 के नीचे (बी) में लिख रहे हैं :

"(b) was not so recorded, but was an occupancy tenant or a Marusidar or a Khatedar tenant or a tenant with transferable and heritable rights,"

इसमें रिकार्ड नहीं है उसको ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल कण्डीशन इम्पोज की है। चौथी केटेगरी ए और बी में की है बाकी इक्वेटेबल केटेगरी सैम फुटिंग में है। फर्क इतना ही है कि ए के अन्दर रिकार्ड में नाम नहीं है, बी में रिकार्ड में नाम नहीं है तो वह सेपरेट केटेगरी बना कर टिनेंट के साथ, दूसरे

(श्री परसराम मदेरणा)

टिनेंट के कल्टीवेबल की बात, पजेशन की बात, पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्री-55 का टिनेंट साठ भाठ साल से पजेशन में है, सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन से उसके पास में खुदकाश्त की लैंड है तो उसको बराबर करना पड़ेगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह किसान, प्रि -55 वाले वह टिनेंट जो राजस्थान केनाल एरिया में और सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन के पहले यह डिसिजन लिया, रूल्स बने थे कि उनको यह कल्टीवेटरी पजेशन साबित करना होगा कि 1-4-55 को पजेशन में थे और कल्टीवेशन कर रहे थे। इसका मतलब है कि टिनेंसी एक्ट लागू होने के पहले, छः महीने पहले पजेशन में थे। उन लोगों को आप खातेदारी अधिकार नहीं देने जा रहे हैं और चौथी केटेगरी को जो ट्रांसफरेबल और हेरीटेबल राइट थे उनके लिए यह रखा है कि रिकार्ड में नाम है, लेकिन ट्रांसफरेबल राइट खातेदार को बीकानेर स्टेट में नहीं थे। बीकानेर स्टेट का टिनेंसी एक्ट आप देख लीजिये, उसमें राइट नहीं थे और आकुपेंसी टिनेंट को नहीं थे, मौरुसीदार को नहीं थे और जब केवल मौरुसी-दार थे और उन दो केटेगरीज को नहीं थे और जहां रिकार्ड नहीं है लेकिन नाम खातेदारी लिख दिया है, राइट नहीं थे लेकिन उसको, जिन लोगों को ट्रांसफरेबल राइट थे, रिकार्ड में नाम नहीं आया, उन तीनों के साथ में ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल की कंडीशन लगा कर उनके साथ में आपने राजस्व मंत्रीजी जैसा डिस्क्रि-मिनेशन किया है, यह जस्टीफिकेबल नहीं है, आर्बीट्रेरी है और मेलेसियसली किया है। किया है। जुडिशियसली करते तो डिस्क्रि-मिनेशन नहीं रहता। अब वह एक्ट तो बढ़ा दिया, बीकानेर स्टेट के खातेदार टिनेंट, आकुपेंसी टिनेंट को ट्रांसफरेबल राइट थे, उसके साथ ही सेपरेट केटेगरी बनाई है। आपने ऐम एण्ड ओब्जेक्ट्स में लिख दिया कि वह सभी टिनेंट हो, ट्रांसफरेबल खातेदारी राइट होने चाहिए चाहे वह मौरुसीदार हो, चाहे वह ओकुपेंसी खातेदार हो। यह वहां लिख दिया और उधर एक्चुअली ड्राफ्टिंग में या दूसरी तरह से जो किया है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनके उपर कण्डीशन मत रखिये।

और दूसरा मेरा यह निवेदन है कि अगर आप कण्डीशन रखते हैं तो केवल इन लोगों पर कण्डीशन डाल रहे हैं तो दूसरों पर भी डालिये। दूसरों पर ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल की कण्डीशन नहीं डाली है। उनके पास ट्रांसफरेबल राइट नहीं हैं उनको खातेदार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एक्ट के सेक्शन 50 - ए की वजह से किसी को भी किसी प्रकार के राइट वेस्ट नहीं है। कोई राइट वेस्ट नहीं है सुप्रिम कोर्ट के जजमेंट की वजह से। अब आप कह रहे हैं कि नाम लिखा हुआ है उनको दे देंगे यदि कोई टिनेंट होगा। मैं वकालत प्री-55 वालों की कर रहा हूं जो ग्यारह हजार के करीब किसान हैं और जो ग्यारह हजार किसान हैं पहले के रूल्स में सीलिंग लिमिट तक जमीन दी गई। जमीन कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने अलाट कर दी, सैटल हो गई। एक मुरब्बा फ्री था और एक मुरब्बा पर रिजर्व प्राइस थी। सुप्रिम कोर्ट के जजमेंट से एनोमोली खड़ी हुई। इस स्थिति से निपटने के लिए अगर आप इसमें कोई प्रोविजन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजस्थान केनाल एरिया में जो 1.4.55 के काश्तकार हैं, ग्यारह हजार

(श्री परसराम मदेरणा)

खातेदार हैं उनको महरूम रखना चाहते हैं। और इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ने इस टिनेंट के ऊपर दोनों कंडीशन लगाई है और दूसरों पर नहीं लगाई है। मैंने अच्छी तरह से जो इस कानून को जानने वाले हैं विधि विशेषज्ञ,उनसे बात कर ली है। उनका भी कहना है कि ट्रांसफरेबल की कण्डीशन इनके ऊपर ही लग रही है, तीन केटेगरीज पहले वालों पर नहीं लग रही है। इसलिए पहली तीन केटेगरीज को ट्रांसफरेबल राइट नहीं है तो फिर इनको क्यों महरूम रखा जा रहा है? यदि आप कण्डीशन टिनेंट के साथ में एक ही रखना चाहते हैं तो उनको भी हेरिटेबल राइट रहना चाहिए। आपके इस बिल में यह बात कही जा रही है कि यह टेम्प्रेरी लीज होल्डर हैं उनको राइट मिल जायेंगे। टेम्प्रेरी लीज होल्डर में राजस्व मंत्रीजी, उनको राइट नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे कि ओन दी कमेंसमेंट आफ दिस एक्ट, को वह टिनेंट होना चाहिए यानि वह 15 अक्टूबर, 55 के पहले का टिनेंट होना चाहिए और वह पजेशन में होना चाहिए। और वे यह बात साबित कर चुके हैं कि 15.10.55 ही नहीं बल्कि 1.4.55 के पहले के टिनेंट हैं और 1.4.55 को काश्तकार और हेरिटेबल राइट थे। इन हेरिटेबल राइट वालों को उस फूटिंग पर नहीं समझा है जब कि बीकानेर स्टेट के खातेदार बाद के हो गए, हेरिटेबल राइट और ओकुपेंसी हेरिटेबल राइट, इन दोनों कण्डीशन में डिस्क्रिमिनेशन है। इसको जान बूझ कर प्री- 55-वालों को महरूम रखा जा रहा है। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत बड़ीबड़ी बातें कह रहे थे कि बड़ा भारी कानून लाया गया है लेकिन मैं कहता हूं कि इन लोगों के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा।

धारा 19 के अन्दर, आपका यह भाषण है। यहां पर मैंने बहुत बड़ी लाइन लगाई है जमीन का मालिक बोने वाला होना चाहिए मंत्री। राजस्व मंत्री जी से मतलब है। यह है 17 सित. 78 का। सेक्शन 19 के अन्दर अगर लैंड टू दी टिलर है, सब टिनेंट के खुदकाश्त का मामला है, ये लोग भी पुराने हैं, उनको समय दिया गया है 59 से 61 तक का, दो साल का समय था। 15.4.59 से दो साल के अन्दर सप्लाई कर सकते हैं। यह पीरियड 5.4.71 को पूरा हुआ तो फिर अमेंडमेंट किया सेक्शन 19 में और फिर यह पीरियड 5.4.71 से 5.4.73 तक बढ़ाया गया। उसमें कुछ लोग रह गए। आपने एक आर्बीट्रेरी डेट लगाई है जिसका इस टिनेंसी एक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने एक बात कह दी कि सीलिंग के रिकग्नीशन की डेट डाल दी। उसके सम्बन्ध में गस्त गिरदावरी के रिकार्ड का प्रश्न है। रिकार्ड के कालम में 8-16-24-32 में राइट है, पजेशन है और सब टिनेंट बैठा है। जब 1963 से लेकर 74 तक गस्त गिरदावरी नहीं हो रही थी तो यह आर्बीट्रेरी डेट 31दिसम्बर,1959लिखने से कैसे अधिकार मिल जाएगा। उनका कोई नाम नहीं लिखा जा रहा है। गस्त गिरदावरी नहीं हो रही थी तो कैसे नाम लिखा जाता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बिल लाये हैं बिना सोचे समझे लाये। डेट आर्बीट्रेरी है। प्रोग्रेसिव बन करके, समाज का बड़ा भारी ढांचा बदलना चाहते हैं। वह कह रहे थे उस दिन अविश्वास प्रस्ताव के समय कि समाज का पूरा ढांचा, ग्रामीण ढांचे का नवनिर्माण किया जाएगा और नई रचना की जाएगी क्या यही रचना होगी? आज जो लैंड टू दी टिलर है, उस गरीब आदमी को आप यह समझते हैं कि सीलिंग कानून के लागू होने

(120)

(श्री परसराम मदेरणा):

से बच जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही छोटे किसान हैं सीलिंग कानून के इम्पली-मेन्टेशन के समय, इसके आदेश होने के बाद मैंने इसको रोका था और इसके लिए सैक्शन 19 में अमेन्डमेन्ट करना चाहिए था। मैंने आपसे निवेदन भी किया था। चिड़ावा में ऐसे किसान हैं जिनके पास पांच बीघा जमीन है परन्तु उन्होंने उसमें 50/60 हजार की सब्जी उगायी और उसमें इतना इन्वे-स्टमेन्ट कर दिया है। अब उनकी जमीन ली जा रही है क्योंकि वे खातेदारी नहीं ले सके हैं। यह आर्बीट्रेरी डेट आपको नहीं रखना चाहिए। गश्त गिरदावरी बंद हुई है या प्रारंभ हुई उस वक्त से इसका पता चल जाएगा। 8, 16 और 24 में उसका नाम हैं तो उसका कन्टीन्यू पजेशन है और उसको खातेदारी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सीलिंग के नाम से एक से छीन कर दूसरे को देंगे और उसको भूमिहीन बना देंगे। इससे आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि यह डेट आर्बीट्रेरी है। आप कह रहे हैं कि रूल में आसान कर देंगे परन्तु दस साल बाद में उनको खातेदारी मिलेगी। आपका लोहियावादी दर्शन है परन्तु इसके विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं। इससे उन किसानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसलिए यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि वहां हम सब बैठ करके इन सारे कानूनी मुद्दों का अध्ययन करें उन सब लोगों को जो बराबर फुटिंग पर खड़े हैं उनकी सहायता कर सकें।

श्री सभापति : श्री गंगाराम चौधरी :

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, मेरा भी यह निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी संशोधन विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे और वह प्रवर समिति एक महीने में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

वास्तव में यह बिल अपने आप में छोटा-सा लगता है परन्तु इसको पारित करने के बाद इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए जल्दी में इसको पारित करने के बजाए इस बिल का प्रवर समिति के समक्ष जाना आवश्यक है ताकि सभी माननीय सदस्य इसके मुद्दों पर प्रकाश डाल सकें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज-स्थान टिनेन्सी एक्ट 15.10.1955 को लागू हुआ। उसके पहले राजस्थान नहर क्षेत्र में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए माननीय राजस्व मंत्री जी जब उत्तर दें तो यह बताने का कष्ट करें कि आज के गैर खाते-दार 15.10.55 से पहले के गैर खातेदार हैं और 15-ए के तहत जिनकी खातेदारी ले ली गई है उनमें से राजस्थान नहर क्षेत्र जिसमें गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर आता है, वहां पर जिनको टेम्प्रेरी मान लिया गया था, उनमें से कितनों को इससे खातेदारी मिल जायेगी और कितनों को नहीं मिलेगी। मेरा यह अनुमान है कि बीकानेर, जैसलमेर में यह रीति रिवाज था और वहां पर कोई रिकार्ड नहीं था और उस रीति रिवाज के माफिक 1945 के टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत बहुत थोड़े लोगों को ही खातेदारी राइट्स दिए गए थे और इस प्रकार एक गांव में मुश्किल से 5/7 आदमियों को ही इस प्रकार के राइट मिले थे। उन लोगों को नजराना देना पड़ता था और

(श्री गंगाराम चौधरी)

बीस साल का पजेशन साबित करने के बाद उनको खातेदारी मिलती थी। जागीर के गांवों में तो किसी को भी राइट्स नहीं दिए जाते थे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस कानून के पास होने के बाद अगर खातेदारी अधिकार दिए जाएंगे तो यह मालूम होगा बहुत थोड़े लोगों को यह अधिकार मिल पाये हैं और बहुत बड़ा नम्बर गर खातेदारों का इस इलाके में रह गया है। इसलिए मंत्री महोदय अगर यह चाहते हैं कि वहां के लोगों को खातेदारी अधिकार दिए जाए तो उनको इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए कि जो आदमी उस दिन टिनेन्ट था तो उसको जो 15.10.55 को टिनेन्ट था उसको खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिए। बीकानेर में जो टिनेन्सी एक्ट था उसमें ट्रान्सफर के राइट्स तो अवश्य थे परन्तु जो जागीरदारों के गांव थे उनमें बहुत ही कम खातेदारी के अधिकार मिले हुए थे। वहां पर काश्तकार को टेम्परेरी माना गया था परन्तु उनका रिकार्ड में कब्जा अवश्य दर्ज होता था। बाद में जो प्रोटेक्शन आर्डिनेन्स निकला उसके बाद तो बेदखल नहीं हो पाये हैं और उनका कब्जा लगातार चला आ रहा है और हेरिटेबल राइट्स उनको नहीं है। वास्तव में किसी काश्तकार की डेथ हो गई. बेटा काश्त कर रहा है, तो इस प्रकार से उसका कब्जा चला आ रहा है। देखा जाए तो वे काश्तकार लम्बे अर्से से चले आ रहे हैं। परन्तु कानून के तहत वे टिनेन्ट हैं। इन सब को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। 1955 के बाद भी आप देख लें। कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत राजस्थान नहर में कोई एलाटमेन्ट नहीं हुआ है। 1955 के बाद इस प्रकार से जिनका कब्जा है, आज भी कब्जा है, उस काश्तकार को एक्सक्लूड किया जा रहा है। इनका यह यह बहुत बड़ा नम्बर है। जिस केटेगरी को आप लेना चाहते हैं वह बड़ी मुश्किल से निकालेगी और बाकी परिवार गैर खातेदार रह जायेंगे यह स्टेटमेन्ट बीकानेर स्टेट का है जिसकी फिगर 7800 है जिसमें गैर खातेदार 68 में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में थे।

तो वहां इस तरह के काश्तकारों को रखा गया है। राजस्थान केनाल एरिया के बाहर के काश्तकारों को अवश्य खातेदारी मिल गई थी लेकिन राजस्थान केनाल एरिया में इस प्रकार के लोग हैं जो महरूम हो रहे हैं। बीकानेर स्टेट के तीन डिस्ट्रिक्ट चूरू, गंगानगर और बीकानेर। राजस्थान केनाल एरिया से बाहर उन काश्तकारों को जिनका राइट था, टेम्प्रेरी टिनेंट की परिभाषा आप कर सकते हैं-उन सब को राजस्थान टिनेंसी एक्ट के होने के बाद धारा 15 के तहत खातेदारी मिल गई थी आप उस पर हक रखने वाले काश्तकारों को राजस्थान केनाल एरिया से फिर वंचित करने जा रहे हैं तो उन लोगों के हकों के साथ में आप कुठाराघात करने जा रहे हैं यह अच्छा नहीं है। दूसरी बात जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की हालत देखें। जैसलमेर भूतपूर्व रियासत, जिसके कुछ गांव मगरा, कोलायत में आ गये हैं उस जैसलमेर भू. पू. रियासत में न तो कानून था न टिनेंसी और न कोई रेकार्ड। वहां पर रिवाज यह था कि जो जमीन काश्त करते थे उनसे दो रुपया सालाना हलोढ़ ली जाती थी। वे भी एक तरह से टिनेंसी की तारीफ में आते थे उन काश्तकारों के लिये यह साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि उसके लिये इन हेरिटेबल या ट्रांसफरेबल राइट्स हैं और रिकार्ड के अभाव में, कानून के अभाव में, एविडेंस क्रिएट की जावेगी।

(श्री गंगाराम चौधरी)

वह एविडेंस फेब्रिकेटेड होगी और जागीरदार और काश्तकार इस प्रकार से आज आपने जो नया नियम निकाला है वे पुराने कागजात निकाल कर कई लोग ट्रांसफरेबल और इन हेरिटेबल राइट के सबूत पेश करेंगे जिनका वास्तव में कब्जा नहीं है। उन लोगों को भी 15.10.55 का पजेशन साबित करना है। जैसलमेर में फाइनल सेटलमेंट 15.10.55 के बाद हुआ है अतः इसमें कई प्रकार की एविडेंस होंगी तो उसमें सारी जमीन राजस्थान केनाल की चली जायेगी। इस प्रकार की स्थिति जैसलमेर की है। बीकानेर में जो सेटलमेंट संवत् 2000 और 2004 में हुआ था वहां भी कई जागीरदारों ने परिवारों के नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली थी जो उनका कब्जा नहीं था, पड़त जमीन थी लेकिन वहां कहावत है कि अगर जागीरदार चाहे तो अपनी जमीन की ओनरशिप ले सकता है। सेटलमेंट संवत् 2000 में हुआ। तो जागीरदार ने परिवार के सदस्यों के नाम सैंकड़ों बीघा जमीन ले ली थी. वे लोग आज इस कानून के तहत खातेदार बन जायेंगे। लेकिन वास्तव में जो टिनेंट संवत 1982 से काश्त करते आये हैं ऐसे लोग महरूम रह जायेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इन बातों पर विचार किया जाय और वह एक सेलेक्ट कमेटी के तहत ही हो सकता है।

दूसरी तरफ धारा 19 के तहत जो सब- टिनेंट खुदकाश्तकार बन जायेंगे लेकिन वास्तव में जो पुराने टिनेंट हैं वे नई धारा 15(एएए) के तहत काश्तकार नहीं बन सकेंगे। इसलिए इस प्रकार इस नये एक्ट में अनामलीज बनती जा रही हैं। मैं सिर्फ दो प्रश्नों पर, जब मंत्री महोदय उत्तर देंगे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 15.10.55 से आज तक जो काबिज हैं उन लोगों को भी क्या आप आज देखेंगे और हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं थे तो क्या खातेदारी देंगे और दूसरी तरफ 15.10.55 को जितने लोगों के कब्जे में जमीन थी और राजस्थान केनाल एरिया में अलाटमेंट हुआ तो कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत उन लोगों से बहुत-सी जमीन तो ले ली गई थी। एक दो मुरब्बे अलाट किये गये थे और 15.10.55 के बाद चूंकि सारे कानून 1958 के बाद आये हैं जिनसे एक टिनेंट की जमीन थी, बेसिक जमीन, जो सरकार ने ले ली, दूसरे को अलाट कर दी वे जमीनें क्लेम करेंगे कि 15.10.55 को मैं तमाम भूमि का काश्तकार था तो क्या उस पजेशन को रेस्टोर किया जायेगा या जो कम्पनसेशन क्लेम करे कि यदि जमीन नहीं देते हैं तो जमीन बिना मुआवजा ले नहीं सकते। तो इस प्रश्न का भी मंत्री महोदय अपने उत्तर के समय जवाब दें।

दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा जब आप खातेदारी अधिकार इन लोगों को देने जा रहे हैं तो लोग आज भी जहां नहर नहीं गई है वहां के काश्तकार, जैसे जैसलमेर है या बीकानेर है जहां दो दो सौ, तीन तीन सौ बीघा जमीन है, उस जमीन को बेचेंगे और यह बात हो सकती है उस जमीन को राजस्थान के बाहर के लोगों को बेचेंगे क्योंकि बाहर के लोग ही ज्यादा कीमत दे सकते हैं। अगर उन लोगों को बेच देंगे तो राजस्थान के भूमिहीन काश्तकारों को, कृषकों को, जैसे बाड़मेर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी बारी आने वाली है उनके लिये कितनी जमीन बच जायेगी? इसलिए मेरा यह भी सुझाव था कि उनको पाबन्द किया जाय कि राजस्थान के बाहर के लोगों को जमीन बेचने न पावे। दूसरा

(श्री गंगाराम चौधरी)

सुझाव था कि अगर बेचे तो राजस्थान के ही खेतिहर को बेचे, एग्रीकल्चरिस्ट को बेचें। एग्रीकल्चरिस्ट राजस्थान टिनेंसी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। तो यह भी सुझाव था कि इसे बेचने के लिये भी कुछ पाबन्दी की जाय ।...।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप नट शैल में बतायेंगे। बीच में कन्क्लूड करिये, अमेन्डमेंट भी हैं जिन पर खण्डशः विचार किया जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : प्रिंसिपली इंपोर्टेंट यह है कि जमीन उन लोगों को नहीं मिलेगी जो भूमिहीन हैं और दूसरे लोग जो बाहर से आकर ले जायेंगे। खातेदारी किसी की भी हो सकती है इस पर अपनी बात कह रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरा प्रश्न इतना ही था कि इन खातेदारों को आपने यह अधिकार दे दिया तो कितनी ही जमीनें ऐसी बन जायेंगी जो कि भूमिहीन काश्तकारों को नहीं दी जा सकेगी इसका सारा लेखाजोखा होना चाहिये क्योंकि इस छोटे से प्रोविन्स के दूरगामी परिणाम बाद में होने वाले हैं। तो फिर बाद में परेशानी भूमिहीन लोगों को हो जायेगी।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदया, मैं हियरिंग के समय में किसी भी मोशन में बोल सकता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं क्या?

श्री सभापति : पांच मिनट का समय देती हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझ से पूर्व के माननीय सदस्य ने बीकानेर स्टेट और जैसलमेर स्टेट की इन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं बीकानेर के तत्कालीन राज्य में दो तरह के कृषक हैं दो साला और एक साला। उनको सेटलमेंट के वक्त एक निश्चित राशि जमा कराने के बाद में खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके थे। सवत् 1982 में सेटलमेंट हुआ था। उसके बाद सवत् 2005 में सेटलमेंट होना चाहिये था जो नहीं हुआ। अतः सवत् 1982 से लेकर सवत् 2005 तक जो दो साला टिनेंट थे जिनको सवत् 2005 में अगर जमाबन्दी होती तो उन्हें भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते। तो आज उनको यदि अमेण्डमेंट के जरिये खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु जो सैकड़ों-हजारों काश्तकार, जो गरीब हैं जिन्होंने हजारों रुपये जमीन के विकास में खर्च किये हैं उनको खातेदारी नहीं मिलने वाली है। मैं इस सरकार को अपने इलाके की ओर से किसानों की ओर से आभार प्रकट करूंगा कि राजस्थान केनाल क्षेत्र में धारा 15 ए के कारणों से जो उनके अधिकार छीन लिये गये थे जैसलमेर क्षेत्र में और बीकानेर क्षेत्र में परन्तु अब जो उनको हक प्राप्त हो रहा है, उसके जरिए से जो चौसाला वाले टिनेन्ट हैं उन लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। 15.10.55 तक जो लोग टेम्प्रेरी काश्तकार थे, दो साला थे उनको अधिकार दिये जायेंगे तो निश्चित तौर से हजारों किसानों को नुकसान पहुंचेगा। सन् 1955 के रूल्स सरकार ने फ्रेम किए थे और सुप्रिम कोर्ट द्वारा स्ट्राइक डाउन किए गए। ये जो भी सन् 1955 के काश्तकार हैं उनके रूल्स फ्रेम करके और रेमेडी के जरिए जमीन देनी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

पड़ेगी। सरकार उनके कब्जे से जमीन को छीन नहीं सकती 40 साल से जो काश्तकार हैं, क्या सरकार उन की जमीन छीन सकती है? नहीं। आपको उनके कब्जों का नियमन करना पड़ेगा। इसलिए जिन काश्तकारों को सेटलमेंट अगर संवत् 2005 में हो जाता जो नहीं हुआ, तो उन लोगों को भी इसमें ट्रीट किया जाए और उन लोगों को भी खातेदारी अधिकार दिए जायं।

जैसलमेर स्टेट में कोई भी लैंड रेवेन्यू कानून नहीं था, न टिनेंसी एक्ट था न रेवेन्यू राइट था, वहां राजा की कृपा से किसानों को जमीन किराए पर दी जाती थी और 200-200, 300-300 साल से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उनके कब्जे में आएं हैं। उनको हेरिटेबल राइट है, परन्तु ट्रांसफरेबल राइट के बारे में डिस्प्यूट रहेगा। सेक्शन 15(2) में, मैं समझता हूं, हजारों काश्तकार कहां से एवीडेंस देंगे कि हमको भी ट्रांसफरेबल राइट्स थे। आज 300-300 सालों से जिन जैसलमेर और बीकानेर के किसानों ने अकाल की मार सही, भूख की मार सही, उन इलाकों को आबाद किया, राजस्थान केनाल आने के बाद उनको वंचित करेंगे, यह कहां का न्याय होगा इसलिए राजस्व मंत्री मैं चाहूंगा कि आप गंभीरता से इस पर विचार करें और जैसलमेर और बीकानेर जिलों के जो हिस्से आ गए, उनके लिए और जो दो साला वाले टेम्प्रेरी लेसी हैं, सम्वत् 2005 में जिनका अधिकार था, जमाबंदी के अधिकार जिनको नहीं मिले, उन लोगों के केसेज भी कन्सीडर करें, जिससे कि उस बीकानेर, जैसलमेर जिले के हजारों काश्तकारों को राजस्थान नहर के पानी का उपयोग करने का अधिकार मिल सके, उन्हें जमीन के अधिकार मिल सके।

अभी जो मुद्दा उठाया गया कि इसमें राइडर दिया जाए कि उन लोगों को अधिकार नहीं हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 13 के तहत जो राजस्थान केनाल क्षेत्र में आ गए, उस जमीन को बिना कलेक्टर या बिना डिप्टी कमिश्नर के परमिशन बिना के बेची नहीं जा सकती। आज भी वह राइडर है, उस राइडर का ब्रीच हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : खातेदारी एक होने के बाद नहीं है। पहले का है

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : तो राजस्व मंत्री व मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से सोचकर उन हजारों काश्तकारों के लिए थोड़ा सा इसमें और अमेंडमेंट करने का कष्ट करें जिससे वास्तव में खुशहाली का रास्ता उन किसानों के लिए निकल सके।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं भी इसके सपोर्ट में कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपको बोलना है तो बाद में बोल सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बहुत ही संजीदगी का मसला है और खास तौर से गंगानगर जिला इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड है।

श्री सभापति : तो आपको अमेंडमेंट देना चाहिए था।

श्री श्योपतसिंह मकासर: एक ही बात है।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : मुझे भी दो मिनट का समय दिया जाए।

श्री सभापति : पहले उनको तो बोलने दीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं याद दिलाना चाहता हूं सन् 1977 में मुख्य मंत्री ने घोषणा की। गोगामेड़ी में चुनाव के बाद पहले जलसे में आप घोषणा करके आए थे कि हम सैक्शन 15ए को उड़ा देंगे, खतम कर देंगे, उन सब लोगों को खातेदारी अधिकार दिए जायेंगे। अभी स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स की दो लाइन्स मैं पढ़ रहा हूं :—

"At the time of the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, there were various classes of tenants in this area who had heritable and transferable rights in the land held by them."

एक तो रियायत देने के लिए हम जा रहे हैं। दूसरे हमारे राजस्व मंत्री जो समाजवादी हैं "लैंड टु दी टिलर" लास्ट में लिखा है :

"In order to take one more step towards the achievement of the socio-economic object of land to the tiller', ..."

इसमें यह कहा जाता है? आप तो उन पुराने टेम्प्रेरी लैंड होल्डर्स को जो संवत् 1985 के सेटलमेंट के बाद जो लोग रह रहे हैं उनको खातेदारी राइट्स दे रहे हैं क्या ? अगर उनको खातेदारी राइट्स नहीं दे रहे हैं, फिर यह झूठ क्यों बोल रहे हैं? मन्शा क्या है? लैंड टु दी टिलर ? आप प्री- 55 के काश्तकारों को खातेदारी राइट नहीं दे रहे है? क्योंकि उनके पास हेरिटेबल राइट्स नहीं हैं, ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं है और दूसरी तरफ आप लैंड टु दी टिलर की बात कर रहे हैं। यह बड़ी अजीब बात है। मैं स्वागत करता इस बात का अगर माननीय राजस्व मंत्री मूव करते कि हम लैंड टु दी टिलर को देना चाहते हैं। जिसके कब्जे में जमीन है उनको दी जाती है, हमारा नारा है जमीन उसकी जो काश्त करे, फसल उसकी जो बोए। अगर आप इस नारे को लागू करना चाहते हैं तो आप कम से कम उनको अपनी जमीन पर तो राइट दें। सरकारी जमीन पर राइट नहीं दें तो फिर लैंड टु दी टिलर का कहां नारा लगा रहे हैं। तो ईमानदारी बरतें, धोखा मत दीजिए कि जमीन उसकी जो काश्त करें, फसल उसकी जो बोये। अगर इस नारे को लगाना चाहते हैं तो एक ही बात बता दें कि क्या आप प्री-55 के पहले जो टेम्प्रेरी लैंड होल्डर्स थे, जो जागीर एरिया में थे, जिनको 4 साल बाद या एक साल बाद हर साल रेवेन्यू पट्टा नया कराना पड़ता था, क्या इस एक्ट के पास करने के बाद उनको खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे ? तो बतायें वह काश्तकार कौनसा है; किसको जमीन दे रहे हैं? क्या मखौल बनाते हैं? मत बोलिए, लोगों को धोखा मत दीजिए। आपको लोगों की अदालत में जाना पड़ेगा। मेरे पास अभी दो टेलीग्राम्स आए हैं। राजस्व मंत्री, आपके पास भी पहुंचे होंगे जिसमें लिखा है धारा 15 ए हटाओ, हजारों किसान संघर्ष पर उतारू, 8 अक्टूबर से आमरण अनशन, कोलायत, संयोजक, ग्रामीण संघर्ष समिति। दूसरे में भी आमरण अनशन। ये कौन हैं? यह किस लिए कर रहे हैं आमरण अनशन ? यह कोई गंगानगर जिले की बात नहीं है। गंगानगर जिले से आपको एलर्जी हो सकती है, मगर यह कोलायत का है। यह किसको आप देना चाहते हैं? कौनसे लोग हैं कौनसा आधार बनाया लैंड टु दी टिलर के लिए? मेहरबानी करके आप इसे सलेक्ट कमेटी में भेजें, संजीदगी से सोचें। आपको कुछ लोगों से एलर्जी हो सकती है, मगर आम किसान जिसको आपने महरूम कर दिया था, आप 15 ए को मत हटायें लेकिन हजारों लोगों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी 50 साल से उन जमीनों पर काश्त करते आए हैं उनको जमीन दें

(126)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आपने गिरदावरी रोक दी आप जानते हैं सन् 1969 से किसको दे रहे थे। गिरदावरी है क्या ? गिरदावरी खाने के अन्दर किसका नाम होता ? किसने बनाया और क्या बनाया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किस तरफ जाना है, यह न तो आप खुद समझे हैं न, दूसरों को समझा सकते हैं। मैं यह कहता हूं कि टेम्प्रेरी लैण्ड ओनर्स को जिनको बेचने का अधिकार नहीं है उनको खातेदारी अधिकार नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या बड़े-बड़े जागीरदार और जमीदारों या राजाओं को नहीं दे रहे हैं ?

श्री हरचन्दसिंह : माननीय सभापति महोदया, मेरा क्षेत्र इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य! आपका अमेण्डमेन्ट नहीं है,

श्री श्योपतसिंह मकासर : बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बोलने दीजिये।

श्री सभापति : महत्वपूर्ण सवाल तो है माननीय श्योपतसिंहजी, लेकिन ऐसा नियमों में प्रावधान है कि जो अमेण्डमेन्ट देगा वही इस पर बोल सकता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मान लो बात, फिर भी हम यह चाहेंगे, आप इजाजत दे दीजिये।

श्री सभापति : देखिये, दो माननीय सदस्यों को समय दिया जा चुका है। अगर यों बोलने दिया जायगा तो कोई अन्त नहीं होगा, बहादुरसिंहजी या हरचन्दसिंह जी दोनों को दो दो मिनट का समय दूंगी लेकिन यह सदन की परम्परा के लिए ठीक नहीं है माननीय सदस्य।

श्री हरचन्दसिंह : मैं ऐसी बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, कुछ और तथ्य मन्त्री महोदय को जानकारी में लाना चाहता हूं।

श्री सभापति : ठीक है, आप दो मिनट बोल लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आप भी सलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं ?

श्री केदारनाथ : आज ही पास हो।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं कहता हूं आर्डिनेन्स जारी कर दिया तो दिक्कत क्या है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : अभी सदन के नेता ने कहा, क्या आप सलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहते है ......

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : मैं दो मिनट में मेरी बात कह दूंगा।

श्री सभापति : आप शासन को समझाइये तो सही, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जिनको मिलने चाहिए उनको नहीं मिल रहे है, यह कहना चाहते हैं।

श्री सभापति : यह प्रस्ताव है कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या नहीं, इसलिए वही बोले जो सलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं और दूसरे इश्यू पर बोलना चाहते हैं तो थर्ड रीडिंग पर बोल लें।

श्री हरचन्दसिंह : थर्ड रीडिंग से इसका सम्बन्ध नहीं है। जो अमेण्डमेन्ट 15(ए) के बारे में पेश किया गया है, यह हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं की जा रही है। 15(ए) में काश्तकारों के खातेदारी हकूक तय हो चुके हैं उस वक्त, एक नई विडम्बना काश्तकारों के सामने यह हो गई, क्योंकि 15(ए) में चार प्रकार के आपने रखे हैं जिनमें 15 (ए) के प्रभाव से खुद के

(श्री हरचन्द सिंह)

खातेदारी हक एक नहीं होते वे हैं गंग केनाल भाखरा, चम्बल और जवाई डेम, राजस्थान कैनाल का इसमें नाम नहीं था और 15 अगस्त, 1955 को जब टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ, सारे राजस्थान के काश्तकारों का By way of Contractual obligation दिये, उस वक्त वे कल्टीवेट कर रहे थे और सरकार को रेन्ट दे रहे थे, उन सभी के खातेदारी हकूक एक्रू हो गए। लेकिन अपने मामले में नहीं कैसी स्थिति बनी, उसके बाद में 15(ए) इन्सर्ट करके ही यह कहा गया कि राजस्थान कैनाल में खातेदारी हकूक एक्रू नहीं हुए और न होंगे। मन्त्री महोदय यह कहें कि ग्रो-मोर-फूड में जिनको अधिकार मिलेंगे, बाकी जिनको मिल रहे थे उनके भी खतम कर दिए गए। जिनके हकूक पहले थे और उनसे 15(ए) से छीन लिए गए थे उनको रिकगनाइज करने जा रहे हैं और कोई दान नहीं देने जा रहे हैं। जो एम्स और आब्जेक्ट्स और रीजन्स में लिखा गया है, उन जैसे समाजवादी मन्त्री महोदय, हम बात रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सही मायनें में इसमें कुछ उन लोगों को देना चाहते हैं तो इस अमेण्डमेन्ट के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और पश्चिमी राजस्थान में जहां राजस्थान कैनाल जायगी वहां काश्तकारों की जिन्दगी और मौत का सवाल है, इस अमेण्डमेन्ट के साथ उनका भाग्य बंधा हुआ है। आज जो बीकानेर स्टेट के मौरूसीदार हैं और आक्युपेण्ट टिनेन्टस थे उन आदमियों ने राजस्थान कैनाल टिनेन्सी एक्ट में 15 (ए) आने के बाद यदि कोई जमीन किसी आदमी को ट्रान्सफर कर दी तो कोलोनाइजेशन विभाग उस ट्रान्सफर को नहीं मानेगा। इस तरह के ढाई करोड़ के ट्रान्जेक्शन हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानेंगे। क्योंकि 15 (ए) के प्रभाव में आने से उनके खातेदारी हकूक नहीं रहेंगे, मैं इससे इतना ही समझ पाया हूं। जो दान- दक्षिणा देने जा रहे हैं उन मौरूसी और आक्युपेन्ट टिनेन्टस को, उनके राइटस को रिकगनाईज करने जा रहे हैं इसमें ऐसी कानूनी काम्प्लीकेशन है क्योंकि जब सेक्शन 15 प्रभाव में आया उस वक्त सारे काश्तकारों के नामान्तरकरण कर दिए गए थे, उनके इन्द्राज हो गए थे। जब 15 (ए) हुआ तो उनको डाइवेस्ट कर दिया गया। सुरजाराम वाले केस में हाई कोर्ट में यह निर्णय दिया कि 15 (ए) कान्ट्रेरी टू दी कान्स्टीट्यूशन और अल्ट्रावायरस है, ए.आई.आर. 63 राजस्थान में जो निर्णय हुआ और उसके बाद राजस्थान गवर्नमेन्ट सुप्रीम कोर्ट गई वहां भी दरवाजे बन्द मिले। फिर नाइन्थ शिड्यूल में प्रोटक्टेड एक्ट किया। जब डिमार्केट करेंगे तो आधा हिस्सा बाहर आ गया और दो भाई हैं, 15.10.55 को जो जमीन थी, वह तो खातेदार हो गया उसका दूसरा भाई है, वह खातेदारी के हकूक से महरूम हो गया। न उसको मिल पायेगी। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। यह 15'ए' में देखने में आया है। मुख्य मन्त्री महोदय और राजस्व मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जसा कि मुख्यमन्त्री महोदय बार बार घोषणा करते रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि, जो ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल कण्डीशन लगाई जाती हैं, उनका दूरगामी परिणाम हो सकता है इसलिए इसको सलेक्ट कमेटी में भेज कर विचार करें।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं बोलूं।

श्री बहादुरसिंह : सभापति महोदया :

(128)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री बहादुर सिंह : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल में जो जो ग्राब्जेक्ट्स ग्रौर रीजन्स दिये हैं, उनके यह विरोधी है। स्टेटमेण्ट ग्राफ ग्राब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया गया है-

"In order to take one more step towards the achievement of the socio-economic object of 'land to the tiller' it is considered necessary and expedient that Khatedari rights should be conferred on all such tenants and sub-tenants as held land on 31-12-1969."

तो जो किया जा रहा है वह यह है कि जो लोग इस टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद, जो ग्राक्युपेंसी टिनेन्ट थे, इसमें ग्र क्युपेंसी टिनेन्सी का कोई प्राविजन नहीं है वह बीकानेर स्टेट के जमाने में थे। जो लोग पहले ग्राक्युपेंट नहीं थे, उनको राइट देने जा रहे हैं। दूसरे जो खातेदार टिनेण्ट थे, उनको खातेदारी राइट देने जा रहे हैं। ग्रगर यह नहीं दें तो सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती है। जब यह टिनेंसी लागू हुई थी, ये राइट मिले थे। हमारा एरिया राजस्थान केनाल में ग्राता है। यह जागीरदारी एरिया था। जागीरदारी एरिया में खातेदारी राइट दे दिये गये हैं। हेरिटेबली टीनेंसी मौरूसी वाले थे। 1882 में टिनेंसी थी। वह इसी डेफीनेशन में ग्राये थे। 56 के पहले जो काश्तकार थे। जो रिपोर्ट में दर्ज थे। केवल उन्हीं को ग्राप राइट देने जा रहे हैं। ऐसी टिनेंसी 70 से पहले थी। ग्राज वह जमीन फर्स्ट ग्राक्युपेंसी खातेदारी थी जो दो दो, तीन तीन, चार चार को दिया गया था। ग्रगर ग्राप राइट दे भी देते तो भी उनके राइट में कोई फर्क नहीं ग्रायेगा। ग्रापको खातेदारी हक उनको देना चाहिए। ग्राज जो लागू हुग्रा उसको 24-25 साल हो गये हैं। वह 24-25 साल के पहले के चले ग्रा रहे हैं। कुछ एरिया के काश्तकारों को हकदार बना दिया। ग्रापने 77 तक को कर दिया। जो ट्रेस पासर थे। जिन्होंने ग्रवैध कब्जे किये। ग्रापने उनको राइट दे दिया। जिन्होंने ग्रथोरिटी की परमीशन से जमीन निकाली, गंगानगर एरिया में, महाराजा गंगासिंह जी को पंजाब से काश्तकारों को लाकर बसाना पड़ा था। उनको फैसिलिटीज देकर बसाया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक मिनट में बात को समाप्त करता हूं। 9 करोड़ की जमीन को बचा रखा। ग्राज ग्राप उनको खातेदारी के हक देने के लिए तैयार नहीं हैं। दुनियां भर के टैक्सेज लगा दिये। उनको खातेदारी राइट्स देने नहीं जा रहे हैं। यह समाजवादी सिद्धान्त के खिलाफ है। माननीय नेता महोदय ने कहा था कि हम खातेदारी हक दे देंगे। कोलोनाइजेशन मिनिस्टर ने ऐलान किया था। 15 ग्रगस्त को खातेदारी हक्क दे देंगे। लेकिन ग्राज ग्रापने सब पानी फेर दिया है। इस ग्रमेण्डमेण्ट से कोई हित नहीं होगा। इससे काश्तकारों को कोई रिलीफ नहीं है। काश्तकारों की स्थिति में कोई लाभ नहीं है। इससे बहुत से लोग प्रभावित होंगे। 95% काश्तकारों के हितों पर कुठाराघात होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसको वापिस लिया जाये ग्रौर काश्तकारों को खातेदारी हक दिये जायें।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री जी।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सभापति महोदया, इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने ग्रौर जनमत जानने हेतु जो

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

यहां पर प्रस्ताव रखे गये हैं, उसमें कई माननीय सदस्यों के संशोधन के उत्तर कानूनी महत्व रखते हैं। ये सारी बातें कहीं हैं। धारा 15 'ए' जो है, माननीय सभापति महोदया, इसको पढ़कर जो आपत्ति उठाई गई हैं; उनके जवाब में यह निवेदन है कि धारा 15 'ए' यह कहती है—

"Notwithstanding anything contained in section 13 or in sub-section (1) of section 15 of this Act or in any other law for the time being in force, or in any lease, patta or other document, land in the Rajasthan Canal area leased out on any terms whatsoever shall be deemed to have been let out temporarily within the meaning of the proviso to the said sub-section of the said section 15 of this Act and no khatedari rights shall accrue or shall be deemed ever to have accrued in any such land leased out as aforesaid."

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इस धारा को पढ़ कर राजस्थान केनाल एरिया में जो कानून है उसमें पहले जिन लोगों को जमीन पट्टे पर दी हुई थी, या लीज पर दी हुई थी, उनको वह जमीन अस्थायी तौर पर दी गयी थी। और इसलिए इस टिनेन्सी एक्ट में धारा 15 ए जब यह एक्ट बना तब रखी गयीं। यहां पर अभी जो सदन में संशोधन रखा गया है इस बिल में 15ए के अंदर वह सिर्फ सीमित उद्देश्य से लेकर पेश किया गया है। इससे जो लोग धारा 15 ए के अन्तर्गत टेम्प्रेरीली पट्टेदार थे या लीजी थे, उनको पहले जो टेम्प्रेरी खातेदारी राईट दिया हुआ था जो लेसी थे उनको खातेदारी देने के लिये यह नहीं किया गया है। उन्हें जो पहले अधिकार दिये हुए थे जो कि भूतपूर्व बीकानेर और जैसलमेर स्टेट के जो राजस्व कानून थे उनके मुताबिक खातेदारी राइट्स मिले हुए थे, उनको वन्चित करने का प्रयोजन नहीं है। इसमें जो भी टेम्प्रेरी लीजी या टेम्प्रेरी लैण्ड होल्डर्स जो थे उनके लिये इस कानून संशोधन करने का प्रयोजन नहीं है। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो सिर्फ लिमिटेड पर्सन्स के लिये ही लागू होगा। माननीय डागाजी ने जो संशोधन रखा मैं चाहता था कि जब मैं अपना उत्तर दूं तब इसका उत्तर देता पर मैं अभी ही उत्तर दे दूं ताकि बाद में वह अपना संशोधन इस बिल पर पेश करने को हिचकिचाहट महसूस करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह खातेदारी चाहे टेम्प्रेरी खातेदार हो चाहे टेम्प्रेरी लीजी हो चाहे कोई अलोटी हो सीलिंग कानून के तहत पर इसका प्रतिबन्ध सीलिंग कानून के लागू होने के लिए नहीं होगा जो सिद्धान्त की बात है, जो सीलिंग की सूची में आयेंगे उनको तो नहीं बाकी लोग वन्चित नहीं होंगे। तीसरी बात माननीय सदस्य मदेरणा साहब ने कहा कि इसमें चार प्रकार के लोग हैं उन पर ही लागू किये जाने का अधिकार दिया गया है। इसमें जो संशोधन पेश किया गया है इसमें यह शब्द हैं :

"Notwithstanding anything contained in section 15A,

(130)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

any person who, at the commencement of this Act,—

(a) was an occupancy tenant or a Maurusidar or a Khatedar tenant or a tenant with transferable and heritable rights and was recorded as such in the annual registers then current, or

(b) was not so recorded, but was an accupancy tenant or a Maurusidar or a Khatedar tenant or a tenant with transferable and heritable rights,

shall, as from the date of commencement of this Act, bs entitled to all the rights, and subject to all the liabilities of a Khatedar tenant under this Act."

माननीय सदस्य जब बहस में भाग ले रहे थे तब यह कह रहे थे कि बीकानेर स्टेट में ट्रान्सफरेबल श्रौर हेरिडेटरी राईट्स थे। यहां पर माननीय सदस्य श्री रामकृष्णदास जी गुप्ता ने कहा कि जैसलमेर में तो राजस्व कानून ही नहीं था। श्रौर वहां हेरिटेबल श्रौर ट्रान्सफरेबल राइट्स के लिये श्राप कैसे निर्णय करेंगे। मैं इसके लिये एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 ए के साथ 15 ए ए धारा श्रौर है उसमें लिखा है कि :

"Notwithstanding anything contained in any lease, assessment, Parcha, Patta or other document, no Khatedari rights shall be deemed ever to have accrued to any person holding land within the Chambal Irrigation Project area."

जब वह की वह ही है किसी स्कीम के लिये चाहे वह कोलोनाइजेशन के लिये हो, वह धारा 15 ए ए श्रौर जोड़ी गयी है उसके बाद में इसका सब सैक्शन दो में यह है कि :

"Nothing in the sub-section (1) shall affect or apply to any person who had, since before the commencements of this Act, heritable and transferable rights under the tenancy laws of the former Kota State or the former Bundi State, or to whom Khatedari rights may have accrued under section 13 or Section 19 of this Act..... "

श्रागे जाकर उसमें सभापति महोदय यह है.......

श्री परसराम मदेरणा : ट्रान्सफरेबल श्रौर हेरिटेबल राइट्स के लिये श्रापने एक पर तो लागू कर दिया लेकिन बाकी तीन बचे उन पर लागू नहीं किया। उनको श्रापने श्रलग कर दिया।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं श्रर्ज कर रहा हूं इसके श्रन्दर ट्रान्सफरेबल श्रौर हेरिटेबल राइट्स का वाक्यांश रखा है। धारा 15 ए में वाक्यांश है श्रौर इसके लिये हमने राजस्थान के एडवोकेट जनरल से बात की तो उन्होंने कहा यह फिर डिस्क्रिमिनेटरी हो

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

जायेगा। विधि विभाग की राय यही थी। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं...

श्री परसराम मदेरणा: वह तो आपने बिलकुल ठीक कहा आपने 15 ए ए के (2) में जो प्रावधान रखा गया है इसमें डिस्क्रिमिनेट्री है उसके लिये ही मेरा बेसिक ग्राब्जेक्शन है इसमें चार में से तीन खातेदार को आपने हेरिटेबल राइट दिया है। आप चाहें तो आपके ड्राफ्टमैन को बुलालें वह एक गलत बात कर रहे हैं। कोटा स्टेट में जो कानून था, मैंने अमेन्डमेन्ट दिया है और जैसलमेर के अन्दर जो राजस्व कानून थे उनको आप देखलें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप जवाब तो देगें वह ठीक बात है। लेकिन आप 15 ए ए के अन्दर संशोधन करने जा रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : इसमें बीकानेर के काश्तकार और जैसलमेर के काश्तकार हैं। दोनों ही स्टेट् में अलग अलग बातें थीं। चम्बल के लिये अलग कानून है चम्बल के अन्दर जो कानून है उसमें किया है...

(व्यवधान)

मदेरणा साहब मुझे बोलने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: यह कानून उनके द्वारा बनाया हुआ है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : खैर। वह तो है लेकिन माननीय सदस्य श्री राम कृष्णदास गुप्ता जी ने.....

श्री सभापति : उनका इस बिल पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : वह भी बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि जैसलमेर में कोई राजस्व कानून नहीं था। तो, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे वहां कोई रेवन्यू लॉ इस संबंध में नहीं हो लेकिन जो नागरिक पैदा होता है वह बाई वरच्यू आफ बर्थ ही अपने पैतृक सम्पत्ति पर नेचूरल लॉ के अनुसार मालिक हो जाता है। जो अधिकार उसे नेचरल राइट से मिले उसमें इसको परिभाषित किया गया है कानून नहीं था और जैसलमेर स्टेट में काश्तकारों को ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल राईट्स नहीं थे लेकिन सम्पत्ति का अधिकार तो उन्हें था। वह ट्रांसफर तो कर सकते थे। सभापति महोदया, चाहे हिन्दू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, चाहे ईसाइयों के सैक्सन राईट्स के मुताबिक उनको अपने अधिकारों का उपयोग करने का हक होता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप इसको छोड़ें। यह आवश्यक नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीमित अधिकार देने का कानून पेश किया गया। इसलिए, सभापति महोदया, इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

श्रीमती सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

माननीय मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 1 में कोई संशोधन नहीं है।

खण्ड 2, श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदया, खण्ड 2 में मैंने दो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं। जैसा कि अभी कहा जा चुका है कि जो प्रावधान इसमें किया है ट्रान्सफरेबल और हेरिटेबल राइट्स के बारे में और उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि धारा 15(एए) और इस संबंध में जो पुरानी स्कीम है उसके हिसाब से हमने यह शब्द जोड़े हैं और जिन मामलों में आप भी कह चुके हैं कि बीकानेर स्टेट का जो खातेदार था बीकानेर टिनेन्सी एक्ट की धारा 24(6) के तहत उसको हेरिटेबल राइट्स थे लेकिन ट्रान्सफर करने के राइट्स उसको नहीं थे। अगर खातेदार को पुराने बीकानेर स्टेट में जिसको कि ट्रान्सफर करने के अधिकार नहीं थे तो फिर यह डिस्क्रिमिनेटरी कानून पहले ही हो गया है इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है। ट्रान्सफरेबल एण्ड (ए) और (बी) दोनों से ही हटा दिये जाये और हेरिटेबल रखा जाये। तो माननीय मंत्रीजी ने स्कीम की जो बात की उस सिलसिले में तो पहले ही मंत्री डिस्क्रिमिनेशन कर चुके हैं खातेदारी शब्द को जोड़कर और जैसा मैंने पहले कहा कि यह जरूरी इसलिए है कि बीकानेर स्टेट के बहुत से काश्तकार और खालसा एरिया के कुछ ऐसे काश्तकार जो कि नजराना नहीं दे पाये थे और जागीर एरिया में जिनको खातेदारी अधिकार या मौरूसी अधिकार को नहीं दिए गए थे ऐसे बहुत संख्या में काश्तकार हैं और यह काश्तकार वह हैं कि जो बहुत गरीब हैं। पहले जो 5 रुपये या ज्यादा दे पाते थे वही मौरूसी अधिकार ले पाते थे इसलिए बहुत से काश्तकार इससे महरूम रह गये। दूसरी शर्त यह भी थी कि 20 साल लगातार काश्त करें तो उसको खातेदारी अधिकार दिये जाते थे लेकिन जागीर एरिया में उनको जागीरदार ने खातेदारी अधिकार लेने ही नहीं दिया और जब बन्दोबस्त हुआ सम्वत् 2000 से 2004 में तो उस समय बहुत से जागीरदारों ने अपनी जागीर को सरेण्डर करके खातेदारी हकों की एन्ट्री करवा ली थी। वह तो खातेदार बन गये और बाकी के खातेदार बनने से रह गये। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सैक्शन 15(एए) की मंशा के

(श्री गंगाराम चौधरी)

अनुसार नहीं बल्कि 15 (एएए) के अनुसार 'खातेदारी' शब्द पहले से ही जोड़ा है जिनको पहले ट्रान्सफर के अधिकार नहीं थे इसलिए ट्रान्सफर वर्ड पूर्णतया हटा दिया जाये।

दूसरा मेरा जो संशोधन है वह नयी धारा 3 जोड़ने के संबंध में है। यह संशोधन इस तरह से है:

"(3) Notwithstanding anything provided elsewhere in this Act, a person to whom Khatedari rights accrued as aforesaid, shall have no right to transfer his interest in or sub let his holding or a part to any person who is not an agriculturist or to a pe.son who is not domiciled in Rajasthan.

Explanation:- The expression 'domiciled in Rajasthan' in this section shall mean a person who permanently resides in Rajasthan since before the commencement of this Act." इसका तात्पर्य मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं और पुनः निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल एरिया में क्योंकि खरीद फरोख्त ज्यादा होने लग जायेगी खातेदारी अधिकार देने के बाद में और राजस्थान के बाहर के लोग जो कि ज्यादा पैसा दे देंगे वह जैसलमेर और बीकानेर एरिया के काश्तकारों से जमीन खरीद लेंगे और यहां के लोग कम्पीटीशन में नहीं उतर पायेंगे इसलिए बाहर के लोगों पर इस प्रकार की बंदिश लगाई जाये वह नहीं खरीद सकते। हां यह कहा जा सकता है कि बंदिश लगाई जाये तो फिर इस केटेगरी पर ही नहीं दूसरी केटेगरी पर भी बंदिश लगाई जाये। अगर ऐसा करते है तो मुझे आपत्ति नहीं है। यह राजस्थान केनाल एरिया में भी और दूसरी स्कीमों में भी सन् 53 के या दूसरे कानून हैं ट्रान्सफर्स के उसके तहत भी इस प्रकार की पाबन्दी अमेन्डमेन्ट के जरिये लगाई जा सकती है। इन्ही शब्दो के साथ निवेदन करूंगा कि दोनों अमेन्डमेन्ट्स जो मैंने प्रस्तुत किये हैं माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति: श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा: सभापति महोदया, मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि नवीन धारा 15 AAA की उपाधारा (1) के खण्ड (a) तथा (b) में शब्द "transferable and heritable rights" तुरन्त बाद ही यह जोड़ दिया जाये:

"under the tenancy laws of the former Bikaner State or the former Jaisalmer State."

दूसरा है In sub-section (1) (a) and (1) (b) of section 15 AAA sought to inserted delete the words "transferable and" where-ever occurring.

सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि उन्होंने जो 15 (एए) का सब-क्लाज (2) पढ़ कर सदन को भलीभांति परिचित करा दिया है कि पहले कोटा स्टेट में जो इस

(134)

(श्री परसराम मदेरणा)

तरह के लोगों को राइट्स मिले हैं उनके साथ में जो उल्लेख किया गया था वह इस प्रकार से था–

"Nothing in sub-section (1) shall affect or apply to any person who had, since before the commencement of this Act, heritable and transferable rights under the tenancy laws of the former Kota State...."

(7.38 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष पदासीन)

का मतलब यह है कोटा स्टेट और बूंदी स्टेट में जिनको heritable and transferable rights थे उसको खातेदारी नहीं मिलेगी लेकिन कोटा स्टेट के टिनेन्सी एक्ट में हरिटेबल राइट्स थे तो वह मिल जायेंगे। तो मैं यह कह रहा हूं कि स्कीम आफ दी एक्ट में आप एडवोकेट जनरल से बात करने जा रहे हैं तो यहां पर जब फॉर्मर बीकानेर स्टेट और जैसलमेर स्टेट में जब ट्रान्सफरेबल और हेरिटेबल राइट्स वाले टिनेन्ट्स को खातेदारी देने जा रहे हैं तो इस प्रकार का प्रावधान क्यों नहीं रखा ? यह नहीं रखकर जो अभी दलील दे रहे थे कि हमने एडवोकेट जनरल से राय ली है और यह डिस्क्रिमिनेशन किया है।

दूसरा आल्टरनेटिव मेरा यह है कि जैसा गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने खातेदारी के साथ में हेरिटेबल और ट्रान्सफरेबल की शर्त नहीं रखी है। आपने अभी क्लॉज 24 के सब-क्लाज (6) को पढ़ा, उसमें हेरिटेबल राइट्स हैं और ट्रान्सफरेबल राइट्स नहीं हैं। आपने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में और बात कही कि सभी चारों कैटेगरी के लोगों को मिलेगा चाहे खातेदार हो या मौरूसी हो या दूसरी तरह का टिनेन्ट हो लेकिन उसे राइट्स हेरिटेबल होंगे तभी हम उनको खातेदारी दे रहे हैं। सेक्शन के अन्दर तीनों केटेगरी को अलग कर दिया और चौथी कैटेगरी टेनेन्ट के साथ में दो कन्डीशन्स लगाई हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि या तो कोटा वाली बात मत कहें और फिर बीकानेर स्टेट का हेरिटेबल राइट्स था तो उसको सेपरेट केटेगरी मानकर दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि टिनेन्ट्स में भी ट्रान्सफरेबल एण्ड लिखा हुआ है यह हटा दिया जाये ताकि उस खातेदारी टिनेन्ट और प्रि-55 वाले टिनेन्ट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहे।

लीज होल्डर की बात कह रहे हैं। मैं पोस्ट 55 की बात नहीं कह रहा हूं। आप इसको देखिये। मंत्री महोदय को टेम्प्रेरी लीज होल्डर की किसी ने बात पकड़ा दी।

"Notwithstanding anything contained in section 15A, any person, who, at the commencement of this Act..."

This Act came into force on 15th October, 1955,

उन्हीं लोगों को मिलेगा। इस प्रकार का टिनेन्सी केवल हेरेडिटी राईट था। इसको अलग रखा गया है। जैलसिंह वर्सेस

(श्री परसराम मदेरणा)

स्टेट ग्राफ राजस्थान। ग्राप खातेदारी के साथ जोड़ना चाहते थे, यह ग्रलग कैटेगरी क्यों बना दी ? इसमें प्रि 55 वाले सब कवर नहीं होंगे, 11 हजार काश्तकार हैं। जमीन ग्रलाट हो गई थी। 1 ग्रप्रेल, 1955 से जो ग्रादमी "लैण्ड टू दी टिलर" है उसके लिये सेपरेट रूल ! पुराना काश्तकार है इसको सीलिंग तक में से जमीन दी जानी चाहिये इस प्रकार का प्रावधान है। इसमें ग्रापसे निवेदन कर रहा था ट्रांसफरेबल हटा देते हैं तो यह भी खातेदारी के बराबर ग्रा जायेंगे। खातेदारी में ग्रौर प्रि 55 में एक ही फर्क था वह भी पुराना खातेदार है। Tenant has a transferable and heritable right. उसके बाद भी उसका राईट था फिर ग्राप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं ? ग्रगर ग्राप डिस्क्रिमेशन करते हैं तो इन सभी केटेगरीज के ऊपर मैंने जो ग्रमेंडमेंट दिये थे। These are my alternative amendments. Either you reject them or accept them. ग्रौर उसका ग्राल्टरनेटिव इसलिये दिया था। जिस वक्त यह ग्रमेंडमेंट दिये थे ट्रांसफरेबिल ग्रौर हैरिडिटर कन्डीशन्स चारों कैटेगरीज में लिखा है यह पहिला ग्रमेंडमेंट था 9.4.79 को जब हाउस साईन डाई एडजोर्न हुग्रा, उसको मैंने रिपीट किया है ग्रौर जब उसको बहुत ध्यान से देखा तो मुझे मालूम हुग्रा कि ग्रलग ग्रलग केटेगरीज कर दी है। बीकानेर के खातेदारी की टिनेन्सी ग्रभी गुढ़ा मलानी से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने बताया केवल हैरिटेबल राइट थे। टिनेंट के साथ में जो इनको लेने जा रहे हैं खातेदारी के लिये वही एलिजेबल होगा जो 15.10.55 से पहिले का काश्तकार है। इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिये। जो ग्रमेंडमेंट दिया है वह ग्राप स्वीकार कीजिये ग्रौर नहीं तो यह "लैण्ड टू दी टिल्लर" का नारा दे रहे हैं वह बोगस होगा। सैक्शन १६ के ग्रन्दर जो राइट्स मिलने वाले हैं उसको स्नैच करना चाहते हैं। मैं समझता हूं जो ग्राप काश्तकारी समाज की रचना करना चाहते थे वह भूल भूलैया में ग्राने वाले नहीं है। सोशलिस्टों की बोली देख ली है, इनकी कथनी ग्रौर करनी में फर्क है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह बात कह रहे हैं इसमें बहुत सोच समझकर यह ट्रांसफर वाला हटा दीजिये तो दूसरे पर डिस्कस नहीं करूंगा। चंम्बल पर तो आपने रख दिया, यह क्यों नहीं रखा।

एक माननीय सदस्य : ग्राप भी रेवेन्यू मिनिस्टर थे।

श्री परसराम मदेरणा : यह 58 से पहिले का है। रेवेन्यू मिनिस्टर्स का पीरियड बता सकता हूं कौन किस समय रहा। यह ग्रविश्वास इसलिये है कि मैं सीलिंग को री-ग्रोपन कर रहा हूं ग्रौर बेरी कमीशन बैठाया है। वह बेरी कमीशन बैठाया, दूसरा मंत्री कमीशन बैठा दीजिये। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कुल मिलाकर देखना तो सही। एक साथ ही नहीं। ग्राप इस बात का भी ग्रमेंडमेंट करने वाले थे। "वह मंत्री बैठा है, उस वक्त उन्होंने गड़बड़ी कर दी" इस प्रकार का मेरे ऊपर ग्रारोप नहीं लगाना चाहिये। जो समाजवादी ग्रापकी थिंकिंग है, जो मन्शा है उन मान्यताग्रों के ऊपर इसको थोप दिया है। यह जाग्रत नहीं होगी यह तो एनी बाडीज गैस है। बीकानेर में खातेदारी टिनेट जिनको ट्रांसफर राइट्स नहीं ग्रौर दूसरा टेनेंट जो 15.10.55 को पजेशन में है उसको हैरिटेबल राइट उसका

136

(श्री परसराम मदेरणा)

अलग अलग केटेगरी बनाकर इसके ऊपर कन्डीशन लगाना और फिर इसको भगवान के भरोसे छोड़ देना, यह कहां का न्याय है ? आपने जो चम्बल वालों का अलग बनाया है 15 ए ए उसमें आपने फारमर स्टेट का उल्लेख क्यों किया ? चम्बल और बूंदी के अन्दर हैरिटेबल और ट्रांसफर राइट्स जिनको थे उनके लिए किया तो फिर फारमर स्टेट आफ बीकानेर टिनेन्सी का अगर कोई है तो आप यह लिख दीजिये तो दोनों कनसिस्टेंट हो जायें। एडवोकेट जनरल और आपकी राय एक हो जाये। खातेदारी और टीनेंट का जो बीच बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया है वह तो निश्चित रूप से आप रखने जा रहे हैं उसका कोई जस्टिस नहीं, कोई कन्विन्सिंग आर्गूमेंट नहीं हुआ ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने बताया सेक्शन 19 में जो खुद काश्त का टिनेंट है वह राइट ले लेंगे और 1.4.55 से पहले वाले को राइट नहीं मिले फिर यह कैसा कानून हुआ ? यह सोच समझकर बनाइये। अगर आप इसमें ट्रांसफर वाली कन्डीशन हटा देते हैं, आलरेडी एक्ट में दिये हुए हैं, 24(6) में साफ है। इसलिये आप इसको कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लाज 2 के अन्दर जो अमेन्डमेंट दिया है उसमें यह लिखा है :

Between the words "any person" and the word "who" insert the words "whose livelihood depends upon agriculture and"

मैं कहता हूं एक परसन जो बहुत बड़ा वकील है, एक बहुत बड़ा सेठ है, एक बड़ा काम कर रहा है, वह परसन कौन होना चाहिये

"whose livelihood depends upon agriculture."

जिसका जीवन केवल काश्त पर निर्भर हो। आज हिन्दुस्तान में सीलिंग लॉ लागू क्यों नहीं होता है, जितनी योजनायें बनी हैं, जितने फाईव ईयर प्लान बने हैं उनमें यह मालूम पड़ता है कि बराबर जमीन घटती आ रही है और जमीन कुछ आदमियों के हाथों में है। बड़े आदमियों के हाथों में वह जमीन है और बहुत से काश्तकारों के हाथ में बहुत थोड़ी जमीन है और फिर आप कहते हैं कि विषमता को कम करना चाहते हैं लेकिन जहां भी काश्तकारों की लोबी ज्यादा है, उनको तो आप अधिकार दे रहे हैं किन्तु जो छोटे छोटे काश्तकार हैं जिनके पास जमीन कम है, मैं कहता हूं, उनको खातेदारी राइट्स दीजिये जिनका जीवन खेती पर ही निर्भर करता है... "whose livelihood depends upon agriculture.."

यह सिद्धान्त की बात है। अगर एक आदमी खेती करता है और उसको खातेदारी राइट देते हैं तो मैं कहूंगा समाजवादी विचार धारा के हैं और खेती नहीं करता है, दूसरे साधन है, और उसको यदि खातेदारी राइट देते हैं तो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा संशोधन है, "In clause (a) and (b) substitute the words "in cultivatory posse-

(श्री मूलचन्द डागा)

ssion" for the words "an occupancy tenant" who has right to stay, who can stay on that land according to law. But what do you mean by cultivatory possession ? Cultivatory possession means whose possession on the basis of cultivation is there.

मैं आपको बेसिक बात पर ले जा रहा हूं अगर आप खेती करते हो लेकिन कहीं आकूपेन्सी नाम लिखा है या मौरूसी टिनेन्ट हैं उसको हेरिटेबल राइट्स हैं । ये राइट्स तो हो सकते हैं - राइट्स तो आप डाक्यूमेंट के आधार पर लेना चाहते है...

(व्यवधान)

श्रीमान् आपकी जमीन होगी या नहीं होगी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो ये बाते करते हैं आकुपेन्सी टिनेन्ट की आकुपेन्सी टिनेन्ट का मेरा मतलब है those who have the right to stay on the land.

तीसरा मेरा अमेंडमेंट है, "In clause (a), substitute the words "in Khasra Girdawari Register on the day of commencement of this Act "for the words" Annual Registers then current. चाहे वह जमीन पर खेती नहीं करता है लेकिन उसका नाम लिखा हुआ है- रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं मानता। एक्चुअल कल्टीवेटर हो तब तो ठीक है, उसमें मैं फर्क नहीं मानता। यदि आप खेती पेशा उसको मानते हैं तब तो जोते जिसकी जमीन है मान सकते हैं, अन्यथा ये अधिकार उनको जा रहे हैं जिनका जीवन निर्वाह खेती पर नहीं है। दूसरी बात जैसलमेर में टिनेन्सी एक्ट में यह परिभाषा नहीं है। बीकानेर में है इसलिए आप जो अमेन्डमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या डेफिनेशन है। आज मौरूसी शब्द आ गया अमेन्डमेंट में और खातेदारी नहीं है यह जो आपका वर्ड है मौरूसी वह डिफाइन नहीं है तो यह शब्द कहा से ला रहे हैं? खातेदारी टिनेन्सी का अभी फर्क बताया खातेदारी टिनेन्सी में ट्रान्सफरेबल राइट होते हैं। बीकानेर एक्ट में खातेदार टिनेन्ट को ट्रान्सफरेबल राइट नहीं दिये। खातेदार जो टिनेन्ट होगा इस टिनेन्सी में वह तो होगा I can sell my land, mortgage my land. I can do anything.

लेकिन बीकानेर एक्ट का क्लेरिफिकेशन नहीं है। फिर आपका यह कानून चैलेन्ज होगा और फिर आपत्ति होगी इसलिए जो बेसिक बात रखी है और आपके मन को जंचता हैं "whose livelihood depends upon agriculture.."

तब तो मैं कहूंगा ठीक है। मैं चाहता हूं जो जमाबन्दी बन जाती है जमाबन्दी में जिसका नाम आता है लेकिन कोई टेम्प्रेरी आता है जिसका रजिस्टर में तो नाम है, उसमें फर्क मानता हूं । खसरा-गिरदावरी में नाम है और एक्चुअल कल्टीवेशन करता हैं तब तो आपके अमेन्डमेंट्स ठीक हैं लेकिन मैं मानता हूं, यह आप मानेगे नहीं एक्चुअल कल्टीवेटर को मानेंगे नहीं और केवल ऊपर की बातों से कहते रहेंगे कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। जो बन्धुआ मजदूर हैं और काश्त करता है उसको तो अधिकार नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, फर्स्ट अमेन्डमेंट 15 ए ए ए के In clause(b) of sub-section(j) अन्दर new section AA A sought to be of inserted the word 'and' occurring before the word 'heritable' be replaced by the word "or"

and की जगह or इनसर्ट किया जाय लेकिन जैसलमेर के लिये माननीय मंत्री महोदय के इन्कार कर दिया कि उनके ट्रान्सफरेबल और हैरिटेबल दोनों राइट्स हैं - बीकानेर के लिये कहा गया ट्रासफरेबल राइट्स नहीं थे अगर यहां वर्ड यह और सब्सीट्यूट कर दिया जाता तो सारी प्राब्लम को सोल्व कर देगा। सैक्सन 19 से जो खुद काश्त टिनेन्ट है उनको राइट देने जा रहे हैं और जो राज्य सरकार का टिनेन्ट है जिसको ट्रांसफरेबिल राइट नहीं है हैरिटेबल है, उनको अधिकार नहीं देंगे। एक तो प्राइवेट सिटिजन पर लागू हो रहा है दूसरी तरफ राज्य सरकार का टिनेन्ट है और जो चार साल का टिनेन्ट है, अगर उसको अधिकार नहीं देंगे तो आर्टिकल 14 का इम्पीचमेंट होगा और 14 हजार लोगों को अधिकार नहीं होगा। इन 11 हजार लोगों को मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती है। जब 11 हजार को डेप्राइव करके नहीं कर सकते हैं तो मेरा निवेदन है कि इस थोड़े से ओवर राइडिंग से यह सारी प्राब्लम सोल्व होगी।

दूसरा अमेन्डमेंट, श्रीमान, मेरा यह है कि "Every person claiming that the rights mentioned in clause (b) of sub-section (1) accrued to him shall, within six months of the commencement of...."

तो यहां 6 महीने लिखा हुआ है, इसको एक साल किया जाय। 6 महीने का समय कम है। जो जैसलमेर राज्य के काश्तकार हैं, उनको सप्लाई करना पड़ेगा इसलिए 6 माह का समय कम रहेगा अतः इसको एक साल का समय किया जाय.. and on the payment of a court fee of fifty paisa" इसको डिलीट कर दीजिये। जिस प्रकार राजस्व अभियान में गांव गांव में जाकर रिकार्ड ठीक किया है इसी प्रकार जो अधिकारों का इन्द्राज है उसे भी गांव गांव में जाकर अधिकार देने पड़ेंगे इसलिए गरीब काश्तकार के लिये 'आन पेमेन्ट आफ कोर्ट फी' इसको डिलीट किया जाय। तीसरे सैक्शन 19 में जो सुविधा दी जा रही है और जो काश्तकारी राइट्स प्राप्त करने वाले हैं वे अगर सप्लाई भी नहीं करें तो असिस्टेन्ट कलेक्टर को स्वयं इन्क्वायरी करके इस प्रकार का इन्द्राज करने का अधिकार है इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे अमेन्डमेंट को इनसर्ट किया जाय...

10. (iii) The following new sub-section (3) be added after sub-section (2) of section 15 AAA:—

(3) "where no application referred to in sub-section (2) of section 15 AAA has been made by any person, claiming that the rights mentioned in clause (b) of sub-section (1) of section 15 AAA accrued to

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

him, the Assistant Collector having jurisdiction may or his own motion or otherwise within one year of the commencement of Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1979, and after making an enquiry in the same manner as is prescribed for an inquiry under sub-section (5) of section 15 and after affording a reasonable opportunity to the parties of being heard and being satisfied that khatedari rights accrued to such person, issue a declaration to that effect."

श्रीमान् यही बात सैक्शन 19 के अन्तर्गत में की जा रही है। लेकिन सैक्शन 19 में जो किसान जो सर्टेन राइट्स क्लेम कर रहा है, उसको यह फैसेलिटी दी जा रही है कि अगर वह सैक्शन 15-एएए में काश्तकार होगा तो खातेदारी राइट दिया जाएगा। आज मुख्य मंत्रीजी राजस्व कम्पेन में, पिछले तीन सालों की तरह इन कम्पेन में जो काम्पीटेंट आथोरिटि गांवों में जायेगी, कम से कम दो सौ गांवों में जाना पड़ेगा तो गांवों में इकट्ठा करके असिस्टेंट कलेक्टर सूओमोटो रिकार्ड देख कर उन लोगों से जांच करने के बाद उनका इन्द्राज कर सकेगा। अगर यह कानून में सब सैक्शन इंसर्ट नहीं किया गया तो उस काश्तकार को एक साल में छः महीने में एप्लीकेशन मूव करनी होगी। अगर नहीं करता है तो उसको रिलीफ नहीं मिलने वाली है अभी अकाल पड़ा हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अकाल में गांव का काश्तकार कहां जाएगा? अभी वह गांव में नहीं होगा और असिस्टेंट काम्पीटेंट आथोरिटी है उसके ध्यान में अगर आ जाय और वह सूओमोटो कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री महोदय कम से कम तीन अमेंडमेंट जो कि बिल्कुल अनकण्ट्रोवर्सियल हैं, को एक्सेप्ट करके इन काश्तकारों के हक में काम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट है कि 15-एएए, सब-सैक्शन ए की ज्यादतियों को मिटाने के लिए रखा गया है, उसमें मेरा अमेंडमेंट यह है कि In sub-clause (a) of sub-section (1) of Section 15-AAA. the words "with transferable and heritable rights" appearing after the words "or a tenant" be deleted.

मेरा अमेंडमेंट यह है कि ओर-ए टीनेंट के बाद विथ ट्रांसफरेबल एण्ड हेरिटेबल राइट्स, ये वर्ड जोड़े गए हैं, इनको हटाया जाय और सिम्पली or a tenant रखा जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट जो रखा गया है यह उन राइट्स के बारे में रखा गया है जो स्टेट टाइम से राइट कन्फर किए गए थे और उस वक्त स्टेट के अन्दर अलग अलग टिनेंसी राइट्स थे। कहीं आकूपेंसी टिनेंसी थी, कहीं खातेदारी टिनेंसी थी और कहीं मौरूसीदार टिनेंसी थी। एक स्टेट में भी बहुत सारा एरिया अलग अलग जागीरदारों के नीचे था और जागीरदारों में भी अलग

(श्री बहादुरसिंह)

अलग टिनेंसी दर और अलग 2 टैक्सों पर काश्तकारों को जमीनें दी गई थी। इस अमेंडमेंट से एक स्टेट में और एक पर्टीक्यूलर जागीरदार के एरिया में तो रिलीफ मिल जाएगा लेकिन उस वक्त के काश्तकार जो दूसरी स्टेट में या दूसरे जागीरदार के क्षेत्र में था, को राइट नहीं मिलेंगे। यह डिस्क्रिमिनेशन इस अमेंडमेंट के बावजूद भी रह जाएगा। इससे ऐसे काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा अनजस्टिस होगी जिनके लिए एक स्टेट में जमीनें निकाली या जिनको दी गई। कुछ एरिया के अन्दर जागीरदार की खुशहाला जमीनें थीं और खुशहाला जमीन में भी हेरिटेबल राइट ट्रांसफरेबल नहीं थे। किसी स्टेट के अन्दर आकुपेंसी राइट थे, खातेदारी राइट थे, कहीं खातेदारी राइट थे लेकिन आकुपेंसी राइट नहीं थे। आकुपेंसी राइट जो टिनेंट को दिए गए थे उसमें ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल राइट दोनों थे और खातेदार को बीकानेर में हेरिटेबल और ट्रांसफरेवल नहीं थे। तो आप एक तरफ तो हेरिटेबल राइट जिनको थे उनको खातेदारी राइट देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन्कार कर रहे हैं। तो इसलिए यह जो अमेंडमेंट पेश किया जा रहा है यह हकीकत में काश्तकार के राइट को डिस्क्रिमिनेट करता है और इससे जो कुल मिला कर रिलीफ मिलेगी बहुत ही कम आदमियों को मिलेगा। सरकार की मंशा जो एम्स एण्ड ओब्जेक्ट्स के स्टेटमेंट में दी गई है वह यह है कि लैंड टू दी टिलर। जो काश्त करता है उसको जमीन का मालिक समझा जाय और इस अमेंडमेंट से काश्तकार को कोई रिलीफ नहीं मिल पाएगा और रिलीफ मिलेगा तो बड़ी मुश्किल से एक परसेंट काश्तकारों को मिलेगा। 95 से 98 परसेंट काश्तकार काश्तकारी हकूकों से महरूम रह जायेंगे और जनता की मांग यह थी, स्टेट की मंशा भी यह थी कि 15-ए के राइट में हटा कर काश्तकार को खातेदारी हकूक दिये जावें। लेकिन इस अमेंडमेंट से काश्तकार को हकूक नहीं दिए जायेंगे, मिल नहीं पायेंगे। इसलिए मेरा अमेंडमेंट जो मैंने दिया है उसमें Transferable and heritable rights, वर्ड को हटवाया है और 'or a tenant' रखा है। जिस दिन टिनेंसी लॉ लागू होता है उस दिन जो टिनेंट था अगर उसे आप खातेदारी हक दे देते हैं तो कुछ आदमियों को रिलीफ मिलेगा। इसके बावजूद माननीय रेवेन्यू मंत्रीजी, बहुत से आदमी रह जाते हैं जिन्होंने जमीनें ओकूपाई की, कल्टीवेशन किया, नो तोड़ दी, सरकार को दी है, बहुत से हजारों लाखों की तादाद में, फिर खातेदारी हकूक से वंचित रह जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और इस आपके अमेंडमेंट से बहुत से, इस टिनेंसी एक्ट के आने से पहले के काश्तकार खातेदारी हकूक से वंचित रह जायेंगे। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, विशेष कर समाजवादी मंत्रीजी का कि वह इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर ये वर्ड हटायें और मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय ताकि कम से कम 55 में जब यह टिनेंसी एक्ट लागू हुआ उस वक्त जो टिनेंट हैं उसमें ये जोड़े जायें so that with due permission of the State or the authority,

जिन्होंने जमीनें निकाली थीं कम से कम वे तो खातेदारी हकूक पाने के हकदार हैं। आज 25 साल से लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हैं, कल्टीवेशन करते आ रहे हैं आज भी,

(श्री बहादुर सिंह)

उनके हकूक, खातेदारी हकूक नहीं दर्ज करके आप पर्टीक्यूलर काश्तकारों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। आप काश्तकारों के जो हकूक हैं उनको मार रहे हैं और आप उनके साथ बेवफाई कर रहे हैं। स्टेट की जो मंशा थी, जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट में दिये हैं उनके खिलाफ यह आपकी मंशा है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरा यह अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह ।

श्री हरचन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 15 एएए के सब क्लाज (बी) में मैंने यह अमेंडमेंट दिया है और उसमें...

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेंडमेंट भी बहादुरसिंहजी के समान है ।

श्री हरचन्दसिंह : हमारा जो सरकार को गुजारिश करना है वह यह है कि जो टिनेंट शब्द के बाद हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल वर्ड हैं इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जावे । उसका मेन कारण, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जो राजस्थान टिनेंसी एक्ट के लागू होने की क्रूशल डेट 15.10.55 है उस वक्त जिन लोगों को बाई वे आफ आपरेशन आफ सैक्शन 15, खातेदारी हकूक मिल चुके थे और 15 में यह चार प्रोजेक्ट जो थे उनमें राजस्थान कैनाल नहीं था । उस राजस्थान कैनाल एरिया के नहीं होने की वजह से उन सारे लोगों को सैक्शन 15 के तहत खातेदारी हकूक मिल चुके थे और रिकार्ड आफ राइट में उनका नाम खाते-दार दर्ज कर लिया गया था । लेकिन 15 ए इन्सर्ट किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब 1962 में हुआ है। 1955 से 1962 तक का जो पीरियड है सात साल का उस वक्त राजस्थान कैनाल एरिया जो 15-ए में दिखाया गया है जो प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्योंकि उस वक्त राजस्थान एक्ट लागू हुआ उस वक्त राजस्थान कैनाल एरिया नाम की कोई चीज नहीं थी। इस नाम से यह एरिया नहीं था। पहले पहल राजस्थान कैनाल का नाम 30 मार्च, 1958 को सुनने में आया जब तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत ने तिलवाड़ा के अन्दर इसकी नींव रखी। तब उस चार साल के अर्से के बाद इस सरकार ने सोचा कि यहां काफी लोगों को खातेदारी के के हकूक मिल गये हैं और इनको ये हकूक नहीं मिलने चाहिए थे । तो जिन लोगों ने 15-10-55 से 1962 तक सात साल तक खातेदारी हकूक का उपयोग कर लिया था वे खातेदार हो गये थे परन्तु इस 15-ए के इन्सर्शन से उनको डाइवेस्ट कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो अमेन्डमेन्ट आ रहा है, उसकी मंशा भी यही है । उस वक्त यह कन्डीशन नहीं थी : Once khatedari rights have been conferred on a person, they cannot be divested.

लेकिन उन्हें डाइवेस्ट कर दिया गया। उनको आप नीलाम नहीं कर रहे हैं परन्तु साथ ही साथ कोई समस्या का हल नहीं कर रहे हैं। इसकी जो दो कन्डीशन्स हैं हेरिटेबल और ट्रान्सफरेबल यह दोनों कन्डीशन आपने लगा रखी है और जो सब क्लाज-बी है उससे और ज्यादा काम्पलीकेशन होगा।

(142)

(श्री हरचन्द सिंह)

इसलिए हमें दुःख है कि यह अमेन्डमेन्ट ला कर के आपने जिन लोगों के खातेदारी हकूक वापिस ले लिये उपभोग करते हुए लोगों के, उनके खातेदारी हकूक वापिस दें परन्तु जो केवल मौरूसीदार खातेदार थे, बीकानेर स्टेट के उसके राइट्स को आप रिकग्नाइज कर रहे हैं लेकिन जिन आदमियों ने 15.10.55 को खातेदारी हकूक ले लिये, मिल चुके हैं, जिनका नाम स्टेट के रिकार्ड में दर्ज हो चुका है, जिनका म्यूटेशन हो चुका, उनको 62 में डाइवेस्ट कर दिया और फिर यह कन्डीशन रखेंगे हेरिटेबल और ट्रान्सफरेबल की तो उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं होगा और इस सरकार ने यह जो नारा दिया है जमीन उसकी जो जोते, तो यह नारा इससे सार्थक नहीं होगा। इसलिए, माननीय राजस्व मंत्री, महोदय मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा आप मेरी ओर घूर-कर, देख रहे हैं, आप मेरे इन सफेद कपड़ों को देख कर मेरे लिए कुलक कह दें, यह कुलक शब्द कह कर आप इस समस्या का हल नहीं कर सकते। आपने तो किसान की शक्ल ही नहीं देखी है। जो आदमी खेत के अंदर काम करता है, नवम्बर, दिसम्बर की सर्दी भरी रात में इंसान काम करता है तो उसका खून जम जाता है। तो काश्तकार उस कड़कड़ाती सर्दी और चिलचिलाती हुई गर्मी में काम करता है और देश के लिए अन्न पैदा करता है। उनको अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं मंत्री महोदय आपको आमन्त्रण देता हूं, एक ही रात राजस्व मंत्री जी आप सर्दी के दिनों में खेत में पानी लगा कर देखिये मेरा चैलेन्ज है कि आप सही सलामत जिन्दा घर आ जाएं तो ? 15-ए में आपने यह कन्डीशन लगा दी है। आपका वहीं पर खून जम जाएगा और आपकी लाश ही घर पर आएगी। इसलिए जो देश के लिए अन्न पैदा करने वाले काश्तकार हैं, उनकी ओर से मैं आपको यह गुजारिश करूंगा आप यह कुल्हाड़ा उन पर मत चलाइये। यह कुल्हाड़ा तो आपका श्रीराम इन्डस्ट्रीज पर चलना चाहिए था। आप इन कीड़े, मकोड़े पर कुल्हाड़ा चला रहे हैं। आप समाजवादी बनते हैं, लोहिया की आत्मा की दुहाई देते हैं, बार बार लोहिया का उदाहरण देते है तो आप भी लोहियाजी की आत्मा में झांक कर देखें। लोहियाजी ने तो यह कहा था कि जो आदमी खेत में है, जो जमीन को जोतता है, जमीन उसकी है। अब यह कन्डीशन आप इम्पोज कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे यह गुजारिश करूंगा कि इन दोनों शब्दों को आप हटा दें। पश्चिमी राजस्थान के हजारों किसान आपकी ओर देख रहे हैं। केवल यह दो शब्द आप इस में से डिलीट करना मन्जूर कर लें तो मैं भी आप की जय जयकार करूंगा। मैं यह गुजारिश करूंगा कि यदि आप सच्चे समाजवादी हैं, तो इन दोनों कन्डीशन को हटा दें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल सारस्वत।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खंड 2 में चार संशोधन दिए हैं मगर राजस्व मंत्री जी का जो उत्तर आया है उस स्थिति में अपना संशोधन नम्बर दो को प्रेस नहीं करता हूं। कारण जैसा कि बताया गया है इसमें सैक्शन 15-ए और संशोधित 15-ए ए इन दोनों में संशोधन है इसलिए मैं अपने संशोधन को प्रेस नहीं करता हूं। परन्तु जहां तक संशोधन 1, 3, 4, का प्रकार है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा।

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

मेरा पहला संशोधन है: "In clause (a) of Sub-section (1) of section 15 AAA the words "or a Khudkast holder" be added after the words "or a tenant" धारा 15-क के द्वारा दो प्रकार के काश्तकार थे उनको खातेदारी हकूक से महरूम किया गया था। एक तो वे काश्तकार थे जिनको धारा 13 के अन्तर्गत खातेदारी पैदा हुई थी। ये छोटे छोटे खुद काश्त होल्डर थे और दूसरे वे काश्तकार थे जिनको धारा 15-ए के अन्तर्गत अधिकार दिया गया था। अब जो संशोधन इस विधेयक में लाया जा रहा है, केवल एक ही प्रकार के काश्तकारों को पुनः वंचित किए हुए अधिकार से रेस्टोर किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि इन 30,000 व्यक्तियों को जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश में रहते हैं और जो बहुत छोटे काश्तकार हैं, उनका भी किसी प्रकार का आन्दोलन था, संघर्ष था, उनका जो यह अधिकार है, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यदि इस संशोधन के द्वारा केवल धारा 15 के जिन व्यक्तियों को अधिकार था, उनको वंचित किया गया था उनको रेस्टोर किया जाता है तो उस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार यह डिस्क्रिमिनेटरी होगा। इसलिए मेरी यह पुरजोर प्रार्थना है कि इस विधेयक के अनुसार दोनों ही प्रकार के काश्तकारों, जिनको धारा 15-ए के संशोधन के द्वारा अधिकार से वंचित किया गया था, को वह अधिकार वापिस लौटाया जाना चाहिए - तो दोनों प्रकार के काश्तकारों को चाहे वह धारा 13 हो या धारा 15 हो, दोनों ही प्रकार के काश्तकारों को अधिकार दिए जाने चाहिए।

दूसरा मेरा यह संशोधन है कि इस बारे में प्रावधान होना चाहिए कि किसी भी काश्तकार को चाहे वह धारा 13, 15 से सम्बन्धित हो, जो अधिकतम कृषि जोत की सीमा है उससे अधिक किसी को भी खातेदारी हकूक नहीं मिलने चाहिए। यह प्राविजन ऐड किया जाना चाहिए। शायद इसका यह उत्तर दिया जाए कि अधिकतम सीमा कृषी जोत की धारा 9 में इस प्रकार के काश्तकारों को सम्मिलित किया गया है, इस कारण से यहां इसका समावेश करना आवश्यक नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अब जो संशोधन किया गया है, यदि ऐसी आवश्यकता नहीं थी और स्पष्ट रूप से आवश्यकता नहीं थी, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि खंड 3 में जो परन्तुक ऐड किया गया है, उसकी आवश्यकता नहीं थी

"Provided also that the acquisition of Khatedari rights under this sub-section shall be subject to the provisions of section 17 or the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973."

श्री परसराम मदेरणा : आप कौन से क्लाज पर बोल रहे हैं? अभी क्लॉज दो चल रहा है। अभी क्लॉज तीन नहीं आया है

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं जो आरगुमेन्ट दे रहा हूं उसको सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : आप कौन से क्लाज पर बोल रहे हैं? क्लाज तीन आया ही नहीं आप उस पर बोल रहे हैं।

(144)

श्री बन्शीलाल सारस्वत : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि धारा में जो इन्केसिस्टेंसी है और जहां खण्ड 3 में उसका समावेश किया गया है वसे ही खण्ड 2 में समावेश किया जाना चाहिए ।

तो मैं इसके साथ ही साथ धारा 17 कृषि सीमा जोत पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट होगा -

"On and from the commencement of this Act, it shall not be lawful for any person to acquire by purchase, gift mortgage, assignment, lease, surrender, devolution, bequest or otherwise any land so as to affect an increase"

सब सैक्शन (1) में दिया है कि खातेदारी अधिकार चाहे सेल से हो या और किसी तरह से हो या एक्वायर हुए हों । उनमें–

"If on or after the commencement of this Act, any person acquires land by any of the methods mentioned in sub-section (1) which affects an increase in the extent of his holding over the ceiling area applicable to him, he shall within 60 days of such acquisition furnish a return to the authorised officer in accordance with section 10."

तो मेरा यह निवेदन है कि जो धारा 9 है इसके अनुसार यह सारा विवरण और इसके जरियें भूमि की केपेसिटी, इसमें सैल आती होगी मगर केपेसिटी का अर्थ यह नहीं है कि खातेदारी के अतिरिक्त अन्य प्रकार से कोई आदमी किसी तरह से जमीन होल्ड कर रहे हों तो अधिकतम सीमा में फरनिश करना; स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं है । आपने खण्ड 3 में समावेश किया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे स्पेसिफिक तरीके से समावेश किया जाना जाहिए । अन्यथा आज जिन आदमियों को खातेदारी अधिकार दिये जा रहे हैं कल उनको कहा जायेगा कि आप अधिकतम सीमा कानून के अन्तर्गत स्टेटमेंट पेश करें और साथ साथ में मुआवजा देने का प्रश्न भी पैदा होगा । इसलिए राज्य हित में यही है कि कृषि सीमा तक आप खातेदारी दे देंगे अन्यथा लोगों में बाद में असंतोष होगा और साथ ही साथ में भारी विवाद पैदा होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप सदन में कानून पास कर रहे हैं तो इस पर विचार कर लिया जाना चाहिये ।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है :

(4) The following new sub-section (3) be added :

(3) Not withstanding anything provided elsewhere in this Act, a person who acquired khatedari rights under this provision shall have no rights to transfer his interest or sublet his holding in whole or in part to any person who is not an agriculturist and domicile of Rajasthan.

यह हमारी सहिष्णुता और उदारता का प्रतीत हो सकता है कि राजस्थान के लिये जो व्यक्ति बाहर के

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

प्रदेशों से आ रहे हैं और राजस्थान में 55 प्रतिशत जनता गरीबी की सीमा से नीचे रहती है उनकी उपेक्षा करके उनको किस तरह से जमीन हस्तान्तरण करने का प्रयास किया जा सकता है इसलिए संशोधन दिया है कि यह जमीन राजस्थान के डोमिसाइल व्यक्ति हैं उनको हस्तांतरित की जानी चाहिये। तो मेरा यह निवेदन है कि ये तीनों ही स्वीकार किये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभारी मंत्री।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय गंगाराम जी चौधरी और जितने भी माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव किये हैं कि खण्ड 2 उपधारा (1) में शब्द ट्रांसफरेबल जहां कहीं भी आया हो उसको डिलीट कर दिया जाय। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। इसके कारण मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। उपाध्यक्ष महोदय, धारा 15 ए ए में 'हेरिटेबल ट्रांसफरेबल' का प्रयोग किया गया है वह इस प्रकार से यहां पर किया गया है उसको दो तरह से केटेगराइज कर दिया जाता है तो यह भेद भाव होगा, डिस्क्रिमिनेटरी होगा इस लिये इसको स्वीकार नहीं करता हूं। दूसरे संशोधन में गंगाराम जी ने कहा है 15 ए-ए ए में जो एक नवीन उपधारा जोड़ी जाय-

"(3) Not withstanding any-thing provided elsewhere in this Act, a person to whom Khatedari rights accrued as aforesaid, shall have no right to transfer his interest....."

फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसको भी मैं स्वीकार करता हूं और इसकी वजह यह है कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 13 में खातेदारी राइट्स हैं मगर यही धारा 15 और 15 ए के तहत मिले हैं। अगर यह जो स्पेशल केटेगराइज करके अधिकार दिये जा रहे हैं उसमें उपधारा जोड़ी जाती है तो नवीन प्रकार का प्रबन्ध होगा जो कानूनन उचित नहीं है क्योंकि 3 सैक्शन में खातेदारी अधिकार मिल जाते हैं उनमें प्रोविजन नहीं है इसमें भी नहीं रखा जा सकता यह डिस्क्रिमिनेटरी होगा। इसको भी मैं स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा माननीय परसराम जी मदेरणा ने धारा 15 ए में प्रिंसिपल राइट का प्रस्ताव है-

"under the tenancy laws of the former Bikaner State or the former Jaisalmer State."

इसको भी मैं स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं इसकी वजह यह है कि बीकानेर और जैसलमेर के अलावा भी किसी और जगह और कानून के अलावा भी होंगे और राजस्थान कैनाल एरिया में काश्तकार हैं जो धारा 15 एएए में कवर होते हैं उनको भी फायदा मिल सकता है इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं। तीसरे, आगे जाकर एक और बात कही गई है और इसके बारे में दलील दी गई है कि 15 एएए के तहत कोटा स्टेट में इस तरह के थे उसमें खातेदारी अधिकार दिये गये उसका मैं पहले उत्तर में निवेदन कर चुका हूं कि अगर इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है तो कानून की राय में डिस्क्रिमिनेटरी होंगे इसलिए यह जो माननीय सदस्यों ने कहा है धारा 15 और 13-(3) के अधिकार हैं उन्हीं काश्तकारों को अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि

(146)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

15ए के तहत जितने भी ऐसे काश्तकार थे उनको टेम्प्रेरी काश्तकार माना गया है और इस मूल धारा के साथ जब संशोधन किया जाता है तो फिर यह नहीं हो सकता कि टेम्प्रेरी काश्तकारों को भी ये अधिकार दिये जाय। मैंने जैसा कि निवेदन किया सरकार की मंशा केवल सीमित व्यक्तियों को ही अधिकार देना है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने ऐसे काश्तकारों के लिये जो प्रि फिफ्टी, 55 के काश्तकार थे जिनके लिये अलाटमेंट रूल्स बनाये थे और जो 1955 के बाद के थे उनके लिये अलग रूल्स बनाये थे और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके जरिये काश्तकारों के लिये अलग अलग नियम बनाये, इसलिए डिस्क्रिमिनेटर हैं इसलिए रद्द कर दें तो मैं सरकार की मंशा निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे काश्तकारों को बेदखल करने की सरकार की मंशा नहीं है, उनको भी अधिकार देने की मंशा है और दोनों के लिये प्रि फिफ्टी और बाद वालों के लिये एक से ही रूल्स बनाने की कार्यवाही कर रहे हैं और विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : यानि जैसा कि आपने बताया प्रि फिफ्टी और पोस्ट फिफ्टी वाले हैं जिनके 75 में जमीन अलाट हो गई तो 75 और 55 को एक ही फूट पर ले रहे हैं?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आपने कोर्ट का निर्णय पढ़ा होगा उसमें स्पष्ट लिखा है कि दो तरह केटेगराइज कर दें इसलिए यह इनवेलिड है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जिस आपत्ति के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया उसको ध्यान में रखते हुए नवीन रूल्स राजस्थान सरकार बनाने का विचार कर रही है और विभागीय कार्यवाही जारी है।

खातेदारी टेम्प्रेरी काश्तकारों को देने की इस कानून की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा निवेदन कर दी। मैंने निवेदन कर दिया कि उनको बेदखल नहीं किया जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्यमंत्री जी, जब सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन से एनामोलीज खड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रि और पोस्ट के बीच एक साल का अन्तर है-क्योंकि 56 वाले और 55 वाले एक साल का अन्तर है—इसलिए ऐसा सोचा गया कि उनको जमीन के दो मुरब्बे दिये जायं ये रूल्स आज फोर्स में हैं तो भी उनका संशोधन नहीं हुआ इसलिए इन रूल्स को वहीं रोक दिया और आप देखें कि ये बहुत पुराने काश्तकार हैं इसलिए इस तरह का अमेण्डमेंट करना चाहिये ताकि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट भी नहीं हो। दूसरी केटेगरी बनाई जाय और इस तरह से कर दी जाय तो निश्चित रूप से कवर हो सकते हैं। राय लेने के बाद में रूल बनाया। वह रूल इस केटेगरी में नहीं है। 56 वाला। 56 वाला 76-77 में कर रहे हैं। वह टेम्परेरी कर रहे हैं। राजस्थान कैनाल में रूल्स बनाये हैं। आज जो हैं, परमानेण्ट अलाटमेण्ट बन्द कर दिये हैं। अब नहीं होता है। उस समय रूल्स बनाये गये थे।

"Persons to whom Khatedari rights accrued under section 15 of the Rajasthan Tenancy Act."

(श्री परसराम मदेरणा)

ये 55 वाले हैं। "but were deemed under section 15 A of the said Act has having not accrued and who are continuously in possession of it:

Provided that each such person shall be allotted land up to the ceiling law.... "

ये रूल बनाकर गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया। पब्लिश किये गये हैं ये रूल्स 1977 में। 24 अप्रेल, 1977 में बनाये हैं। खातेदारी की जमीन है, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। आप दोनों को बराबर समझकर चल रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं शायद ठीक तरह से समझा नहीं सका हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये समझ गये हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था। अस्थायी काश्तकार 15 'ए' के अस्थायी काश्तकार हैं। उनको खातेदारी अधिकार दे दिये जाते हैं तो गंग कैनाल एरिया में जो काश्तकार हैं..

(व्यवधान)

आप सुन लीजिए। माननीय परसराम जी ने जो कहा है, उन रूल्स का मतलब है, वह अभी पब्लिश नहीं हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वह लागू नहीं हो रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : 15 डेज में ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : 15 डेज में, अस्थायी काश्तकारों को दिये जायेंगे। उनका भी हो जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करूं, गंग कैनाल में अलाटमेण्ट रूल्स...

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मगर मैं मानता हूं।

श्री हरचन्द सिंह : न भादरा में है। न गंग कैनाल में है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : एक जो परसराम जी ने रखा है-

"transefrable and heritable rights" के बाद "under the tenancy laws of the former Bikaner State or the former Jaisalmer State" add करने का वह यही वाला था। दूसरा माननीय मूलचन्द डागा ने अमेण्डमेण्ट रखा है—

1. Between the words 'any person' and the word 'who', insert the words 'whose livelihood depends upon agriculture and'.

2. In clause (a), substitute the words "in cultivatory possession" for the words 'an occupancy tenant".

3. In clause (a), substitute the words "in Khasra Girdawari Register on the day of commencement of this Act, for the words "Annual Registers then current".

(श्री पुरुषोतम मंत्री)

मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं। इसकी वजह यह है कि अगर ट्रेस पासर है तो उसका धन्धा भी केवल काश्तकारी हो सकता है। ऐसी सूरत में काश्तकारी अधिकार मिल जाता है, ट्रेसपासर को . . .

(व्यवधान)

सुनिये तो।

फिर एक संशोधन यह है -

3. In clause (a), substitute the words "in Khasra Girdawari Register on the day ofcommencement of this Act" for the words "Annual Registers then current,,.

तो यह खस्ती गिरदावरी रिकार्ड आफ राइट नहीं होता है। कोई राइट पैदा नहीं होता है। मैं यह संशोधन मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जो मंजूर हो, वह बता दीजिए। बाकी ना मंजूर तो है ही।

श्री पुरुषोतम मन्त्री : बंशीलाल जी ने जो पहला संशोधन रखा है—

In clause (a) of sub-section (1) of section 15-AAA the words "or a Khudkasht holder" be added after the words "or a tenant".

धारा 130 लगाई है, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं। और प्रॉपर जगह में यह संशोधन लिख दिया जाएगा। खुद काश्त होल्डर इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है, वही लिखा जाएगा। बाकी संशोधन मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

(व्यवधान)

एक दूसरा संशोधन माननीय रामकृष्णदास गुप्ता का है, जिसमें 6 महीने के बजाय साल का है। वह भी मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रामकृष्णदास गुप्ता का कौन सा है ?

श्री पुरुषोतम मन्त्री : ६ महीने के बजाय। साल का है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं, जिनको अगर खातेदारी . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं कुछ निवेदन करूंगा।

श्री पुरुषोतम मन्त्री: एक साल वाला मैं स्वीकार करता हूं। कोर्ट फीस वाला मैं इसलिए स्वीकार नहीं करता हूं कि अगर उसको 8 आने नहीं रखा जाता है तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री किशनसिंह भाटी: उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट फीस में डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: : कोई नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी: एक मेरा निवेदन है.

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो एक अन्य अमेण्डमेण्ट रखा है, उसको मैं विथड्रा करता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह तो बाद में विथड्रा करना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गंगाराम जी चौधरी, आपने संशोधन प्रस्ताव दिया है। मन्त्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रहता है।

श्री गंगाराम चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देना चाहें तो...

श्री गंगाराम चौधरी : मैं यह जानकारी चाहता था कि इस संशोधन के बाद राजस्थान कैनाल एरिया में कितनों को खातेदारी मिल जाएगी और कितने इसके लाभ से वंचित रह जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : लगभग 11 हजार आदमियों को खातेदारी मिल जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय गंगाराम चौधरी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि माननीय परसराम मदेरणा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाये ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : 6 महीने के स्थान पर एक साल वाला है। जिसमें 1 साल का है, वह वाला।

श्री उपाध्यक्ष : जिसे राजस्व मन्त्री ने स्वीकार किया है, जिसमें 6 महीने की जगह 1 साल का है। उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो अन्य संशोधन प्रस्ताव माननीय रामकृष्णदास गुप्ता ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री हरचन्दसिंह, बहादुरसिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

श्री बंशीलाल सारस्वत ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसकी राजस्व

(150)

(श्री उपाध्यक्ष)

मन्त्रीजी ने स्वीकार कर लिया है ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय श्री बंशीलाल सारस्वत ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय। होल्डर ग्राफ खुद काश्त।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3, संशोधन प्रस्ताव ।

श्री परसराम मदेरणा:माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कलॉज 3 में मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया है और अभी मुख्यमन्त्रीजी ठीक कह रहे थे कि भैंस के आगे बीन बजाना है-

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतनी देर हमने आपके सामने बजाई ।

श्री परसराम मदेरणा : सैक्शन 19 में, उपाध्यक्ष महोदय,

"Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht, and sub-tenants..."

इसका अमेण्डमेण्ट लाये हैं और इस सैक्शन के अन्दर क्लॉज 3 में मन्त्रीजी ने लिखा है कि -

"Every person who, on the 31st day of December, 1969 was entered in the annual registers then current as the tenant of Khudkasht or sub-tenants..."

इसका मतलब यह हुआ कि खुद काश्त को हटाकर पहली केटेगरी में डाल दिया है और सब-टिनेन्ट को जो टिलर ऑफ दी लैण्ड है उसकी छाती पर राजस्व मन्त्रीजी ने कई टनों का पत्थर रख दिया है। 19 में अमेण्डमेन्ट हुई है, क्या खातेदारी राइट्स दे रहे हैं, वहाँ से खुदकाश्त टिनेन्ट्स को निकालकर सैक्शन 15 पर टेबल लाये अभी पाँच मिनट पहले। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो आपने किया है पहले जो कोटा और बून्दी के अन्दर ट्रान्सफरेबल और हेरिटेबल के लिए बात कह रहे हैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्रीजी यह जो करने जा रहे हैं-if they want that we should be laughing stock before the Bench and the Bar, we cannot be a party to it.

यह इतना जबरदस्त, न मालूम आपने क्या किया है सैक्शन 19 के अन्दर 24 वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही थी, 55 से, उस व्यवस्था को आपने चेन्ज किया और होल्डर आफ खुदकाश्त को एक्सेप्ट किया और सब-टिनेन्ट जो गरीब आदमी बैठा हुआ है, जो लैण्ड रेवेन्यू दे रहा है वहाँ टिलर आफ दी लैण्ड को खातेदारी राइट नहीं दिए जायेंगे, वह क्या कुलक है? सेक्शन 19 में क्या किया है, प्रोविजो लगा रखा है, मैंने डिलीट करने की बात कही, सब-टिनेन्ट तो प्रोविजो में आ जायगा और खुदकाश्त में कोई प्रोविजो नहीं है इसलिए निवेदन कर रहा था कि मेरे जो तीन अमेण्डमेन्ट हैं, एक तो यह कि आर्बिट्रेरी डेट जो रखी है 31 दिसम्बर, 1969 -कोई

(श्री परसराम मदेरणा)

भी डेट किसी भी एक्ट में या स्टेच्यूट में रखी जाती है उसका किसी घटना से सम्बन्ध होना चाहिए। एग्रेरियन रिफार्म हो या चीफ मिनिस्टर्स को पर्टिक्यूलर कान्फ्रेन्स में निर्णय लिया हो कि फलां-फलां तारीख से हम यह करने जा रहे हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि 31 दिसम्बर, का सम्बन्ध एन्यूअल रिकार्ड (गश्त गिरदावरी) से कैसे है यह बता दें मुख्य मन्त्रीजी, टिनेन्ट खुदकाश्त और सब टिनेन्ट 1963 तक गश्त गिरदावरी हो रही थी, कालम 8, 16और 40 में लिखा जा रहा था 74 तक इनका नाम नहीं लिखा जा रहा था और रिवाइज होने से शुरू किया है। 75 में इसलिए किया गया कि चौसाला रजिस्टर,वे रजिस्टर क्या हैं? एन्युअल रजिस्टर वह कहलाते हैंतो 74में गश्त गिरदावरी का कालम राइट और पजेशन को लिखा जाने लगा है। उस वक्त की यह स्थिति थी और63 में गिरदावरी हुई, इन दोनों को आप लिखते हैं, तो निश्चित् तौर से यह डाला गया होता, यह तर्क आप दे रहे हैं सीलिंग में जमीन को लेकर, अन्त्योदय को जो इन दो रंग ऑफ लेडर हैं, इसलिए मैं यह कह रहा था गरीब आदमी पर ध्यान दिया नहीं कई मामलों में लैण्ड रेवेन्यू गवर्नमेन्ट को दे रहे थे इसलिए सेक्शन 19 में जो समस्या है, इनके पास 5 अप्रेल, 1963 तक वालों को कोई फायदा नहीं हुआ आपकी इग्नोरेन्स की वजह से। इसलिए 31.10.69 की जो डेट है यह आर्बिट्रेरी है, किसी भी घटना से रिलेटेड नहीं है, किसी प्रोनाउन्समेन्ट से रिलेटेड नहीं है, यह गवर्नमेन्ट को किसी पालिसी से भी रिलेटेड नहीं है, सीलिंग एक्ट से इसका क्या रिलेशन हो सकता है? खातेदारी राइट्स देने का है, इसको 15 सेक्शन में टेक दिया। क्लाज 3 में उसको घसीटा है, जो मुर्दा क्लाज है। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट दिया है

धारा 19 में अन्तः स्थापित की जाने वाली नवीन उप धारा (1AA) में अंक 1969 के स्थान पर अंक 1975 प्रतिस्थापित किये जाये ।

मेरा दूसरा अमेंडमेंट है धारा 19 में अन्तः स्थापित की जाने वाली नवीन उप-धारा (1AA) में से शब्द "other than grove land" विलोपित किये जायें, तथा आपने इसमें कहा है-

"Every person who, on the 31st day of December, 1969 was entered in the annual registers then current as the tenant of Khudkast or sub-tenant or was not so entered but was a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land..."

ग्रोव लैंड पर खातेदारी अधिकार न देने वाली जो बात है, मैं समझता हूं यह जो आपका रवैया है, यह टिलर आफ दी लैंड की तरफ नहीं है, ये ग्रोव होल्डर पर आम ठीकाना चाहते हैं जूस का ग्लास पीना चाहते हैं, उनकी तरफ है । टिनेन्सी बिल जिसके लिए दो बार कह चुके हैं कि मैं नया टिनेन्सी बिल ला रहा हूं । 1972 में यह बना दिया गया था किन्हीं कारणों से नहीं आ सका। सलेक्ट कमेटी ने दो बार डिस्कस करके सदन को रिपोर्ट कर दी थी। उसमें इस बात का प्रावधान है कि:

"On and from the date of coming into force of this Act, a grove holder shall become

(श्री परसराम मदेरणा)

"Khatedari tenant of the land in which ... ...rules of Tenancy Act."

जब यह पीसमील आप करने जा रहे हैं तो आपको इस ग्रोव होल्डर पर खातेदारी राइट्स कन्फर करने चाहिए थे। रेवेन्यू लॉज कमीशन जिसके चेयरमैन फार्मर चीफ जस्टिस आफ राजस्थान हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर थे, उसके बाद आपने इसको लटका रखा है। यह जो आपका आचरण है एडवोकेट जनरल और ड्राफ्ट्समैन से सलाह न करना, यह जो आपका रवैया है, घोर समाजवाद विरोधी है।

लास्ट में मेरा अमेंडमेंट है कि नवीन उपधारा (1AA) का प्रथम परन्तुक विलोपित किया जाय। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। जो सीलिंग में जमीन आ रही है उस जमीन को हाथ मत लगाओ, नहीं तो कुलक हो जाओगे:

"Provided that on Khatedari rights shall accrue under this sub-section in the land which has been, or is, liable to be declared surplus under any law relating to the imposition of ceiling on agricultural holding-"

इसका मतलब यह हुआ कि आज टिनेन्ट का चाहे खुदकाश्त होल्डर है चाहे टिनेन्ट का सब-टिनेन्ट है, दोनों इतने छोटे आदमी हैं और उन्होंने इतनी भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उन्होंने अपनी जमीन को इम्प्रूव किया है कुआं खुदवाया है, पम्प लगवाया है, बिजली का कनेक्शन ले लिया है, उसके बाद में यह 2 लाख बीघा जमीन सीलिंग में आयेगी, रीओपन करने के बाद आयेगी या नहीं दो हजार आ जाए तो भी बहुत है, यह समाजवाद नहीं है। आप दलील क्या दे रहे हैं? कि ऊपर से लिखा हुआ आ गया, ऊपर कौन? भारत सरकार? यदि राज्य सरकार का ठीक तरह से रिप्रेजन्टेशन हो तो निश्चित तौर से नहीं कर सकते। मैंने कई बार अमेंडमेंट्स करवाए थे सीलिंग लॉज में, उन्होंने खिलाफत की। मैं गया और उसके बाद उसी वक्त उन्होंने क्लीयरेंस दे दी। आप वहां गए नहीं, सेक्शन आफिसर को भेज दिया। ये गरीब आदमी हैं, इनकी जमीन तो आ जाएगी सीलिंग में। लैंड होल्डर जो बैठा हुआ है, चाहे खुदकाश्त होल्डर है या टिनेन्ट- इन चीफ है, वे उनकी जमीन ले लेगा और वे उनसे मुआवजा लेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि छोटे काश्तकारों को, जो टिलर आफ दी सोइल है, आप इस प्रोवीजो से महरूम रखने जा रहे हैं। यह कोई एग्रेरियन रिफार्म का प्रावधान नहीं है। यह तो मोहम्मद तुगलक की लाइन है। इसलिए इसको छोड़िए और मेहरबानी करके गरीब आदमियों की मदद कीजिए नहीं तो आपका जो हश्र होने वाला है, दो तीन महीने बाद फिर जब मिलेंगे, तब पता लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

श्री मूलचन्द डागा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

15. धारा 19 में अन्तः स्थापित की जाने वाली नवीन उप-धारा (1AA) में–

(a) substitute the figures "1074" for the figures "1969"

(b) substitute the words "Khasra Girdawari" for the words "Annual Registers"

(श्री मूलचन्द डागा)

(c) after the word "entered" and before the word "but" insert the word "if it is so proved by evidence"

(d) The words "despite the ejectment proceeding pending against them in any Court" be substituted for the words "or sub-section (IA), if before the said date, no proceedings for his ejectment under clause (a) or clause (b) or sub-section (1) of section 180 shall have started within the time limit prescribed by section 182 A or if on that date, no such proceedings previously started might have been pending".

1969 में जब किसी का नाम गिरदावरी में नहीं है इसलिए मैंने 1974 का दिया। आप उतावले क्यों हो रहे हैं? अभी तो एक बजेगा। 1974 की बात क्यों रखी? अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अगस्त, 1974 के पहले जो गिरदावरी नहीं होती थी, 1963 व 1974 के बीच में और आप ले रहे हैं 1969। तो मैंने कहा दिसम्बर 1974 तक। 1974 तक इसलिए कहा और दूसरा अमेंडमेंट दिया कि अगर गिरदावरी में नाम नहीं हो तो बाई ओरल एवीडेंस भी लिया जाए। कई लोगों ने टिनेन्ट और सब टिनेन्ट का नाम नहीं लिखते हैं तो मैंने कहा it should be done by oral evidence also. अगर एन्ट्री नहीं हो गिरदावरी में, या जमाबंदी में तब भी उस आदमी का सब टिनेन्ट है और उनकी ओरल एवीडेंस ली जाए। तो 1974 आपको डेट करनी चाहिए न कि 1969।

श्री उपाध्यक्ष: डागाजी आपका एक और संशोधन है।

श्री मूलचन्द डागा: I do not want to press it.

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीलाल सारस्वत।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है—

16. In new sub-section (1 AA) sought to be inserted in section 19 add the following proviso:

"Provided further that no khatedari right shall accrue under this sub-section on the land belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes but it shall not be case if the sub-tenant is the member of Scheduled castes or Scheduled tribes.

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्व मंत्री का प्रयास अच्छा हो सकता है मगर जिस तरह से भेदभाव रहित अपना संविधान है, उस दृष्टि से यह डिस्क्रिमिनेटरी प्रावधान आ गया है। उसे ध्यान में रखते हुए इस पर गौर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें जो व्यक्ति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों के सब-टिनेन्ट हैं और संवत्

(152)

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

2011 या उससे पूर्व चले आ रहे हैं अगर उनको उस समय अधिकार नहीं मिलें और आज तक निरंतर चले आ रहे हैं और अन्य जाति के सब-टिनेन्ट हैं उनको यदि इसमें अधिकार दे दिए गए, जैसे इसमें बताया गया है कि पूर्व में कई काश्तकार छूट गए, उनको अधिकार नहीं मिले। यह कहा जा सकता है कि धारा 46 के अनुसार मौजूदा में या बाद में कोई सब-टिनेन्ट नहीं हो सकता। वह एब इनीश्योनल एण्ड वाइड है। मगर संशोधन आने से पूर्व काश्तकार अनुसूचित जाति व जनजाति खातेदारी अधिकारों के सब-टिनेन्ट यदि हैं तो यदि वे अधिकार मांगेंगे तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि उनको वंचित किया जा सके..

श्री श्योपत सिंह (मकासर) : आप क्या कह रहे हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर सब टिनेन्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का कोई व्यक्ति हो तो उस पर यह लागू नहीं किया जाये।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह नहीं हो सकता। क्योंकि हर सब-टिनेन्ट पर लागू होगा।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : मैं यही कह रहा हूं कि खातेदार इसमें अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातिका सब टिनेन्ट है और उसने यदि कोई सवर्ण से काश्त करने के लिये जमीन ली तो उसको खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। उसमें कोई कानून बाधा नहीं होगी। आपके टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 इसमें बाधक नहीं होगी।

(व्यवधान)

धारा 46 को मैंने पढ़ा है उपाध्यक्ष महोदय इसमें कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं है इसमें शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आप अधिकार दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर: आप कहीं कालवी साहब की सलाह पर तो नहीं बोल रहे हैं?

श्री बन्शीलाल सारस्वत: आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार देने के बारे में कह रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : भटनागर साहब से पूछो कि वह क्या कह रहे हैं?

श्री बन्शीलाल सारस्वत : माननीय सदस्यों, आपने मेरा संशोधन देखा नहीं है और आप दूसरे के कहने पर बोल रहे हैं। मैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये कह रहा हूं जो कि सब टीनेन्ट हैं उसको स्वीकार किया जावे।

श्री परसराम मदेरणा: यह सेक्शन 46 तो sub-letting of land to the minors का है।

श्री बन्शीलाल सारस्वत: मैंने यह नहीं कहा मैं तो यह कह रहा हूं कि धारा 46 इसमें बाधक नहीं है। और 46ए जो सब-टिनेन्ट के लिये है उसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को अधिकार देने के लिये समावेश किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी अभी जो संशोधन माननीय सदस्य श्री बन्शीलाल सारस्वत ने दिया है सदन में वह मेरे ख्याल से ठीक है क्या इसका इसमें समावेश कर दिया जाय?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 46 की स्पेशल धारा है उसमें सब लेटिंग के लिये है । उसमें लिखा है:

"46 A. Special provision for letting or sub-letting by members of scheduled caste & scheduled tribes. Notwithstanding anything contained in section 44 45 and 46 no person who is a member of scheduled castes or scheduled tribes shall let or sub-let the whole or any part of his holding under the said sections to any person who is not a member of a scheduled castes or a scheduled tribes."

इसके करने से सब लेटिंग का जो प्रोविजन है उसमें संशोधन होता है तो इल-लीगल होगा ।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यदि पूर्व में कोई सब-टिनेन्ट हो तो उस पर लागू नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : इसमें लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका खण्ड पढ़ देता हूं :

"Provided further that no Khatedari right shall accrue under this sub-section on the land belonging to the scheduled caste or scheduled tribe."

वे लोग इसमें कवर हो जायेंगे इसमें यह है आगे :

"but it shall not be the case, if the sub-tenant is the member of scheduled caste or sheduled tribe."

आप इसको स्वीकार करें ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा है माननीय सदस्य श्री बन्शीलाल सारस्वत ने यह मैं समझता हूं कि एक अच्छा संशोधन है और मन्त्री महोदय को इसको मान लेना चाहिये । क्योंकि सैक्शन 46 जो है उसमें 1955 के बाद में जब एक्ट लागू होता है पर जो लोग सन् 55 के पहले से सब टिनेन्ट हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह तो उससे गवर्न हो सकते हैं । इसलिए इस अमेन्डमेन्ट को इनसर्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और उचित भी होगा ।

श्री हरचन्द सिंह : आप पहले अपने लोगों को पूछ लें, मन्त्री जी आप धोखे में मत पड़ना । नहीं तो कोई गड़बड़ी हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजस्व मन्त्री जी ।

श्री पुरुषोतम मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री परसराम मदेरणाजी ने तीन संशोधन प्रस्ताव रखें हैं । एक तो उन्होंने कहा कि संशोधन 31 दिसम्बर, 69 से लागू क्यों किया ? इसको 69 से नहीं लागू कर सन 75 से कर दिया जाय । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग एक्ट की धारा 33, 1969 के दिसम्बर से लागू यानी वेलिड मानी गयी है इसलिये इसको 69 से लागू किया गया । दूसरी बात सन् 75 से लागू करने के लिये यह दलील दी गयी कि धारा 45 के तहत अगर कोई पांच साल तक सब

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

टिनेन्ट हो उस हिसाब से सन् 69 से पांच साल बाद 74 हो जायेगा और यह 75 करने से आरबीट्ररी हो जायेगा। इसलिये 31 दिसम्बर 69 रखा। इसमें जो प्रोविजो दिया गया है उस का कारण यह है कि छोटे छोटे काश्तकार जो है उनको खातेदारी राइट से वन्चित नहीं रखना है। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस बिल का मसौदा तैयार किया जब इसमें परन्तुक नहीं था। चूंकि सम्पत्ति के अधिकार सीमित करना है जब कि यह नये अधिकार क्रियेट करता है। इसलिए जब इस बिल का मसविदा भारत के महामहिम राष्ट्रपति की कांसेट के लिये गया। वहां से यह लिखा हुआ आया। 18-10-78 को गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने 18.10.78 को एक पत्र लिखा है

"with reference to your letter no........"

श्री परसराम मदेरणा : यह वेरी सीक्रेट लैटर है। आप नहीं पढ़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह समझ गये हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : भारत सरकार ने यह कहा कि....

श्री परसराम मदेरणा : Don't divulge it. It is very secret letter.

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के विधि विभाग ने राय दी कि जैसा हमने कहा वैसा आप अगर इसमें परन्तुक नहीं जोड़ते हैं तो प्रेसीडेन्ट साहब की असेन्ट नहीं दी जा सकती है। इसलिए यह प्रोविजो बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद में तीसरा संशोधन जो पेश किया गया था वह था ग्रोव लैण्ड के बारे में इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो धारा 19 थी इसमें पहले सन् 61, 63 और 64 में ग्रोव लैण्ड को एग्जेम्प्ट किया है।

"(b) was not so entered but was a tenant of khudkasht or sub-tenant of land, other than grove land........"

धारा 19 जो है उसमें प्रावधान है। उसको ध्यान में रखा गया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो बाद में कान्सीक्वेन्शियल है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री परसराम मदेरणा ने जो अमेण्डमेन्ट मूव किये हैं मैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके बाद में एक और संशोधन जो पेश किया गया है वह श्री मूलचन्द डागा द्वारा किया गया है। उन्होंने जो कुछ कहा दलील दी उसमें मेरा निवेदन है कि कानून के अन्दर है-

"After the word 'entred' and before the word 'but' insert the words, if it is so proved by evidence."

इसमें असिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट में कानूनी शहादत जिस तरह से लागू होनी चाहिए उस तरह से होगी वहां पर उनको मौका मिलेगा। इसलिए इस संशोधन को भी स्वी-

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

कार करने को तैयार नहीं हूं और इसके बाद एक और संशोधन है उसमें यह दिया है-

"The words 'despite the ejectment proceeding pending against them in any Court....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो स्वीकार करने वाले बता दें ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह धारा 46 जो है उसमें जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य बन्शीलाल जी ने पेश किया है उनके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं । इसके साथ माननीय सदस्य श्री परसराम मदेरणा ने जो शंका उठायी है वह वाजिब है ।

यह मैं स्वीकार करता हूं । उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसका उपाय सरकार कर देगी रूल्स बनाकर सीलिंग के तहत अलाटमेन्ट रूल्स है उस में मुनासिब संशोधन किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष:प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री परसराम मदेरणा ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जायें ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव **श्री मूलचन्दजी** डागा ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें **स्वीकार** किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है जो कि संशोधन प्रस्ताव जो श्री बंशीलाल सारस्वत ने प्रस्तुत किया है और जिसे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 यथा संशोधित स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 यथा संशोधित स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979, ऐज अमेन्डेड इन दी हाउस को पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 जैसा संशोधित किया गया है, पारित किया जाये ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज विधेयक, 1979

श्री महबूबअली (राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के संबंध में आये हैं।

श्री मूलचन्द डागा।

माननीय डागा जी इसके पहले कि आप चर्चा करें मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित करने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव दिया था कि इसमें जो अमेन्डमेन्ट रखे हैं वह स्वीकार कर लिये जायें और जो क्लॉज डिस्प्यूटेड नहीं है उनको तो स्वीकार किया जा सकता है। जब शासन पक्ष की ओर से ही माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप संशोधन रखे गये हैं तो क्यों चर्चा की जाय?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की चर्चा हुई थी उसी के आधार पर विरोधी दल के कई माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के सदस्य आपस में बैठकर इस विधेयक के संबंध में काफी कुछ निर्णय कर चुके हैं। उस समय यही निर्णय हुआ था कि इस पर आम चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो खास आपत्तियां विरोधी पक्ष ने उठाई अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुरूप सरकार की ओर से संशोधन रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि उनके संशोधन स्वीकार किये जाने के बाद आपत्ति नहीं होगी। श्री डागा जी से और दूसरे माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को इन संशोधनों के साथ पारित करवा दिया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं मैं थोड़े से शब्दों में कहूंगा। आप सुन लें और सुनने के बाद रिजेक्ट करदें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले कन्सीडरेशन के लिए ले लें और बाकी जब क्लॉज बाई क्लॉज लें उस समय बोल लें।

श्री मूलचन्द डागा : पहले मैं जनरल आब्जेक्शन करना चाहता हूं और उसके बाद आप चाहे कुछ करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री ने कई विरोधी दल के माननीय सदस्यों को कान्फीडेन्स में लेकर और बातचीत करके कुछ सुझावों को स्वीकार किया। वैसे मुख्य मंत्री कम ही स्वीकार करते हैं। फाइनेन्स डाइरेक्टर वगैरह और एक असेम्बली का मैम्बर लिया है - मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा था कि इतना समय नहीं लगेगा नहीं तो ऐसे बिल में कम से कम तीन दिन की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब वह समय नहीं लगेगा। डागा जी के कुछ मौलिक विचार हैं और आपने उनको नहीं बुलाया। आपको उनको आमंत्रित करना चाहिए था। सबसे ज्यादा जिस मैम्बर के अमेन्डमेन्ट थे उन्हीं को नहीं बुलाया।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मदेरणा जी आपको भी इनवाइट किया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके मौलिक विचार हैं तो निश्चित रूप से रखें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द जी डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी ने तीन रिपोर्ट निकाली हैं और वह है पार्लियामेन्ट की जिसमें श्री ज्योतिमय बसु चेयरमैन हैं। उन्होंने बताया कि कार्पोरेशन के बारे में उनके क्या अनुभव हैं । उन्होंने चार पांच बातें बड़ी मारके की कहीं राजस्थान में जितने भी कार्पोरेशन्स चल रहे हैं...

श्री परसराम मदेरणा : हैं कि नहीं मौलिक बातें ।

श्री मूलचन्द डागा : चाहे राजस्थान वित्त निगम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, सारे निगमों में घाटा क्यों होता है ? आपने एक स्कीम बताई और कहा कि 110 करोड़ रुपया मिलेगा । आधा रुपया गवर्नमेन्ट देगी और 50 करोड़ सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट आपको देगी उसमें भी 15 करोड़ काट लेगी । तो आपको 35 करोड़ ज्यादा से ज्यादा मिला । अब 35 करोड़ रुपये के लिए आप निगम बना रहे हैं...

श्री महबूब अली : प्लान सीलिंग का भी प्रश्न उसमें आयेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं कि चैयरमन कैसा हो । तो आपने इस एक्ट में चेयरमैमन की कोई क्वालीफिकेशन नहीं रखी। आप जिसको चाहें चेयरमैन बना दें, चाहे उसको एक्सपीरियेन्स हो या नहीं हो । The Chairman will be appointed by the Government तो जिस तरह से चेयरमैन बनाने का तरीका सोचा है तो यहां भी बैठा दो । यह चेयरमैन अपनी भूमिका सही नहीं निभा पाते हैं । मैंने चेयरमैन के लिए क्वालीफिकेशन्स रखी हैं वह यह रखी हैं कि 15 साल का अनुभव हो, जिसको तकनीकी ज्ञान हो, जिन्होंने इस काम को कभी किया हो उसको चेयरमैन रखा जाये । आपने सैक्शन 14 में लिखा है:

> "(a) Chairman, to be appointed by the State Government;"

Any body can be appointed as Chairman of the Board What are the qualifications that a Chairman should possess.

यह जो आपका तरीका है वह उचित नहीं है। आप निगमों में चेयरमैन क्यों रखते हैं, क्यों आप मैनेजिंग डाइरेक्टर रखते हैं और उसको भी फुल पे देना चाहते हैं ? तो मैं कहना चाहता हूं कि कई जगह ऐसी हैं कि जहां मैनेजिंग डाइरेक्टर-कम-चेयरमैन रख सकते हैं लेकिन इस प्रकार से जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है ।

दूसरी बात मैं यह चाहता था कि आपने जनता के प्रतिनिधियों को क्यों अवाइड कर दिया ? आप अमेन्डमेन्ट लेकर आये । अमेन्डमेन्ट में आपने लिखा कि दो आदमी विधान सभा से चुने जायेंगे । चुने जायेंगे कैसे ? Speaker can nominate. आपने वर्ड्स लिखे हैं...

160

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्या चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : स्पीकर को पावर होनी चाहिये किन्हीं दो मैम्बरों को भेज दें। मैनेजिंग डाइरेक्टर कौन होना चाहिये ? यह कारपोरेशन के मैनेजिंग डाईरेक्टर क्या बन जाते हैं ? पी. यू. सी की मीटिंग में इन्डाइरेक्टली यहां तक कहते हैं कि आटोनामस बाडी है और रोज मंत्रियों के फोन जाते हैं उस आदमी को रख लें। गवर्नमेंट का जो पालिसी डाइरेक्टिव होगी उसको मानेंगें। जितनी क्लॉजेज हैं, they are not "as prescribed by the Government" or "as prescribed by the Act", but only "as instructed by the Government.", पब्लिक अन्डर टेकिंग्स कार्पोरेशन का जो एक्ट बना रहे हैं, आप रूल्ज प्रेसक्राइब करके हाउस में लाना नहीं चाहते। गवर्नमेंट हर वक्त दखलअन्दाजी करे। उसमें लिखा हुआ है "as instructed by the Government"; मैं कहता हूं आप सेटिसफाई करो। It should be "as prescribed by the Government", जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अन्दर सारे प्रेसक्राइब्ड रूल आये हैं, वह सदन की मेज पर आये हैं। एक को पढ़ लीजिये। इस में यह लिखा है : "as prescribed under the Act." एक्जीक्यूटिव एनक्रोचमेंट करता है। यह जो कार्यपालिका है किस तरह से हावी हो रही है। समय कम मिलता है, जल्दी से बिल पास कर दिया। उधर एग्जीक्यूटिव हावी बन जाती है। एज प्रेसक्राइब लिख दिया। रूल्स बनेगें, अमुक कानून बन रहा है। यह कहना चाहिये कि ब्यूरोकेसी द्वारा कानून बनाया जाता है और वह विधान सभा पर हावी हो जाती है, "not prescribed" but "as instructed by the Government" यह आप, विधान सभा की जो मर्यादा है, उसको बिल्कुल खण्डित करते हैं।

चौथी बात मैं कह रहा था कि आपने इसके अन्दर चेयरमैन कौन होगा, दो बातें लिख दी हैं। चेयरमैन चुना हुआ नहीं आवे तो आपने कर दिया एक्सआफिशियो कर देंगे। आप क्या करेंगे ? समाजवाद लाना चाहते हैं। वह समाजवाद सरकारीकरण से आयेगा। तो मैं यह बात कहना चाहता था आपका कैसा चेयरमैन आयेगा, कैसे टरमीनेट कर देंगे। आपने लिखा है– "The Chairman, unless appointed ex-officio, shall hold office for three years. The State Government may, if it thinks fit in public interest so to do, by notification in the official Gazette, terminate the appointment...." एक चेयरमैन पब्लिक का चुना हुआ है, उसको टर्मिनेट कर देते हैं..

श्री ईश्वर चन्द्र : उसमें रीजन्स दिये हुए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : Kindly read it and explain it to me.

"The State Government may, if it thinks fit in public interest so to do, by notification in the official Gazette, terminate the appointment of the Chairman earlier without entitling him to any right to compensation whatsover." तो मैंने यह कहा कि चेयरमैन का अपोइन्टमेंट जब आप टर्मिनेट करें, आपने उदाहरण क्या

(श्री मूलचन्द डागा)

लिया पब्लिक इन्ट्रेस्ट यदि किसी आदमी को हटायें तो Kindly give him a notice. Give him a chance. And if you do not give him a chance before terminating his services, who would come as Chairman ?

श्री ईश्वरचंद्र : नोटिस का प्रोवीजन है इसमें ।

श्री मूलचन्द डागा : आप जल्दी में कर रहे हैं या तो आप टाइम दीजिये । कृपया, इसको पढ़िये, टर्मीनेट कैसे करते हैं । तो मैं कहता हूं टर्मीनेशन के लिये आप इसको नोटिस दीजिये . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी काहे की । मैं तो समझा नहीं । बोल रहा हूं । I have considered and you have considered. Is this the way of doing justice ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी बात नहीं है जो आपने कहा वह भी समझ गये, जो कहना चाहते हैं वह भी समझ गये, जो मन में है वह भी समझ गये उसके बाद में कोई ऐसी बात नहीं है . .

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप बुद्धिमान हैं, आप समझ गये । हम नहीं समझे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके नेता महोदय, समझ गये ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने सैक्शन30, 40, 41, में क्या लिखा है । गवर्नमेंट फण्ड इसमें जमा करेंगे । कुछ सीमा तो होनी चाहिये इतना रुपया जमा होगा 40 में आपने लिखा है

"The taxes mentioned in sub-section (1) shall be levied at such rate, which in the case of water tax shall not more than 14 percent ...."

41 पर्सेंट और 4 पर्सेंट कर दिया । एक क्लॉज और एड कर दिया कोई बोर्ड , कोई कार्पोरेशन ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि उसको घाटा हो जाये । एक कन्डीशन और लेड डाउन कर दी कि कार्पोरेशन को घाटा नहीं होगा । तो कार्पोरेशन चल नहीं सकेगा । कार्पोरेशन कहेगा घाटा नहीं करना चाहिये आप टैक्स लगायेंगे । चाहे गांव में चाहे म्यूनिसीपेलिटी में रहने वाला हो, टैक्स होगा । यह जो कार्पोरेशन बनेगा राजस्थान में जो कहीं का रहने वाला हो, वह टैक्स के भार से दब जायेगा । आप इन्कम कहां से करेंगे ? एक तरफ कहते हैं कि बोर्ड घाटा नहीं खायेगा तो क्या गवर्नमेंट घाटा उठायेगी । आज भी आपका वाटर वर्क्स तीन करोड़ के सालाना घाटे में चल रहा है । दूसरा आपने क्या इसके पुलिस को पावर्स दे रखे हैं . . .

एक माननीय सदस्य: यह वापिस ले लिया ।

श्री मूलचन्द डागा: अब मैं कहना चाहता हूं म्यूनिसिपल कार्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटीज जहां हैं क्या आपका कोडिनेशन होगा । जो आप जोन-सिस्टम लगा रहे हैं, उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं । आप किस प्रकार पूरा कर सकेंगे और इसलिए मैंने कहा जो आप बोर्ड के डाइरेक्टर्स बनाते हैं, फाइनेन्स सैक्रेटरी, फाइनेन्स कमिश्नर इनकी अटेन्डेंस हार्डली होती है और केवल ये डिटो करते रहते हैं । ये जो गवर्नमेंट के डाइरेक्टर्स होते है सैक्रेटरीज वगैरह वे केवल जाते हैं और होने के बाद केवल दस्तखत करके आ जाते हैं ।

(162)

(श्री मूलचन्द डागा)

इस प्रकार डाइरेक्टर्स क्यों बनाते हैं जिनका कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और केवल अटेन्डेन्स होती है ? इसलिए जो बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स बनाया है, यह डिफेक्टिव है और जो डेलीगेशन ग्राफ पावर्स दिये हैं, वह भी गलत हैं। तीसरे गवर्नमेंट ने जो यह रखा है वह भी गलत है। इसलिए सीवरेज के क्या कान्सीक्वेन्सेज होंगे, वह समझ में नहीं आता है। हमारे मिनिस्टर महोदय हैं उन्होंने टाइम्स ग्राफ इंडिया में खबर दे दी। 8 अक्टूबर, 1979 को टाइम्स ग्राफ इंडिया में यह खबर दे दी ...

"Rajasthan Water Supply Project may be shelved"

यह गलती किसकी है, जो पहले मंत्री थे, जो डा. हरिसिंह थे उनको बता दिया उनकी इन-काम्पीटेन्सी थी। यह स्टेटमेंट दिलवा दिया। इसमें दो- तीन बातें कह दीं...

श्री ईश्वर चन्द्र : यह किसका स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : किस गवर्नमेंट को डिफेन्ड करते हैं, जिसका कोई है नहीं। यह तो आपका काम है, उसकी क्या ड्यूटी थी। यह तो सारे केबिनेट रेस्पान्सिबिलिटी है। एक मिनिस्टर पर आप जो करते हैं, वह भी सही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कार्पोरेशन का बिल जल्दी में पारित न करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी उत्तर दें।

श्री मथुरादास माथुर : एक सलेक्ट कमेटी में रेफर करने का भी है..

श्री शंकर लाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जनमत जानने का जिनका प्रस्ताव है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसराम जी, माननीय मूलचन्द जी ने कह दिया जनरल प्रिन्सिपल के बाद उन्होंने अपना जनमत जानने के लिये प्रस्ताव नहीं रखा है। सामान्य चर्चा की है। माननीय सदस्य विचारार्थ लेने से पहले जनरल प्रिन्सिपल के बारे में चर्चा कर सकते हैं उसी का उत्तर दें माननीय मंत्री महोदय...

श्री महबूब अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डागा साहब ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं। बेसिकली मैं समझता था डागा साहब मनुष्य की ईमानदारी पर विश्वास करके चलते हैं लेकिन उनके समस्त भाषण से यह लगा कि वे बेसिकली बेईमान मानकर चलते हैं...

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिये.. जो बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स में लिये जायेंगे वे किस प्रकार बिहेव करेंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिल्कुल यह बात है कि जो आदमी इसमें लिये जायेंगे वे बहुत ईमानदार होंगे और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी और वे बोर्ड को कान्स्टीट्यूट करके..

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: उनकी क्वालीफिकेशन भी सदन में आनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : यह आप लोगों को विदित है कि यह कार्पोरेशन क्यों बनाया जा

(श्री महबूब अली)

रहा है। वर्ल्ड बैंक से हमारी लोन लेने की बात चल रही है और बिना कार्पोरेशन बनाये हम डील नहीं कर सकते है। इस बात की आपको सबको जानकारी है। इस हालात में यह कोर्पोरेशन बनाया जा रहा है और। कार्पोरेशन हमेशा घाटे में चले, यह जरूरी नहीं है अगर मैनेजमेंट ठीक होता है तो वह फायदे भी चल सकता है। मैं यह निवेदन करता हूं कि इसको विचारार्थ लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा कि मैंने संकेत दिया था कि जो माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते थे, बिल के बारे में सामान्य चर्चा जो विचारार्थ लेने की बात की जाती है, वही की गई है उसमें मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया। किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा ..

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम प्रस्ताव रख देते हैं, माने या नहीं माने।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, डागा जी के सम्बन्ध में जो कुछ मैंने कहा है हाउस को और सदन के नेता को यही आश्वस्त किया था कि व ज्यादा समय नहीं लेंगे। यह थोड़े ही था कि दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे ही नहीं। सवा नौ बजे तो अभी इस बिल को लिया है और ६५ क्लाजेज के बिल को आप पास करवाना चाहते हैं। अभी बैठिये, उस दिन तो सदन के नेता महोदय कह रहे थे मैं सब इन्तजाम करवा देता हूं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत: कोई नाराजगी है, वह बता दें मैं इन्तजाम करवा देता हूं।

श्री मथुरादास माथुर: मुख्य मंत्री जी की इस भावना से कि कुछ माननीय सदस्यों ने मिलकर विचार-विमर्श किया है और उसके साथ साथ में मुख्य मंत्री जी ने और मंत्री महोदय ने वर्ल्ड बैंक से रुपया लाकर हमारे यहां जल योजना का विस्तार करने का जो विचार किया है, उसकी चर्चा की है लेकिन हमारी भावना है और हम उसे रिकार्ड पर लाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं जरूरत पड़ी कोर्ट की तो जो इसके खतरे थे, वे नजर आ जाय इसलिए हम रिकार्ड पर लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्लॉज वाईज क्लाज पास कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थर्ड रीडिंग में कर लेना।

श्री मथुरादास माथुर : थर्ड रीडिंग का एश्योरेन्स है तो थर्ड रीडिंग में कर लेंगे..

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया है कि सब ईमानदार हैं..

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : थर्ड रीडिंग पर तो बिल आऊट राइट रिजेक्शन का है। प्रिन्सिपल आफ बिल पर कोई मतभेद है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है। कंसीडरेशन के मैं समझता हूं कि बाद में बोल लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कुछ जवाब ही नहीं आया है। आप बोल लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थर्ड रीडिंग में बोलूंगा।

श्री हरचन्द सिंह : थर्ड रीडिंग में तो आप ही बोलेंगे । वे तो बोलना जानते नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 विचारार्थ लिया गया ।

खण्डशः विचार ।

खण्ड 2 व 3 में कोई संशोधन नहीं है, अतः प्रश्न यह कि क्या इनको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए गए ।

खण्ड 4 में संशोधन है ।

श्री ओंकारलाल चौहान: माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री ईश्वरचन्द्र : मेरा भी संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, जिन लोगों ने प्रवर समिति को सुपुर्द किए जाने के लिए प्रस्ताव दिए थे, जनमत जानने के लिए भेजने के प्रस्ताव दिए थे उन सब का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने यह प्रश्न रखा था उस समय माननीय सदस्या आपत्ति कर सकती थीं । मैंने आपको रोका नहीं था ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आसन पैरों पर था तो मैं कैसे खड़ी होती और आसन ने पैरों पर खड़े होकर विचारार्थ भी ले लिया और खण्डशः विचार भी शुरु कर दिया । अगर आसन बैठ जाता तो मैं खड़ी होती ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के नेता महोदय ने कहा था कि डिस्कशन थर्ड स्टेज पर कर लिए जायेंगे तो किसी ने भी आपत्ति नहीं की, आपने भी आपत्ति नहीं की इसलिए मैंने प्रश्न रख लिया ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले मुझे मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप जो भी व्यवस्था देंगे, ठीक है ।

(व्यवधान)

जो नियम है जिस तरीके से बिल पास किए जाने का प्रोसीजर है, हम इस तरह से हर वार उल्लंघन करते चले जायेंगे, उस प्रोसीजर को नहीं मानेंगे तो नई परम्परायें जो शासन की तरफ से बनाई जा रही हैं, यह कोई तरीका नहीं है बिल पास कराने का मैं निवेदन करूंगी कि यों तो हर बिल के उपर सदन के नेता ने कह दिया और आपने वैसा कर दिया, जिन लोगों ने सलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए, जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिए हैं और उसपर कह दिया कि तृतीय वाचन पर बोल लें, यह क्या व्यवस्था हुई ? बिल को विचारार्थ लिए जाने के लिए पहले वे

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

प्रस्ताव आने चाहिए। यह कैसे होगा ? आखिर आसन भी नियमों से बन्धा हुआ है। नियमों के मुताबिक जिस तरह से बिल को पास कराना है उसी के मुताबिक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्राजी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जी।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव प्रोपर स्टेज पर खड़ी होकर प्रस्तुत कर सकती थीं। अगर उस समय प्रस्तुत करने के लिए खड़ी नहीं हुई तो मैं क्या कर सकता था...

श्री हरचन्दसिंह : आसन पैरों पर था।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने प्रश्न रखा था उसके बाद खण्ड २ व ३ के बारे में प्रश्न रखा था और उसके बाद खण्ड ४ के बारे में संशोधन प्रस्तुत करने के लिए ईश्वरचन्द्रजी को पुकारा, उसके बाद अब आप आपत्ति नहीं कर सकती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, आखिर बिल की सैंक्टिटी होती है। यह उचित नहीं होगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपके नेता महोदय ने एक्सेप्ट किया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हमेशा के लिए यह अच्छी परम्परा नहीं होगी, इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि जो बोलना चाहें वे बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। खण्ड 4 पर संशोधन प्रस्ताव। श्री ईश्वर चन्द्र भटनागर।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन दिया है इसमें कि खण्ड 4 उपखण्ड 1 के भाग (ज) पश्चात् निम्नलिखित नवीन भाग (झ) और जोड़ा जाय :

चार अशासकीय निदेशक जिनमें से कम से कम तीन राजस्थान विधान सभा के तथा एक लोक सभा का सदस्य होगा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

इस सम्बन्ध में हमारे मंत्री महोदय ने भी एक संशोधन दिया है। लेकिन उन्होंने जो संशोधन दिया है उसमें लिखा है कि राजस्थान विधान सभा के दो सदस्य जिनको उस सभा की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा अशासकीय निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने इस बिल को पास कर दिया, फिर आप कार्पोरेशन बनायेंगे। जो अमेंडमेंट मंत्री महोदय ने रखा है उसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि मार्च में विधान सभा फिर मिलेगी। उस समय बहुमत से, वोट ले करके या सर्व सम्मति से विधान सभा के दो सदस्य नोमीनेट कर सकते हैं। इसका तात्पर्य स्पष्ट यह हुआ कि इस कार्पोरेशन में इन दो एम. एल. एज. के पद खाली रखेंगे अभी छः महीने तक। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह किस तरीके से किया है ? क्या सोच रहे हैं ? उन्होंने सोचा होगा कि बहुमत बदल जाएगा तो दूसरे आदमी चुन कर चले जायेंगे यह अलग बात है। लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं कि इसमें शब्द या अध्यक्ष विधान सभा और सदन के नेता की सहमति से दो आदमियों को, विधान सभा के सदस्यों को जिसका चयन किया जाय, यह अमेंडमेंट मंत्री महोदय स्वीकार कर लें ताकि डेमोक्रेटिक सैट अप बना रहे।

(166)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री हरजीराम बुरड़क ।

श्री मूलचन्द डागा : आप इतने हरिडली क्यों चल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप खड़े नहीं हो रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : मेरा भी अमेंडमेंट है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने खण्ड 4 में जो अमेंडमेंट दिए हैं उनमें पहला अमेंडमेंट तो यह है कि अशासकीय चेयरमैन होना चाहिए । वह सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए । दूसरा मैंने यह अमेंडमेंट यह दिया है कि जैसा भटनागर साहब ने कहा है कि चार मेम्बर होने चाहिये उनमें तीन विधान सभा के और एक लोक सभा का सदस्य होना चाहिए । थर्ड जो अमेंडमेंट दिया है वह यह दिया है कि : परन्तु शर्त यह है कि अध्यक्ष जल प्रदाय एवं सीवरेज का तकनीकी ज्ञान रखता हो तथा राजस्थान प्रदेश का निवासी हो और जिसका इस सम्बन्ध में कम से कम पन्द्रह वर्ष तक का कार्य का अनुभव रहा हो ।"

यह मैंने इसलिए दिया है कि चेयरमेन कौन बन सकता है जिसको कम से कम 15 साल का इस काम में एक्सपीरियेंस हो और जो हमारे यहां का रहने वाला हो । अगर इस प्रकार की कण्डीशन नहीं रखी तो कोई भी चेयरमन बन सकता है । जनता पार्टी के बहुत से चेयरमेन कोर्पोरेशन के बन रहे हैं जिनका कोई बैक ग्राउन्ड नहीं है, किसी पार्टी के आधार पर आकर बैठ गए कई घिसेपिटे हैं, जिनको काम करने की शक्ति नहीं है, उनको बिठा दिया है । कोई काम नहीं कर सकते और लाकर बिठा दिया उनको दो हजार तनख्वाह, बंगला, कार और मौज करने के लिए कहां कहां जा रहे हैं । मैंने देखा है टेनेरी के अन्दर बैठे हुए थे । वह फोरन कण्ट्रीज की ट्यूर कर आया, बिना एक्स-पीरियंस के, बिना ज्ञान के ऐसे ही कार्पोरेशन में भेजा जाता है । उस आदमी ने बिना ज्ञान हुए सारी कण्ट्रीज घूम आया । चलो मैं तो चेयरमैन हूं । बंगला मिल जाएगा चार पांच रुपये महीने का . . .

श्री जगदीशचन्द्र : आपको नहीं बनाने वाले हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : ये कौन है भाई । तुझे ओथ नहीं दिलाने वाले हैं, तू क्यों पाप लेता है ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : ये चेयरमैन बनाए किसने थे ?

श्री मूलचन्द डागा : खड़े हो जाओ । काला कोटवाला, ये देखो । हिम्मत वाला जनता पार्टी का नमूना है । यह जनता पार्टी का नमूना है, जोरों का है ।

तो मैंने यह बात कही कि आपने जो चेयरमैन रखा तो उस चेयरमैन रखा तो उस चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए । यह पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी की लेटेस्ट रिपोर्ट में दी है । यह लेटेस्ट रिपोर्ट है । वह किस प्रकार का होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, अपटूडेट नोलेज होनी चाहिए, उन लोगों को चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। "If men are properly screened with reference to their qualifications, experience and aptitude for management

(श्री मूलचन्द डागा)

for appointment of top prioriteis premature termination of appointment would not be there."

ऐसा आदमी होना चाहिए जिनको नोलेज हो, एबिलिटी हो। यहां पर कोई भी आकर खड़ा हो गया और चेयरमैन बना दिया कोई सुबह सुबह मिल गया शगुन का आदमी मिल गया और उसको कर दिया, चलो आपको चैयरमैन बनाया। किसी ने हाथ जोड़ दिए कि मैं आर. एस. एस. की शाखाओं में कराता हूं. गोनिंग में तो लो तुमको चेयरमैन बनाया गया। इस प्रकार के चेयरमैन बनाने से काम के नहीं होंगे। आप यह मत कहें कि चुनाव होगा, केवल स्पीकार को पावर दे.दें वह दो मैम्बर जिसको उचित समझे कर दें यही बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क। (अनुपस्थित)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता!

श्री ओंकारलाल चौहान !

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जल प्रदाय सीवरेज निगम विधेयक, 1979 के खण्ड 4 में मेरा भी संशोधन है जो इस प्रकार से है :– (ज) पांच प्रशासकीय निदेशक जिनमें कम से कम दो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को नामजद किया जाये, उनमें से एक अनुसूचित जाति व एक जनजाति का सदस्य होना चाहिए जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी यानि इनमें से एक अनुसूचित जाति व एक जन जाति का सदस्य होना चाहिए जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करे। जैसा कि अमेन्डमेन्ट गवर्नमेन्ट ने मूव किया है क्लॉज 4 के लिए...

"(i) two members of the Rajasthan Legislative Assembly to be appointed as non-official Directors by the State Government on the recommendations of that Assembly."

इसका मैं स्वागत करता हूं और प्रभारी मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि असेम्बली क्या रिकमण्ड करे? या तो आनरेबल स्पीकर को इसके लिए पावर होनी चाहिए कि वे चाहे किन्हीं दो सदस्यों को नामीनेट करें। यह क्लेरिफिकेशन महत्वपूर्ण है। यदि आप सही माने में ग्रामीण जल प्रदाय योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं, इसकी प्रगति करना चाहते हैं और दोनों जगह वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर आप इस योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप के द्वारा इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार देना चाहिए कि वे असेम्बली के किन्हीं दो सदस्यों को नामीनेट करें।

दूसरी बात मैं, यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इसको स्वीकार करेंगे कि जो मेरा संशोधन है :

(ज) "पांच प्रशासकीय निदेशक जिनमें कम से कम दो राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को नामजद किया जाय उनमें से एक अनुसूचित जाति व एक जन जाति का सदस्य होना चाहिए जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।"

आप यह निगम बनाने जा रहे हैं जिनमें आप पांच निदेशक की नियुक्ति करेंगे और उनमें दो एम एल एज और तीन डाइरेक्टर्स

(श्री ग्रोंकारलाल चौहान)

दूसरे होंगे। कुल पांच डाइरेक्टर्स को ग्राप नामीनेट करने जा रहे हैं जो सारे राजस्थान की योजना को देखेंगे। इसलिए ग्राप यदि वर्ल्ड बैंक की सहायता लेकर रुरल ग्रौर ग्ररबन वाटर सप्लाई स्कीम को चेनेलाइज करना चाहते हैं, साथ ही साथ सीवरेज का काम भी इस निगम के द्वारा करवाना चाहते हैं, ऐसी ग्रवस्था के ग्रन्दर ग्रगर हमारे मुख्य मंत्री हिमायती हैं कि ग्राम चुनावों के बाद वे वास्तव में किसी हरिजन को प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं तो मेरा नम्रता के साथ यह निवेदन है कि..

श्री भैरोंसिंह शखावत : क्या ग्राप भी इस पक्ष में हैं ?

श्री ग्रोंकारलाल चौहान : ग्रगर बनाना चाहते हैं तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रगर ग्राप उदारचित्त हैं, ग्राप हरिजनों ग्रौर ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जन जाति के पक्ष में है, उनकी भलाई की बात करना चाहते हैं तो उनको ग्रापको प्राथमिकता देना चाहिए ग्रौर मैंने यह जो ग्रमेन्डमेन्ट मूव किया है कि एक शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स का मेम्बर नामीनेट किया जाए, यह ग्रापको मन्जूर कर लेना चाहिए ग्रौर इन सदस्यों को इस निगम में नामीनेट करना चाहिए। ग्रगर ग्राप यह करेंगे तो जनता सरकार को इस कार्य से भलाई मिलेगी ग्रौर ग्रापका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में ग्रपना संशोधन मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मत्री महोदय।

श्री महबूब ग्रली : प्रभारी मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के खण्ड ४ में यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि

(a) in part (f) of sub-clause (1) the word "Secretary" shall be substituted by the words "Special Secretary".

(b) in part (h) of sub-clause (1) the word "four" shall be substituted by the word "three".

(c) after part (h) as so amended, the following part shall be added, namely:-

"(i) two members of the Rajasthan Legislative Assembly to be appointed as non-official Directors by the State Government to be nominated by the Speaker."

श्री ग्रोंकारलाल चौहान : What about members of scheduled castes and scheduled tribes ?

श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) : यह विधेयक हिन्दी में है इसलिए संशोधन प्रस्ताव भी हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दी में ही हैं।

श्री महबूब ग्रली : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि सदन के नेता महोदय की सहमति से सदन के दो माननीय सदस्यों को स्पीकर द्वारा नामीनेट किया जाए, यह ग्रमेन्डमेन्ट मैंने इसके ग्रंदर मूव किया है

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल अध्यक्ष को ही रखा जाएगा, उनको ही अधिकार रहेगा।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय की सहमति से दो सदस्य इसके अन्दर...

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय को नामीनेट करने का अधिकार होना चाहिए, अध्यक्ष ही नामजद करेंगे।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय दो एम. एल. एज. को इस निगम के लिए नामजद करेंगे, इस प्रकार से कहिये ...

श्री मथुरादास माथुर : इसकी भाषा इस तरह से होगी :

"Two members of the Rajasthan Legislative Assembly may be appointed by the State Government as nominated by the Speaker."

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूं :

"राजस्थान विधान सभा के दो सदस्य, जिनको कि विधान सभा अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, उनके द्वारा नामजद को प्रशासकीय निदेशक नियुक्त किया जाएगा।"

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको दुबारा से पढ़ दीजिए :

श्री महबूब अली : "राजस्थान विधान सभा के दो सदस्य, जिनको अध्यक्ष, विधान सभा की सिफारिश पर, राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने यहां पर एक ही क्लाज में दो संशोधन प्रस्तुत कर दिए हैं। एक बार तो यह कहा : जिनको विधान सभा अध्यक्ष मनोनीत करें, दूसरा यह कहा है: उनकी सिफारिश पर राज्य सरकार मनोनीत करेगी। इसमें कौनसा सही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरी बार उन्होंने जो कहा है, वह सही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं पहले मैं उनके बारे में सदन की राय लेता हूं और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन पेश किए हैं उनको सदन की राय के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री ईश्वरचन्द ने रखा है उसको मन्जूर किया जाए ?

श्री ईश्वरचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं, कृपया अनुमति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री ईश्वरचन्द्र ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री ईश्वरचन्द : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन वापस लिया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाए ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि श्री ओंकारलाल चौहान द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किए हैं, उनको स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव, जो प्रभारी मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किए, स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 यथा संशोधित स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 यथा संशोधित, स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

अब खण्डशः संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी रखेंगे।

श्री महबूब अली : (1) उप खण्ड (2) में शब्द "प्रबन्ध निदेशक" के पश्चात शब्द, "और वित्तीय निदेशक" जोड़े जायेंगे।

(2) विद्यमान उपखण्ड 5(4), उपखण्ड (5) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखण्ड के पूर्व निम्नलिखित नया उपखण्ड अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

"(4) धारा (4) उपधारा (1) (1) के खण्ड (अ) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परन्तु उसके राजस्थान विधान सभा के सदस्य न रहने पर वह निदेशक नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि, राज्य विधान मण्डल किसी भी समय निदेशक के रूप में नियुक्त अपने सदस्य के संबंध में अपनी सिफारिश वापस ले सकेगा और इस प्रकार सिफारिश वापस लिये जाने पर राज्य सरकार, राजपत्र में में अधिसूचना द्वारा ऐसे निदेशक की पदावधि समाप्त करेगी।"

(3) विद्यमान उपखण्ड (5), (6), (7) एवं (8) को क्रमशः उपखण्ड (6), (7), (8) और (9) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

(4) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखण्ड (8) में शब्द "अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक", के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, एवं प्रबन्ध निदेशक एवं वित्तीय निदेशक," प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं खण्ड 6 में कहना चाहता हूं जो संशोधित खण्ड है उसको डिलीट किया जाय। यह पदेन नहीं चाहिये, सरकारी आदमी नहीं चाहिये। हम चाहते हैं, जनता का जो प्रतिनिधित्व करता हो, जिसने जनता का विश्वास प्राप्त कर लिया हो, जिसमें केपेबिलिटी हो, योग्यता हो वह व्यक्ति चाहिये। तीसरे, आप किसी भी चुने हुए मेम्बर को

(श्री मूलचन्द डागा)

बिना नोटिस दिये टर्मिनेट नहीं करेंगे। मन में आया तब आर्डर निकाल दिया यह तानाशाही मनोवृत्ति है जिसका माननीय सदस्यों को विरोध करना चाहिये। मैं कह रहा था कि

"A Director shall be eligible for re-appointment."

तो रिअपाइंटमेंट कब तक ? उसके चाहे दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी दफा अपोइंटमेंट? तो मैं कहना चाहता हूं कि उसका पीरियड 6 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिये।

खण्ड (7) में लिखा है, "The Chairman and the Managing Director shall be paid from the Corporation Fund such salary and allowances as may be fixed by State Government." यह Fixed by the Government as prescribed by the Corporation वह जो फिक्स करेगा तो आयेगा सदन पर। तो गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर दिया। कार्पोरेशन करे फिक्स। जो प्रेस्काइब्ड कर देंगे वह यहां आ जायेगा और रूल्स 169 में सदन की मेज पर आयेगा। इसमें कोई मेम्बर अपना आब्जेक्शन रेज कर सकता है। जब गवर्नमेंट चाहे खड़ा हो जाय या बैठ जाय, यह तो गवर्नमेंट का तरीका है। यह नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय,

श्री महबूब अली : मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये उनको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा ने जो संशोधन प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (6) संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (6) यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (7) से (14) में कोई संशोधन नहीं है अतः उन्हें स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (7) से (14) स्वीकार किये गये।

खण्ड 15

श्री महबूब अली : खण्ड 15 उपखण्ड (2) के भाग (ज) में शब्द "का अनुमोदन करना" के स्थान पर शब्द "के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु सिफारिश करना" प्रतिस्थापित किये जायेंगे। यह टैरिफ के बारे में है जो टैरिफ की दरें तय की जायेगी वह राज्य सरकार की अप्रूवल से की जायेगी इसके बारे में संशोधन है।

श्री मथुरादास माथुर : इस अमेण्डमेंट में (एच) को जब आप लाते हैं तो (ई) को भी डिलीट करना पड़ेगा—(e) to lay

(श्री मथुरादास माथुर)

down the schedule of fees and other charges for all kinds of services rendered by the Corporation. ... ." जब यह स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो कार्पोरेशन को कैसे पावर रहेगी ? (एच) को मंजूर कर लिया इसका मकसद क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इसको अप्रूव करेगी तब लागू होगा यह तो आ गया (एच) में, और (ई) में लिखा है—"to lay down the schedule of fees and other charges for all kinds of services rendered by the Corporation to the State Government, local bodies, institutions or individuals." तो laying down the schedule का काम भी उनका नहीं रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बताया अंग्रेजी में (एच)। इसको आप हिन्दी में बताइये कौन सा होता है।

श्री मथुरादास माथुर : हिन्दी में (च) आयेगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आब्जेक्शन उठाया मुझे बहुत सही प्रतीत होता है इसलिए पहले, सेक्शन 15 की स्कीम है उसमें पहले पावर कार्पोरेशन को थे। इसमें अप्रूवल के लिए सरकार को लिखा जाता है। "to recommend for the approval of the State Government" मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास में होंगे। आपने रिकमण्डेशन की है, स्टेट गवर्नमेंट उसको एप्रूव करे। पहले उनको खुद को करना है। अगर यह पोजीशन (एच) में है और (ई) में ले डाउन करते हैं। (h) is based on (e).

श्री मथुरादास माथुर : उस रोज आपने नहीं किया था।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें कांसीक्वेंसल अमेण्डमेण्ट होना चाहिए था। "ई" में करने नहीं जा रहे हैं। 'एच' में कर दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : आप 'ई' को डिलीट कर दीजिए। यह तो सरकार तय करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों में अन्तर है। इसका और है—

"(e) to lay down the schedule of fees and other charges for all kinds of services rendered by the Corporation to the State Government, local bodies, institutions, or individuals;" यह तो इसमें है। 'एच' में है—

"(h) to approve tariffs for water supply and sewerage services applicable to respective local areas. ..."

चार्जेज में अन्तर है। वाटर रेट और सर्विस चार्जेज के अलग अलग हैं। इसलिए दोनों अलग अलग हैं।

श्री मथुरादास माथुर: यह वाटर सप्लाई का कैसे होगा ?—"to approve tariffs for water supply...."

श्री भैरोंसिंह शेखावत: वह अलग है।

श्री मथुरादास माथुर: आप तो कानून दो हैं। मीटर पर 10 रुपया लगा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: Subject to the approval of the State Government.

श्री मथुरादास माथुर: या तो यह करें।

श्री परसराम मदेरणा: जो "एस" में रखा है वह "ई" में रख दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर: एक 'k' में बहुत छोटा सा अमेण्डमेण्ट है। वह आप भूल गये हैं।

"to acquire, possess and hold land and other property and to carry any water or sewerage works through, across, over, or under any highway, road, street or place."

इसमें एक रेलवे रह गया है। ऐसे मामलों में अमूमन दिक्कत आती है। बीच में रेलवे आता है तो आप रेलवे को लिखिये।

श्री उपाध्यक्ष: रेलवे सेण्ट्रल सब्जेक्ट है।

श्री मथुरादास माथुर: यह सेक्शन क्या कहता है? पैसा ही तो लेंगे। हमने लिखा है, हमने बिल बनाया है और उसको पास किया है। यों तो वह कह देंगे; हम तो काम ही नहीं करेंगे। सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट का है तो सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट को लिखो। मैं यह कह रहा हूं कि यह रेलवे का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: कृपया खण्ड 15 को डेफर कर दिया जाय। बाद में इसको ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड 15 को डेफर किया गया है।

खण्ड 16-17 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16-17 में कोई संशोधन नहीं है। अतः खण्ड 16-17 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 16-17 स्वीकार किये गये।

खण्ड 18 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 18 को स्वीकार किया गया।

खण्ड 19 में माननीय हरजीराम बुरड़क का संशोधन है। वह हैं नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 19 स्वीकार किया गया।

खण्ड 20 से 26 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 से 26 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 20 से 26 स्वीकार किये गये।

खण्ड 27 में हरजीराम बुरड़क और श्री वृद्धिचन्द्र जैन का संशोधन प्रस्ताव है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, Clause 27, "General principles for the corporation's finance"

कई माननीय सदस्य : हिन्दी में, हिन्दी में।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं हिन्दी में पढ़ देता हूं।

"निगम के वित्त के लिए सामान्य सिद्धांत :—निगम, यथा साध्य, एवं धारा 28 के अधीन, राज्य सरकार से किसी भी अनुदान या वित्तीय सहायता के आकलन पश्चात् इस अधिनियम के अधीन हानि पर अपना कार्य नहीं करेगा।"

ऐसा है, इस जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत कोई भी योजना रेगिस्तानी क्षेत्र में रखी जाएगी तो कोई भी योजना प्रोफिट में नहीं होगी, लास में होगी, क्योंकि ग्रामीण योजना लायेंगे तो वह योजना लास में होगी अगर इस प्रकार के संक्शन में अमेण्डमेन्ट नहीं होगा तो रेगिस्तानी क्षेत्र की योजना लास में होगी। रेगिस्तानी क्षेत्र में लास होगा तो कोई योजना चल नहीं सकती है, स्वीकार नहीं हो सकती है। इस प्रकार से रेगिस्तानी क्षेत्र की समस्या हल नहीं हो सकेगी। इसलिये मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि खण्ड 27 के अंत में यह पंक्ति जोड़ दी जाय "परन्तु यह शर्त रेगिस्तानी क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।"

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा यह निवेदन है, मुझे यह पता नहीं है कि दूसरे एक्ट में यह प्रावधान है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैक्ट्री एक्ट में है।

श्री मथुरादास माथुर : कार्पोरेशन कोई भी काम घाटे का नहीं करेगा। यह कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट सब्वेंशन व ग्राण्ट रिलीज करने के बाद भी यह काम घाटे का नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, यह कार्पोरेशन है। आगे चल कर फायदा भी कमायेगा। हर स्कीम में कार्पोरेशन में घाटा हो तो कार्पोरेशन चल नहीं सकता है। मान लें कि 10 हजार की कोई स्कीम हो सकती है तो 5 हजार सरकार दे सकती है। आप यह क्यों कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेण्ट को सब्वेंशन व ग्राण्ट देनी होगी। पार्शियली गवर्नमेण्ट दे सकती है, पार्शियली कार्पोरेशन बर्दाश्त कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्कीम में हमेशा लास चलता है। इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि इसको डिलीट कर देना चाहिए। यह पैसा आप लोगों का ही है। इसलिए यह कानूनन कार्पोरेशन को अधिकार देते हैं कि कोई भी स्कीम लॉस में नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेन्ट सब्वेंशन देगी। अगर स्टेट गवर्नमेन्ट नहीं देगी तो पब्लिक से पैसा वढ़ाया जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि इसमें इस संक्शन को रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो कार्पोरेशन, हाथ ऊंचा कर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए यह अमेंडमेंट रखा है कि, इसको डिलीट किया जाये।

श्रीमती मदनकौर : उपाध्यक्ष महोदय, एक एतराज मेरा भी है। एतराज के कार्यों में मन्त्री महोदय काफी सहयोग दें इसमें एतराज नहीं है, लेकिन पीने के पानी के लिए इस प्रकार का क्लाज रखना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा भी यही प्रस्ताव है कि 27 को डिलीट किया जाय और वह इसलिए कि प्रभारी

(श्री परसराम मदेरणा)

मन्त्री जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदारी से इसको सप्लाई कर रही है। गवर्नमेंट को लोन लेना है और कर्जा लेने के लिए लॉस को लिख देते हैं तो शायद वर्ल्ड बैंक कर्जा नहीं देगा। वर्ल्ड बैंक यह आशा रखता है कि जो कर्जा वह दे रहा है वह कहीं हड़प नहीं जाए। वह इन्श्योर करना चाहता है। मैं समझता हूं इससे इन्श्योर नहीं हो रहा है। लोन तो वापस होगा विथ इण्ट्रेस्ट लेकिन बहुत बड़ा एप्रिहेन्शन यह है कि इसमें अगर लॉस होने की कोई गुंजाईश हो तो वह गुंजाईश उन रेगिस्तानी इलाकों में हो सकती है जहां रीजनल पाइपलाइन 40 मील लम्बी है और एक एक गांव की सरहद तीन-तीन सौ स्क्वायर माइल्स है। जहां पर पानी में फ्लोराईड है, लोग कुबड़े हो जाते हैं। ऐसी सूरत में वहां पर किसी भी सरकार के लिए पीने का पानी, जो कि जीवन की दूसरी बड़ी आवश्यकता है, मोहय्या कराने की जिम्मेदारी है। कोर्पोरेशन को सौंप कर आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जो क्लाज आपने 27 रखा है इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। अगर इस फर्म में रखा गया तो एक तरफ तो रेगिस्तानी इलाके के लोगों को शंकाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ आप इसको रखेंगे तो बैंक वाले समझेंगे इसमें लास नहीं होगा लेकिन कुल मिला कर गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। इसलिए मेरा निवेदन है, मुख्य मन्त्री जी, यह क्लाज बड़ा खतरनाक है और इसका असर सीधा रेगिस्तानी इलाके में पड़ रहा है। इसलिए माननीय सदस्य जो डीडवाना से आए हैं जो रखा है जब मैं फाइनेन्स मिनिस्टर था इन्होंने बजट भाषण में इस बात को कहा था उस समय शायद सदन में मुख्य मन्त्री जी भी बैठे हुए थे, रेगिस्तानी और रूरल एरियाज में जो कामन टेप हैं हम उनसे चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि रीजनल पाइप लाइन और दूसरी पाइप लाइन का खर्चा ज्यादा है। इसलिए मैं यह कह रहा था कि रेगिस्तानी इलाकों में जहां पर बीस-बीस मील से पानी आता है, उनको आपने दो तीन केटेगरी में डिवाइड किया है। सब से वर्स्ट केटेगरी में कड़वा पानी जहां है वहां पर आप को अच्छा पानी मुहय्या कराने की स्कीम है वह स्कीम फेल हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: उपाध्यक्ष महोदय, धारा 27 के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई है उस आपत्ति के सम्बन्ध में निवेदन है कि अगर वो अच्छी तरह से पढ़ लेते तो शायद यह आपत्ति उठाने की आवश्यकता नहीं रहती।

"27. General principles for the Corporation's finances.—The Corporation shall not, as far as practicable, and after taking credit for any grant or subvention from the State Government under Section 28, carry on its operations under this Act at a loss."

श्री मथुरादास माथुर : यह तो इलाज ही कार्पोरेशन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा निवेदन है कि नई धारा नहीं है जितनी भी कार्मशियल अन्डरटेकिंग होती हैं, आपने यहां विद्युत मण्डल बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में एक धारा है कि कोई भी घाटे का काम नहीं होगा।

(176)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बिजली की बात अलग है, पानी की अलग है।

व्यवस्था का प्रश्न

विचारार्थ या पारित करने हेतु प्रस्ताव प्रभारी मंत्री को रखने का अधिकार

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, नियमावली के नियम संख्या 68 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं :

68. Persons by whom motion in respect of Bills may may be made.—No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member in charge of the Bill, and no motion that a Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the member in charge, except by way of amendment to a motion made by the member in charge:

Provided that if the member in charge of a Bill is unable, for reasons which the Speaker considers adequate, to move the next motion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may authorise another member to move that particular motion with the approval of the Speaker."

तो मैं आपसे व्यवस्था चाहती हूं पायलट करने वाले ने आपको कोई मोशन....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्राजी, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह तब लागू होता है कि जब इस तरह का बिल पारित किया जाय, लेकिन जब इस पर चर्चा चल रही हो तो कोई आपत्ति नहीं है।

"Member in charge of the Bill' means, in the case of a Government Bill, any Minister and in any other case the member who has introduced the Bill;"

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरा कहने का मतलब यह है कि मुख्य मन्त्रीजी को अधिकार नहीं है। वे खुद पायलट करते। एक व्यवस्था हो जाय आयन्दा के लिए तो ठीक रहेगा।

विधेयक पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई भी कार्मशियल अन्डरटेकिंग हो, हमें इस प्रकार की व्यवस्था कर के चलना चाहिए कि वह घाटे में न चले। अभी माननीय सदस्य जो पाली से आये हैं, ने कार्मशिल अन्डरटेकिंग और कार्पोरेशन्स के बारे में कहा और लोकसभा की कमेटी - पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी का उदाहरण दिया और यह कहा कि अमूमन घाटे में चलते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह दायित्व कार्पोरेशन पर डालने की व्यवस्था की जा रही है कि वह घाटे में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं चले। स्टेट गवर्नमेन्ट ग्राण्ट भी देगी और सबवेन्शन भी होगा और फिर भी घाटे में चलते हैं तो यह चिन्ता का विषय रहता है। जहाँ तक सोर्सेज हैं, घाटे की स्थिति पैदा नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी। इन टोटली क्या घाटा है, एक जिले की में घाटा रहा है और दूसरे जिले की स्कीम में लाभ हो रहा है, दोनों एक दूसरे के एडजस्टमेंट के बाद अगर फायदा रहता है या बिलकुल मार्जिन पर पहुंच जाता है तो इन टोटलेटी में घाटा नहीं हुआ, इस प्रकार की व्यवस्था है और अगर घाटे की स्थिति है तो कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि घाटा नहीं रहे। एक बात को माननीय सदस्य भी मानकर चलेंगे कि सारे राजस्थान को, सब लोगों को आज हम जल्दी पानी सप्लाई कर सकें, इस प्रकार की स्थिति में नहीं हैं। यह कार्पोरेशन बनेगा इसमें वर्षों लगेंगे, उसके बाद लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मुहैया कर पाएगा। अब यह कह दें कि शुरू से ही सब सब्सिडाइज करें तो सब्सिडी से प्रभावित सारी जनता रहती है, पानी मिलेगा 50 प्रतिशत को और सब्सिडी के सारे पैसे का दायित्व होगा राजस्थान की जनता पर। तो सब्सिडी की भी लिमिट है। माननीय सदस्य जानते हैं कि सिंचाई सब्सिडाइज्ड है, बिजली सब्सिडाइज्ड है, बाकी और सोशल सर्विसेज सब्सिडाइज्ड चल रही हैं, पानी भी सब्सिडाइज्ड चल रहा है, केवल चेष्टा इस बात की, की जा रही है कि किसी प्रकार से यह कार्पोरेशन घाटे में न चलें, अधिकारियों को भी यह ध्यान रहे, गवर्नमेंट को ध्यान रहे और पब्लिक का मानस बना रहे कि कार्पोरेशन घाटे में नहीं रहें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है जिसके कारण इस क्लॉज को ड्राप किया जाए। तो मेरे कहने के बाद माननीय सदस्य आग्रह नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 29 में जो संशोधन रखे गये वह स्वीकार किया जाएं।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खड 28 स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खड 28 स्वीकार किया गया।

खड 28 में प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 28 में शब्द "अनुदान एव वित्तीय सहायता" के पूर्व शब्द आवर्तक तथा अनावर्तक" जोड़े जाय।

श्री परसराम मदेरणा : इसका क्या मतलब है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रेकरिंग एण्ड नान- रेकरिंग।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड 28 में प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 28 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खंड 28 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 29 से 33 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड 29 से खंड 33 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खंड 29 से खंड 33 तक स्वीकार किए गए।

खंड 34 में संशोधन है। प्रभारी मंत्री।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड का पार्श्व शीर्षक और उपखंड (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:—

34. **वार्षिक वित्तीय विवरण**, लेखा **एवं संपरीक्षा**

(1) (क) हर वर्ष फरवरी मास में निगम राज्य सरकार को आगामी वर्ष की अनुमानित पूंजी और राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय का एक विवरण विहित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

(ख) उक्त विवरण में निगम के निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का और ऐसी अन्य विशिष्टियों का जो विहित की जांय, विवरण सम्मिलित होगा।

(ग) राज्य सरकार, उक्त विवरण की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उसे राज्य विधान मंडल के सदन के पटल पर रखेगी, और उक्त विवरण पर सदन में विचार विमर्श हो सकेगा परन्तु उस पर मतदान नहीं होगा

(घ) निगम, राज्य विधान मंडल में उक्त विवरण पर अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रखेगा।

(ङ) निगम किसी भी समय उस वर्ष के दौरान जिसके बारे में खंड (क) के अधीन विवरण प्रस्तुत किया गया है, राज्य सरकार को अनुपूरक विवरण प्रस्तुत कर सकेगा और इस उपधारा के समस्त उपबंध ऐसे विवरण पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त खंड के अधीन विवरण पर लागू होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क। उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन खंड 34 में रखा है, उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि खंड 34 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 34 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 35 में संशोधन है। प्रभारी मंत्री।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 35 में उपखंड (1) में अभिव्यक्ति "निगम" के पश्चात् अभिव्यक्ति "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा अन्तःस्थापित किये जायें।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड 35 में प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 35 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 35 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 36। प्रभारी मंत्री।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 36 के उप खंड (1) में अभिव्यक्ति "निगम" के पश्चात् अभिव्यक्ति "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से" तथा "अन्तःस्थापित किये जायें"

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड 36 में प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड 36 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 36 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खंड 37 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है कि खंड 37 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 37 स्वीकार किया गया ।

खंड 38 । श्री मूलचंद डागा ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, खंड 38 की तृतीय पंक्ति में लिखा है ऐसी रकम प्रतिभूति के रूप में, किन्तु मेरा कहना है कि उसकी जगह यह होना चाहिए "ऐसी रकम जो किसी भी दशा में सौ रुपये से अधिक नहीं होगी प्रतिभूति के रूप में"...। मेरे खयाल से कोई लिमिट होनी चाहिए ।

श्री पुरुषोतम मन्त्री : बाई-लाज में हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : बाईलाज जो बनेंगे वे हमारे सामने नहीं आयेंगे और यह आपका आरबीट्रेरी हो जाएगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाईलाज तो गवर्नमेंट एप्रूव करेगी । डागाजी ने जो संशोधन प्रस्ताव किया है स्वयं एक बार और पढ़ेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : बाईलाज सदन में भी आयेंगे, बाईलाज एज एप्रूव्ड बाई दी गवर्नमेंट । ऐसे बाईलाज बनें जिनको गवर्नमेंट एप्रूव करे, यह अगर कर लें तो अच्छा रहेगा क्योंकि बाईलॉज निगम बनाएगा But they must be approved by the government.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जरूरत नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : बाईलाज अवश्य बनाए जाते हैं, वे गवर्नमेंट से एप्रूव होते हैं इसलिए ठीक समझें तो एक्शन लें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचंद डागा ने खंड 38 में प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड 38 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 38 स्वीकार किया गया ।

खंड 39 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है कि खंड 39 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 39 स्वीकार किया गया ।

खंड 40 । प्रभारी मंत्री ।

(180)

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 40 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :--

40. सामान्य जल प्रदाय और सीवरेज सेवाओं के लिए प्रभार

(1) निगम किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर आम जनता को जल प्रदाय तथा सीवरेज सेवाओं के लिए

(क) जहां क्षेत्र निगम के जल प्रदाय सेवाओं के अन्तर्गत आता है, जल प्रभार, और

(ख) जहां क्षेत्र निगम के सीवरेज सेवाओं के अन्तर्गत आता है, सीवरेज प्रभार उद्ग्रहीत कर सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित प्रभार, ऐसी दर और ऐसे आधार पर, जिसे राज्य सरकार, निगम की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, समय समय जल राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, उद्ग्रहीत किए जायेंगे और उस क्षेत्र के स्थानीय निगम से वसूलीय होंगे ।

(3) जहां स्थानीय निकाय, जो उपधारा (2) के अधीन जल प्रदाय और/या सीवरेज प्रभार का संदाय करने का दायी है, ऐसा करने में विफल रहता है तो ऐसे प्रभार, संबंधित निकाय से उन्हें वसूल करने के निगम के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय को उसके द्वारा संदत्त किये जाने वाले किसी सहायतार्थ अनुदान से काट लिये जायेंगे और निगम निधि में जमा करा दिये जायेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में कुछ अर्ज करना है। उपाध्यक्ष महोदय, जो ओरीजनल सैक्शन 40 है वह टैक्सेज लेविएबल है इसमें यह लिखा है : "For the purposes of this Act, the corporation shall levy, on premises situated within its area. ..... a water tax and...... a sewerage tax."

इसमें अब आप कार्पोरेशन को टैक्सेज वसूल करने का अधिकार दे रहे हैं । मुख्य मन्त्री जी को याद होगा उस दिन जब हमने डिस्कशन किया था तब आपने यह कहा था कि इस सैक्शन 40 के खण्ड'बी' को डिलीट कर दिया जायेगा । अब यहां पर देख रहे हैं तो आपने इसको रख लिया है । उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह उठता है कि क्या कार्पोरेशन को टैक्स लगाने का अधिकार है ? पर मैं समझता हूं कि कार्पोरेशन को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं हो सकता । इसलिए Clause 40 should be deleted. कार्पोरेशन और अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोडीज वगैरह टैक्स नहीं लगा सकती हैं। टैक्स आपकी नगरपालिकायें लगा सकती हैं, पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं लेकिन कामर्शियल बोडीज को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। अगर कामर्शियल बोडीज को आप टैक्सेज लगाने की अनुमति देंगे तो इसका मतलब यह है कि आप डेमोक्रेसी के खिलाफ में काम कर रहे हैं । No taxation without representation.

इसमें कार्पोरेशन कौन होता है टैक्स लगाने वाला ? हां नगरपरिषद् हाउस टैक्स लगा सकता है, पानी के लिये टैक्स लगा सकता है, पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं। लेकिन यह कैसे लगा सकती हैं ? आप इसको मुख्य मन्त्री जी दुबारा देख लें । सवाल यह

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं है कि कार्पोरेशन टैक्स लगा सकता है। लेकिन यह तो प्रिन्सीपल का सवाल है। आप टैक्स लगाकर वसूल कर सकते हैं। पर आप इस क्लाज को रख कर कामर्शियल बोडी को पार्लियामेन्ट के पावर्स कैसे दे रहे हैं ? यह कैसे हो सकता है ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह क्लॉज पढ़ा है आप देखें इसमें तो साफ लिखा है :

"The taxes mentioned in sub-section (1) shall be levied at such rate, which in be case of water tax shall be not more than 14 percent, and, in the case of sewerage tax shall be not more than 4 percent of the assessed annual value of the premises, as the State Government may, from time to time after considering all recommendation of the Corporation, by notification in the official Gazette, declare."

तो यह आपने इसमें किया है। मेरा इसमें निवेदन है कि इसमें जो आपने वाटर टैक्स का दिया है कि 14 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा और और सीवेरेज के लिये आपने 4 प्रतिशत टैक्स का लिखा है। उसमें मैंने जो संशोधन दिया है उसके अनुसार आप 14 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत तो वाटर का रख लें और सीवरेज टैक्स 4 प्रतिशत की जगह .5 प्रतिशत रख लें। नहीं तो किसी व्यक्ति का मकान है जिसका मानलो 1200 रुपया किराया आता है, उस से आप साल भर में 400-500 रुपया तो टैक्स के ले लेंगे। इसलिए मैंने ऐसा किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस धारा के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं और जैसा कि माथुर साहब ने कहा था कि आप से इस बारे में बातचीत हो चुकी थी कार्पोरेशन कोई टैक्स नहीं लगायेगा उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वह कार्पोरेशन के द्वारा टैक्स लगाने का विरोध कर रहे हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि कार्पोरेशन टैक्स लगा सकता है। आपका यह कहना है कि सिर्फ इलेक्टेड बोडीज ही टैक्स लगा सकती हैं, बाकी कामर्शियल बोडीज टैक्स नहीं लगा सकती हैं। लेकिन इसमें मेरा यह कहना है कि कार्पोरेशन प्रोपोज्ड टेक्स गवर्नमेंट के सामने रख सकती हैं और बाद में गवर्नमेंट से एप्रूव करा कर टैक्स लगा सकती हैं। आप पहले पूरे क्लॉज को पढ़ लीजिये। आपने शायद इसके सब-क्लॉज को नहीं पढ़ा है। इसमें आगे लिखा है कि -

"(2) The charges mentioned in sub-section(1) shall be levied at such rate and on such basis as the State Government may from time to time, after considering the recommendations of the Corporation, by notification in the Official Gazette, declare and shall be recoverable from the local body of the area;

(3) Where the local body, which is liable to pay the water supply and/or sewerage charges under sub-section (2) fails to

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

do so, such charges without prejudice to the right of the Corporation to recover the same from the local body concerned, shall be deducted by the State Government from any grant-in-aid to be paid by it to the local body and shall be credited to the Coporation fund."

मैं ऐसा समझता हूं इस स्पष्टीकरण के पश्चात् अब शायद माननीय सदस्यों को इसकी उपयोगता समझ में आगयी होगी और सरकार ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार कर लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सैक्शन 40 में जो संशोधन श्री मूलचन्द जी डागा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 40 में जो संशोधन मन्त्री महोदय ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह कि खण्ड 40 को संशोधित रुप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 40 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड 41 श्री मूलचन्द डागा

श्री मूलचन्द डागा : खण्ड 41 में मैंने अपना अमेन्डमेन्ट दिया है ।

श्री महबूब अली: इस सारे को डिलीट किया है साहब । यह 41 से लेकर 47 सेक्शन तक डिलीट करने का प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष : डिलीट करने का प्रस्ताव भी सदन से बहुमत से कराना पड़ेगा । खण्ड 46 में कोई संशोधन है । माननीय मन्त्रीजी ।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 46 में नगरीय क्षेत्रों में विकास प्रभारों की वसूली निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में अपने जिम्मे ली गई या ली जाने वाली स्कीम के अन्वेषण, उसकी तयारी और उसके निष्पादन का परिव्यय ऐसी दर से और रीति से जो विहित की जाए उस क्षेत्र के परिसर के स्वामी से वसूलीय होगा ।

श्री परसराम मदेरणा : यह आपने क्या किया है ? Why this deletion.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिलीट करवा ही सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसको वोट पर रखना पड़ेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें नेगेटिव वोट हो सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 41 से 45 को इस विधेयक का भाग नहीं बनाया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 41 से लेकर 45 तक विधेयक का भाग नहीं माना गया ।

श्री महबूब अली : नगरीय क्षेत्रों में विकास प्रभारों की वसूली :— निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में अपने जिम्मे ली गई या ली जाने वाली किसी स्कीम के अन्वेषण, उसकी तैयारी और उसके निष्पादन का परिव्यय, ऐसी दर से और रिति से जो विहित की जाए उस क्षेत्र के परिसर के स्वामी से वसूलीय होगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसमें उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि उस दिन जब मीटिंग हुई थी तो यह तय हुआ था कि यू. आई. टी. और हाउसिंग बोर्ड वगैरह सोसाईटीज एक्ट के अन्तर्गत कोई स्कीम तैयार कर के बाहर सीवरेज की व्यवस्था करेगी। उसके लिये चार्ज होगा। लेकिन आलरेडी जहां पर सीवरेज है वहां पर वाटर सप्लाई चार्जेज नहीं लगाये जायेंगे। मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य शायद भ्रमित हो रहे हैं...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : भ्रम कुछ नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आप भ्रम का निवारण कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप खण्ड 46 को पढ़ें इसमें दिया है :

"46. Recovery of development charges in urban areas. The cost of investigation, preparation and execution of any scheme undertaken by the Corporation in an urban area shall be recoverable at such rate and in such manner, as may be prescribed, from the owner of the premises in the area."

श्री मथुरादास माथुर : इसमें ओनर आफ दी प्रिमिसेज लिखा है। इसमें किसी का भी मकान हो सकता है। आप अगर चाहें तो सीवरेज के नाम पर पैसे वसूल नहीं किये जाय। बाकी तो काम नगर परिषदें करेंगी हां, अगर इन्डिविजुअल का हो तो आप वसूल कीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी को याद दिलाने का तात्पर्य यह है कि मकानों के अन्दर मकानों के मालिकों ने खर्चा किया लेकिन अगर ओल्ड मोहल्लों में सीवरेज मेन लाइन नहीं जाती है तो खर्चा आप उनसे कैसे ले सकते हैं? मकान मालिक मेन सीवरेज का पैसा नहीं देगा। वह तो अपने यहां तक का देगा। बाकी का पैसा कौन देगा यह आप बतावें?

ओल्ड सिटी में सीवरेज लाइन पड़ेगी उसका खर्चा कौन देगा? जो नयी स्कीम का निर्माण होता है उसमें तो साफ है कि वह संस्थायें उसका खर्चा देंगी लेकिन जो पुराने मोहल्ले बसे हुए हैं उनमें सीवरेज लाइन पड़ेगी क्या उसकी टोटल कास्ट राज्य सरकार मकान मालिकों से वसूल कर सकेगी। मकान मालिक अपने घर का सीवरेज सिस्टम करेगा तो उसका खर्चा तो करेगा, यह तो बात समझ में आती है। उस रोज मीटिंग में तय हुआ था कि नये स्कीम बनाई जायेगी अरबन एरियाज में तो उसका खर्चा नयी स्कीम के बनाने वाले देंगे चाहे वह यू. आई टी. हो या हाउसिंग बोर्ड हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए प्रिमिसेज की डेफीनेशन पढ़ देता हूं :

(184)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"Premises" means any land or building or any part of land or building.

अब इसमें दोनों चीजें आ गयीं। अब आप पहले तो यह तय कर लें कि व्यक्तिगत किसी की सम्पत्ति है और उसका इन्वेस्टीगेशन सर्वे और सर्विस देने के लिए सारी व्यवस्था की है तो उसका चार्ज म्युनिसिपेलिटी भोगेगा सरकार भोगेगी या कार्पोरेशन भोगेगा ? मेरा ऐसा मानना है और सदन भी इस राय का होगा कि इन्डीविजुअल सर्विस होती है तो उसका चार्ज इन्डीविजुअल को भोगना पड़ेगा अब प्रश्न आता है ओपिन लैण्ड का कि उसका चार्ज कौन देगा जहां तक बस्तियों का सवाल है वह तो उसमें कवर हो जायेंगी और यह या तो नगर पालिका को देना पड़ेगा और अगर वह नहीं देगी तो कार्पोरेशन सर्विस कैसे करेगा ? आखिर चार्जेज उसको देने पड़ेंगे। तो ऐसी दिक्कत नहीं है जैसा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने बताई है। यों ही सीवरेज लाइन डाल दें और चार्जेज किसी प्रकार के वसूल नहीं करें तब तो कार्पोरेशन बनाने का कोई सैन्स ही नहीं है। कार्पोरेशन बनेगा तो सर्विस करेगा और जब सर्विस करेगा तो उसके चार्जेज भी वसूल करेगा। यदि इन्डीविजुअल उसका लाभ लेना है तो इन्डीविजुअल को भुगतना पड़ेगा और यदि कम्युनिटी सर्विस के लिए जो भी लोकल बाडी होगी वह खर्चा करेगी

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : साफ नहीं हुआ। अगर कोई पुरानी बस्ती बसी हुई है और उसमें सीवरेज की मेन लाइन डालनी है तो क्या उस बस्ती में रहने वाले मकान मालिकों को उसका खर्चा देना होगा चाहे वह गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो ?

श्री महबूब अली : नगरपालिका देगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कहां लिखा है इसमें ? इसमें नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : अगर ऐसी स्कीम में रोड पर सीवरेज लाइन डाल रहे हैं और हमारा मकान पास में है और हम हमारे मकान को जोड़ना नहीं चाहते तो हम से किस बात का पैसा लेंगे ? इसमें जो लफ्ज लिखे हुए हैं वह पढ़ लें "from the owner of the premises in the area". अब मान लीजिए कि कल असेम्बली के बाहर सड़क पर सीवरेज लाइन डाल रहे हैं तो सब से कहेंगे कि पैसा लाओ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्डीविजुअल मकान को सर्विस दी जाती है तो मकान मालिक रेस्पान्सीबल होगा। ओपन लैण्ड में होगा तो लोकल बाडीज रेस्पान्सीबल होगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : स्कीम पुराने एरिया के लिए बन रही है तो क्या पुराने एरिया में जितने भी इन्डीविजुअल प्रिमिसेस होंगी उन सब को पे करना पड़ेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : लेंग्वेज डिफेक्टिव है।

श्री महबूब अली: जो जमीन नगरपालिका की होगी...

कई माननीय सदस्य: कहां लिखा है यह ?

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रिमाइसेज में डिफाइन किया गया है। लैण्ड यदि म्युनिसिपलिटी की है तो वह पे करेगी। अगर किसी प्राइवेट पार्टी की लेण्ड में होकर जाती है तो प्राइवेट पार्टी देगी।

श्री मथुरादास माथुर : मगर जो पुरानी लाइन निकल रही है और उस प्रिमिसेस में ग्रोनर ग्राफ दी प्रिमिसेस रहते हैं तो क्या चारों तरफ उसके जो रह रहे हैं उनको पे करना होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : सीवरेज लाइन तो जमीन में से होकर जायेगी...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अगर प्राइवेट ग्रोनर को सीवरेज लाइन से अपना कनेक्शन लेना होगा और 50 मीटर तक का खर्चा प्राइवेट ग्रोनर खुद देगा । यह जो सेक्शन इन्ट्रोड्यूज की जा रही है यह बस्तियों में सीवर लाइन पड़ेगी उसके पूरे का खर्चा कौन देगा ? यह खर्चा लोकल बाडीज द्वारा वहन करना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप प्रिमिसेज की डेफीनेशन देखिये और फिर ग्रोनर की डेफीनेशन देखिये । ग्रोनर की डेफीनेशन पेज 4 ग्राइटम नम्बर 19 पर है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उस दिन यह तय किया था कि जो नये डवलपिंग एरियाज हैं ....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : "The cost of investigation, preparation and execution of any scheme undertaken or to be undertaken by the Corporation in an urban area shall be recoverable at such rate, and in such manner as may be prescribed, from the owner of the premises in the area." तो श्रीमान मैं ग्रापको उदाहरण देता हूं कि किसी पुरानी बस्ती में जब सीवरेज लाइन पड़ेगी तो मेन सीवरेज लाइन के जो पाइप पड़ेंगे उनका खर्चा क्या उस बस्ती में रहने वाले लोग देंगे ?

श्री महबूब अली नगरपालिका देगी ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तो यह कहां है इसमें ?

श्री ईश्वरचन्द्र : नगर पालिका ग्रोनर नहीं हो सकती । वह तो उसमें इन्वेस्ट करती है ।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरीबाजार, जयपुर) : माननीय नेता महोदय से कहना चाहूंगा, इसको क्लीयर कर दें। इसमें क्लीयर नहीं है। क्लीयर नहीं होने से जो पुरानी बस्तियां हैं उसमें डवलपमेंट कौन करेगा ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : The cost of investigation, preparation and execution of any scheme undertaken shall be recoverable from the owner of the premises in the area. The owner can be U.I.T. or Housing Board or any Society under the Societies Act. They will bear the burden of this. अगर एक बस्ती में 5 लाख खर्चा ग्रायेगा, 500 मकानों पर वह डिस्ट्रीब्यूट होगा । Is it practicable?

ग्रापने जो इन्टरप्रिटेशन दिया है मुख्य मंत्रीजी वह सही है किन्तु वह इस वाक्य में नहीं ग्राता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ड्राफ्टिंग सुधार देते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी ग्रागे का क्लॉज ले लिया जाये । क्लाज 46 को डेफर कर दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 47 पर प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

(184)

श्री महबूब अली (प्रभारी मंत्री) : (क) उप खड (घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(घ) सार्वजनिक फव्वारों, तैरने के होज या टंकियों या किसी अलंकारिक या यांत्रिक प्रयोजनों के लिये ।

(ख) उपखण्ड (ङ) लोपित किया जाएगा और पश्चात्वर्ती उप खण्ड तदनुसार पुनः अक्षरित किये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 47 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 47 यथा संशोधित स्वीकार किया गया ।

खण्ड 48 से खण्ड 53 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है कि खण्ड 48 से 53 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 48 से 53 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 54 में प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री महबूब अली : विधेयक के खण्ड 54 में अभिव्यक्ति "उपबन्धित सीवर संयोजन करा लें । के पश्चात् अभिव्यक्ति" जहां स्वामी के सीवर संयोजन कराने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसा करने में विफल रहता है तो वह इस अधिनियम की धारा 36 के अनुसार सीवरेज भार देने का दायी होगा जोड़ी" जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 54 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 54 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, कलाज 51 जल्दी में हो गया । Power to cut of water supply.. "........except public hydrants belonging to Panchayat Samities and Municipalties. ...." यह एड करवाना चाहता था । कहीं इन्डीवीजुअल आदमी पानी का पैसा न दे तो उसकी वाटर सप्लाई काट देगें । हमारी पंचायत समितियां पैसा नहीं चुकायगी और पानी काट दिया तो हंगामा मच जायेगा । उस दिन तय हुआ था कि पब्लिक वाटर टैप नहीं काटेंगे इसलिए यह पाइंट आऊट किया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (मुख्य मंत्री): इसको देख लेंगे । आगे ले लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 55 से 64 में कोई संशोधन नहीं है

प्रश्न यह है कि खण्ड 55 से 64 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 55 से 64 स्वीकार किये गये ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : Clause 65 is illegal.

श्री महबूब अली: क्लाज 65 विलोपित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज 65 को विलोपित करने का सुझाव माननीय मंत्री महोदय का है।

श्री मूलचन्द डागा : क्लाज 62 आपने पास कर दिया। 1 हजार रुपये का जुर्माना काहे का? इस में है कि 1 हजार रु. जुर्माना नहीं अदा करने पर 50 रुपये रोज, मैं यह कहना चाहता हूं .....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : "which may extend to one thousand rupees.." This is the maximum limit.

श्री मूलचन्द डागा : आपने लिखा है "......with fine which may extend to one thousand rupees and with further fine which may extend to fifty rupees for every day on which such contravention or failure continues after the first conviction....".

एक हजार रुपया और फिर 50 रुपये रोजाना, यह ज्यादा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, इस प्रश्न को मैंने पूछ लिया है।

श्री मूलचन्द डागा : जिस प्रकार से प्रोसीजर चल रहा है ...

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज 62 है जिसमें कन्ट्रोवेशन की पेनेलिटी दे रखी है। कुछ अपराध सीरियस भी हो सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : It will be tried by a regular court.

एक माननीय सदस्य : डागा साहब यही कह रहे हैं कि एक हजार रुपये का जुर्माना ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष: कोई वाटर सप्लाई तोड़ देता है, प्रासीक्यूशन होता है तो एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसमें मैंने सदन की अनुमति ले ली है।

श्री मूलचन्द डागा : "Whoever contravenes any of the provisions of this Act or of any rule or bye-laws, or fails to comply with any notice,order or requisition issued under this Act or any rule or bye-law shall on conviction, be punished with fine which may extend to one thousend rupees.... ".

यह एक हजार रुपये का जुर्माना कोई छोटी सी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : शब्द मेक्सीमम दिया हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा: पावर तो होगी हुकम।

(व्यवधान)

उसके बाद 50 रु रोज का जुर्माना है तो आप 500 रु. आधाकर दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपने तो एक हजार तक की शक्ति का प्रयोग करने के लिये दे दिया।

श्री किशन सिंह भाटी : एक हजार रुपया जुर्माना तो ज्यादा है ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 64 तक पारित कर दिया गया है ।

श्री परसराम मदेरणा : सीवरेज की नालियों को तोड़ देना, यह छोटा मोटा आफेन्स है इसलिए यह ज्यादा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेक्सिमम् एक हजार है, यह पांच रुपया भी हो सकता है ।

(व्यवधान)

श्री वृद्धि चन्द जैन : 500) रु. कर कर दीजिये, बहुत है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं खण्ड 65 को विलोपित करने का जो माननीय मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है, सदन से पूछूंगा ।

क्या खण्ड 65 को विलोपित किया जाय और पारित नहीं किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 65 को विलोपित समझा गया और पारित नहीं किया गया ।

खण्ड 66 में कोई आपत्ति है ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 66 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 66 पारित किया गया ।

खण्ड 67 ।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें डाइरेक्शन का है, मैं बोलूंगा—

Directions to the corporation on questions of policy (1) In the performance of its duties and discharge of its functions, the corporation shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the State Govt."

मेरा यह निवेदन है कि पालिसी के अलावा भी "..and such other matters of public importance."

यह और एड कर दिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : पालिसी का मेटर बहुत बड़ा होता है। गवर्नमेंट चाहे कि कुछ पर्टीक्यूलर एरियाज हैं, और उनमें वाटर सप्लाई स्कीम होनी चाहिये, वे कह देंगे हमारे पालिसी मैटर में नहीं है इसलिए नहीं करेंगे । तो, मैं इन दी पब्लिक इन्ट्रेस्ट कह रहा हूं । वे फौरन कह देंगे पालिसी मेटर नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, आप क्लाज (2) पढ़ लेते तो दिक्कत नहीं होती । क्लाज (2) में लिखा है ..

"(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under sub-section (1) n the decision of the State Goverment shall be final."

अब गवर्नमेंट जिस मामले को पालिसी मेटर मानकर चलेगी तो उसमें कार्पोरेशन यह कह सकता है कि पालिसी मेटर नहीं है ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्टेट गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वह फाइनल होगा इसलिए कोई प्राब्लम आने वाली नहीं है। इस तरह के प्रोविजन्स इसमें ही नहीं बाकी जिस कार्पोरेशन में भी डाइरेक्शन इश्यू किये जाते हैं, उनमें सब में हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अगर आपका काम चलता है तो ठीक है, चलिये आगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 67 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 67 स्वीकार किया गया।

खण्ड 68 में संशोधन है।

एक माननीय सदस्य : श्री रामकृष्ण जी का 67 में संशोधन था।

श्री उपाध्यक्ष: वे खण्ड 67 में संशोधन प्रस्तुत ही नहीं करना चाहते थे।

मैं दुबारा क्लॉज 67 को पूरा कर देता हूं।

प्रश्न यह है खिण्ड 67 को पारित किया जाय

(स्वीकृत)

खण्ड 67 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 68 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 68 स्वीकार किया गया।

खण्ड 69 से 72 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 69 से 72 तक पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 69 से 72 तक पारित किया गया।

खण्ड 73 श्री हरजी राम बुरडक। उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 73 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 73 स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो खण्ड हैं जिनको डेफर किया गया है। एक तो खण्ड 46 है और दूसरा 15 है। एक क्लाज 51 भी है। मैं खण्ड 46 को संशोधित रूप में रख देता हूं -

नगरीय क्षेत्रों में विकास प्रभारों की वसूली

निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में अपनें जिम्मे ली गई या ली जाने वाली किसी स्कीम के अन्वेषण, उसकी तैयारी और उसके निष्पादन का परिचय ऐसी दर और रीति से जो विहित की जाये।

(क) पहले से विकसित क्षेत्र में परिसर के स्वामी से

(ख) नये विकासशील क्षेत्र में, विकास के लिये जिम्मेदार एजेन्सी से वसूलीय होगा

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा इन्टेंशन यह नहीं था। जो मोहल्ले पहले से बसे हुए हैं, उनकी वसूली कैसे करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह शायद आपने सुना नहीं है। मैं उसे फिर पढ़ देता हूं -

धारा 46 नगरीय क्षेत्रों में विकास प्रभारों की वसूली

निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में अपने जिम्मे ली गई या ली जाने वाली किसी स्कीम के अन्वेषण, उसकी तैयारी और उसके निष्पादन का परिव्यय ऐसी दर और रीती से जो विहित की जाये।

(क) पहले से विकसित क्षेत्र में परिषद के स्वामी से

(ख) नये विकासशील क्षेत्र में, विकास के लिये जिम्मेदार ऐजेन्सी से वसूलीय होगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो... इसमें तो आपत्ति है - जो पहले से बस्ती बसी हुई हैं। सौ- दो सौ साल पहले से बसी हुई है, अगर वहां सीवरेज लाइन डालेंगे तो क्या उनमें रहने वाले लोगों से उसका खर्चा वसूल करेंगे 'अ' का खर्चा तो राज्य सरकार या म्यूनिसिपैलिटी वहन करेगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सीवेरेज सिस्टम डलेगा और डला तो निश्चित रूप से जन- असन्तोष होगा। इसमें मुख्य मंत्री जी हमारी कोई हटधर्मी नहीं है। एक ही तरह की लायबिलिटी जो अरबन ऐरिया की कौन्सिल है उसमें भी वही लायबिलिटी वेस्ट कीजिये ...

(व्यवधान)

मैं आप से ठीक कह रहा हूं। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों के जूते पड़ेंगे।

आप मोहल्ले में लाइन डालेंगे उस पर हजार रुपया खर्चा आएगा तो कौन देगा ? आप देंगे क्यों जन असंतोष पैदा कर रहे हो।

(व्यवधान)

म्युनिसिपल कौंसिल या बोर्ड को पुराने मोहल्लों में खर्चा वहन करना चाहिए। आप ध्यान दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं माननीय सदस्य को थोड़ा स्पष्ट कर दूं। आप देखें, "निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में जिम्मे ली गई या ली जाने वाली किसी स्कीम का अनुसंधान ...."

इसका मतलब यह है कि स्कीम पुरानी नहीं है, नई है।

अन्वेषण, उसकी तैयारी और उसके निष्पादन परिव्यय उसी दर से जो नियत की जाये ...

तो नई स्कीम से जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे नई लाइन डालना है और जो पुरानी टूट गई है

(व्यवधान)

विकसित सेत्र में परिषद के स्वामी से

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : राजस्थान की 90 प्रतिशत सिटीज के अन्दर 99 पर्सेंट सीवरेज सिस्टम नहीं है। बीकानेर के अन्दर सीवरेज सिस्टम नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उन पर नहीं लगेगा। यह लगेगा पहले से विकसित क्षेत्र में परिषद् के स्वामी से। जो आलरेडी डवलप्ड एरिया है। उस डवलप्ड एरिया की बात है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीकानेर में दौ सौ साल से पहले से वसे हुए मोहल्ले हैं उनमें कौन देगा ?

श्री भंरोंसिंह शेखावत : यह नई विकसित क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसी से।

श्री मथुरादास माथुर : पुरानी वस्ती में नई स्कीम लेते हैं तो कौन देगा ?

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी एक बात को सोचें। जैसे जयपुर में कोई डवलप्ड एरिया है उसके अन्दर कोई कच्ची बस्ती है और वहां कामन लाइन जाएगी तो उसका पैसा कौन बियर करेगा ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज जयपुर में . .

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल पूछा है, मुख्य मंत्रीजी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : मैं यह पूछना चाहूंगी कि सीवरेज लाइन आएगी तो कौन पैसा देगा ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

जयपुर की 'सी' स्कीम में अगर सीवरेज डालें तो उस का खर्चा कौन बीयर करेगा ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जयपुर के हवामहल, किशनपोल जैसे पुराने मोहल्ले हैं, जहां पर गरीब लोग बसते हैं वहां सीवरेज लाइन डालेंगे

(व्यवधान)

श्री भंरोंसिंह शेखावत : नए विकासशील क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदारी एजेंसी से वसूली की होगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जयपुर के मालवीय नगर में जो यू. आई.टी. की स्कीम है उनके सीवरेज का पैसा कौन देगा ?

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का मुख्य मंत्रीजी उत्तर दें कि एक डवलप्ड एरिया है और उसके बीच में कोई कच्ची बस्ती है और उस एरिया में कामन में लाइन जाती है तो उसका खर्चा कौन करेगा ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मंत्री जी मैं आपका ध्यान . . .

श्री किशन सिंह भाटी : कोई डवलप्ड एरिया है और उसके अन्दर कच्ची बस्ती है वहां पर कामन लाइन जाती है जिसका खर्चा झोंपड़ी वाले नहीं दे सकते उसका खर्चा कौन देगा इसका क्लेरिफिकेशन करें कि उसका खर्चा कौन देगा ?

(व्यवधान)

इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि जो आलरेडी डवलप्ड एरिया है डिक्लेयर्ड है उसम बस्ती है तो सीवरेज लाइन का खर्चा ओनर से लेंगे या पब्लिक इंस्टीट्यूशन से लेंगे ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : "Where any premises are...."

(192)

श्री किशनसिंह भाटी : इसका क्लेरिफिकेशन होने दें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : "Where any premises are, in the opinion of the Corporation, without sufficient means of effectual disposal of sewage and the sewer of the Corporation is situated at a distance of no more than fifty meters from any part of the premises, the Corporation may, by written notice, require the owner of the said premises to have sewer connection as provided by bye-laws."
यह है । अगर 50 मीटर का खर्चा वह मकान मालिक देगा मगर उस मोहल्ले में मेन लाइन का खर्चा कौन देगा ?

श्री मूलचन्द डागा : उसका तो नगर-परिषद् देगी ।

श्री किशनसिंह भाटी : इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए । जो डवलप्ड एरिया है, कच्ची वस्ती है वह वस्ती डवलप्ड नही है, उस लाइन का खर्चा म्युनिसिपल कौंसिल देगी या झोंपड़ी वाले देंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पुरानी वस्ती बसाते हैं उसमें सेनेटरी लाइन छःइंची 12 इंची होती है उसको बदलना पड़ रहा है । अभी भी जयपुर में हम लोगों को बड़ी लाइन में परिवर्तन करना पड़ता है । जहां छः इंच की लाइन थी उसकी जगह बड़ी लाइन डालनी पड़ी है तो उसका खर्चा नगर परिषद् तो वहन करेगी नहीं..

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं ऐसा समझता हूं कि जो ड्राफ्ट हुआ है वह इस प्रकार हुआ है :
"The cost of investigation, preparation and execution of any scheme undertaken or to be undertaken by the Corporation in an urban area shall be recoverable at such rate, and in such manner, as may be prescribed, from the owner of the premises in a developed area and from the local body in a developing area."

इसका मतलब यही हुआ कि इण्डीवीजुअल आदमी को 50 गज तक तो कार्पोरेशन निश्चित तौर पर देगा लेकिन जहां पर आप औगमेंटेशन की स्कीम ला रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : औगमेंटेशन या लाइन ?

श्री परसराम मदेरणा : डवलपिंग और डवलप्ड एरिया में डिफाइन नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये सब चीजें मेंटीनेंस में आती हैं और मेंटीनेंस नई स्कीम में शामिल नहीं होता ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वाटर लाइन के साथ साथ में सीवेज भी है ।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, नई स्कीम जितनी डवलप्ड एरिया में होगी जहां पर कच्ची बस्ती है, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन करवाइये ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान जो एरिया आलरेडी डवलप्ड है ।

(व्यवधान)

जो डवलप्ड एरिया है उसका खर्चा बस्ती वालों से वसूल किया जाएगा या कौन देगा ? यह बात स्पष्ट कीजिए ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मुख्य मंत्री जी . . .

श्री गुल मोहम्मद : मेरा यह निवेदन है कि जयपुर शहर के अन्दर कोई सीवरेज लाइन डाली जाती है वह नगर परिषद् की सीमा में है तो उसका खर्चा नगर परिषद् को देना चाहिए परन्तु यह खर्चा नगर परिषद् वहन नहीं करेगी तो जहां पर गटर लाइन डाली जाएगी तो वहां प्राइवेट आदमी से कहा जाएगा कि वह खर्चा वहन करे । उन लोगों से यह खर्चा वसूल किया जाएगा । इसका क्या उत्तर है । इसका मंत्री महोदय उत्तर दें । मेरा यह कहना है कि नगर परिषद् यह खर्चा वहन करे ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वाटर सप्लाई के साथ साथ सीवरेज पर भी यह लागू होगा। राजस्थान के 26 शहरों में से एक शहर में भी सीवरेज नहीं है।बीकानेर के एक मोहल्ले में भी यह व्यवस्था नहीं है । आप कोई नई योजना डालते हैं तो उसका खर्चा आपको वहन करना चाहिए ।

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री महोदय आप चुप क्यों बैठे हैं, कोई जवाब तो दीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी तो कई पक्की बस्तियों में भी सीवरेज लाइन नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यगण, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपके आदेश की पालना करूंगा । मंत्री महोदय, इस व्यवस्था से लोग बेमौत मर जाएंगे । बीकानेर शहर में सीवरेज सिस्टम के लिए आप 300 लाख का लोन ले रहे हैं । वहां मोहल्ले में सीवरेज लाइन पड़ेगी तो उसका खर्चा कौन देगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको सुन लूंगा । थोड़ा सा आप धैर्य रखें । सत्ता पक्ष की ओर से एक नया संशोधन रखा गया है । माननीय सदस्य अपनी तरफ से संशोधन दे सकेंगे । जो नया संशोधन मंत्री महोदय देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, क्लॉज 46 को सुना देता हूं :

"खण्ड 46 : निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में अपने जिम्मे ली गई या ली जाने वाली किसी स्कीम के अन्वेषण, उसकी तैयारी और उसके निष्पादन का परिव्यय ऐसी दर से और रीती से जो विहित की जाए :

1. पहले से विकसित क्षेत्र में परिसर के स्वामी से,

2. नये विकासशील क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार एजेन्सीज से वसूलीय होगा ।

अब माननीय सदस्य इसमें कोई संशोधन देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री किशनसिंह भाटी : इसकी एम्बीग्युटी के बारे में पूछा था यह क्लेरिफिकेशन नहीं आया है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पहले से विकसित क्षेत्र में उस क्षेत्र के स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जाएगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कन्फ्यूजन में है। पहले वाले में यह लिखा गया है परिसर का स्वामी तो बिल्डिंग और लैण्ड दोनों है। लैण्ड का मालिक है लोकल बोडी और वहां पर बिल्डिंग है तो उसका मालिक होगा।

श्री किशनसिंह भाटी : कास्ट कौन बियर करेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 46 में मेरा संशोधन है। सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधन के (क) में इस प्रकार का संशोधन किया जाए :

"पहले से विकसित क्षेत्र, उस क्षेत्र में व्यय स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।"

श्री गुल मोहम्मद : मेरा नाम भी इस संशोधन प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो भी संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वह लिखित में दें ताकि उसमें कोई एम्बीग्युटी नहीं रहे।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : धारा 46 (क) में मेरा संशोधन निम्न प्रकार से है :- "पहले से विकसित क्षेत्र में उस क्षेत्र की स्थानीय निकाय द्वारा खर्च वहन किया जाए।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काफी स्पष्टीकरण कर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है माननीय रामकृष्णदास गुप्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह कि खण्ड 46 में जो नया संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गया है उसको स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 46 यथा संशोधित स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 46 यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 15 भी ड्रेफर किया गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खण्ड (2) के भाग में शब्द "सेवाओं के लिये" के पश्चात् शब्द "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से" स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड 15 में है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 यथा संशोधित स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 15 यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

(195)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: खण्ड 51 में एक संशोधन और है। उप-खण्ड (1) की अभिव्यक्ति "निगम किसी भी परिषद् के जल प्रदाय" के पश्चात् (8) की अभिव्यक्ति "ग्राम जनता को किये जाने वाले जल प्रदाय को छोड़ कर" अन्तःस्थापित की जायगी।

श्री मथुरादास माथुर: अब यह भाषा तुम्हीं देख लो, हमारा मतलब तो यही है।

श्री उपाध्यक्ष: यह खण्ड स्वीकार कर लिया गया था। मैं वापस सदन की री-ओपन के लिया सहमति ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 51 को री-ओपन किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 51 री - ओपन किया गया।

अब प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने खण्ड 51 में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 51 यथा संशोधित स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 51 यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

खण्ड 74 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 74 व खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 74 व खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री महबूब अली: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज विधेयक, 1979 को यथा-संशोधित पारित किया जाय।

व्यवस्था का प्रश्न

यथा संशोधित विधेयक का पारण

श्री मूलचन्द डागा: आज के जो अमेण्डमेंट्स हैं उनके लिये समय दिया जाय और यह मैंने आपकी सेवा में पहले भी पेश किया था।

श्री उपाध्यक्ष: डागा साहब, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से...

श्री मूलचन्द डागा: अनुमति तो अभी हुई नहीं। मैं कहता हूं एज अमेण्डेड, कहां हुई अनुमति ?

श्री मथुरादास माथुर: सदन में अनुमति मांगी ही नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा: रूल 85 (2) पढ़िये—

"Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill as amended be passed, shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

So it cannot be moved to-day, because it is an amended Bill

तो इसके पीछे भी हो जायगा। नोट भेज दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(11.45 रात्रि)

(माननीय अध्यक्ष पदासीन)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, खण्ड वाचन पर बोलने का मुझे अवसर मिले ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और व्यवस्था का प्रश्न नियम 85 के अन्तर्गत है । प्रश्न उठाया है इसका मैं समर्थन करता हूं-

"Where a Bill has undergone amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

अध्यक्ष महोदय, बिल को पारित करने के संबंध में प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा तो पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया और व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब तक आपसे परमीशन न लें इस बिल को पारित करने के लिए प्रस्ताव नहीं पेश कर सकते क्योंकि इस बिल में अमेण्डमेंट हुए हैं और स्पीकर से प्रायर परमीशन आवश्यक है। इस बीच या तो परमीशन अकोर्ड करें। परमीशन अकोर्ड की हुई नहीं, परमीशन के लिये रिक्वेस्ट की नहीं और कह दिया पारित कर दिया जाय । यों कैसे कर दें ? यह पारित इसलिए नहीं किया जा सकता कि इस बिल के अन्दर बहुत सी धाराओं में अमेण्डमेंट हुए हैं। कम से कम 74 धाराय हैं। जो विधयक हैं उसमें 20 धाराओं में अमेण्डमेंट हैं और आज तो कुछ संशोधन ऐसे हुए हैं कि भाषा तो प्रभारी मंत्री जी जानते ही नहीं और मुख्यमंत्री ने हम सब को कन्फ्यूज्ड कर दिया है इलेवन्थ आवर में अमेण्डमेंट लाये । राइटिंग में दिये नहीं । इसमें कई खामिया हैं निश्चित रूप से । गलतियां रह सकती हैं इसलिए इस बिल को आज पारित न किया जाय और एज अमेण्डेड बिल आज सरकुलेट किया जाय ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें उसके बाद में तृतीय वाचन में फिर सदन में प्रस्तुत कर सकें यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यवस्था के प्रश्न पर बोलूंगा। मैं समझता हूं कि इसमें बोल सकता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : आज आपका दिमाग कानून पर बड़ा काम कर रहा है। क्लाज 85 में लिखा है -

"When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member in charge may at once move that the bill be passed."

वह स्टेज तो है नहीं । और 85 (2) में लिखा है-

"When a bill has undergone amendments, the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : With the consent of the Speaker, you can move any motion.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब अध्यक्ष महोदय, कोई भी सदन की एक परम्परा है, व्यवस्था है। कोई भी मोशन मूव किया जाएगा, वह अध्यक्ष की अनुमति से किया जाएगा। कोई भी मूव करे। Without consent of the Speaker, you cannot move any motion.

मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आर्डीनरी मोशन और इसमें फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Motion is a motion and it cannot be moved without the consent of the Speaker. This is an admitted fact.

अभी प्रभारी मन्त्री श्री महबूब अली जी ने खड़े होकर कहा। अध्यक्ष महोदय के संकेत पर कहा। प्रभारी मन्त्री जी बोलें तो प्रभारी मन्त्री जी ने कहा कि इस बिल को पारित किया जाय।

(व्यवधान)

मेरी सुन लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार खड़े होकर कह दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये तो सही।

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने कहा ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डागा साहब, बिराजिये। मैं आपके पाइण्ट पर ही बोल रहा हूं। दूसरी बात नहीं कह रहा हूं। स्पीकर महोदय के संकेत पर माननीय मन्त्री महोदय ने पारित करने के लिए कहा है। एक ववश्चन यह है कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखा है। दूसरा यह है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह बिल कैसे पास होता है। कोई भी ऐसी चर्चा नहीं कि बिना आसन की अनुमति के चले। एक प्रश्न पर हां और ना हुआ है। रामकृष्णदास गुप्ता ने भी मोशन दिया है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। उस पर हां और ना हुआ। बाकी कोई ऐसा अमेण्डमेंट नहीं है जिस अमेण्डमेंट के बारे में किसी को भ्रम हो और एक्चुअल पोजीशन की जानकारी नहीं हो।

श्री मथुरादास माथुर : With the permission of the Speaker.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह परमीशन इसमें इम्प्लायड हो जाती है। इसमें परमीशन मांगी नहीं जाती है। आप ऐसी कोई व्यवस्था बताइये?

श्री मथुरादास माथुर : मांगी जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब अध्यक्ष महोदय खुद ही कह रहे हैं तो परमीशन इसमें इम्प्लायड है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो पाइण्ट आफ आर्डर रेज किया है, उसको ओवररूल करने की आवश्यकता है और जो प्रस्ताव रखा गया है, उसको पारित किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : आप एज इट इज कह रहे थे—Motion is a motion and a motion can be moved with the prior approval of the Speaker. You require prior permission of the Speaker.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It is simply to be allowed by the Speaker.

श्री मथुरादास माथुर : यह स्पीकर ने कब कहा ?

श्री मूलचन्द डागा : मोशन तो 257 में होगा। इसमें यह 85 (2) का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 5 मिनट और रह गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं। इसमें लिखा है-

"…. ….unless the Speaker allows the motion to be made."

257 क्या कहता है।

"A motion, resolution or an amendment, which has been moved and is pending in the House, shall not lapse by reason only of the prorogation of House."

जो मोशन रखा हैं, वह 257 में होगा।

अगर यह मूव करें। तब सवाल यह उठता है कि आपने मोशन मूव किया नहीं है अब आप नयी बात कह रहे हैं। इम्प्लायड की बात कह रहे हैं। इस प्रकार से यह मोशन मूव नहीं किया है। खड़े हुए फिर मोशन नहीं दिया जाता है। आपको भी ला का ज्ञान है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप व्यवस्था सुन लें।

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रभारी मन्त्री को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसको प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

श्री मूलचन्द डागा : आपके सामने मोशन नहीं है। तो कहां से-

First he must move before the House.

विधेयक का पारण

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज विधेयक, 1979 यथा पारित संशोधित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : साहब, यह स्टेज है जो, अमेण्डेड का क्या मतलब हुआ ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : यथा संशोधित।

श्री मूलचन्द डागा : यथा संशोधित। आपने जो अमेण्डमेण्ट किया है, मैं उसको देखना चाहता हूं। समझना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप समझेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : आप एक राय देंगे। आपने 20 अमेण्डमेण्ट पास किये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति दे चुका हूं।

श्री मूलचन्द डागा : उन अमेन्डमेंट्स को सरकुलेट कीजिए। हम उनको देखेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, तृतीय वाचन की अनुमति हो।

माननीय अध्यक्ष जी,

श्री हरीश कुमार शर्मा : तृतीय वाचन पर मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमन्त्री महोदय, गुप्ता जी की गटर लाइन का खर्चा दे देना।

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा, सरकार में एक खामी रह गयी है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। राजस्थान सरकार ने सभी कानून एक व्यवस्था के द्वारा बना दिए हैं। यह सरकार अभी xx xx xx बन गई है यह 30 साल का इतिहास रहा है। राजस्थान सरकार ने रोडवेज निगम बनाया। अब वाटर निगम बनाकर इस कल्याणकारी राज्य के 35 हजार गांवों को पानी देगी ऐसा कहा गया था। जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराना किसी भी राज्य का यह आधारभूत प्रमुख कर्तव्य है। आज उसी कर्तव्य से, उस दायित्व से इस राज्य सरकार ने यह कानून बना कर अपना हाथ खींच लिया है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। और राजस्थान में पेयजल की समस्या हल करने की जिम्मेदारी एक निगम को, ऐसे निगम को सौंप रही है जिसका आधार ही कार्माशियल बेसिस पर करना है। क्या 35 हजार गांवों में बसने वाले दो करोड़ लोगों को, जहां एक एक गांव की दूरी 30 30 मील और चार-चार सौ फीट जहां गहरा पानी है, वहां कार्पोरेशन बना कर राज्य सरकार ने, एक वेलफेयर स्टेट ने और एक सोशियलिस्ट स्टेट ने अपनी ड्यूटी से क्या हाथ नहीं खींचा है ? मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आपको इस पर पुनर्विचार करना होगा। अध्यक्ष महोदय, स्टेट रोडवेज का कार्पोरेशन है, राष्ट्रीयकरण के बाद किराया दुगना बढ़ गया और सेवाएं एक गुना कम हो गई। यह व्यवस्था है रोडवेज की, गांव वाले परेशान हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान मुख्य मन्त्रीजी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, आपने निगम बना लिया। वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, निगम का खर्चा करने की कोशिश की जा रही है। पुनः यह जिम्मेदारी राज्य सरकार को वहन करनी है वरना राज्य सरकार तो पांच साल में, दस साल में चेन्ज होती रहती है, पांच साल में लोगों ने फैसला कर दिया तो आगे हाल क्या होगा ? मुझे मालूम है, बीकानेर से जयपुर का रोडवेज का किराया 11 रुपये से 18 रुपये हो गया। यही हाल पानी की रेट्स का होने वाला है। धारा 46 में इन्सर्ट करके आपने किया है, उसके हिसाब से खर्चा होगा उसको कौन देगा। सारे राजस्थान में सीवरेज की व्यवस्था करनी है, मुख्य मन्त्रीजी, मैं तो आप का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आप के सामने इस समस्या को लेकर, राज्य सरकार ने समय पर अमेण्डमेन्ट नहीं किया तो घोर विपत्ति आने वाली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री परसराम मदेरणा : ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसी कि परिपत्र से सूचना मिली थी कि राष्ट्रमण्डल की बैठक हो रही है, वह हो रही है या नहीं हो रही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होगी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं, तृतीय वाचन में ज्यादा समय नहीं लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने पारित करने के लिए प्रस्तुत है। उस बिल के सिलसिले में ज्यादा समय न लेकर दो बातें सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

आज राजस्थान के अन्दर देहातों में जितनी भी योजनाएँ हैं, उन जल योजनाओं में जितने भी पब्लिक हाइड्रण्ट्स लगे हुए हैं वहाँ पर देहात के रहने वाले लोगों को बिना दर के पानी मिलता है, यह आज से नहीं जब से ये योजना शुरू हुई तब से बराबर व्यवस्था है। इसी तरह से म्युनिसिपल एरिया में भी मुफ्त पानी मिलता है। सभी म्युनिसिपल लिमिट्स में पब्लिक हाइड्रण्ट्स लगे हुए हैं,पहले म्युनिसिपेलिटी पैसा देती थी और उसके बाद राज्य सरकार ने फैसला किया, सात - आठ करोड़ एड का दिया और जब वह नहीं दे सकी तो फैसला किया कि पानी मुफ्त दिया जायगा। आज हम जो बिल पारित करने जा रहे हैं, वहाँ कामर्शियल कार्पोरेशन खड़ा हुआ है, सैक्शन 27 की चर्चा की गई है, बिना लास किए हुए स्टेट गवर्नमेन्ट की सबसीडी से कार्पोरेशन काम करेगा, यह पेश किया गया है, मेरा निवेदन है कि कामर्शियल कार्पोरेशन बनने के बाद क्योंकि यह विदाउट लॉस काम करेगा, पूरा बजट इसका नो प्रोफिट नो लॉस का बनाया जायगा मैं निवेदन करता हूं कि कई योजनाएँ ऐसी होंगी डेजर्ट एरिया में जहाँ पानी खारा है, पहाड़ी एरिया जहाँ पानी नहीं मिलता है, उन इलाकों में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, अलग-अलग रीजनल या लोकल स्कीम बनेंगी और यह कार्पोरेशन ने तो जो रकम का इन्ट्रेस्ट ,रेकरिंग एक्सपेण्डीचर, मेण्टीनेन्स और वर्किंग एक्सपेण्डीचर होगा उसका केलकुलेशन कर के पानी की दर लगाई तो इसका सारा मतलब ही बेकार हो जायेगा। हमारे यहाँ और ज्यादा जल योजनाएँ बनाई जाय इस भावना के साथ यह बिल लाया गया। अभी हम इस का विरोध नहीं कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी से मैं यह कह रहा हूं कि आप पहले से ही तंग हैं, ग्राण्ट की, सबमेन्शन, रेकरिंग और वर्किंग की मेन्टीनेन्स की जवाबदारी आपने ली है, मैं आप से कहना चाहता हूं कामर्शियल कार्पोरेशन बनने के बाद जो सुविधायें उपलब्ध हैं वह सुविधायें बराबर चालू रहनी चाहिए और जितनी ग्राण्ट देनी पड़े देना चाहिए वरना पानी की पूर्ति तो कर देंगे और कामर्शिल रेट लगाई तो परेशानी हो जायगी। पब्लिक हाइड्रण्ट्स पर आदमी ही नहीं, मवेशी भी पानी पीते हैं, उन मवेशियों और आदमियों को पानी पीने के लिए अगर आपने निगम बनाने के बाद वाटर रेट्स लगाना शुरू कर दिया तो राजस्थान में राजस्थान के नागरिकों को एक ही सुविधा मिलती है, हवा ईश्वर देता है, पानी सरकार देती है, पानी के लिए पब्लिक हाइड्रट्स हैं तो उस से हम बहुत पीछे हट जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पारित करने से पहले, जो आज हम को फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वह बराबर चालू रखें और उस से पीछे नहीं हटना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री

श्रीमती सुमित्रासिंह : हमें आश्वस्त किया गया था...

श्री अध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यह निगम सरकार का है। कई निगम पहले ही बने हुए हैं उन के अलावा यह एक निगम और भी बनाया गया ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब से ज्यादा निगम केरल और कर्नाटक में बने हुए हैं।

श्री नूरा : लेकिन सेंटर में जनता पार्टी की सरकार थी, उस से पहले कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद लोकदल की सामूहिक मिलीजुली सरकार है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी फुल-फ्लेज्ड नीति निर्धारित करने वाली राजनतिक पार्टी पावर में नहीं है। जिस समय सेंटर हम को सम्हला देगा आपको इस किस्म के निगमों के निर्माण की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जैसी कि पूंजीवादी व्यवस्था होती है तो इस तरह की व्यवस्था होती है। तो निगम बना कर ज्यादा पानी मोहैया करने की स्कीम तैयार हो गई, आम जनता को पानी कब मिलेगा। लेकिन जनता पार्टी ने पीने के पानी के जो निगम बनाए हैं और इस के अध्यक्ष बनाये हैं यह सारी व्यवस्था चलेगी नहीं और लोगों को पानी समय पर मिलेगा नहीं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस में प्रावधान है कि कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भर्ती किस की होगी? कौन आएगा। यह तबादले की सरकार है, जिस तरह से चुनाव के समय कौन किस जगह माफिक हो सकता है उसको वहां लगाया जाता है। आप कहते हैं पक्ष पात नहीं होगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस निगम की आड़ में बहुत सा पैसा जो आम लोगों के नाम से विश्व बैंक से आप कर्जा ले रहे हैं, बहुत सारा पैसा हमारा वेस्ट होगा, आम लोगों के कुछ हाथ नहीं आएगा और ज्यादा लाभ बड़े बड़े घराने वालों को, पैसे वालों को मिलेगा उन्हीं को फैसेलिटीज मिलेगी और आम जनता को नहीं मिलेगी। इसलिए निगम बनाकर जो विश्व बैंक से हम पैसा लेकर पानी सप्लाई की बात करते हैं, उसमें हमें शक है इस बात का कि यह सिर्फ जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेकार बैठे हैं, उन को धंधा देने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। इसलिए मैं इस तरह की योजनाओं का विरोध करता हूं।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 के माध्यम से वह काम करने जा रही है जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। मैं इस विधेयक को ऐसा षड़यंत्र मानती हूं जिसके द्वारा ग्रामीण जनता को और खास तौर से मरुस्थलीय जनता को पीने के पानी जैसी नितांत आवश्यक चीज के लिए वंचित रहना पड़ेगा। आप स्वयं जानते हैं कि म्यूनिसिपल क्षेत्रों में पानी के स्त्रोत नाम मात्र के हैं और क्षेत्रफल इतना लंबा चौड़ा है जब कि ढाणियों में, बस्तियों में पापूलेशन इतना कम है कि जो जल प्रदाय योजनायें बनाई जाती हैं उन पर काफी धन व्यय करना होता है। उम्मीद यह थी कि राज्य सरकार काफी रुपया लगा कर गांवों को जलदाय योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वच्छ मीठा पानी उपलब्ध करायेगी लेकिन इस विधेयक के आने के बाद में हमारी वह उम्मीद समाप्त होती जा रही है। परोक्ष व अपरोक्ष रूप से यह कहा जा रहा है कि इस विधेयक के माध्यम से निगम बनाया जाएगा और निगम को विश्व बैंक से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से कर्जा लेने का जो अधिकार मिलेगा उस से इस कार्यक्रम को एक बहुत तेज गति मिल सकेगी लेकिन मेरा निवेदन है कि फिर भी इसी कार्यक्रम के साथ ही एक नेचुरल करालरी और रहेगी, वह यह कि एक निगम व्यायापरिक संस्थान की तरह काम करेगा, इस की सारी योजनायें इसी आधार पर बनाई जायेंगी, इस पर लगने

(२०२)

(श्रीमती मदन कौर)

वाला पैसा और रख रखाव वाले पैसे से योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में किसी भी तरह यह योजना सफल नहीं हो सकती। तो राज्य सरकार उनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराना चाहती, स्पष्ट रूप से सदन में कह दें अन्यथा इस निगम के बनने बाद में हमारा हमेशा हमेश के लिए जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं पानी मांगने का अधिकार समाप्त करने जा रहे हैं। आपने कहा पंचायतों को और नगरपालिकाओं को, जो पब्लिक हाइड्रट्स हैं उनको पैसा देने के लिए कहा जा सके। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि अब तक जो इन संस्थाओं को अनुदान दिया जाता रहा है, अब जो अनुदान दिया जाएगा क्या वह उस के अतिरिक्त होगा? जो हमारी ग्राम पंचायत है और नगरपालिका हैं, इतने सक्षम नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उन सब का खर्चा उठा सकें राज्य सरकार इस बात को स्पष्ट करें।

दूसरा यहां बताया गया है कि ये योजनायें कास्ट- बेनीफिट रेश्यो के आधार पर अगर लाभप्रद नहीं होंगी तो राज्य सरकार सबसीडाइज करेगी। कब तक राज्य सरकार कर सकेगी और किस सीमा तक? अन्यथा जैसा गोलमाल कहा गया और जल्दी में पास करा कर ऐसे मौके पर बिल पास कराया जा रहा है, यह उचित नहीं है। खास तौर से मरुस्थलीय क्षेत्रों के विरुद्ध यह षड़यंत्र है। इसलिए मैं इस बिल के विरुद्ध हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय और सीवरेज निगम विधेयक, 1979 जो आज सदन में पारित होने जा रहा है, मैं याद दिलाना चाहती हूं मुख्य मंत्रीजी को जब वह मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने दो घोषणायें की थीं। एक तो पीने के पानी के अभाव को दूर करने के बारे में और दूसरी भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार का तो उन्होंने बहुत पहले ही सफाया कर के बाहर भेज दिया और जल प्रदाय की बात की थी। जल का जो राजस्थान में अभाव है और पिछली कांग्रेस सरकार ने जिस बात की घोषणा की थी कि हम छठी पंच वर्षीय योजना की समाप्ति के बाद राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान में एक गांव भी ऐसा नहीं रहने देंगे जहां पीने का पानी स्वच्छ और मीठा उपलब्ध नहीं करा सकें। यह सरकार उस वायदे को जो पिछली सरकार ने किया था, आश्वासन दिया था, उसको पूरा नहीं कर सकती थी इसलिए इस सरकार ने निगम का यह बहाना बना कर, अपने उस उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य से कि वह लोगों को मीठा और स्वच्छ पानी दे सकेगी, विमुख होने का एक बहाना ढूंढा है। यह कह दिया कि हम ने निगम बना दिया है और इसलिए बना रहे हैं ताकि विश्व बैंक से पैसा ले सकें, वित्तीय संस्थाओं से पैसा मिल सके। इसलिए उन लोगों को गुमराह करने का और लोगों को झूठी तसल्ली देने का रास्ता है। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूंगी जो इस विधेयक की धारा 27 में कही गई हैं कि यह निगम पूर्ण रूप से किसी भी हालत में हानि से नहीं चलेगा। यह इस बात को इंगित करता है कि आप उन लोगों को यह सुविधा..

श्री सूर्य नारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): As far as possible है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे याद है जब शुरू शुरू में यह विद्युत मंडल बना था, उस समय कई योजनायें सिर्फ इस आधार पर

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

स्वीकार नहीं की जाती थीं कि यह रेम्यूनरेटिव प्लान नहीं होगा या रेम्यूनरेटिव यूनिट नहीं होगा। इस आधार पर कई गांवों में सैंक्शन होने के बाद विद्युतीकरण नहीं किया जा सका। वही की वही बात इस निगम के साथ भी लागू होगी। वहां आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिर्फ इस आधार पर इन योजनाओं को नहीं ले पायेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं कर पायेंगे, सैंक्शन नहीं हो पायेंगी। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि वैसे तो सारे ही विधेयक को पास करने में घपला है, मिनिस्टर-इन-चार्ज कोई, बिल पाइलट करने वाला मंत्री कोई, जवाब देने वाला कोई, इस बिल को पास कराने की सैंक्टिटी कुछ नहीं है........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलने वाला कोई ......

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलने वाला तो सदन के नेता हैं। तो कोई भी सैंक्टिटी आपने इस बिल को पास करवाने में नहीं रखी, मिनिस्टर इन्चार्ज कोई, जवाब देने वाला कोई मिनिस्टर, नियमों में जो प्रोसीजर है बिल पास कराने का उस प्रोसिजर से बिल पास किया गया। पहले प्रवर समिति को सुपुर्द करने का और जनमत जानने का तो था...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूं। इस बिल की सैंक्टिटी की बात कह रही हूं। फिर इस विधान सभा से किसी भी बिल को पास करवाने की क्या सैंक्टिटी है जब कि उस प्रोसीजर को न तो अपनाया जाये और न उस सैंक्टिटी का पालन किया जाये? तो आप बतायें कि इस बिल को पास करवाने का क्या महत्व है? एक तरफ सैंक्टिटी नहीं है और दूसरी तरफ मरुस्थलीय इलाकों के साथ धोखा किया है और इस आधार पर आप अपने बचाव का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सब इसमें घपला नजर आता है इसलिए हम कभी भी इस विधेयक को पारित करने में अपना मतदान और अभिव्यक्ति नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: श्री वृद्धिचन्द जैन! माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज विधेयक, 1979 के विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि एक कल्याणकारी राज्य में अगर फ्री पानी नहीं दिला सकेंगे तो हमारे लिए यह कोई शोभा की बात नहीं है। हमारी कांग्रेस सरकार ने उपलब्धि की थी उस उपलब्धि को भी आज के दिन इस विधेयक को अगर पारित कर दिया जाता है और एक्ट के रूप में परिणित हो जाता है तो वह उपलब्धि भी समाप्त हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि आप ग्राम पंचायतों से चार्जेज वसूल करेंगे। अभी अभी तो हालात यह है कि ग्राम पंचायतों को खुद को ही अपने पैसे वसूल करना बहुत मुश्किल है और रेगिस्तानी क्षेत्रों के ग्रामों में ऐसे ऐसे ग्राम हैं जो कि 60 स्क्वायर मील में हैं और पानी वहां आप उपलब्ध नहीं करा सकते। ग्राम पंचायतों को भी आप यह सुविधा देंगे तो उन से वसूली के अगेन्स्ट उनके अनुदान में से ले लेंगे। तो उनका अनुदान

(२०९)..

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

तो समाप्त हो जायगा मैं तो कहूंगा कि ग्राम पंचायतें जो अनुदान लेंगी और वहां ग्रामीण जल प्रदाय योजना होगी तो उसका अनुदान तुरन्त काम में नहीं आ सकता और उनका कोई डवलपमेन्ट हो नहीं सकता और उनकी कोई प्रगति हो नहीं सकती। सारा अनुदान जल प्रदाय के एरियर में चला जायेगा।

(समय- समाप्ति - सूचक घंटी)

मैं समाप्त करता हूं। जो नहीं बोले वेही पाइन्ट कवर कर रहा हूं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में कार्पोरेशन बना कर आपने हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में भयंकर संकट पैदा कर दिया है। यह एक बड़ा भारी षड़यंत्र है, फ्राड है, जनता के साथ में धोखा है और जनता के साथ अन्याय है और भयंकर अन्याय है हम इसका पूरी तरह विरोध करेंगे और हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी पार्टी के लोगों को बोलने दीजिए।

श्री गुल मोहम्मद : अभी तक जनता निष्पक्ष के मेम्बर का नम्बर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष :कृपया दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरीबाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर मैं सेक्शन 46 का विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सेक्शन के अन्दर जैसा बनाया गया है वह सारा का सारा गलत और बेबुनियाद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सिटी के अन्दर रहने वाले नागरिकों के साथ जो कि वर्षों से और पीढियों से रहते आये हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है बहुत सी बस्तियां आज भी ऐसी हैं उन के यहां सीवरेज लाइन नहीं है, वाटर लाइन नहीं है तो इस सेक्शन के तहत उन को इसके लिए स्वयं को पैसा वहन करना पड़ेगा। जब कि आज तक यह होता आया है कि जिस प्रिमिसेज में गटर लाइन डाली जाती है चाहे वह सिटी में हो या सिटी से बाहर हो, अगर सिटी के अन्दर डाली जाती है तो वह पैसा उस जगह की नगर परिषद् से वसूल करते हैं और अगर सिटी के बाहर डाली जाती है तो यू. आई. टी. से वसूल करते हैं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर है कि जैसा अभी नेता महोदय ने संशोधन पेश किया था कि वहां के रहने वाले वर्षों के निवासी हैं उनको वहन करना पड़ेगा जो कि अन्याय है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सिटी से वोट प्राप्त कर के यहां आते रहे हैं सिटी में इनके वोट बहुत ज्यादा हैं यह नेता महोदय को सोचना चाहिए। इस से हम को फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। इस से आपको ही फर्क पड़ेगा। जब कि फोरेन कन्ट्रीज के जितने भी देश हैं उन में फ्री पानी की व्यवस्था की जाती है, फ्री सीवर लाइन की व्यवस्था की जाती है। बल्कि उनको फ्रिज का पानी दिया जाता है। यहां तो नल का पानी भी मिलना मुश्किल होता है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता महोदय से कहना चाहूंगा कि जो खर्चा वहन किया जाये यह नगर परिषद् से या यू.आई.टी. से लिया जाय मकान मालिकों से नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस निगम का विरोध तो नहीं कर रहा हूं लेकिन एक बात के लिए

(श्री जयवंत सिंह मकासर)

जरूर खबरदार कर देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि जितने भी आप के इस से पहले बने हुए निगम हैं अगर उन के दफ्तरों में हम कभी जाते हैं तो देखते हैं कि उनका किस तरह का खर्चा है। एयर कन्डीशनर हैं, घूमती कुर्सियां हैं और वहां हम एक लग्जरियस एटमास्फीयर देखते हैं। और फिर उन सारे साधनों के लिए अगर आप रुपया देते हैं या कमर्शियल कन्सर्न को इस आधार पर चलायें कि हमारे बोर्ड के और निगमों के अधिकारियों के पास कारें होंगी और दूसरे लग्जरियस भी होंगे। इस तरह से चलेगा तो मुझे एतराज नहीं है, यह जल्दी ही गड़बड़ हो जायेगा। यह जो जल प्रदाय का निगम बनाया है इस में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि रुपया पानी के काम में लगेगा और कम से कम उन आइटम्स पर लगेगा जो कि लग्जरियस आइटम्स नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे, मैं इसलिए इसके पक्ष में हूं कि रुपया मालिकों से ला रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। आखिर देना तो हम को ही पड़ेगा, हम इन्कार कर जायेंगे। क्योंकि आप तो बहुत दिन रहने वाले नहीं हैं। इसलिए रुपया लाओ और लगाओ हम इस का स्वागत करते हैं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उन लोगों का जरूर ध्यान रखिये मुख्य मंत्री जी जो कि ६० प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। जो अन्त्योदयी हैं उन से पैसा वसूल नहीं किया जाना चाहिए। उन लोगों को आप गांवों में मुफ्त पानी दिलायें और बाकी जो लोग अपने खर्चे से ले जाना चाहते हैं उन से डबल चार्ज कीजिये और सीवरेज के बारे में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप नई बस्तियां बसाओ. उन से डवलपमेन्ट चार्जेज लो और 'सी' स्कीम में मुफ्त दे दें यह नहीं होना चाहिए।

(समय- समाप्ति- सूचक घंटी)

मैं इसको ठीक समझता हूं कि डवलपमेन्ट का काम हो वह चाहे पुरानी आबादी में हो या 'सी' स्कीम में हो व उन लोगों से क्यों लिया जाये और दूसरों से क्यों नहीं लिया जाये? जिनकी माली हालत अच्छी है उन से लिया जाना चाहिए बाकी जो गरीब तबका है और जो गरीबी की लाइन के नीचे रहते हैं उन से नहीं लिया जाये। इसके लिए खास व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान: मैं दो मिनट बोलना चाहूंगा। राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधयक, 1979 जो पारित होने जा रहा है, उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। सेक्शन 46 जो संशोधित रूप में रखा में उसका विरोध करता हूं हरिजन बस्तियों, कच्ची बस्तियों के हित में नहीं होगा बल्कि उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जायगा, जो उन को सुख सुविधायें मिलनी चाहिये थीं, वह नहीं मिल पायेंगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि चाहिये तो यह था कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को जाता, 74 सेक्शन्स हैं....

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में प्रभारी मंत्री हरि सिंह लिखा है और यह बिल पायलेट किया जा रहा है दूसरों के द्वारा इसको एमेंड कर लीजिये।

श्री ओंकारलाल चोहान : मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें प्रभारी मंत्री का नाम दे दिया जाय।

श्री ओंकारलाल चोहान : इसमें कई क्लाजेज के अन्दर काफी दिक्कतें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंचायत समिति है या कस्बों में जहां नल योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी है, अच्छा तो यह होता कि यह बिल एक प्रवर समिति को जाता ...

(समय-माप्ति-सूचक घंटी)

हर क्लॉज को अच्छी तरह से देखा जाता, हाउस के सामने आता, फिर पारित करते। कर्जा वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं। उन को सुविधा प्रदान करने के लिये ले रहे हैं। इस लिये इस बिल का विरोध करता हूं और यह बिल प्रवर समिती को सौंपा जाना चाहिये था।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने कार्पोरेशन और निगम और बोर्ड और निधि की स्थापना करने में कीर्तिमान स्थापित किया है, जब से मुख्य मंत्री बने हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। 74 क्लाजेज का बिल 31 घंटे में पारित करेंगे यह भी एक नया कीर्तिमान है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें आपको बहुत धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कार्पोरेशन के साथ में जो निधि समिति है जोखम वाली, उसकी भी स्थापना कर दी जाये, जो आगे की है क्योंकि माननीय सदस्यों को शंका है, अध्यक्ष महोदय, रूल 46 में, मैं निर्णय नहीं ले सका हूं कि इसको सपोर्ट करूं या रिजेक्ट करूं। मुख्य मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा, माननीय सदस्यों को बहुत शंका है और मरुस्थलीय संभाग के माननीय सदस्यों को बहुत ही शंका है। आप पहले भी पक्षपात करते रहे हैं इस क्षेत्र के साथ और अब इसकी आढ़ में पहले सब जगह जो सुविधायें मिली हुई हैं उन सुविधाओं को वापिस ले लेंगे। आगे तो बढ़ाने से रहे लेकिन जो हैं उसमें भी घाटा दिखा रहे हैं। अब मुख्य मंत्री जी इस कार्पोरेशन की स्थापना करने के बाद जिसका उल्लेख 2 अप्रेल, 79 से कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक से रुपया आ रहा है। राजस्थान के अन्दर इन 23 हजार गांवों में पीने का पानी मुहैया करने के लिये आज की करेंट प्राइस के ऊपर कितना आउटले बनता है आपके हिसाब से और उसके बाद में बैंक से कितना आया है, फाईनेन्शियल इन्सटीट्यूशन्स से कितना आया है और टैक्स के भार से कितना आयगा जिसके लिए सैक्शन 46 बना रहे हैं। 46 के अन्दर एरिया वालों से कितना लेंगे और इसके बनने के बाद में वाटर सप्लाई की सप्लाई पर कितना खर्च करने जा रहे हैं, सीवरेज पर कितना खर्च करने जा रहे हैं। पानी की समस्या पहले ही बहुत है। 2 जून, 1977 से उसकी पूर्ति में पहले कितनी सप्लाई हो सकेगी अगले 25, 26 महीनों में क्योंकि सिक्स्थ प्लान के अन्दर तो यह रोलिंग स्टेज पर चल रहा है और पानी की स्कीम रोल नहीं करनी चाहिये इसको बिछाना पड़ेगा। इस लिये मेरा निवेदन है कि इस कार्पोरेशन के संबंध में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि यह एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, बहुत सतर्कता से इस एक्सपेरिमेंट को देखने की बात है। प्रभारी मंत्री जी, यह

(श्री परसराम मदेरणा)

काम सौंप रहे हैं कार्पोरेशन को। जब कार्पोरेशन बनेगा तो रेमूनेरेशन कम करना चाहिये। कमर्शियल लाइन पर एक्शन रहेगा। आगे चलाने के लिये भारी टैक्स लगाना पड़ेगा लेकिन जो कोई स्कीम बनती है सब से पहले चिन्ता का विषय तो यह है कि नई स्कीमें तो बन रही हैं, जब कि बनी हुई स्कीमों में ही पानी नहीं पहुंचा है। पहले वाले को ही नहीं कह रहा हूं, अभी वालों को नहीं पहुंच रहा है। क्या टैक्निकल डिफिकल्टी है पी. एच. डी. के लोगों को इतनी बड़ी स्कीमों के बनाने का अनुभव नहीं है। इनके चीफ इन्जीनियर को तो यह कभी नहीं रहा होगा नतीजा यह होता है कि वाटर तो इनएडीक्वेट है और एरिया ह्यूज है आप को कहीं कहीं तो बूस्टिंग पम्प लगाने पड़ेंगे। उसका नतीजा क्या हो रहा है? उदाहरणार्थ शैतानसिंह नगर जिस बहादुर को परमवीर चक्र मिला था, उनके गांव में ओरीजनल पाइप लाइन स्कीम 22-23 मील की है लेकिन लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ओरीजनल पाइप लाइन है जब कि गांव घोजासर तक पानी नहीं पहुंचता यह बात भी मैंने कलेक्टर को कही थी ओरीजनल पाइप लाइन का जो वर्किंग है रिसोर्सेज को एडीक्वेट करना पड़ेगा। जहां तक डाउन स्ट्रीम पर सर्वे करने की बात है कोई न कोई टोपाग्राफीकल गलती है ओरीजनल पाईप लाइन का पानी सब जगह अभी भी पूरी मात्रा में नहीं पहुंच रहा है इसको इन्शोर करने की आवश्यकता है। इन शर्तों के साथ जो प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना बता दूं कि यह जो कार्पोरेशन बनायेंगे उसमें गवर्नमेंट इन्टर फियरेन्स करने के लिये सक्षम है, और आप इसे मानेंगे कि यह सही है।

श्री मूलचन्द डागा : जो कार्पोरेशन आप बनाना चाहते हैं, यह कार्पोरेशन पहले तो बनेगा ही नहीं यदि बना भी तो इसमें कोई सम्माननीय आदमी चैयरमेन नहीं बनना चाहेगा और चेयरमेन बनना पसन्द नहीं करेगा तो इसकी सैंक्टिटी नहीं रहेगी। फिर इसमें डे-टू-डे गवर्नमेंट का इन्टरफियरेन्स रहेगा इसके क्लॉजेज में आपने लिखा है डिफरेन्ट डेट्स पर लागू होगा। इसका इम्पलीमेन्टेशन, बाई-लॉज एण्ड रूल्स- रेगूलेशन्स मेरे खयाल से एक साल में भी नहीं बनेंगे। इसलिए जो कार्पोरेशन आप बनाना चाहते हैं, उस का लाभ जनता को कई सालों तक नहीं मिलेगा और जिस प्रकार से जल्दी में यह कार्पोरेशन बनाया है, उस से कोई लाभ नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी..

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में ही।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कहा था उस समय बोल लेना।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : कम से कम तीन-चार घंटे तो चलनी ही चाहिये।

श्री मथुरा दास माथुर : ये जितने बोल रहे हैं, सब खाना खाकर आये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आपने जो यह कार्पोरेशन बनाने की जिद की है, ठीक है आप बिल पास कराने जा रहे है परन्तु मैं पूछना चाहूंगा इस कार्पोरेशन के बनने के बाद दो मील के रेडियस में पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जो जिले हैं, उन में कितने वर्ष में पानी दे पायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन से जिलों में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई: पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिले, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर- पश्चिमी रेगिस्तानी ये तो हैं ही; आप और कौन से मानते हैं? इन जिलों में कितने वर्षों में पानी दे पायेंगे, यह स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा····

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

इसके बारे में कितनी जल्दी और किस ढंग से पास करा रहे हैं इसलिए इस में आप न्याय तो नहीं कर पाये हैं, क्योंकि अब आप की इच्छा है कार्पोरेशन बनाना चाहते हैं और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना चाहते हैं लेकिन जो आपकी मंशा है और जिस दृष्टि से निगम बना रहे हैं उस में पूर्ण सतर्कता लागू करेंगे तभी मकसद पूरा होगा वरना जो पानी आप हौजों के जरिये देते हैं उस में तो बहुत कम पापूलेशन पानी पीती है और कहीं ऐसा भी न हो कि पानी पीने वाले नहीं हैं उन पर भी टैक्स लग जाय और जनता में कहीं परिवार नियोजन वाला कार्य न हो जाय । इसमें मैं सतर्कता के लिये आगाह करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, अब ज्यादा समय तो क्या लूं, क्योंकि मुख्य मंत्री जी जवाब देने को आतुर हो रहे हैं। जब हम सेक्रेटेरियेट में बैठे थे और सुझाव दिये थे; बहुत कुछ मामलों में हमारे सुझाव न मान कर कुछ क्लाजेज में संशोधन रख दिया है। हम तो यही चाहते हैं कि इस कार्पोरेशन के जरिये सारी राजस्थान की जनता को पानी मिले, परन्तु किस तरह इसकी पूर्ति करेंगे यह मैं आपके जबाव में चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इन्होंने विधेयक को पारित करवाने में सत्तारूढ़ दल का साथ दिया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पीने के पानी की समस्या की दिक्कत और इस समस्या के कारण राजस्थान की काफी जनता पीड़ित है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाय, इस सम्बन्ध में कई बार चर्चाएं हुई हैं और कई योजनायें भी बनी हैं। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि सन् 1951-55 में एक जल बोर्ड नाम की संस्था यहीं काम कर रही थी और मुझे जहां तक याद है सन् 1954 तक इस संस्था ने काम किया है और उस के बाद यह संस्था बन्द कर दी गई। इस संस्था का अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसके अकाऊन्ट्स का आडिट हुआ और मैं जहां तक याद करता हूं इस संस्था के अकाऊन्ट्स को लेकर विधान सभा में भी काफी चर्चा हुई और उस समय के सत्तारूढ़ दल ने आपस में एक दूसरे पर आरोप- प्रत्यारोप लगाये । यह बड़ा कटु अनुभव था और उस के कारण कई बार विचार करने के उपरान्त भी हम कार्पोरेशन यहां नहीं बना सके। इस सम्बन्ध में कई बार प्रयत्न भी किये गये कि कोई कार्पोरेशन या निगम बनाया जाय। यह प्रयत्न हमारी ओर से ही नहीं बल्कि भूतपूर्व सरकार की ओर से भी किये गये थे कि एक कार्पोरेशन या निगम बनाया जाय लेकिन जब पुराना अनुभव सामने आता था तो यही महसूस होता था कि कार्पोरेशन बनाने के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये गये ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 33 हजार गांव हैं। 33 हजार गांवों में से 24 हजार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

37 गांव ऐसे हैं जिनको हम प्रॉबलम विलेजेज के नाम से आइडेन्टिफाई करते हैं। अब इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी विकट है। इन 24 हजार विलेजेज में 7 हजार विलेजेज ऐसे हैं जिनमें पानी बहुत खारा है, जिनमें एक्सेसिव फ्लोराइड है और वे लगभग चार हजार विलेजेज हैं और जिनमें नारू निकलता है वे करीब तीन हजार विलेजेज हैं और जो गहरे है या थोड़ा पानी खारा है उस प्रकार के लगभग 10 हजार विलेजेज है। इस तरह 25 हजार विलेजेज में हमारे सामने पीने के पानी की समस्या है। अब तक लगभग चार हजार विलेजेज ऐसे हैं जिनमें हम कुछ स्कीम्स चालू कर पाये हैं और लगभग 400 को ऐसी स्कीम्स जो स्वीकृत हो गई है इनमें से कुछ स्कीम्स में काम हो रहा है और कुछ पर काम शुरू होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, इस से अन्दाज लगाया जा सकता है कि पिछले 30 वर्षों का क्या अनुभव रहा है। ३३ हजार विलेजेज में से चार हजार में वाटर स्कीम चालू कर सके हैं। अब यह अचीवमेंट कितना बड़ा है। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है जिनका उत्तरदायित्व था वे स्वयं अनुमान लगा लें कि उपलब्धियां कितनी बड़ी हैं और इन उपलब्धियों की कितनी प्रशंसा की जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की समस्या का समाधान करने के लिये डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य दोनों विचार कर लें क्या हम अपने बजट से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? यदि आपकी ऐसी मान्यता है जब जनरल बजट से हम इस काम के लिए इतना एलोकेशन कर सकते हैं कि निकट भविष्य में जाकर इस समस्या का समाधान कर पायेंगे तब तो मैं ऐसा समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि निगम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। लेकिन जब आम मान्यता यह है कि आज हम अपने रिसोर्सेज से अपने बजट से इतना प्रोवीजन नहीं रख सकते जिस के कारण इस समस्या का समाधान तत्काल हो सके तो हमें अन्य साधन जुटाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस के अनुरूप हमने विश्व बैंक से बातचीत की और लगभग 170 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाने का उस ने आग्रह किया रुपयों में भी ज्यादा रुपया गांवों में 170 करोड़ खर्च हो और थोड़ा रुपया शहरों में खर्च हो। पीने के पानी के साथ साथ गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था भी हो। इन सारे तीनों आइटम्स के लिए 170 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखने का आग्रह किया लेकिन भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण 170 करोड़ से घटाकर 110 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट तैयार करने का हमें निर्देश दिया गया। अब इस 110 करोड़ के प्रावधान में वर्ल्ड बैंक से सहायता मिलती है या लोन मिलता है उसका कितना हिस्सा राज्य सरकार को मिलेगा इससे भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चालीस करोड़ रुपए वाला दारूवाला शुरु कर दो। अब तो मोरारजी हट गए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक तरफ तो हम लोन ले रहे हैं और दूसरी तरफ हमने अपनी योजना

(श्री भरोंसिंह शेखावत)

में भी इसके लिए धनराशि का प्रावधान रखा है। छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 150 करोड़ का प्रावधान इस मद के लिए रखा है जिस में 110 करोड़ गांवों में और 40 करोड़ शहरों के लिए खर्च होगा। अब यह बाहर से सहायता मिलती है इस के लिए यह बिल है। आज जितने भी स्टेट का सम्बन्ध है या इस प्रकार का सर्विसेज का सम्बन्ध है वह केवल सरकार के बजट से पूरा नहीं होता। माननीय सदस्य जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्सेज का इस में बहुत महत्वपूर्ण कण्ट्रीब्यूशन रहता है। आज सरकार किसी बैंक से कर्जा नहीं ले सकती। यदि कार्पोरेशन बनेगा तो वह कार्पोरेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से भी कर्जा ले सकता है। अब जब हम कर्जा ही कर्जा ले रहे हैं और बजट का प्रावधान बहुत कम है तो उस कर्जे की अदायगी को भी साथ में सोच कर चलना पड़ेगा। हम कर्जा ही कर्जा लेते जाय और अदायगी को छोड़ दें तो कोई भी स्कीम रेम्यूनरेटिव नहीं हो जाये तो कम से कम लोसेज तो कम से कम हों। इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी तो कोई चाहे प्रोजेक्ट बनायें, चाहे किसी कार्पोरेशन को बनाएं, चाहे और कोई व्यवस्था करें, उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा इसलिए हमने अपने बजट से प्रावधान करने के साथ साथ वित्तीय संस्थाओं से जो सहायता मिल सकती है, जो योगदान ले सकते हैं, इण्डीजुअल से कितनी सहायता मिल सकती है, इण्डीजुअल को हम कितना मोटिवेट कर सकते हैं, बाकी की जो चेरिटेबल इंस्टीट्यूशन्स हैं या इस प्रकार की संस्थाओं को इस कार्य के लिए कितना सक्रिय कर सकें ये सब बातें हैं जिन के कारण हम को निगम बनाने के प्रश्न पर विचार करना पड़ा। अभी कई माननीय सदस्य इसी बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि निगम बनाने का अर्थ यह है कि सरकार अपनी रेस्पोंसिबिलिटी से बचना चाहती है। इसका उत्तर देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डागा साहब को कि उन्होंने मेरे से पहले ही उत्तर दे दिया और उन्होंने कहा कि निगम पर सरकार का इतना हस्तक्षप है कि निगमें एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करने वाली संस्था न रहकर यह सरकार की एजेंसी के रूप में काम करने वाली होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने निगम को यह काम सौंप कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, इस प्रकार की आलोचना की है उनका उत्तर सही प्रकार से तो नहीं लेकिन कुछ अंशों में सही उत्तर डागाजी ने दिया है। अध्यक्ष महोदय . . .

श्री नवरंगसिंह : थोड़ा मौका दें तो और देने को तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जितने भी कार्पोरेशन बनते हैं और कार्पोरेशन बनाने के पीछे एक भाव है, कार्पोरेशन मोटे रूप में कार्मशियल अण्डरटेकिंग हो कार्मशियल अन्डरटेकिंग कंसर्न और उसके अकाउंटिंग और उसके ओब्जेक्ट्स, सब डिफाइन हैं। एक कार्पोरेशन ही नहीं जितने भी कार्पोरेशन हैं उन सब को ओब्जेक्टिव डिफाईन हैं। इस निगम के लिए भी यह ओब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी की सर्विस दें। अब आप यह मान कर चलें कि जिन चार हजार गांवों के अन्दर वाटर सप्लाई स्कीम चालू कर दी वह तो घाटे में चलती रहें। उस घाटे की पूर्ति स्टेट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गवर्नमेन्ट और सब्सीडी से पूरा करती रहे और उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाय। इसका मतलब है कि राजस्थान सरकार के बजट से कोई काम नहीं करें और केवल चार हजार गांवों तक ही सीमित रहे और बाकी के 26 हजार गांवों को भूल जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह किसी की भी मंशा नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार की भावनायें व्यक्त की गई हैं, आप एक चीज की सीमा मान कर चलें और कहीं न कहीं आईस-ब्रेक करना पड़ेगा और आप हर चीज में सब्सीडाइज करने की आदत जनता को डालेंगे, पानी भी सब्सीडाइज्ड रेट पर, बिजली भी सब्सीडाइज्ड इरीगेशन वाटर भी सब्सीडाईज; इन सब चीजों की सब्सीडी देकर यदि आप डवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप मान कर चलें कि जितनी तेज गति से डवलपमेंट करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे। अब मुश्किल तो यह है कि जब सब्सीडी की बात आती है, जहां गरीबों का मामला आता है सभी उनकी बात तो करते हैं कि गरीबों को सब्सीडी मिलनी चाहिए लेकिन आज माननीय श्योपतसिंहजी बता दें या कोई और माननीय सदस्य बता दें कि राजस्थान के 56 प्रतिशत जो गरीब हैं किस गरीब के घर में बिजली का लट्टू जलता है जिसके कारण सब्सीडी दी जाती है,...

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तो कहते हैं बन्द कर दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज बिजली के मामले में आप जानते हैं, इसी तरह से पानी के मामले को ले लें। माननीय सदस्य अटरू से आने वाले कह रहे थे कि हरिजन इसमें नहीं हैं, हरिजन सदस्य होना चाहिए। माननीय सदस्य आप हरिजन मंत्री भी रह चुके हैं, इस विभाग से आज चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे उदयपुर हो जहां पर पानी की बहुत बड़ी स्कीम्स हैं जोधपुर में पानी की स्कीम है; जयपुर में पानी की स्कीम है आज कोई कह सकता है कि जयपुर की कच्ची बस्तियों में जहां गरीब बसे हुए हैं उनके घर में पानी का कनेक्शन है ? आज उनकी कास्ट पर टैक्स लगता है और उनको पे करना पड़ता है। वे गरीब सब्सीडाइज कर रहे हैं अमीरों के लिए। इस सब्सीडी को रोकना पड़ेगा। आज 56 परसेंट लोगों को टैक्स देना पड़ता है। बाकी जो 44 परसेंट लोग हैं उनको सस्ती बिजली मिलती है, सस्ता पानी मिलता है, सस्ती दर से और चीजें मिलती हैं। इस सारे विसियस सर्किल को हिम्मत करके तोड़ना पड़ेगा और यदि यह नहीं तोड़ा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि राजस्थान के डवलपमेंट की गति जो बिलकुल मन्द है यह गति कभी तेज नहीं हो सकेगी, राजस्थान का विकास नहीं हो सकेगा, राजस्थान के लोगों के सामने जो समस्यायें हैं उनका समाधान नहीं हो सकेगा। मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि सब्सीडी के प्रश्न पर ज्यादा सेनसेटिव होने की जगह प्रक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा कि सब्सीडी के हकदार कौन हैं। मैं गारण्टी देता हूं, मैं सरकार की तरफ से गारण्टी देता हूं कि हम इस बात को लेकर चलने वाले हैं कि किसी भी गांव में यदि बिजली पहुंचे, किसी भी गांव में यदि पानी पहुंचे तो सब से पहले उन क्षेत्रों में जायं जहां पर आज तक बिजली और पानी नहीं जा सका है। और इसलिए यदि आप इस प्रश्न पर माननीय सदस्य मेरा समर्थन करेंगे, बजट सैशन में तो यह जितनी एमेनिटीज हैं, इस कयुमिलिटिव सर्विस में यदि हरिजनों के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मकान बनें, मेहतरों के मकान बनें और वहां पर बिजली जाती है जिसका वे पेमेंट नहीं कर सकते तो इस बर्डन को शिफ्ट करें। नेक्स्ट सैशन में यह बात आएगी उस समय माननीय सदस्य समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से कहता हूं कि यह सब्सीडी का जो विशियस सर्किल बन गया है वह अपने आप टूटेगा। एक रिसोर्सेज इसके माध्यम से क्रियेट करने पड़ेंगे और हर बात का भार सरकार के माथे डाल दें तो इससे विकास नहीं हो सकेगा। सोसायटी के ऊपर भी बर्डन शिफ्ट करना पड़ेगा। और वह बर्डन शिफ्ट करने के लिए सैक्शन 46 का प्रश्न आया तो जो माननीय सदस्य गरीबों की बात कर रहे थे, मुझे अफसोस होता है आप बता दें कि किसी गरीब के घर में गटर लाइन है किसी गरीब के मोहल्ले को बता दें कि जिसमें पानी के नल लगे हुए हैं ··

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप विराज जाइये।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सभी गरीबों के नाम पर बोलना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक लाइन पड़ी हुई है उसको बदलना होगा तो उसका खर्चा कौन देगा ? जिन कच्ची बस्तियों में गरीब रहते हैं उनमें क्या कोई लाइन पड़ी हुई है ? वहां की नाली को बदलने के लिए किस ने मांग की है ? आज जिन लोगों की वकालत की गई है जाने या अनजाने में, वह गरीबों के लिए नहीं की गई है गरीब के नाम पर गरीब का शोषण करने वालों के लिए यह वकालत की गई है इसलिए सरकार को इस प्रकार की वकालत को रोकना पड़ेगा और एक बार इस विशियस सर्किल को तोड़ना पड़ेगा। जो सस्ती बिजली और पानी का उपयोग सब्सीडी लेकर करते हैं उनको रोकना होगा। आज हम डवलपमेन्ट करना चाहते हैं परन्तु इस सब का लाभ किन को मिल रहा है ? इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट, रोड्स स्कूल्स, दवाखाने इन सब का जो निर्माण किया जा रहा है इनका उपयोग कौन कर रहा है ? ईमानदारी से सोचें आज जयपुर में जो एस. एम. एस. अस्पताल है, इसमें कितने गरीबों का इलाज होता है, जयपुर में महाराजा कालेज है कितने गरीबों के लड़के इसमें पढ़ते हैं और कितने गरीब लड़के यूनिवर्सिटी एजूकेशन लेते हैं। क्या गरीब के लड़के एस. एम. एस. में जाकर इलाज करवाते हैं ? इन लोगों के नाम पर इस प्रकार की संस्थाओं को काफी सब्सीडी देनी पड़ती है, इन संस्थाओं को सब्सीडाइज करना पड़ता है। मरीज पर हम फीस नहीं लगा सकते हैं। गरीब आज बोल नहीं सकता है और जो वोकल एलीमेन्ट हैं व राजनीति में और सरकार में प्रभावी हैं राजनीतिज्ञों पर भी उनका प्रभाव है। इस प्रभाव से उसको मुक्त करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम ने यह कार्पोरेशन का विधेयक प्रस्तुत किया है.....

श्री नूरा : समाजवादी भाषा बोल रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मार्क्सिस्ट की तरह बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे भाषण को आप समाजवादी, मार्क्सवादी कह रहे हैं ··

श्री नूरा : आप तो इसको कार्यान्वित कर दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन सारी स्थितियों के अंदर में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कार्पोरेशन बनाना है, उसको बनाने में, उसके फंक्शनिंग में जो अनुभव होगा और उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो फिर हम विधान सभा के सामने आएंगे और इसमें कोई संशोधन जरूरी होगा तो करेंगे। अभी तो यह व्यवस्था की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा धन किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके। इस तरीके से ज्यादा धन एकत्रित किया जा सकता है और उससे पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

एक और समस्या जिसको मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस सदन में दो-तीन प्रसंगों में इस प्रकार की चर्चा की गई है कि जो रीजनेल पाइप वाटर स्कीम्स भूतपूर्व जल प्रदाय मंत्री डा. हरिसिंह ने मन्जूर की थी, उनके चले जाने के बाद उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। मैं सदन से कोई बात नहीं छिपाना चाहता हूं। इसमें परिवर्तन किए गए हैं परन्तु किसी ने इसका कारण नहीं पूछा है। इसमें परपज केवल एक है। आप यह अंदाज लगावें कि गांव में वाटर पाइन्ट देना जरूरी है या घर घर नल ले जाना जरूरी है? पानी को घर घर पहुंचाया जाएगा तो वहां पर सीवरेज प्राब्लम होगी। जिन गांवों के अन्दर वाटर पाइप सप्लाई स्कीम बनाई गई है वहां से यह डिमान्ड आई है कि वहां पर शीघ्र ही नालियां बनायी जाएं वरना इससे बीमारियां बढ़ेंगी, लोग मरेंगे क्योंकि पानी सड़ रहा है, गंदगी फैल रही है। इसके लिए वहां पर आन्दोलन भी किए गए। दूसरी तरफ जो पाइप लाइन जाती है उसमें अधिक खर्चा होता है और उससे कम खर्च में उस गांव में एक पाइन्ट पर वाटर का कनेक्शन दे दें ताकि आठ आठ मील, दस दस मील दूर जा कर लोगों को पानी लाना पड़ता है वह कठिनाई दूर हो। इसलिए नल घर घर न पहुंच कर गांव में एक सेन्ट्रल पाइंट पर पानी का नल प्रोवाइड कर दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा और इस प्रकार की योजना से हम अधिक गांवों को पानी पहुंचा सकते हैं। आज के युग में घर घर में नल लगाने के बजाए गांव के एक पाइन्ट पर नल लगा दें तो यह ज्यादा लाभदायक होगा। जहां पर हम पाइप लाइन से दो हजार गांवों को पानी प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बजाए इस स्कीम्स से हम साढ़े चार हजार गांवों को, इस खर्च से, इस प्रकार की योजना से लोगों को पानी दे सकते हैं। इस आधार पर पहले की योजना में संशोधन किए गए हैं और इन संशोधनों से किसी माननीय सदस्य को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जो धनराशि का प्रोवीजन है वह इसी मद में खर्च होगा और उस धनराशि को किसी दूसरे मद में डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में, इस प्रसंग में माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि राज्य सरकार का यह प्रयत्न अपनी जिम्मेदारी से बचने का नहीं है बल्कि इसके जरिए और ज्यादा जिम्मेदारी लेना है ताकि ज्यादा लोगों को, गांवों को पानी मिल सके। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 यथा संशोधित पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

व्यवस्था

(अध्यक्ष)

राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 14-9-79 में प्रकाशित लेख के सम्बन्ध में प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन प्रश्न

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा ने पत्रिका के दिनांक 14-9-79 के अंक में प्रकाशित उस सूचना के संदर्भ में, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष के प्रति एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, श्री कौशल किशोर जैन,सदस्य विधान सभा तथा राजस्थान पत्रिका के संपादक, प्रकाशक व मुद्रक के विरुद्ध तथा आकाशवाणी द्वारा प्रसारित एक समाचार के संदर्भ में आकाशवाणी के विरुद्ध दो विशेषाधिकार हनन के प्रश्नों की सूचना इस आधार पर दी है कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 255 के अन्तर्गत किसी भी नोटिस को जब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे एडमिट कर के सदस्यों में परिचालित न कर दिया जावे।

प्रस्तुत मामले के तथ्य यह है कि श्री कौशल किशोर जैन, सदस्य विधान सभा ने माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को अपने पद से हटाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव की सूचना दिनांक 13 सितम्बर, 1979 को दी थी। यह प्रस्ताव उस समय अध्यक्ष का कार्य निर्वहन करने वाले माननीय उपाध्यक्ष के विचाराधीन था और उसे एडमिट करने के पश्चात् सदस्यों को परिचालित नहीं किया गया था।

इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि इस मामले में नियम 255 (2) के परन्तुक का उल्लंघन हुआ है। प्रश्न केवल यही है कि क्या इसके लिए श्री कौशल जैन व राजस्थान पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशन और मुद्रक तथा आकाशवाणी जिम्मेदारी है यदि हैं तो क्या उनके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता है जिससे कि मैं नियम 157 के अन्तर्गत उसको अपनी स्वीकृति दे सकूं।

मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है और आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की है। सुस्थापित संसदीय परम्पराओं के आधार पर जब कभी किसी सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष या सचिव को दी गई सूचनाओं का पूर्व प्रसारण हो, चाहे पूर्व प्रसारण स्वयं सम्बन्धित सदस्य द्वारा हो, चाह अन्य किसी के द्वारा, उससे विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं बनता, किन्तु यह निश्चित है कि इस प्रकार का पूर्व प्रसारण नियम विरुद्ध तो है ही सर्वथा अनुचित एवं संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध भी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भविष्य में इसका पूर्णतया ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मामले को बंद करता हूं।

सूचना

माननीय सदस्य ....

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी इसी सदन में इसी सदन के सदस्यों को कामन वैल्थ एसोसिएशन के रूप में बैठना है और तत्सम्बन्धी कार्यवाही में भाग लेना।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 1.10 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई)

———